

४३ अहं

जितानगम-दान्वलाला : चतुर्वाहू २४

[परमश्रद्धेय गुरुदेव पूज्य श्रीजोरावरमलजी महाराज को पुण्य-स्मृति में आयोजित]

आवश्यकसूत्र

[भूलपाठ, हिन्दी अनुवाद, विवेचन, टिप्पण युक्त]

प्रेरणा □

उपप्रबर्त्तक शासनसेवी स्व. स्वामी श्री ब्रजलालजी महाराज

आधिसंयोजक तथा प्रधान सम्पादक □

स्व० युवाचार्य श्री मिथीमलजी महाराज 'मधुकर'

अनुवादक—विवेचक—सम्पादक □

सिद्धान्ताचार्यी महासत्तो डॉ. सुश्रमा 'सुधा' एम. ए; शीएच. डी.

प्रकाशक □

श्री आगम प्रकाशन समिति, अयावर (राजस्थान)

निर्देशन

साध्वी श्री उमरावकुंवरजी 'अर्चना'

सम्पादकमण्डल

प्रनुयोगप्रबत्तक मुनि श्री कम्हैयालालजी 'कमल'

शास्त्रार्थ श्री देवेन्द्रमुनि शास्त्री

श्री रत्नमुनि

सम्प्रेरक

मुनि श्री विनयकुमार 'भीम'

द्वितीय संस्करण

दीर्घनिर्वाण संवत् २५२०

विक्रम संवत् २०५१

ई. सन् १९९४

प्रकाशक

श्री आगम प्रकाशन समिति,

श्री बज-मधुकर समृति भवन

पीपलिया बाजार, व्यावर (राजस्थान)

व्यावर—३०५९०१

फोन : ५००८७

मुद्रक

सतीशाचन्द्र मुख्य

देविक यंत्रालय,

केसरगंज, अजमेर—३०५००१

मूल्य : ४२) रुपये

**Published on the Holy Remembrance occasion
of
Rev. Guru Shri Joravarmalji Maharaj**

ĀVASHYAK SŪTRA

[Original Text, Hindi Version, Notes, Annotations and Appendices etc.]



Inspiring Soul
Up-pravartaka Shasansevi (Late) Swami Shri Brijlalji Maharaj



Convener & Founder Editor
(Late) Yuvacharya Shri Mishrimalji Maharaj 'Madhukar'



Translator & Annotator
Siddhantacharya Sadhwī Dr. Suprabha 'Sudha,' M A; Ph.D.



Publishers

Shri Agam Prakashan Samiti
Beawar (Raj.)

Jīlagam Granthmāla Publication No. 24

Direction

Sadhvi Shri Umrvakunwarji 'Archana'

Board of Editors

**Anuyogapravartaka Muni Shri Kanhaiyalalji 'Kamal'
Acharya Shri Devendra Muni Shastri
Shri Ratan Muni**

Promotor

Munishri Vinayakumar 'Bhima'

Second Edition

**Vir-Nirvana Samvat 2520
Vikram Samvat 2051,
May, 1994.**

Publishers

**Shri Agam Prakashan Samiti,
Shri Brij-Madhukar Smriti Bhawan
Pipaliya Bazar, Beawar (Raj.) [India]
Pin—305 901
Phone : 50087**

Printer

**Satish Chandra Shukla
Vedic Yantralaya
Kesarganj, Ajmer.**

Price : Rs. 42/-

समर्पण

जिनके अदृश्य साहस्र एवं श्रुतभित्ति ने
जैनाशामतानुषमाला को जन्म दिया,
जिरहोंमें अपने जीवन-काल में अनेकानेक
व्रतों का प्रणयन कर भाव-लोक का
असीम उपकार किया,
उच्च आचार और शुद्धि विद्यार जिनका
सहज योग बन राया था,
जिनका वैदुष्य विद्वद्वर्ण में था,
जो शत-शत सठतों-सतियों द्वारा श्रमण-
संघ के भावी कर्णधार के रूप में प्रतिष्ठित
किए गए थे,
जो मनसा-वाचा-कर्मणा सम्यक् संकल्प,
समाधण और समाधि के साकार प्रतीक थे.
उन सर्वतोषद्र महामनीषी
श्रमणसंघीय युवाचार्य
श्री मिश्रीमलजी महाराज ‘मधुकर’
को दिक्षित पुस्तिकालमा को ।

[प्रमथ संस्करण से]

प्रकाशकीय

श्री जैनागमग्रन्थमाला के २४ वें ग्रन्थ आवश्यकसूत्र का यह द्वितीय संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आवश्यकसूत्र धर्म-क्रिया से सम्बद्ध है और प्रत्येक मुमुक्षु साधक के लिए सदैव उपयोगी एवं आवश्यक है। इस सूत्र का सम्पादन एवं अनुवाद अध्यात्मयोगिनी परमविदुषी महासतीजी श्री उमरावकुंवरजी म० ‘अर्चना’ की पण्डिता शिष्या डॉ. श्री सुप्रभाजी म० ‘सुधा’ सिद्धान्ताचार्य, साहित्यरत्न, एम० ए०, पीएच०डी० ने परिश्रमपूर्वक किया है। अतएव हम महासतीजी के इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए आभारी हैं।

महासतीजी ने इस ग्रन्थ को सर्वसाधारण के लिए उपयोगी बनाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है। विशिष्ट शब्दों का अर्थ और भावार्थ देकर अनुवाद को अलंकृत किया है।

साहित्यवाचस्पति विद्वान् श्री देवेन्द्रमुनिजी म० शास्त्री ने प्रस्तुत सूत्र की विशद प्रस्तावना लिख कर इसे अधिक उपयोगी बना दिया है। प्रस्तावना में आपने विस्तार के साथ आवश्यकों के स्वरूप पर प्रकाश डाला है और विभिन्न धर्मों सम्बन्धी आवश्यक्रिया की तुलना भी प्रस्तुत की है।

श्री आगम प्रकाशन समिति के भाष्यम से आगम ग्रन्थों का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया था। सभी ग्रन्थों के प्रथम संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। जैसे-जैसे ग्रन्थों का प्रकाशन होता गया, वैसे-वैसे पाठकों की संख्या में अनुमान से भी अधिक बढ़ि हुई है अतः प्रथम संस्करण के ग्रन्थों के अनुपलब्ध होते जाने पर भी आगम बत्तीसी के समस्त ग्रन्थों की मांग बढ़ती गई। इसकी पूर्ति के लिए अध्यात्मयोगिनी मालवज्योति साध्वी श्री उमरावकुंवरजी म. ‘अर्चना’ के निर्देशन में द्वितीय संस्करण प्रकाशित करने का निर्णय किया गया।

निर्णय के अनुसार अप्राप्य होते जा रहे ग्रन्थों को प्रकाशित करने का कार्य चालू है। इसी क्रम में ‘आवश्यकसूत्र’ का यह द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है।

आगमप्रेमी सञ्जन इन आगमों के प्रचार-प्रसार में सहयोग दें, इसी निवेदन के साथ समिति की ओर से हम आपने सभी सहयोगियों का हार्दिक आभार मानते हैं।

रत्नचंद मोदी

कार्यवाहक प्रध्यक्ष

सायरमल जोरड़िया

महामंत्री

ग्रन्थालय मोदी

मंत्री

उदारमता धर्मसहयोगी—

श्री जेठमलजी खा. चोरड़िया

एक उक्ति प्रसिद्ध है—“ज्ञानस्य कल विरतिः” ज्ञान का सुफल है वैराग्य। वैसे ही एक सूक्ति है—“वित्स्य फलं वितरणं” धन का सुफल है—दान।

नाशोर जिला तथा मेडिता तहसील के अन्तर्गत चांदावतों का नोखा एक छोटा-सा किन्तु सुरम्य ग्राम है, इस ग्राम में चोरड़िया परिवार के घर अधिक हैं। बोथरा, ललवाणी आदि परिवार भी हैं। प्रायः सभी परिवार व्यापार-कुशल हैं।

चोरड़िया परिवार के पूर्वजों में श्री उदयचन्द्रजी पूर्व पुरुष थे। उनके तीन पुत्र थे—श्री हरकचन्द्रजी, श्री राजमलजी व श्री चांदमलजी। श्री हरकचन्द्रजी के पुत्र थे श्री गणेशमलजी एवं इनकी मातेश्वरी का नाम श्रीमती रूपीबाई था। श्री गणेशमलजी की धर्मपत्नी का नाम सुन्दरबाई था। आपके दस पुत्र एवं एक पुत्री हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं—श्री जोगीलालजी, श्री पारसमलजी, श्री अमरचन्द्रजी, श्री मदनलालजी, श्री सायर-मलजी, श्री पुष्कराजजी, श्री जेठमलजी, श्री सम्पत्तराजजी, श्री मंगलचन्द्रजी एवं श्री भूरमलजी। पुत्री का नाम लाडकचन्द्रबाई है।

श्रीमान् जेठमलजी साठ सातवें नम्बर के पुत्र हैं। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती रेशमकवर है। आप धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में सदा सतत् अभियुक्त रहने वाले हैं। आप समाजसेवा, धार्मिक-उत्सव, दान आदि कार्यों में सदा अग्रसर रहते हैं।

आपका व्यवसायिक क्षेत्र बैंगलोर है। “महावीर इग हाउस” के नाम से अग्रेजी दवाइयों की बहुत बड़ी दूकान है। दक्षिण भारत में दवाईयों के वितरण में इस दूकान का प्रथम नम्बर है। आप श्रीष्टि व्यवसायिक एसोसियेशन के जनरल सीक्रेट्री हैं। अखिल भारत श्रीष्टि व्यवसाय एसोसियेशन के आप सहमन्त्री हैं। आप बैंगलोर श्री सघ के ट्रस्टी हैं एवं बैंगलोर युवक जैन परिषद् के अध्यक्ष हैं। बैंगलोर सिटी स्थानक के उपाध्यक्ष हैं।

आपके तीन पुत्र—श्री महावीरचन्द्रजी, श्री प्रेमचन्द्रजी, श्री शशोकजी हैं तथा एक पुत्री—स्नेहलता है। सभी पुत्र ग्रेजुएट एवं सुयोग्य हैं। आपके कार्यभार को सम्भालने वाले हैं।

आपका समस्त परिवार आचार्य प्रवर श्री जयमलजी म० साठ की सम्प्रदाय का अनुयायी है तथा स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव श्री हजारीमलजी म० साठ, श्री उप-प्रवर्तक स्वामीजी श्री लजलालजी म० साठ, पूज्य युवाचार्य श्री मधुकर मुनिजी म० साठ एवं वर्तमान में उप-प्रवर्तक श्री विनायमुनिजी म० साठ आदि मुनिराजों के प्रति पूर्ण निष्ठावान भक्त हैं।

श्री अध्यात्मयोगिनी, मालवज्योति, काश्मीरप्रचारिका महासतीजी श्री उमरावकंवरजी म० साठ “अर्चना” के प्रति आपकी अनन्य श्रद्धा है। पिछले ५-७ वर्षों से आप अधिकांश समय महासतीजी म० साठ की सेवा में ही व्यतीत करते हैं। कुल मिलाकर यदि कहा जाये तो आप अपने आप में एक संस्था हैं।

श्री आगम प्रकाशन समिति की स्थापना से लेकर अद्यावधिपर्यन्त आपका योगदान रहा है। समय-समय पर अपने मार्गदर्शन से समिति की प्रवृत्तियों का विकास करने में तत्पर रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। एतदर्थं हम आपका सधन्यवाद आभार मानते हैं।

प्रमर्चंद मोदी
मंत्री

अपनी ओर से.....

[प्रथम संस्करण से]

विराट् विश्व के समस्त प्राणी सुख चाहते हैं। आचारांग सूत्र में श्रमण भगवान् महावीर ने कहा है—

“सब्दे पाणा………सुहसाया दुखपड़कूला”^१ समस्त प्राणी चाहे वह कोई है या कुंजर, दरिद्रतम मानव है अथवा स्वर्गाधिपति इन्द्र, सभी सुख चाहते हैं। दुःख कोई नहीं चाहता। ‘सुखकामानि भूतानि’^२—प्राणिमात्र की कामना है—सुख मिले। लेकिन प्रश्न यह है कि मुख मिले कैसे? वह कोई ऐसा फल तो है नहीं जो किसी वृक्ष पर लटक रहा हो, जिसे तोड़ लिया जाय अथवा कहीं से खरीद लिया जाय! यदि ऐसा होता तो जितने भी धनिक हैं, वे कब के उसे खरीद लेते। फिर बेचारे गरीबों को तो सुख नसीब ही नहीं होता! पर ऐसा नहीं है। सुख अपने ही भीतर से प्रकट होता है। आत्मा में ही सुख-दुःख के बीज छिपे हुए हैं। उस सुख को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया अनिवार्य है—उस क्रिया का चिन्तन, मनन करके उसका अमल करना चाहिए। जीवन की वह क्रिया, जिसके अभाव में हम आन्तिक सुखलाभ के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते, वही आवश्यक कहलाती है। जीवित रहने के लिये जिस प्रकार श्वास लेना जरूरी है, उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में जीवन की पवित्रता के लिए जो क्रिया अथवा साधना जरूरी है, अनिवार्य है उसे ही आगम में ‘आवश्यक’ की संज्ञा से अभिहित किया जाना है। आवश्यक अर्थात् प्रतिक्रमण आदि अवश्य करणीय कर्तव्य।

प्रतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ है—पापों से निवृत्त होना। आत्मा की जो वृत्ति अशुभ हो चुकी है, उस वृत्ति को शुभ स्थिति में लाना प्रतिक्रमण है। अथवा प्रतिक्रमण का अर्थ है—अतीत के जीवन का प्रामाणिकता-पूर्वक सूक्ष्म निरीक्षण। मन की छोटी-बड़ी सभी विकृतियाँ, जो किसी न किसी रूप में पाप की श्रेणी में आती हैं, उनके प्रतिकार के लिए जैन परम्परा में प्रतिक्रमण एक महोषध है। तन की विकृति जैसे रोग है, वैसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मन की विकृतियाँ मन के रोग हैं। इसकी चिकित्सा भी आवश्यक है। तन का रोग अधिक से अधिक एक जन्म तक ही पीड़ा दे सकता है, किन्तु मन का रोग एक बार प्रारम्भ होने के बाद, यदि व्यक्ति असाधान रहा तो हजारों ही नहीं, लाखों जन्मों तक परेशान करता है। भारतीय पौराणिक साहित्य की हजारों जैन, बौद्ध एवं वैदिक कथाएँ इसकी साक्षी हैं। अतः प्रतिक्रमण के द्वारा मानसिक विकृतियों का तत्काल परिमार्जन कर लेना परमावश्यक है।

अनुयोगद्वार में आवश्यक के आठ पर्यायवाची नाम दिये हैं—आवश्यक, अवश्यकरणीय, धुवनिग्रह, विशेषि, अध्ययनषट्कवर्ग, न्याय, आराधना और मार्ग।^३

१. आचारांगसूत्र, १२।३

२. उदान २।३

३. आवस्तयं अवस्तकरणिजं, धुवनिग्रहो विशेषी य।

अज्ञयण-छुक्कवण्णो, नाभो आराहणा मण्णो ॥

साधु-साध्वी, आवक-आविका के लिए सायंकाल और प्रातःकाल कर्मों की निर्जरा करने के लिए प्रति-क्रमण परम अनिवार्य है। आवश्यकसूत्र के छह अध्ययन हैं—(१) सामायिक (२) चतुर्विशतिस्तत्व (३) बंदना (४) प्रतिक्रमण (५) कायोत्सर्ग (६) प्रत्याख्यान।

१. सामायिक

सामायिक की साधना के विषय में महामहिम गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान् महावीर से प्रश्न किया कि—

प्र०—सामाइएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—सामाइएणं सावज्जजोगविरहं जणयइ ॥^१

जीवन को स्पर्श करने वाला कितना मार्मिक प्रश्नोत्तर है। जिस आत्मा ने समता के अमृतबिन्दु का पान किया है, वह कौन-सा आनन्द प्राप्त करता है? प्रश्न जरा गभीर लगता है, किन्तु उत्तर में उससे भी अधिक गभीरता है।

हे गौतम! सामायिक द्वारा आत्मा सावद्ययोग की प्रवृत्ति से विरक्त होती है। आत्मा की वृत्ति चिरकाल से अशुभ की तरफ दौड़ रही है। सामायिक की साधना आत्मा को अशुभ वृत्ति से हटाकर शुभ में जोड़ती है और शुभ से शुद्धि की ओर ले जाती है।

जिस प्रकार व्यक्ति पशुओं को जब कीले से बांध देता है, तब उसके भाग जाने का भय नहीं रहता, उसी प्रकार समभाव के साधक अशुभ वृत्ति को सामायिक से बांध देते हैं, फिर विकार की तरफ जाने का भय नहीं रहता है। सामायिक का अर्थ सिर्फ शारीरिक क्रिया को रोकना ही नहीं, अपितु अशुभ मानसिक क्रिया को भी रोकना है। सामायिक की मुख्य आधारभूमि मन ही है। जब तक मन में सामायिक नहीं आती, जब तक तन की सामायिक का विशेष महत्त्व नहीं है। राज्यि प्रसन्नचन्द्र का शरीर तो सामायिक में था लेकिन मन किन्हीं और ही विषय भावों से गुंथा हुआ था। तन समभाव में था किन्तु मन संहार में प्रवृत्त था। मन की अस्थिरता के योग ने उनको मातवें नरक तक के योग्य बन्धन में बांध लिया, परन्तु जैसे ही तन के साथ मन भी समभाव में प्रवृत्त बना कि सम्पूर्ण कर्मों का क्षय करके केवल्य को भी प्राप्त कर लिया।

२. चतुर्विशति-स्तत्व

आवश्यकसूत्र का दूसरा अध्ययन है चतुर्विशतिस्तत्व। आलोचना के भेत्र में पहुचने से पूर्व क्षेत्रशुद्धि होना आवश्यक है। साधक प्रथम समभाव में स्थिर बने, फिर गुणाधिक महापुरुषों की स्तुति करे। महापुरुषों का गुण-कीर्तन प्रत्येक साधक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मानव-मन जब तक वर्तमान चौबीसी में, जो आध्यात्मिक जीवन के चौबीस सर्वोत्तम कलाकार हो गये हैं, उनका शरण नहीं लेगा तब तक आध्यात्मिक कला सीख नहीं सकेगा। इस विषय में गणधर गौतम श्रमण भगवान् महावीर से प्रश्न करते हैं—

प्र०—चउद्ध्वीसत्थएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—चउद्ध्वीसत्थएणं इंसणविसोहि जणयइ ॥^२

१. उत्तराध्ययन, अ. २९ सूत्र ९

२. उत्तराध्ययनसूत्र अ. २९ सूत्र १०

प्रभो ! चतुर्विश्वनि-स्तव का जीवन में क्या स्थान है तथा जीवन में स्तवन-स्तुति का प्रकाश प्राप्त होता है, तब आत्मा कौन-से आध्यात्मिक गुण को प्राप्त करती है ?

हे गौतम ! प्रार्थना का, स्तुति का प्रकाश आत्मा के दर्शन-ज्ञान को विशुद्ध बनाता है। मिथ्यात्व का अंधकार दर्शनगुण की प्रतिभा को नष्ट कर देता है, किन्तु वीतराग की स्तुति मिथ्यात्व से हटाकर साधक को सम्यक्त्व की ओर ले जाती है।

३. बन्दना

आवश्यकसूत्र का तीसरा अध्ययन बन्दना है। आलोचना क्षेत्र में प्रवेश करते समय गुहभक्ति एवं नम्रता का होना आवश्यक है। ज्ञातासूत्र में एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आया है। जीवन का पारखी सेठ सुदर्शन मुनि धावच्छापुत्र से प्रश्न करता है कि जैनधर्म का, जैनदर्शन का मूल क्या है ?— 'कि मूलए धर्मे ?' उस महामहिम ग्रन्थार ने धर्मा आदि गुणों को धर्म का मूल न बताकर 'विनय' को ही धर्म का मूल कहा है— 'सुदंसणा ! विनयमूले धर्मे ।' विनय जीवनप्रासाद की नीव की इंटरूप है। विनय एक वशीकरण मत्र है। विनय से, नम्रता से देवता भी वश में हो जाते हैं तथा शत्रु, मित्र बन जाता है। इसलिए साधक तीर्थकर की स्तुति के बाद गुरुदेव को बन्दन करते हैं। इस विषय में शिष्य प्रश्न करता है—

प्र०—बन्दणएण भंते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०—बन्दणएण नीयगोद्यं कम्मं ख्वेइ। उच्चागोद्यं कम्मं निबन्धइ। सोहम्मं च णं अप्पडिह्यं आणाफल्लं निवक्तेइ, दाहिणमावं च णं जणयइ ॥'

भगवन् ! बन्दन करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ?

गौतम ! बन्दना द्वारा आत्मा नीचगोत्ररूप बंधे हुए कर्म का क्षय करता है और उच्चगोत्र कर्म को बांधता है तथा ऐसा सौभाग्य प्राप्त करता है कि उसकी आज्ञा निष्फल नहीं जाती है अर्थात् उसकी वाणी में इतना निखार आ जाता है कि सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। साथ ही बन्दना से आत्मा को दाक्षिण्यभाव प्राप्त होता है।

४. प्रतिक्रमण

प्रतिक्रमण आवश्यकसूत्र का चतुर्थ अध्ययन है। व्रतों में लगे अतिचारों की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण की आवश्यकता है। प्रतिदिन यथासमय यह चिन्तन करना कि आज आत्मा व्रत से अन्त में कितना गया ? कषाय की ज्वाला कितनी बार प्रज्वलित हुई ? और हुई तो निमित्त क्या बना ? वह कषाय ग्रन्थानुबन्धी था अथवा अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी या सज्जलन ? ऋषि के आवेश में जो शब्द कहे, वे उचित ये या अनुचित ? इस प्रकार का सूक्ष्म रूप से चिन्तन-मनन करके इसकी शुद्धि करना ही प्रतिक्रमण है।

प्रतिक्रमण में साधक अपनी भूलों का स्मरण करता है और उसके लिए पश्चात्ताप के आँसू बहाता है। पाप की कालिमा को नदी का मैकडो मन पानी नहीं धो सकता, किन्तु पश्चात्ताप के आँसू की दो बूँदे उसे एक मिनट में धो देती है। एक विचारक ने कहा है— जो भूल करता है वह मानव है, लेकिन उस भूल पर अहंकार करना राक्षस का काम है। भूल होना स्वाभाविक है, पर भूल पर गौरव अनुभव करना अर्थात् भूल को फूल मानकर बैठ जाना सबसे बड़ी भूल है और यही भूल आगे जाकर जीवन में शूल बन जाती है।

१. उत्तराध्ययनसूत्र, अ. २९ सूत्र ११

प्रतिक्रमण क्या है ? आत्मा के साथ इसका क्या सम्बन्ध है ? इस विषय में शिष्य प्रश्न करता है--

प्र०—पठिक्रमणेण भरते ! जीवे कि जगत् ?

उ०—पठिक्रमणेण वयाच्छिद्वर्णि पिहै पिहियवय-छिदे पुण जीवे निद्वासवे, असर्वलक्षरिते अदृशु
पवचनमात्रा उद्वडते अपुहते सुप्यणिहिए विहरइ ॥१

भगवन् ! अतिक्रमण करके आत्मा कौन-से विशिष्ट गुण को प्राप्त करता है ? शिष्य के मन की जिज्ञासा का समाधान करते हुए भगवान् फरमाते हैं—प्रतिक्रमण द्वारा साधक व्रत के छिद्रों को आच्छादित (बन्द) करता है । प्रमादवश व्रत में जो स्खलन हो जाता है, उसे प्रतिक्रमण के द्वारा दूर करता है । शुद्धतद्धारी जीव आश्रवों को रोककर, शब्दादि दोष रहित शुद्ध संयम वाला होकर आठ प्रवचनमाताओं में सावधान होता है और संयम में तल्लीन रहता हुआ समाधि-पूर्वक अपनी इन्द्रियों को सन्मार्गणामी बनाकर संयम-मार्ग में विचरण करता है ।

काल की दृष्टि से प्रतिक्रमण के पांच प्रकार होते हैं—(१) दैवसिक, (२) रात्रिक, (३) पाक्षिक,
(४) चातुर्मासिक और (५) सांवत्सरिक ।

१. दैवसिक—दिन के अन्त में किया जाने वाला प्रतिक्रमण दैवसिक है ।

२. रात्रिक—रात्रि के अन्त में किया जाने वाला प्रतिक्रमण अर्थात् रात्रि में लगे हुए दोषों की आलोचना करना ।

३. पाक्षिक—पन्द्रह दिन के अन्त में पापों की आलोचना करना ।

४. चातुर्मासिक—चार महीने के बाद कार्तिकी पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा एवं आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन चार महीने के अन्तर्गत लगे दोषों का प्रतिक्रमण करना ।

५. सांवत्सरिक—आषाढ़ी पूर्णिमा से उनपचासवें या पचासवें दिन वर्ष भर में लगे हुए दोषों की आलोचना करना ।

साधना के क्षेत्र में मिथ्यात्व, अद्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, ये पांच दोष माने गए हैं । साधक प्रतिदिन प्रतिक्रमण के समय अपने जीवन का अन्तनिरीक्षण करता हुआ यह देखता है कि वह कहीं सम्यक्त्व के प्रशस्त पथ को छोड़कर मिथ्यात्व के कटीले पथ की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है ? व्रत के वास्तविक स्वरूप को भूलकर अद्रत की ओर तो नहीं जा रहा है ? अप्रमत्तता के शान्त वातावरण को छोड़कर भन कहीं प्रमाद के तनावपूर्ण वातावरण में तो नहीं फँस रहा है ? अकषाय के सुरभित बाग को छोड़कर कषाय के दुर्गन्ध से युक्त बाड़े की ओर तो नहीं गया है ? योगों की प्रवृत्ति शुभ योग को छोड़कर अशुभयोग में तो नहीं लगी ? यदि मैं मिथ्यात्व, अद्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग में गया हूँ, तो मुझे पुनः सम्यक्त्व, व्रत, अकषायता, अप्रमाद और शुभ योग में प्रवृत्त होना चाहिए ।

प्रतिक्रमण साधकजीवन की एक अपूर्व कला है तथा जैन साधना का प्राणतत्त्व है । ऐसी कोई भी किया नहीं जिसमें प्रमादवश दोष न लग सके । उन दोषों से निवृति हेतु प्रतिक्रमण करना चाहिए । प्रतिक्रमण में साधक अपने जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति का अवलोकन, निरीक्षण करते हुए इन दोषों से निवृत्त होकर हल्का बनता है ।

१. उत्तराध्ययनसूत्र, अ. २९ सूत्र १२

५. कायोत्सर्ग

कायोत्सर्ग आवश्यकसूत्र का पांचवाँ अध्ययन है तथा ग्यारहवां तप है। इसका शर्थ है—देह के प्रति भमत्व त्यागना। जब तक देह के प्रति भमत्वभाव है तब तक साधक जीवन के भवन में दृढ़तापूर्वक आगे नहीं बढ़ सकता। अतः जैन साधना-पद्धति में कायोत्सर्ग का अद्भुत, मौलिक एवं विलक्षण भहत्वपूर्ण स्थान है। अनुयोगद्वारा में कायोत्सर्ग को 'ब्रणचिकित्सा' कहा है। साधान रहने पर भी प्रमाद आदि के कारण साधना में दोष लग जाते हैं। उन दोष रूपी जख्मों को ठीक करने के लिये कायोत्सर्ग एक भरहम है, जो अतिचार रूपी घावों को ठीक कर देता है। संयमी जीवन को अधिकाधिक परिष्कृत करने के लिए, प्रायश्चित्त करने के लिये, अपने आपको विशुद्ध बनाने के लिए, आत्मा को माया, मिथ्यात्व और निदान शत्य से मुक्त करने के लिए, पाप कर्मों के निर्धात के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है।

कायोत्सर्ग के विषय में शिष्य प्रश्न करता है—

प्रश्न—काउसगेणं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

उत्तर—काउसगेणं तीय—पडुप्पन्नं पायच्छित्तं विसोहेइ, विसुद्धपायच्छित्तं य जीवे निवृयहियए ओहरिय भावव्य भावव्यहे पसत्थज्ञाणोवगए सुहं सुहेणं विहरइ ।¹

प्र०—भगवन् ! कायोत्सर्ग से आत्मा क्या फल प्राप्त करता है ?

उ०—कायोत्सर्ग के द्वारा आत्मा भूतकाल और वर्तमान काल के अतिचारों से विशुद्ध बनता है। अतिचारों से शुद्ध होने के बाद साधक के मन में इतना आनन्द का अनुभव होता है, जितना कि एक मजदूर के मस्तक पर से बजन हट जाने पर उसे होता है।

६. प्रत्याख्यान

प्रत्याख्यान आवश्यकसूत्र का छठा अध्ययन है। भूतकाल के अतिचारों की आलोचना के बाद साधक प्रायश्चित्त रूप में कायोत्सर्ग करता है और अतीत के दोषों से मुक्त हो जाता है। परन्तु भविष्य के दोषों को रोकने के लिए प्रत्याख्यान करना आवश्यक है। साधक के जीवन में प्रत्याख्यान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि इस विराट् विश्व में इतने अधिक पदार्थ हैं, जिनकी परिगणना करना भी असंभव है। चाहे कितनी भी लम्बी उम्र क्यों न हो, फिर भी एक मनुष्य विश्व की सभी वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकता। लेकिन मानव की इच्छाएँ तो आकाश की भाँति अनन्त हैं। एक के बाद दूसरे को भोगने की इच्छा होती है, जिसके कारण मनुष्य के अन्तर्मानिस में सदा अतृप्ति एवं असान्ति बनी रहती है। उस अतृप्ति की आग को बुझाने का एकमात्र उपाय प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान से भविष्य में लगने वाले तत्संबंधी पाप रूप जाते हैं और साधक का जीवन स्थान के सुनहरे प्रकाश में जगमाने लगता है। प्रत्याख्यान से भविष्य में आने वाली अविरति की सभी क्रियाएँ रूप जाती हैं और साधक नियमोपनियम का सम्यक् पालन करता है।

प्रत्याख्यान के विषय में कहा गया है—

प्रश्न—पञ्चवक्षाणेणं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

उत्तर—पञ्चवक्षाणेणं आसदवाराइ णिहं भइ, पञ्चवक्षाणेणं इच्छानिरोहं जणयइ। इच्छानिरोह गए य थं जीवे सञ्चावद्वेसु विणीयतथे। सीईसूए विहरइ ॥²

१. उत्तराध्ययनसूत्र, अ. २९, सूत्र १३

२. उत्तराध्ययन अ. २९, सूत्र. १४

प्र०—भगवन् ! प्रत्याख्यान द्वारा आत्मा किस आत्म-गुण को प्रकट करता है ?

उ०—प्रत्याख्यान द्वारा आत्मा आश्रव के द्वारों को रोक देता है। जब तक अस्ते हुए आश्रवों के द्वारों को नहीं रोकता है, तब तक कर्मों का प्रबाह आत्मा में आता ही रहता है। जब तक किसी वस्तु का प्रत्याख्यान नहीं किया जाता, तब तक तत्संबंधी आसक्ति दूर नहीं होती और कर्म-रज आता ही रहता है। प्रत्याख्यान से इच्छाओं का निरोध हो जाता है। क्योंकि इच्छाओं को मर्यादित किये बिना प्रत्याख्यान संभवित नहीं। प्रत्याख्यान का एक बड़ा लाभ यह भी है कि मन की तृष्णा-जन्य स्थिति एवं चंचलता समाप्त हो जाती है और साधक को परम शान्ति का अनुभव होता है।

कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि षडावश्यक साधक के लिये अवश्यकरणीय क्रिया है। साधक चाहे श्रमण हो अथवा श्रावक, इन क्रियाओं को करता ही है, लेकिन दोनों की अनुभूति में तीव्रता-मन्दता हो सकती है। श्रावक की अपेक्षा श्रमण इन क्रियाओं को अधिक तत्त्वीनता से कर सकता है, क्योंकि श्रमण आरभ-समारभ में सर्वथा विरत होते हैं। यह अवश्य करणीय क्रिया श्रमण साधक प्रतिदिन अनिवार्य रूप से करता है।

छह आवश्यकों का क्रम बड़े वैज्ञानिक ढंग से निरूपित किया गया है। पहला 'सामायिक' आवश्यक जीवन में समभाव की साधना सिखाता है। 'चतुर्विशतिस्तत्व' द्वारा वह तीर्थकर भगवन्तों जैसी वीतरागता अपने अन्दर विकसित करने की भावना करता है। 'वन्दना' के द्वारा वह स्वयं विनय गुण से विभूषित होता है, 'प्रतिक्रमण' द्वारा समस्त बाह्य एवं वैभाविक परिणतियों से विरत होकर अन्तर्मुख बनता है, 'कायोत्सर्ग' के द्वारा शरीर की ममता कम की जाती है तथा आत्मभाव में रमण किया जाता है और 'प्रत्याख्यान' में भविष्य के लिए विभिन्न प्रकार के त्याग ग्रहण किए जाते हैं। इस प्रकार साधक षडावश्यक से अपने अध्यात्म-जीवन को जगाता हुआ मुक्ति की राह पर कदम बढ़ाता है।

प्रथम और अन्तिम तीर्थकर श्रमणों के लिये यह अनिवार्य है कि वे नियमत आवश्यक करे। यदि वे आवश्यक क्रिया नहीं करते हैं तो श्रमणधर्म से व्युत हो जाते हैं। यदि दोष लगा है तो भी और दोष नहीं लगा हो तो भी, प्रतिक्रमण अवश्य करना ही चाहिए।^३

श्रमणसूत्र सम्बन्धी विचारणा

मुमुक्षु प्राणियों की इच्छा पूर्ण करने वाला एक मात्र धर्म ही है और वह विशुद्ध आत्मा में रह सकता है। जिस प्रकार किमान बीज बोने से पहले अपनी जमीन में हल चलाता है, खाद डालता है, ककर-पत्थरों को तथा फालतू धार्म-फूस आदि को हटाता है, उसके बाद ही वह ऐत में बीज बोता है। ऊसर भूमि में बीज बोने से या ककरीली, पथरीली भूमि में बीज बोने से फसल पैदा नहीं हो सकती। इसी प्रकार हृदय भी एक क्षेत्र है। इसमें धर्म-रूपी बीज बोने से पहले इसकी शुद्धि करनी होती है। कहा भी है—‘धर्मी सुद्दस्स चिट्ठई।’ धर्म शुद्ध हृदय में ही ठहरता है। आत्मा को विशुद्ध बनाकर धर्म में स्थित करने के लिए कुछ नियम आगमों में निर्दिष्ट हैं। आवश्यक इन्हीं नियमों में से एक मुख्य नियम है। “‘आवश्यक’ जैन साधना का मूल प्राण है तथा अपनी आत्मा को निरखने-परखने का एक महान् उपाय है। नाम से स्पष्ट विदित होता है कि इसमें आवश्यकीय विषयों का संग्रह है। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका इस चतुर्विध संघ द्वारा समाचरणीय नित्य

३. सप्तिक्रमणों धर्मो, पुरिमस्स य पञ्चमस्स य जिणस्स। मजिभमयाण जिणाणं, कारणजाए पडिक्रमणं ॥

—आवश्यकनिर्युक्ति, गा. १२४४

कर्तव्य कर्म का स्वरूप आवश्यकसूत्र में प्रतिपादित है। इस सूत्र में जीवनव्यवहार में जिन दोषों की उत्पत्ति होने की संभावना है, उनका सक्षिप्त कथन, सभी श्रासानी से समझ सकें ऐसी खूबी से किया है। लेकिन श्रमणसूत्र के विषय में कुछ विचारणीय है। यथा—

शंका (१) — श्रमण नाम साधु का है, इसलिए श्रमणसूत्र साधु को ही पढ़ना उचित है या श्रावक को भी?

समाधान (१) — श्रमण साधु का ही नाम है, ऐसा संकुचित अर्थ शास्त्रसम्मत नहीं है। व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) सूत्र २०वें शतक के आठवें उद्देशक में कहा है—‘तिथं पुणं चाउब्बणाइण्णे समणसंघे, तं जहा—“समणा, समणीयो, सावगा, साक्षियाओ।’ अर्थात् साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इन चारों को श्रमणसंघ कहते हैं। यद्यपि व्यवहार में श्रमण साधु का ही नाम है, तथापि भगवान् ने तो चारों तीर्थों को ही श्रमणसंघ के रूप में कहा है। इस आप्तवाक्य को प्रत्येक मुमुक्षु को मानना चाहिए।

शंका (२) — श्रमणसूत्र में साधु के आचार का ही कथन है, इसलिए साधु को ही पढ़ना उचित है, श्रावक के लिए उसका क्या उपयोग है?

समाधान (२) — श्रावक कृत अनेक धर्मक्रियाओं में श्रमणसूत्र के पाठ परम उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए, (१) जब श्रावक पौष्टिकता में या संवर में निद्राप्रस्त होते हैं, तब निद्रा में लगे हुए दोषों से निवृत्त होने के लिए प्रथम मार्गशुद्धि (इरियावहिय का पाठ), कायोत्सर्ग (तस्स उत्तरी) का पाठ बोलने के बाद दो लोगस्स के पाठ कायोन्नर्म्य करके प्रकट में एक लोगस्स कहे, इसके बाद श्रमणसूत्र का प्रथम पाठ “इच्छामि पडिकमामिदं पगाममिज्जाए” का पाठ कहना चाहिए। निद्रा के दोषों से निवृत्त होने का अन्य कोई पाठ नहीं है।

(२) एकादशम (ग्यारहवी) पडिमाधारी श्रवक भिक्षोपजीवी ही होते हैं तथा कई स्थानों पर दयाव्रत के पालन करने वाले (दशवें व्रत के धारक) श्रावक भी गोचरी करते हैं। उसमें लगे हुए दोषों की निवृत्ति करने के लिए दूसरा पाठ “पडिकमामि गोयरगचरिया” का पाठ कहना पड़ता है।

(३) श्री उत्तराध्ययनसूत्र के २१वें अध्ययन में कहा है,—“निर्गंथे पावयणे सावए से विकोविए” अर्थात् पालित श्रावक निर्गन्थप्रवचन (शास्त्र) में कोविद (पण्डित) था, इस पाठ से श्रावक और २२वें अध्ययन में “सीलवंता बहुस्मुया” अर्थात् दीक्षा लेने के समय श्री राजमतीजी बहुत सूत्र पढ़ी हुई थीं, इससे श्राविका शास्त्र की पाठिका सिद्ध होती है। इस प्रकार उन्होंने सामायिक, पौष्टिकता में मुहूर्ति तथा वस्त्र, पूजनी आदि का प्रतिलेखन नहीं किया हो तो उस दोष की निवृत्ति करने के लिए तीसरा पाठ “पडिकमामि चउकालं सञ्ज्ञायस्स अकरणयाए” को कहना चाहिए।

(४) चौथे पाठ में “एक बोल से लगाकर तैतीस बोल तक कहे हैं। वे सब ही ज्ञेय (जानने योग्य) हैं। कुछ हेय (छोड़ने योग्य) और कुछ उपादेय (स्वीकारने योग्य) पदार्थों के दर्शक हैं। प्रत्येक कार्य बड़े उपयोगी हैं। अतः उनका ज्ञान भी श्रावकों के लिए आवश्यक है।

(५) पाचवां पाठ “निर्गन्थ प्रवचन” (नमो चउब्बीसाए) का है, जिसमें जिन प्रवचन (शास्त्र) की एवं जैनमत की महिमा है तथा आठ बोलों में हेय-उपादेय का कथन है। वह भी श्रावकों के लिए परमोपयोगी है। इस प्रकार श्रमणसूत्र में एक भी विषय या पाठ ऐसा नहीं है जो कि श्रावक के लिए अनुपयोगी हो।

शंका (३) — श्रावक की तरह साधु को भी श्रावकसूत्र प्रतिक्रमण में कहना चाहिए, क्योंकि उसमें भी ज्ञेय, हेय, उपादेय आदि तीनों प्रकार के पदार्थों का कथन है।

समाधान (३)—श्रावक के भ्रतों और प्रतिचारों को एक साथ कहना श्रावकसूत्र है। लेकिन यह विषय बड़ा विचारणीय है। (१) साधु भहावतों में श्रावक के अणुद्रतों का समावेश हो जाता है, इसलिए साधु को श्रावकों के भ्रत कहने की आवश्यकता नहीं है। (२) श्रावक को तो साधु होने का मनोरथ अवश्य करना चाहिए, अतः श्रमणसूत्र कहने की आवश्यकता है, परन्तु यदि कहें कि साधु भी श्रावक होने की भावना करे और श्रावक सूत्र को प्रतिक्रमण में कहे तो यह कथन सर्वथा अयोग्य ही होगा।

शंका (४)— श्रावक श्रमणसूत्र सहित प्रतिक्रमण करते थे या करते हैं, इसका कोई प्रमाण है क्या?

समाधान (४)— द्वादश वार्षिक महादुष्काल से धर्मस्खलित जैनों के पुनरुद्धारक श्रावकवरिष्ठ श्री लोकाशाह गुजरात देश के अहमदाबाद शहर मे हुए। उस देश में अर्थात् गुजरात, भालावाड़, काठियावाड़, कच्छ आदि देशों में छह कोटि एवं आठ कोटि वाले सभी श्रावक श्रमणसूत्र सहित प्रतिक्रमण करते थे एवं करते हैं। सनातन जैन साधुमार्गी समाज के पुनरुद्धारक परमपूज्य श्री लवजीऋषिजी महाराज के तृतीय पाट पर विराजित हुए परम पूज्य श्री कहानजीऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के श्रावक श्रमणसूत्र बोलते हैं।

बाईस सम्प्रदाय के मूलाचार्य परम पूज्य श्री धर्मदासजी महाराज की सम्प्रदाय के श्रावक एवं मेवाड़ देश-धर्मप्रवर्तक पूज्य श्री एकलिगदासजी महाराज की सम्प्रदाय के श्रावक श्रमणसूत्र सहित प्रतिक्रमण करते हैं।

उपर्युक्त शंका-समाधान से सिद्ध होता है कि श्रावक को श्रमणसूत्र सहित प्रतिक्रमण करना चाहिए। श्रमणसूत्र के पाठों के बिना श्रावक की क्रिया पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सकती है। क्योंकि श्रावकों को अवश्य जानने योग्य विषय और आचरण करने योग्य विषय श्रावकसूत्र में हैं। प्राचीनकाल के श्रावक श्रमणसूत्र सहित प्रतिक्रमण करते थे, वर्तमान में भी कुछ श्रावक श्रमणसूत्र सहित प्रतिक्रमण करते हैं और जो श्रमणसूत्र सहित प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, उन्हें अब करना चाहिए।

प्रस्तुत संस्करण

आवश्यकसूत्र का प्रस्तुत संस्करण आगम प्रकाशन समिति द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। इस समिति की आयोजना हमारे स्वर्गीय गुरुदेव पूज्य युवाचार्य श्री 'मधुकर' मुनिजी महाराज द्वारा की गई थी। गुरुदेव का यह विचार था कि मूल आगमों का प्रकाशन ऐसी पद्धति से किया जाए जिससे सर्वसाधारण आगमप्रेमी जनों को भी उनका स्वाध्याय कर सकना सरल हो। यह कोई सामान्य संकल्प नहीं था। एक भगीरथ अनुष्ठान था, भगव महान् संकल्प के धनी गुरुदेव ने इसे कार्य रूप में परिणत किया और आपके निर्देशन में अनेक आगामों का प्रकाशन हो भी गया। किन्तु दुःख का विषय यह है कि गुरुदेव बीच में ही स्वर्ग सिधार गए। तत्पश्चात् भी अनेक मुनिवरों और उदार सद्गृहस्थों के महत्वपूर्ण सहयोग से गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट प्रकाशन-कार्य अग्रसर हो रहा है। अब यह प्रकाशनकार्य गुरुदेव युवाचार्यश्री के प्रति एक प्रकार से श्रद्धाङ्गिन-स्वरूप ही समझना चाहिए।

आवश्यकसूत्र के सम्पादन में हमारी गुरुणीजी म. अध्यात्मयोगिनी, प्रशस्तवात्सत्यमूर्ति, सुमधुरभाषिणी, परमविदुषी पूज्य श्री उमरावकुंवरजी म. सा. ने मेरा पथ-प्रदर्शन किया है। तपोमूर्ति श्री उम्मेदकुंवर म. तथा अन्य साध्वी-मण्डल का सहयोग प्राप्त हुआ है। उपाध्याय कविवर्य श्री अमरमुनिजी म. आदि द्वारा सम्पादित संस्करणों का भी इसमें यथास्थान उपयोग किया गया है। इन सभी के सहयोग के लिए मैं अतीव आभारी हूँ।

साहित्यबाचस्पति श्री देवेन्द्रभुनिजी म. ने विस्तृत प्रस्तावना लिख कर इस संस्करण को विभूषित किया है। उनके प्रति आभारी होना स्वाभाविक है।

पूरी साक्षानी बरतने के बावजूद अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उदार पाठक हमें अवश्य सूचना दें, जिससे अगले संस्करण में उसका परिमार्जन किया जा सके।

—साध्वी सुप्रभा ‘सुधा’

प्रस्तावना

आवश्यकसूत्र : एक समीक्षात्मक अध्ययन

[प्रथम संस्करण से]

भारतीय साहित्य में 'आगम' शब्द शास्त्र का पर्यायवाची है। आवश्यकचूर्णिकार ने आगम शब्द की परिभाषा करते हुए लिखा है—जिसके द्वारा पदार्थों का अवबोध होता है, वह आगम है।^१ अनुयोगद्वारचूर्णि में लिखा है—जो आप्तवचन है, वह आगम है।^२ अनुयोगद्वार मलधारीय टीका में आचार्य ने आगम शब्द पर चिन्तन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि जो गुरुपरम्परा से आता है, वह आगम है।^३ आचार्य वाचस्पति मिश्र ने लिखा है—जिस शास्त्र के अनुशीलन से अध्यूदय एवं निःश्रेयस् का उपाय अवगत हो, वह आगम है। अभिनव-गुप्ताचार्य के अभिमतानुसार जिसके पठन से सर्वांगीण बोध प्राप्त हो, वह आगम है।^४ इसी प्रकार आचार्य जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने विशेषावश्यकभाष्य में शास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखा है—जिसके द्वारा यथार्थ सत्य रूप ज्ञेय का, आत्मा का परिबोध हो और अनुशासन किया जा सके, वह शास्त्र है।^५ आगम और शास्त्र के ही अर्थ में सूत्र शब्द का भी प्रयोग होता है। संघदासगणी ने बृहत्कल्पभाष्य में सूत्र शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है—जिसके अनुसरण से कर्मों का सरण/अपनयन होता है, वह सूत्र है।^६ विशेषावश्यकभाष्य में निरूक्त-विधि से अर्थ करते हुए लिखा है—जो अर्थ का सिचन/क्षरण करता है, वह सूत्र है।^७ आचार्य अभयदेव ने स्थानांगवृत्ति में लिखा है—जिससे अर्थ सूत्रित/गुम्फित किया जाता है, वह सूत्र है।^८ बृहत्कल्पटीका में लिखा है—सूत्र का अनुसरण करने से अष्ट प्रकार की कर्म-रज का अपनयन होता है, अतः वह सूत्र कहा जाता है।^९

जैन साधना का प्राण : आवश्यक

जैन आगमसाहित्य में आवश्यकसूत्र का अपना विशिष्ट स्थान है। अनुयोगद्वारचूर्णि में आवश्यक की परिभाषा करते हुए लिखा है—जो गुणशून्य आत्मा को प्रशस्त भावों से आवासित करता है, वह आवासक/आवश्यक है।^{१०} अनुयोगद्वार मलधारीय टीका में लिखा है, जो समस्त गुणों का निवासस्थान है, वह आवासक/

१. एज्जंति अर्था जेण सो आगमो। —आवश्यकचूर्णि १३६
२. अत्तस्स वा वयणं आगमो। —अनुयोगद्वारचूर्णि, पृष्ठ १६
३. गुरुपरम्पर्येणागच्छतीत्यागमः। —अनुयोगद्वार मलधारीय टीका, पृ. २०२
४. आसमन्तात् अर्थं गमयति इति आगमः।
५. सासज्जिति तेण तर्हि वा नेयमायंतो सत्यं।
६. अनुसरइ ति सुत्तं। —बृहत्कल्प भाष्य, ३११
७. सिचनि खरइ जमत्थं तम्हा सुतं निश्चिह्निण। —वि. भा. १३६८
८. सूत्यन्ते अनेनेति सूत्रम्। —स्थानांगवृत्ति, पृष्ठ ४९
९. सूत्रमनुसरन् रज.—अष्टप्रकारं कर्म अपनयति ततः सरणात् सूत्रम्। —बृहत्कल्पटीका, पृष्ठ ९५
१०. सुण्मप्पाणं तं पसत्थभावेहि आवासेतीति आवासं। —अनुयोगद्वारचूर्णि, पृ. १४

आवश्यक सूत्र है।^१ दूसरे शब्दों में यों भी कहा जा सकता है कि जो प्रशस्त गुणों से आत्मा को सम्पन्न करता है, वह आवासक/आवश्यक जैन साधना का प्राण है। वह जीवनशुद्धि और दोषपरिमार्जन का जीवन्त भाष्य है। साधक चाहे साक्षर हो, चाहे निरक्षर हो, चाहे सामान्य जिज्ञासु हो या प्रतापपूर्ण प्रतिभा का धनी कोई मूर्खन्य मनीषी, सभी साधकों के लिए आवश्यक का ज्ञान आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। आवश्यकसूत्र के परिज्ञान से साधक अपनी आत्मा को निरखता है, परखता है। जैसे वैदिक परम्परा में सन्ध्याकर्म है, बौद्ध परम्परा में उपासना है, पारसियों में खोर देह अवेस्ता है, यहूदी और ईसाईयों में प्रार्थना है, इस्लाम धर्म में नमाज है, वैसे ही जैनधर्म में दोषों की विशुद्धि के लिए और गुणों की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है।

आवश्यक जैन साधना का मुख्य अंग है। वह आध्यात्मिक समता, नम्रता, प्रभृति सद्गुणों का आधार है। अन्तर्दृष्टिसम्पन्न साधक का लक्ष्य बाह्य पदार्थ नहीं, आत्मशोधन है। जिस साधना और आराधना से आत्म शाश्वत सुख का अनुभव करे, कर्म-मन को नष्ट कर सम्यग्‌दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌चारित्र से आध्यात्म के आलोक को प्राप्त करे, वह आवश्यक है। अपनी भूलों को निहार कर उन भूलों के परिष्कार के लिए कुछ न कुछ क्रिया करना आवश्यक है। आवश्यक का विधान श्रमण हो या श्रमणी हो, श्रावक हो या श्राविका हो—सभी के लिए है।^२ अनुयोगद्वारसूत्र में आवश्यक के आठ पर्यायवाची नाम दिए हैं—आवश्यक, आवश्यकरणीय, ध्रुवनिग्रह, विशोधि, अध्ययनपट्कर्वण, न्याय, आराधना और मार्ग। इन नामों से किंचित् अर्थभेद होने पर भी सभी नाम समान अर्थ को ही व्यक्त करते हैं।

प्रथम और अन्तिम तीर्थकर के श्रमणों के लिए यह नियम है कि वे अनिवार्य रूप से आवश्यक करें। यदि श्रमण और श्रमणियां आवश्यक नहीं करते हैं तो श्रमणधर्म से च्युत हो जाते हैं। यदि जीवन में दोष की कालिमा लगी है तो भी और नहीं लगी है तो भी आवश्यक अवश्य करना चाहिए। आवश्यकनियुक्ति में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रथम और चरम तीर्थकरों के शासन में प्रतिक्रमण सहित धर्म प्रस्तुत किया गया है।^३ श्रावकों के लिए भी आवश्यक की जानकारी आवश्यक मानी गई है। यही कारण है कि श्वेताम्बर परम्परा में बालकों के धार्मिक अध्ययन का प्रारम्भ आवश्यकसूत्र से ही कराया जाता है।

आवश्यकसूत्र के छह अंग हैं—

१. सामायिक—समभाव की साधना,
२. चतुर्विंशतिस्त्वव—चौबीस तीर्थकर देवों की स्तुति,
३. वन्दन—सद्गुहओं को नमस्कार, उनका गुणगान,
४. प्रतिक्रमण—दोषों की आलोचना,
५. कायोत्सर्ग—शरीर के प्रति ममत्व का त्याग,
६. प्रत्यार्घ्यान—आहार आदि का त्याग।

अनुयोगद्वार में इनके नाम इस प्रकार दिए गये हैं—१. सावद्य योगविरति (सामायिक), २. उत्कीर्त्तन

-
१. समग्रस्यापि गुणग्रामस्यावासकमित्यावासकम् । —अनुयोगद्वार मलधारीय टीका, पृष्ठ २८
 २. समणेण सावएण य, अवस्स कायब्बयं हवइ जम्हा । —आवश्यकवृत्ति, गाथा २, पृष्ठ ५३
 ३. सप्तडिक्कमणो धम्मो, पुरिमस्स य पञ्चमस्स य जिणस्स । मजिक्मयाण जिणाणं, कारणजाए पडिक्कमणं ॥ —आवश्यकनियुक्ति, गाथा १२४४

(चतुर्विशतिस्तव), ३. गुणवत्प्रतिपत्ति (गुरु-उपासना अथवा बन्दना), ४. स्खलितनिन्दना (प्रतिक्रमण -- पिञ्जरे पाणों की आलोचना), ५. व्रणचिकित्सा (कायोत्सर्ग -- ध्यान-शरीर से मरन्त्व-स्थान) और ६. गुणधारण (प्रत्या-ध्यान--आगे के लिए त्याग, नियमग्रहण आदि)।

ज्ञानसार में आचार्य ने आवश्यकिया का महत्व प्रतिपादित करते हुए लिखा है— आवश्यकिया पहले से प्राप्त भावविशुद्धि से आत्मा को गिरने नहीं देती। गुणों की वृद्धि के लिए और प्राप्त गुणों को स्खलित न होने के लिए आवश्यक क्रिया का आचरण बहुत उपयोगी है। आवश्यकिया के आचरण से जीवन का उत्तरोत्तर विकास होता है। उसके जीवन में सद्गुणों का सागर ठाठे मारने लगता है।

आवश्यक में जो साधना का क्रम रखा गया है, वह कार्य-कारण भाव की शृंखला पर अवस्थित है तथा पूर्ण वैज्ञानिक है। साधक के लिए सर्वप्रथम समता को प्राप्त करना आवश्यक है। बिना समता को अपनाये सद्गुणों के सरस सुमन खिलते नहीं और श्रवणों के कांटे झड़ते नहीं। जब अन्तर्दृदय में विषमभाव की ज्वालाएं धधक रही हों तब वीतरागी महापुरुषों के गुणों का उत्कीर्तन किस प्रकार किया जा सकता है? समत्व को जीवन में धारण करने वाला व्यक्ति ही महापुरुषों के गुणों का संकीर्तन करता है और उनके उदात्त गुणों को जीवन में उतारता है। इसीलिए सामायिक आवश्यक के पश्चात् चतुर्विशतिस्तव आवश्यक रखा गया है। जब गुणों को व्यक्ति हृदय में धारण करता है, तभी उसका सिर महापुरुषों के चरणों में भुक्ता है। भक्तिभावना से विभोर होकर वह उन्हें बन्दन करता है, इसीलिए तृतीय आवश्यक बन्दन है। बन्दन करने वाले साधक का हृदय सरल होता है, छुली पुस्तक की तरह उसके जीवन-पृष्ठों को प्रत्येक व्यक्ति पढ़ सकता है। सरल व्यक्ति ही कृत दोषों की आलोचना करता है, अतः बन्दन के पश्चात् प्रतिक्रमण आवश्यक का निरूपण है। भूलों को स्मरण कर उन भूलों से मुक्ति पाने के लिए तन एवं मन में स्थैर्य आवश्यक है। कायोत्सर्ग में तन और मन की एकाग्रता की जाती है और स्थिर वृत्ति का अभ्यास किया जाता है। जब तन और मन स्थिर होता है, तभी प्रत्याख्यान किया जा सकता है। मन डॉवाडोल स्थिति में हो, तब प्रत्याख्यान सम्भव नहीं है। इसीलिए प्रत्याख्यान आवश्यक का स्थान छठा रखा गया है। इस प्रकार यह षडावश्यक आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण और आत्मोत्कर्ष का श्रेष्ठतम उपाय है।

अनुयोगद्वार सूत्र में आवश्यक के दो विभाग प्राप्त है—द्रव्य-आवश्यक और भाव-आवश्यक।^१ द्रव्य-आवश्यक में विना चिन्तन, अन्यमनस्क भाव से पाठों का केवल उच्चारण किया जाता है। जो पाठ बोला जा रहा है—उस पाठ में मन न लगकर इधर-उधर भटकता रहता है। द्रव्य-आवश्यक में केवल बाहु क्रिया चलती है, उपयोग के अभाव से उस क्रिया से आन्तरिक तेज प्रकट नहीं होता। वह प्राणरहित साधना है। भाव-आवश्यक में साधक उपयोग के साथ क्रिया करता है। उस क्रिया के साथ उसका मन, उसका वचन, उसका तन पूर्ण रूप से एकाग्र होता है। वह एकलय और एकतानता के साथ साधना करता है। जब द्रव्य-आवश्यक के साथ भाव-आवश्यक का सुमेल होता है तो द्रव्य-आवश्यक एक तेजस्वी आवश्यक बन जाता है। यही कारण है कि शास्त्रकारों ने भाव-आवश्यक को ग्रन्थधिक महत्व दिया है। भाव-आवश्यक लोकोत्तर साधना है और उस साधना का फल मोक्ष है।

१. जं ण इमे समणो वा समणी वा सावद्वो वा सविया वा तच्चित्ते, तम्मणे, तल्लेसे, तदज्भवसिए, तत्तिव्य-जक्वसाणे, तद्दोवउत्ते, तदप्पिययकरणे, तब्भावणाभाविए, अन्तर्थ कर्त्तर्ह मणं अकरेमाणे उभज्जोकालं आवस्यं करेति से तं लोगुत्तरियं भावावस्यं।

सामायिक आवश्यक

पड़ावश्यक में सामायिक का प्रथम स्थान है। वह जैन आचार का सार है। सामायिक श्रमण और श्रावक दोनों के लिये आवश्यक है। जितने भी श्रावक हैं वे जब साधना का मार्ग स्वीकार करते हैं तो सर्वप्रथम सामायिकचारित्र को ग्रहण करते हैं। चारित्र के पांच प्रकार हैं। उनमें सामायिकचारित्र प्रथम है। सामायिक-चारित्र चौबीस ही तीर्थंकरों के शासन-काल में रहा है, पर अन्य चार चारित्र अवस्थित नहीं हैं। श्रमणों के लिये सामायिक प्रथम चारित्र है, तो गृहस्थ साधकों के लिये सामायिक चार शिक्षाव्रतों में प्रथम शिक्षाव्रत है। जैन आचारदर्शन का भव्य प्रासाद सामायिक की सुदृढ़ नींव पर आधृत है। समत्ववृत्ति की साधना किसी व्यक्ति-विशेष या वर्गविशेष की धरोहर नहीं है। वह सभी साधकों के लिए है और जो समत्ववृत्ति की साधना करता है वह जैन है। आचार्य हरिभद्र ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि साधक चाहे श्वेताम्बर हो, चाहे दिग्म्बर हो, बौद्ध हो या अन्य किसी मत का हो, जो भी समझाव में स्थित होगा वह निःसंदेह मोक्ष को प्राप्त करेगा।^१ एक व्यक्ति प्रतिदिन एक लाख स्वर्ण मुद्राओं का उदारतापूर्वक दान करता है, इसरा व्यक्ति समत्वयोग की साधना करता है; इन दोनों में महान् कौन है? इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए तत्त्वदर्शी मनीषियों ने कहा —जो समत्वयोग—सामायिक की साधना करता है, वह महान् है।^२ करोड़ों वर्षों तक तपश्चरण की निरन्तर साधना करने वाला जिन कर्मों को नष्ट नहीं कर पाता, उनको समझावी साधक कुछ ही क्षणों में नष्ट कर नेता है।^३ कोई भी साधक बिना समझाव के मुक्त नहीं हुआ है और न होगा ही। अतीत काल में जो साधक मुक्त हुए हैं, वर्तमान में जो मुक्त हो रहे हैं तथा भविष्य में जिन्हें मुक्त होना है, उनसे मुक्त होने का आधार सामायिक था/ है/ रहेगा।

सामायिक एक विशुद्ध साधना है। सामायिक में साधक की चिनवृत्ति क्षीरसमुद्र की तरह एकदम शान्त रहती है, इसलिये वह नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करता। आन्तस्वस्प में स्थित रहने के कारण जो कर्म शेष रहे हुए हैं, उनकी वह निर्जरा कर लेता है। इसलिये आचार्य हरिभद्र ने लिखा है कि सामायिक की विशुद्ध साधना से जीव धातिकर्मों को नष्ट कर केवलज्ञान को प्राप्त कर लेता है।^४

आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थसिद्धि में सामायिक की परिभाषा करते हुए लिखा है—सम उपसर्गपूर्वक गति अर्थ वाली “इण्” धातु से ‘समय’ शब्द निष्पन्न होता है। सम—एकीभाव, अय—गमन अर्थात् एकीभाव के द्वारा वाह्य परिणति से पुनः मुड़कर आत्मा की ओर गमन करना समय है। समय का भाव सामायिक

१. सेयम्बरो वा आसम्बरो वा बुद्धो वा तहेव अश्वो वा ।

समझावभावियप्पा लहेह मुक्खं न संदेहो ॥ —हरिभद्र

२. दिवसे दिवसे लक्ख देइ सुवण्णस्स खंडियं एगो ।

एगो पुण सामाइयं, करेइ न पहुप्पए तस्स ॥

३. तिव्वतव तवमाणे ज न वि निवृह जम्मकोडीहि ।

तं समझावअचित्तो, खंडेइ कर्मं खण्डेण ॥

४. सामायिक-विशुद्धात्मा सर्वथा धातिकर्मणः ।

क्षयात्केवलमाप्नोति लोकालोकप्रकाशकम् ॥ —हरिभद्र अष्टक-प्रकरण, ३०-१

है।^१ आचार्य मलयगिरि ने लिखा है—राग-द्वेष के कारणों में मध्यस्थ रहना सम है। मध्यस्थभावव्युक्त साधकों की भोक्ता के अभिमुख जो प्रवृत्ति है, वह सामायिक है।^२ जिनभद्रणी क्षमाश्रमण ने भी विशेषावश्यकभाष्य में यही परिभाषा स्वीकार की है।^३ आवश्यकसूत्र की निर्युक्ति, चूणि, भाष्य और हारिभद्रीया वृत्ति मलयगिरिवृत्ति आदि में सामायिक के विविध दृष्टियों से विभिन्न अर्थ किये हैं। सभी जीवों पर मंत्री-भाव रखना साम है और साम का लाभ जिससे हो, वह सामायिक है।^४ पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग करना ही सावद्ययोग-परित्याग कहलाता है। अहिंसा, समता प्रभृति सद्गुणों का आचरण निरवद्ययोग है। सावद्ययोग का परित्याग कर शुद्ध स्वभाव में रमण करना 'सम' कहलाता है। जिस साधना के द्वारा उस 'सम' की प्राप्ति हो, वह सामायिक है।^५ 'सम' शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है और 'अयन' का अर्थ आचरण है। अर्थात् श्रेष्ठ आचरण का नाम सामायिक है। अहिंसा आदि श्रेष्ठ साधना समय पर की जाती है, वह सामायिक है।

सामायिक की विभिन्न व्युत्पत्तियों पर चिन्तन करने से यह स्पष्ट जात होता है कि उन सभी में समता पर बल दिया गया है। राग-द्वेष के विविध प्रसंग समुपस्थित होने पर आत्म-स्वभाव में सम रहना, वस्तुतः सामायिक है। समता से तात्पर्य है—मन की स्थिरता, राग-द्वेष का उपशमन और सुख-दुःख में निश्चल रहना, समभाव में उपस्थित होना। कर्मों के निमित्त से राग-द्वेष के विषयभाव समुत्पन्न होते हैं। उन विषयभावों से अपने-आपको हटाकर स्थ-स्वरूप में रमण करना, समता है। समता को ही गीता में योग कहा है।^६

मन, वचन और काय की दुष्ट वृत्तियों को रोककर अपने निश्चित लक्ष्य की ओर ध्यान को केन्द्रित कर देना सामायिक है। सामायिक करने वाला साधक मन, वचन और काय को वश में कर लेता है। विषय, कपाय और राग-द्वेष से अलग-थलग रहकर वह सदा ही समभाव में स्थित रहता है। विरोधी को देखकर उसके अन्तर्मानस में क्रोध की ज्वाला नहीं भड़कती और न हितैषी को देखकर वह राग से आळ्हादित होता है। वह समता के गहन सागर में डुबकी लगाता है, जिससे विषयमता की ज्वालाएँ उसकी साधना को नष्ट नहीं कर पाती। उसे न निन्दा के मच्छर डँसते हैं और न ईर्पा के बिच्छू ही डंक मारते हैं। चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रतिकूल, चाहे सुख के सुमन खिल रहे हों, चाहे दुःख के तुकीले कांटे बीध रहे हों, पर वह सदा समभाव से रहता है। उसका चिन्तन सदा जागृत रहता है। वह सोचता है कि सयोग और वियोग—ये दोनों ही आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। ये तो शुभाशुभ कर्मों के उदय का कल है। परकीय पदार्थों के सयोग और वियोग से आत्मा का न हित हो सकता है और न अहित ही। इसलिए वह सतत समभाव में रहता है। आचार्य भद्रबाहु ने कहा—जो साधक त्रस और स्थावर रूप सभी जीवों पर समभाव रखता है, उसकी सामायिक शुद्ध

१. 'सम' एकीभावे वर्तते। तथाथा, सगतं धृतं संगतं तैलमित्युच्यते एकीभूतमिति गम्यते। एकत्वेन अयनं गमनं समयः, समय एव सामायिकम्। समयः प्रयोजनमस्येति वा विश्रृद्धि सामायिकम्। —सर्वार्थसिद्धि, ७, २१

२. समो—रागद्वेषयोरपान्तरालवर्ती मध्यस्थः, इण गतौ अयनं अयो गमनमित्यर्थः, समस्य अयः समायः—सभीभूतस्य सनी मोक्षाष्वनि प्रवृत्तिः समाय एव सामायिकम्। —आवश्यक मलयगिरिवृत्ति, ५५४

३. रागद्वेषविरहितो समो ति अयनं अयो ति गमणं नि।

समगमणं ति समाप्तो स एव सामाइयं नाम॥ —विशेषावश्यक भाष्य, ३४७७

४. विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ३४८।

५. अहवा समस्स आओ गुणाण लाभो त्ति जो समाप्तो सो। —वि. भाष्य, गा. ३४८।

६. समत्वं योगभुच्यते। —भगवद्गीता, २-४८

होती है।^१ जिसकी आत्मा संयम में, तप में, नियम में संलग्न रहती है, उसी की सामायिक शुद्ध होती है।^२

आचार्य हरिभद्र ने लिखा है—जैसे चन्दन, काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगन्धित बना देता है, वैसे ही विरोधी के प्रति भी जो सम्भाव की सुगन्ध फैलाता है, उसी की सामायिक शुद्ध है।^३

समता के द्वारा साधक आत्मशक्तियों को केन्द्रित करके अपनी महान् ऊर्जा को प्रकट करता है। मानव अनेक कामनाओं के भवंतरजाल में उलझा रहता है, जिससे उसका व्यक्तित्व क्षत-विक्षत हो जाता है। दृढ़ और तनाव का वातावरण बना रहता है। बबंरता, पश्चिमा, संकीर्णता व राग-द्वेष के विकार-जन्म पनपते रहते हैं। जब मानव समता से विचलित हुआ तब प्रकृति में विकृति, व्यक्ति में तनाव, समाज में विषमता, युग में हिंसा के तत्त्व उभरे हैं। उन सभी को रोकने के लिए, मन्तुलन और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सामायिक की आवश्यकता है। सामायिक समता का लहरता हुआ निर्मल सागर है। जो साधक उसमें अवगाहन कर लेता है, वह राग-द्वेष के कदम से मुक्त हो जाता है।

सामायिक की साधना बहुत ही उत्कृष्ट साधना है। अन्य जितनी भी साधनाएं हैं, वे सभी साधनाएं इसमें अन्तर्निहित हो जाती हैं। आचार्य जिनभद्रगणी धमाश्रमण ने सामायिक को चीदह पूर्व को अर्थपिण्ड कहा है।^४ उपाध्याय यशोविजयजी ने सामायिक को सम्पूर्ण द्वादशांगी रूप जिनवाणी का साररूप बताया है।^५ रंग-विरंगो खिले हुए पुष्पों का सार गंध है, यदि पुष्प में गंध नहीं है, केवल रूप ही है तो वह केवल दर्शकों के नेत्रों को तृप्त कर सकता है, किन्तु दिल और दिमाग को नाजगी प्रदान नहीं कर सकता। दूध का सार घृत है। जिस दूध में घृत नहीं है, वह केवल नाममात्र का ही दूध है। घृत से ही दूध में पौष्टिकता रहती है। वह शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार तिल का सार तेल है। यदि तिलों में से तेल निकल जाए, इक्षु खण्ड में से रस निकल जाय, धान में से चावल निकल जाए तो वह निस्सार बन जाता है। वैसे ही साधना में से सम्भाव यानी सामायिक निकल जाये तो वह साधना भी निस्सार है। केवल नाममात्र की साधना है। समता के अभाव में उपासना उपहास है। साधक मायाजाल के चंगुल में फंस जाता है। दूसरों की उन्नति को निहार कर उसके अन्तर्मानिस में ईर्ष्या-अरिन सुलगते लगती है, वैर-विरोध के जहरीले कीटाणु कुलबुलाने लगते हैं। इसीलिए सामायिक की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

भगवतीसूत्र में वर्णन है कि पाश्वापत्य कालस्यवेसी अनगार के समक्ष तुंगिया नगरी के श्रमणोपासकों ने जिजासा प्रस्तुत की थी कि सामायिक क्या है? और सामायिक का अर्थ क्या है?

१. (क) जो समो सब्बूएसु तसेसु थावरेसु य ।
तस्स सामाइयं होइ, इह केवलि-भासिय ॥ — आवश्यकनिर्युक्ति, ७९९
(ख) अनुयोगद्वार १२८ (ग) नियमसार १२६
२. (क) जस्स सामायिक्यो अप्पा सजमे नियमे तबे ।
तस्स सामाइयं होइ, इह केवलि-भासिय ॥ — आवश्यकनिर्युक्ति, ७८८
(ख) अनुयोगद्वार १२७ (ग) नियमसार १२७
३. हरिभद्र अष्टक-प्रकरण २९-१
४. सामाइयं संखेवो चोइस पुब्वत्थपिण्डोति ॥ — विशेषा, भाष्य, गा. २७९६
५. तत्त्वार्थवृत्ति १-१

कालास्यवेसी ग्रनगार ने स्पष्ट रूप से कहा, “आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही सामायिक का व्यर्थ है।”

तात्पर्य यह है कि जब आत्मा पापमय व्यापारों का परित्याग कर समझाव में अवस्थित होता है, तब सामायिक होती है। आत्मा का काषायिक विकारों से ग्रलग होकर स्वस्वरूप में रमण करना ही सामायिक है और वही आत्म-परिणाम है। सामायिक में साधक बाहु दृष्टि का परिस्थाग कर अन्तर्दृष्टि को अपनाता है, विषमभाव का परिस्थाग कर समझाव में अवस्थित रहता है, पर-पदार्थों से ममत्व हटाकर निजभाव में स्थित होता है। जैसे अनन्त आकाश विश्व के चराचर प्राणियों के लिए आधारभूत है, वैसे ही सामायिक-साधना आधारभूत है।

सामायिक के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए विविध दृष्टियों से सामायिक को प्रतिपादित किया गया है। नाम, स्थापना, द्रव्य, काल, क्षेत्र और भाव आदि से उसका स्वरूप प्रतिपादित है। सामायिक करने वाला साधक साधना में इतना स्थिर होता है कि चाहे शुभ नाम हों, चाहे अशुभ नाम हों, उस नाम का उस साधक के अन्तर्मनिस पर कोई असर नहीं होता। वह सोचता है कि आत्मा अनामी है, आत्मा का कोई नाम नहीं है, नाम प्रस्तुत शरीर का है, यह शरीर नामकर्म की रचना है। इसलिए मैं व्यर्थ ही क्यों संकल्प-विकल्प करूँ। सामायिक का साधक चित्ताकर्षक वस्तु को निहारकर आह्वादित नहीं होता तो घिनौने रूप को देखकर धृणा भी नहीं करता। वह तो सोचता है कि आत्मा रूपातीत है। सुरूपता और कुरुपता तो पुद्गल परमाणुओं का परिनिमन है, जो कभी शुभ होता है तो कभी अशुभ होता है। मैं पुद्गल तत्त्व से पृथक् हूँ। इस प्रकार वह चिन्तन कर समझाव में रहता है। यह स्थापना सामायिक है। सामायिक व्रतधारी साधक पदार्थों की सुन्दरता को देखकर मुग्ध नहीं होता और असुन्दरता को देखकर खिन्न नहीं होता। इसी तरह बहुमूल्य वस्तु को देखकर प्रसन्न नहीं होता और अल्पमूल्य वाली वस्तु को देखकर खिन्न नहीं होता। वह चिन्तन करता है कि पदार्थों की सुन्दरता और असुन्दरता की कल्पना मानव की कल्पना मात्र है। एक ही वस्तु एक व्यक्ति को सुन्दर प्रतीत होती है तो दूसरे को वह सुन्दर प्रतीत नहीं होती। हीरे-पन्ने, माणक-मोती आदि जवाहरात में भी मानव ने मूल्य की कल्पना की है, अन्यथा तो वे अन्य पत्थरों की भाति पत्थर ही है। ऐसा विचार कर साधक सभी भौतिक पदार्थों में समझाव रखता है। यह द्रव्य-सामायिक है। ग्रीष्म की चिलचिलाती धूप हो, पौष माह की भयकर सनसनाती सर्दी हो, श्रावण, भाद्रपद की हजार-हजार धारा के रूप में वर्षा हो अथवा रिमझिम-रिमझिम बूँदें घिर रही हों, चाहे अनुकूल समय हो, चाहे प्रतिकूल समय हो, सामायिक व्रतधारी साधक समझाव में विचरण करता है। शीत, उष्ण आदि स्पर्श पुद्गल के हैं और ये सारे पुद्गल, पुद्गल को ही प्रभावित करते हैं। मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, किसी भी पर-स्पर्श का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। मुझे इन वैभाविक स्थितियों से दूर रहकर आत्मभाव में स्थित रहना है। यह काल-सामायिक है।

सामायिकनिष्ठ साधक के लिए चाहे रमणीय स्थान हो, चाहे अरमणीय, चाहे सुन्दर सुगन्धित उपवन हो, चाहे बजर भूमि हो, चाहे विराट नगर की उच्च अट्टालिका हो, या निंजन वन की कंटीली भूमि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सर्वत्र समझाव में रहता है। उसका चिन्तन चलता है कि मेरा निवासस्थान न जंगल है, न नगर, मेरा तो निवासस्थान आत्मा ही है, फिर व्यर्थ ही क्षेत्र के व्यामोह में पड़कर क्यों कर्मबन्धन करूँ? प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव में स्थित रहता है तो मुझे भी आत्मभाव में स्थित रहना है, यह क्षेत्र-सामायिक है।

भाव-सामायिकधारी का चिन्तन ऊर्ध्वमुखी होता है। वह सदा-सर्वदा आत्मभाव में विचरण करता है। उसका चिन्तन चलता है—“मैं अजर और अमर हूँ, चैतन्यस्वरूप हूँ, जीवन-मरण, मान-प्रपमान, संयोग-

वियोग, लाभ-प्रलाभ –ये सभी कर्मोदयजन्य विकार हैं। मेरा इनके साथ वस्तुतः कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार विचार करके शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मतत्त्व को प्राप्त करना ही भाव-सामायिक है। आचार्य नेमिचन्द्र ने गोम्मटसार में कहा है—परद्रव्यों से निवृत्त होकर जब साधक की ज्ञानचेतना आत्मस्वरूप में प्रवृत्त होती है, तभी भाव-सामायिक होती है। राग-द्वेष से रहित मध्यस्थ भावापन्न आत्मा सम कहलाता है। उस सम में गमन करना भाव-सामायिक है।

आचार्य जिनदासगणी महत्तर ने भाव-सामायिक पर विस्तार से चिन्तन किया है। उन्होंने गुणनिष्पत्ति भाव-सामायिक को एक विराट नगर की उपमा दी है। जैसे एक विराट नगर जन, धन, धान्य आदि से समृद्ध होता है, विविध वनों और उपवनों से अलंकृत होता है, वैसे ही भाव-सामायिक करने वाले साधक का जीवन सद्गुणों से समलंकृत होता है। उसके जीवन में विविध सद्गुणों की जगमगाहट होती है, शान्ति का साम्राज्य होता है।

आचार्य जिनदासगणी महत्तर ने सामायिक आवश्यक को आद्यमंगल¹ माना है। जितने भी विश्व में द्रव्यमंगल हैं, वे सभी द्रव्यमंगल अमंगल के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, पर सामायिक ऐसा भावमंगल है जो कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। समभाव की साधना सभी मंगलों का मूल केन्द्र है। अनन्त काल से इस विराट विश्व में परिभ्रमण करने वाला आत्मा यदि एक बार भी भाव-सामायिक ग्रहण कर ले तो वह सात-आठ भव से अधिक सार से परिभ्रमण नहीं करता। सामायिक ऐसा पारसमणि है, जिसके स्पष्टि से अनन्तकाल की मिथ्यात्व आदि की कालिमा से आत्मा मुक्त हो जाता है।

सामायिक के द्रव्य-सामायिक और भाव-सामायिक ये दो मुख्य भेद हैं। सामायिक ग्रहण करने के पूर्व जो विधि-विधान किये जाते हैं, जैसे सामायिक के लिए आसन विद्याना, रजोहरण, मुखवस्त्रिका आदि धार्मिक उपकरण एकत्रित कर एक स्थान पर अवस्थित होना, यह द्रव्य-सामायिक है। द्रव्य-सामायिक में आसन, वस्त्र, रजोहरण, मुखवस्त्रिका, माला आदि वस्तुएं स्वच्छ और सादरीपूर्ण होनी चाहिये; वे रंग-बिरंगे न होकर श्वेत होने चाहिये। श्वेत रंग शुक्ल और शुभ ध्यान का प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान ने भी श्वेत रंग को शान्ति का प्रतीक माना है। सामायिक में न गन्दे और वीभत्स धर्मोपकरण रखने चाहिए और न चमचमाती हुई विलासितापूर्ण वस्तुएँ ही। भाव-सामायिक वह है जिसमें साधक आत्म-भाव में स्थिर रहता है। सामायिक में द्रव्य और भाव दोनों की आवश्यकता है। भावशून्य द्रव्य केवल मुद्रा लगी हुई मिट्टी है, वह स्वर्णमुद्रा की तरह बाजार में मूल्य प्राप्त नहीं कर सकती, केवल बालकों का मनोरंजन ही कर सकती है। द्रव्यशून्य भाव केवल स्वर्ण है, जिस पर मुद्रा अंकित नहीं है। वह स्वर्ण के रूप में तो मूल्य प्राप्त कर सकता है किन्तु मुद्रा के रूप में नहीं। द्रव्ययुक्त भाव स्वर्ण-मुद्रा है। वह अपना मूल्य रखती है और अबाध गति से सर्वत्र चलती है। इसीलिए भावयुक्त द्रव्य-सामायिक का भी महत्त्व है।

सामायिक के पात्र-भेद से दो भेद होते हैं—१. गृहस्थ की सामायिक और २. श्रमण की सामायिक।² गृहस्थ की सामायिक परम्परानुसार एक मुहूर्त यानी ४५ मिनट की होती है, अधिक समय के लिए भी वह अपनी स्थिति के अनुसार सामायिक ब्रत कर सकता है। श्रमण की सामायिक यावज्जीवन के लिए होती है।

-
१. आदिमंगल सामाइयज्ञभयणं ।…… सव्वमंगलनिहाणं निव्वाणं पाविहिति काऊण सामाइयज्ञभयणं मंगलं भवति । —आवश्यकचूणि
 २. आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा ७९६

आचार्य भद्रबाहु ने सामायिक के तीन भेद बताए हैं—१. सम्यक्त्वसामायिक २. श्रुतसामायिक और ३. चारित्रसामायिक।^१ समभाव की साधना के लिये सम्यक्त्व और श्रुत ये दोनों आवश्यक हैं। विना सम्यक्त्व के श्रुत निर्मल नहीं होता और न चारित्र ही निर्मल होता है। सर्वप्रथम दृढ़ निष्ठा होने से विश्वास की शुद्धि होती है। सम्यक्त्व में अंधविश्वास नहीं होता। वहाँ भेदविज्ञान होता है। श्रुत से विचारों की शुद्धि होती है। जब विश्वास और विचार शुद्ध होता है, तब चारित्र शुद्ध होता है।

सामायिक एक आध्यात्मिक साधना है, इसलिये इनमें जाति-पांति का प्रश्न नहीं उठता। हरिकेशी मुनि^२ जाति से अन्त्यज थे, पर सामायिक की साधना से वे देवो द्वारा भी अर्चनीय बन गये। अर्जुन मालाकार,^३ जो एक दिन कूर हत्यारा था, सामायिक साधना के प्रभाव से उसने मुक्ति को वरण कर लिया।

जैन साहित्य में सामायिक का महत्व प्रतिपादन करने हेतु पूनिया श्रावक की एक घटना प्राप्त होती है— सप्राट् श्रेणिक की जिज्ञासा पर भगवान् महावीर ने बताया कि तुम मरकर प्रथम नरक में उत्पन्न होओगे, क्योंकि तुमने इसी प्रकार के कर्मों का अनुबन्धन किया है। सप्राट् श्रेणिक ने नरक से बचने का उपाय पूछा। भगवान् ने चार उपाय बताये। उन उपायों में एक उपाय पूनिया श्रावक की सामायिक को खरीदना था। जब श्रेणिक सामायिक खरीदने के लिए पहुंचा तो पूनिया श्रावक ने श्रेणिक से कहा—‘एक सामायिक का मूल्य कितना है? यह आप भगवान् महावीर से पूछ लीजिये।’ राजा श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में भगवान् महावीर ने कहा---‘राजन्! तुम्हरे पास इतना विराट् वैभव है पर यह सारा धन सामायिक की दलाली के लिये भी पर्याप्त नहीं है। सामायिक का मूल्य तो उससे भी कही अधिक है।’ सार यह है कि सामायिक एक अमूल्य साधना है। आध्यात्मिक साधना की तुलना भौतिक वैभव से नहीं की जा सकती। आध्यात्मिक निधि के सामने भौतिक सम्पदाएँ तुच्छ ही नहीं, नगण्य हैं।

तुलना : बौद्ध और वैदिक परम्परा से

सामायिक जैन साधना की विशुद्ध साधनापद्धति है। इस साधनापद्धति की तुलना आंशिक रूप से अन्य धर्मों की साधनापद्धति से की जा सकती है। बौद्धधर्म श्रमणस्कृति की ही एक धारा है। उस धारा में साधना के लिए अष्टागिक मार्ग का निरूपण है।^४ अष्टांगिक मार्ग में सभी के ग्रामे सम्यक् शब्द का प्रयोग हुआ है जैसे—सम्यग्दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वचन, सम्यक्-कर्मान्ति, सम्यक्-ग्राजीव, सम्यक्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति और सम्यक्-समाधि। बौद्ध साहित्य के मनीषियों का यह अभिमत है कि यहाँ जो सम्यक् शब्द का प्रयोग हुआ है, वह सम के अर्थ में है, क्योंकि पाली भाषा में जो सम्मा शब्द है, उसके सम और सम्यक् दोनों रूप बनते हैं। यहाँ पर जो सम्यक् शब्द का प्रयोग हुआ है, वह राग-द्वेष की वृत्तियों को न्यून करने के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। जब राग-द्वेष की मात्रा कम होती है, तभी साधक सम्बत्वयोग की ओर अपने कदम बढ़ा सकता है। अष्टांगिक मार्ग में अन्तिम मार्ग का नाम सम्यक्-समाधि है। समाधि में चित्तवृत्ति राग-द्वेष से

१. सामाइयं च तिविहं, सम्पत्तं सुयं तद्वा चरितं च।

दुविह चेव चरितं, अगारमणगारितं चेव ॥ — आवश्यकनिर्युक्ति, ७९७

२. उत्तराध्ययन, हरिकेशी अध्ययन, १२

३. अन्तकृतदशांग, ६ वर्ग, तृतीय अध्ययन

४. (क) दीघनिकाय-महासतिपट्टान-सुत (ख) सयुत्तिकाय ५, पृ. ८-१०

रहित हो जानी है। जब तक वित्तवृत्तियाँ राग-द्वेष से मुक्त नहीं बनतीं, तब तक समाधि के संदर्भन नहीं होते। संयुक्तनिकाय^१ में तथागत बुद्ध ने कहा —जिन व्यक्तियों ने धर्मों को सही रूप से जान लिया है, जो किसी भत, पक्ष या वाद में उलझे हुए नहीं है, वे सम्बुद्ध हैं, समदृष्टा हैं और विषम स्थितियों में भी उनका आचरण सम रहता है। संयुक्तनिकाय^२ में अन्य स्थान पर बुद्ध ने स्पष्ट कहा—आर्यों का मार्ग सम है। आर्य विषम स्थिति में भी सम का आचरण करते हैं। मजिफ्मनिकाय^३ में राग-द्वेष, मोह के उपशम को ही परम आर्य उपशमन माना है। सुन्तनिपात^४ में कहा गया है जिस प्रकार मैं हूँ, वैसे ही संसार के सभी प्राणी हैं। अतः सभी प्राणियों को अपने सदृश समझकर आचरण करना चाहिये। बौद्धदर्शन में माध्यस्थ वृत्ति पर जो बल दिया है, उसका मूल आधार भी समझाव ही है। इस प्रकार बौद्धधर्म में यत्र-तत्र समन्वय के उल्लेख प्राप्त हैं। इससे यह स्पष्ट है कि बौद्धधर्म में भी समझाव को साधना का एक आवश्यक अग माना है। यह सत्य है कि उन्होंने सामाधिक का निरूपण नहीं किया, पर सामाधिक का जो मूल समझाव है, उसका उल्लेख जम्हर किया है।

वैदिक परम्परा के ग्रन्थों में भी समत्वयोग की चर्चा यत्र-तत्र हुई है। श्रीमद्भगवद्गीता वैदिक परम्परा का एक प्रतिनिधि ग्रन्थ है। उसमें योग की चर्चा करते हुए समत्व को ही योग कहा है।^५ ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान आदि का उद्देश्य समत्व है। विना समत्व के ज्ञान, अज्ञान है। जिसमें समत्व भाव है वही वस्तुत, यथार्थ ज्ञानी है।^६ विना समता के कर्म अकर्म नहीं बनता, समत्व के अभाव में कर्म का बन्धकत्व बना रहेगा।^७ समन्वय के अभाव में भक्त भी सच्चा भक्त नहीं है। समत्व में वह अपूर्व शक्ति है, जिससे अज्ञान ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह ज्ञान योग के रूप में जाना जाता है। गीताकार की दृष्टि से स्वयं परमात्मा/ब्रह्म सम है।^८ जो व्यक्ति समत्व में अवस्थित रहता है, वह परमात्मभाव में ही अवस्थित है।^९ नवम अध्याय में श्रीकृष्ण ने बीर अर्जुन को कहा—हे अर्जुन ! मैं सभी प्राणियों में सम के रूप में स्थित हूँ।^{१०} गीताकार की दृष्टि से समत्व का क्या अर्थ है ? इस प्रश्न पर चिन्तन करते हुए आचार्य शंकर ने लिखा है—समत्व का अर्थ तुल्यता है, आत्मवत् दृष्टि है। जिस प्रकार सुख मुझे प्रिय है, दुःख अप्रिय है, वैसे ही विश्व के सभी प्राणियों को सुख प्रिय/अनुकूल है, दुःख प्रतिकूल/अप्रिय है। इस प्रकार जो विश्व के प्राणियों में अपने ही मदृश सुख और दुःख को अनुकूल और प्रतिकूल रूप में देखता है, वह किसी के प्रति भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता। वही समदर्शी है। सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत् दृष्टि रखना समत्व है।^{११} समत्व योगी साधक

१. संयुक्तनिकाय १।१।८

२. संयुक्तनिकाय १।२।६

३. मजिफ्मनिकाय ३।४।०।२

४. सुन्तनिपात ३।३।७।७

५. श्रीमद्भगवद्गीता २।४।८

६. श्रीमद्भगवद्गीता ५।१।८

७. श्रीमद्भगवद्गीता ४।२।२

८. (क) श्रीमद्भगवद्गीता ५।१।९ (ख) गीता (शंकर भाष्य) ५।१।८

९. श्रीमद्भगवद्गीता ५।१।९

१०. श्रीमद्भगवद्गीता ९।१।९

११. श्रीमद्भगवद्गीता, शंकर भाष्य ६।३।२

चाहे अनुकूल स्थिति हो, चाहे प्रतिकूल स्थिति हो, चाहे सम्मान मिलता हो, चाहे तिरस्कार प्राप्त होती हो, चाहे सिद्धि के संदर्भ न होते हो, चाहे असिद्धि प्राप्त हो, तो भी उसका अन्तर्मानिस उन सभी स्थितियों में सम रहता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा—जो सुख-दुःख में समझाव रखता है, जो इन्द्रियों के विषय-सुख में आकुल-व्याकुल नहीं होता, वही मोक्ष/अमृतत्व का अधिकारी है।¹ गीता के अठारहवें अध्याय में श्रीकृष्ण ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा—जो समत्व भाव में स्थित होता है, वही मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर सकता है।² इस प्रकार गीता में समत्वयोग का स्वर यत्र-तत्र मुख्यरित हुआ है।

आज विश्व के समत्वयोग के अभाव में विषयमता की काली घटाएँ_मंडरा रही हैं। जिससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र परेशान हैं। समत्वयोग जीवन के विविध पक्षों में इस प्रकार समन्वय स्थापित करता है जिससे न केवल व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष समाप्त होता है, अपितु सामाजिक जीवन के संघर्ष भी नष्ट हो जाते हैं, यदि समाज और राष्ट्र के सभी सदस्यगण उसके लिये प्रयत्नशील हों। समत्वयोग से वैचारिक दुराग्रह समाप्त हो जाता है और स्नेह की सुर-सरिता प्रवाहित होने लगती है। जीवन के सभी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। वैचारिक जगत् के संघर्ष का मूल कारण आग्रह-दुराग्रह है। दुराग्रह के विष से मुक्त होने पर भनुष्य सत्य को सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। समत्वयोगी साधक न वैचारिक दृष्टि से संकुचित होता है और न उसमें भोगासक्ति ही होती है। इसलिये उसका आचार निर्मल होता है और विचार उदात्त होते हैं। वह 'जीओ और जीने दो' के सिद्धान्त में विश्वास रखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समत्वयोग के द्वारा भीताकार ने समझाव की साधना पर बल दिया है।

सामायिक आवश्यक में न राग अपना राग आलापता है और न द्वेष अपनी जादुई बीन बजाता है। वीतराग और विरुद्ध बनने के लिये यह उपक्रम है। यह वह कीमिया है जो भेदविज्ञान की अगुली पकड़कर समता की मुनहरी धरती पर साधक को स्थित करता है। यह साधना जीवन को सजाने और संवारने की साधना है।

चतुर्विशतिस्तव

षडावश्यक में दूसरा आवश्यक चतुर्विशतिस्तव है। हमने पूर्व पंक्तियों में देखा कि सामायिक में सावद्य योग में निवृत्त रहने का विधान किया गया है। सावद्य योग से निवृत्त रहकर साधक किसी न किसी आलम्बन का आश्रय अवश्य ग्रहण करता है, जिससे वह समझाव में स्थिर रह सके। एतदर्थं ही सामायिक में साधक तीर्थकर देवों की स्तुति करता है।

चतुर्विशतिस्तव भक्ति-साहित्य की एक विशिष्ट रचना है। उसमें भक्ति की भागीरथी प्रवाहित हो रही है। यदि साधक उस भागीरथी में अवगाहन करे तो आनन्द-विभीर हुए विना नहीं रह सकता। तीर्थकर त्याग और वैराग्य की दृष्टि से, संयममाध्यना की दृष्टि से महान् है। उनके गुणों का उत्कीर्तन करने से साधक के अन्तर्हृदय में आध्यात्मिक बल का संचार होता है। यदि किसी कारणवश श्रद्धा शिथिल हो जाये तो उसमें अभिनव स्फूर्ति का सचार होता है। उसके नेत्रों के सामने त्याग-वैराग्य की ज्वलन्त प्रतिकृति आती है, जिससे उसका अहंकार बर्फ की तरह पिछल जाता है।

१. गीता २।१५

२. गीता १८।५४

स्मरण रखिये, संसार में जो शुभतर परमाणु हैं उनसे तीर्थकर का शरीर निर्मित होता है, इसलिये वे की दृष्टि से तीर्थकर महान् हैं। संसार में ग्रितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों में तीर्थकर सबसे अधिक बली। उनके बल के सामने बड़े-बड़े बीर भी टिक नहीं पाते। तीर्थकर अवधिज्ञान के साथ जन्म लेते हैं। प्रण-दीक्षा अंगीकार करते ही उन्हें मनःपर्यवज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके पश्चात् उनमें केवलज्ञान का व्य आलोक जगमगाने लगता है, अतः ज्ञान की दृष्टि से तीर्थकर महान् हैं। दर्शन की दृष्टि से तीर्थकर क्षायिक व्यक्त्व के धारक होते हैं। उनका चारित्र उत्तरोत्तर विकसित होता है। उनके परिणाम सदा बद्धमान रहते। ज्ञान, दर्शन और चारित्र के साथ ही दान में उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। वे श्रमणधर्म में वेष्ट होने के पूर्व एक वर्ष तक प्रतिदिन एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान देते हैं। वे शुप्त मन्त्रारी होते हैं। साधना काल में देवांगनाएँ भी अपने अद्भुत रूप में उनको आकर्षित नहीं कर पातीं। तप क्षेत्र में तीर्थकर कीतिमान संस्थापित करते हैं। वे तप-काल में जल भी ग्रहण नहीं करते। भावना के त्र में तीर्थकरों की भावना उत्तरोत्तर निर्मल और निर्मलतम होती जाती है।

इस प्रकार तीर्थकरों का जीवन विविध विशेषताओं का पावन प्रतिष्ठान है। एक काल में एक स्थान : अनेक अरिहन्त हो सकते हैं, पर तीर्थकर एक ही होता है। प्रत्येक साधक प्रयत्न करने पर अरिहन्त बन करता है, किन्तु तीर्थकर बनने के लिये एक नहीं अनेक भवों की साधना अपेक्षित है। तीर्थकरत्व उत्कृष्ट य प्रकृति है। तीर्थकरों के गुणों का उत्कीर्तन करने से हृदय पवित्र होता है, वासनाएँ शान्त होती हैं। से तीव्र ज्वर के समय बर्फ की ठंडी पट्टी लगाने से ज्वर शान्त हो जाता है, उसी प्रकार जब जीवन में वासना। ज्वर बेचैनी पैदा करता हो, उस समय तीर्थकरों का स्मरण बर्फ की पट्टी की तरह शान्ति प्रदान करता है। धर्मकरों की स्तुति से सचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक नन्ही भी चिनगारी रुई के ढेर को भस्स कर देती वैसे ही तीर्थकरों की स्तुति से कर्म नष्ट हो जाते हैं।

जब हम तीर्थकरों की स्तुति करते हैं तो प्रत्येक तीर्थकर का एक उज्ज्वल आदर्श हमारे सामने रहता है। गवान् ऋषभदेव का स्मरण आते ही आदियुग का चित्र मानस-पटल पर चमकने लगता है। वह सोचने लगता कि भगवान् ने इस मानव-संस्कृति का निर्माण किया। राज्यव्यवस्था का संचालन किया। मनुष्य को कला, ध्यया और धर्म का पाठ पढ़ाया। राजसी वैश्व को छोड़कर वे श्रमण बने। एक वर्ष तक शिक्षा न मिलने पर वे हरे पर आल्हाद अठेलियाँ करता रहा। भगवान् शान्तिनाथ का जीवन शान्ति का महान् प्रतीक। भगवती मर्ली का जीवन नारी-जीवन का एक ज्वलन्त आदर्श है। भगवान् अरिष्टलेमि कहणा के साक्षात् वतार हैं। पशु-पक्षियों की प्राण-रक्षा के लिये वे सर्वाग्नुन्दरी राजीमती का भी परित्याग कर देते हैं। गवान् पार्श्व का स्मरण आते ही उस युग की तप-परम्परा का एक रूप सामने आता है, जिसमें ज्ञान की शोति नहीं है, अन्तर्मानस में कथायों की ज्वालाएँ धधक रही हैं तो बाहर भी पंचाग्नि की ज्वालाएँ सुलग रही हैं। वे उन ज्वालाओं में से जलते हुए नाग को बचाते हैं। कमठ के द्वारा भयंकर यातना देने पर भी उनके न में रोष पैदा नहीं हुआ और धरणेन्द्र पद्मावती के द्वारा स्तुति करने पर भी मन के प्रसन्नता नहीं हुई। यह उनका बीतरागी रूप। भगवान् महावीर का जीवन महान् क्रान्तिकारी जीवन है। अनेक लोमहर्षक उपसर्गों भी वे तनिक मात्र भी विचलित नहीं होते। आद्यों और अनाद्यों के द्वारा, देवों और दानवों के द्वारा, पशु-पक्षियों के द्वारा दिये गये उपसर्गों में वे मेरु की तरह अविचल रहते हैं। जाति-पांति का खण्डन कर वे गुणों की हत्ता पर बल देते हैं। नारी जाति की प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं।

इस प्रकार तीर्थकरों की स्तुति मानव में अपने पौरुष को जागृत करने की प्रेरणा देती है। आत्मा ही परमात्मा है। कर्मबद्ध जीव है तो कर्मयुक्त शिव है। एक दिन तीर्थकर की आत्मा भी हमारी तरह ही भोगवासना के दलदल में फँसी थी। पर ज्यों ही उसने अपने स्वरूप को समझा त्यों ही वह उसे त्याग कर नर से नारायण बन गई। आत्मा से परमात्मा बन गई। यदि मैं भी तीर्थकर की तरह प्रयत्न करूँ तो मैं उनके समान बन सकता हूँ। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि तुम मेरी भक्ति करो मैं तुम्हे सभी पापों से मुक्त कर दूँगा।^१ अमण भगवान् महावीर ने भी कहा—मैं भय से रक्षा करने वाला हूँ।^२ तथागत बुद्ध ने कहा—जो मुझे देखता है, वह धर्म को देखता है।^३ तथापि यह स्पष्ट है कि जैन और बौद्ध इन दोनों विचार-धाराओं के अनुसार व्यक्ति अपने ही पुरुषार्थ से उत्थान के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ होता है और अपने ही कुप्रयत्न से पतन के महागर्ने में गिरता है। स्वयं पाप से मुक्त होने का प्रयत्न न कर प्रभु के सहारे मुक्त होने की कल्पना को जैन धर्म में स्थान नहीं दिया है। उसने इस प्रकार की विवेकशून्य प्रार्थना को उचित नहीं माना है। उसका यह स्पष्ट अभिमत रहा है कि इस प्रकार की प्रार्थनाएँ मानव को दीन-हीन और परोपेक्षी बनाती है। जो साधक स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता, उस साधक को केवल तीर्थकरों की स्तुति मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। व्यक्ति का पुरुषार्थ ही उसे मुक्ति-महल की ओर बढ़ा सकता है।

तीर्थकर तो साधनामार्ग के आलोक-स्तम्भ जहाज का पथ प्रदर्शन करता है, पर चलने का कार्य तो जहाज का ही है। वैसे ही साधना की ओर प्रगति करना साधक का कार्य है। जैन दृष्टि से भक्ति का लक्ष्य स्वयं का साक्षात्कार है। अपने मेरही हुई शक्ति की अभिव्यक्ति करना है। साधक के अन्तर्मनिस में जिस प्रकार की श्रद्धा / भावना बलवती होगी, उसी प्रकार का उसका जीवन बनेगा। इसीलिये गीताकार ने कहा—‘श्रद्धामयोऽपुरुषं यो यच्छ्रुद्ध स एव सः।’^४ जिस घर मेरहुड़ पक्षी का निवास हो, उस घर मेरही रह सकता। सौंप गरुड़ की प्रतिच्छाया से भाग जाते हैं। जिनके हृदय में तीर्थकरों की स्तुतिरूपी गरुड़ आसीन है, वहाँ पर पापरूपी सौंप नहीं रह पाते। तीर्थकरों का पावन स्मरण ही पाप को नष्ट कर देता है। एक शिष्य ने जिज्ञासा प्रस्तुत की—भगवन्! चतुर्विशितस्तव करने से किस सद्गुण की उपलब्धि होती है? भगवान् महावीर ने समाधान करते हुए कहा चतुर्विशितस्तव करने से दर्शन की विशुद्धि होती है। चतुर्विशितस्तव से अनेक लाभ हैं। उससे श्रद्धा परिमार्जित होती है, सम्यकत्व विशुद्ध होता है। उपसर्ग और परीषहों को समझाव से सहन करने की शक्ति विकसित होती है और तीर्थकर बनने की पवित्र प्रेरणा मन में उद्बुद्ध होती है। इसलिये पड़ावश्यकों में तीर्थकरस्तुति या चतुर्विशितस्तव को स्थान दिया गया है।

वन्दन

साधना क्षेत्र में तीर्थकर के पश्चात् दूसरा स्थान गुरु का है। तीर्थकर देव है। देव के पश्चात् गुरु को नमन किया जाता है। उनका स्तवन और अभिवादन किया जाता है। आवश्यकनियुक्ति में वन्दन के अर्थ में चित्तिकर्म, पूजाकर्म आदि पर्यायवाची शब्द व्यवहृत हुए हैं। साधक मन, वचन और शरीर से सद्गुण के प्रति सर्वात्मना समर्पित होता है। जो सद्गुणी है, उन्हीं के चरणों में वह न त होता है। जीवन में विनय आवश्यक है।

१. गीता १८।६६

२. सूत्रकृताग १।१६

३ (क) मज्जिमनिकाय (ख) इतिवृत्तक ३।४३

४. श्रीमद्भगवद्गीता १७।३

जैन आगमों में विनय को धर्म का मूल कहा है। आगमसाहित्य में विनय के सम्बन्ध में विस्तार से विवेचना है, तथा यह सत्य है कि जैनधर्म वैनायिक नहीं है। भगवान् महावीर के युग में एक ऐसा पन्थ था जिसके अनुयायी पशु-पक्षी आदि जो भी मार्ग में मिल जाता, उसे वे नमस्कार करते थे। भगवान् महावीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा—मानव ! तेरा मस्तिष्क ऐरे-गौरे के चरणों में झुकने के लिये नहीं है। नम्र होना श्रलग बात है, पर हर एक व्यक्ति को परमादरणीय समझकर नमस्कार करना श्रलग बात है। जैनधर्म में सद्गुणों की उपासना की गई है। उसका सिर सद्गुणियों के चरणों में न त होता है। सद्गुणों को नमन करने का अर्थ है, सद्गुणों को अपनाना। यदि साधक असंयमी पतित व्यक्ति को नमस्कार करता है, जिसके जीवन में दुराचार पनप रहा हो, वासनाएँ उभर रही हों, राग-हेप की ज्वालाएँ धधक रही हों, उस व्यक्ति को नमन करने का अर्थ है—उन दुरुण्णों को प्रोत्साहन देना। आचार्य भद्रबाहु^१ ने आवश्यकनियुक्ति में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ऐसे गुणहीन व्यक्तियों को नमस्कार नहीं करना चाहिये, क्योंकि गुणों से रहित व्यक्ति अवन्दनीय होते हैं। अवन्दनीय व्यक्तियों को नमस्कार करने से कर्मों की निर्जरा नहीं होती और न कीर्ति ही वढ़ती है। असंयम और दुराचार का अनुमोदन करने से नये कर्म बढ़ते हैं। अतः उनको वन्दन व्यर्थ है। एक अवन्दनीय व्यक्ति जो जानता है कि मेरा जीवन दुरुण्णों का आगार है, यदि वह सद्गुणी व्यक्तियों से नमस्कार ग्रहण करता है तो वह अपने जीवन को दूषित करता है। असंयम की वृद्धि कर अपना ही पतन करता है।^२

जैनधर्म की दृष्टि से साधक में द्रव्य-चारित्र और भाव-चारित्र—ये दोनों आवश्यक हैं। यदि द्रव्य-चारित्र नहीं है, केवल भाव-चारित्र ही है, तो वह प्रश्नसनीय नहीं है। क्योंकि सामान्य साधकों के लिये उसका पवित्र चरित्र ही पथ-प्रदर्शक होता है। केवल द्रव्य-चारित्र ही है, और भाव-चारित्र का अभाव है तो भी वह श्लाघनीय नहीं है। वह तो केवल दिखावा है। साधक को ऐसे ही गुरु की आवश्यकता है जिसके द्रव्य और भाव दोनों ही चारित्र निर्मल हो, व्यवहार और निश्चय दोनों ही दृष्टियों से जिसके जीवन में पूर्णता हो, वही सद्गुरु वन्दनीय और अभिनन्दनीय होता है। ऐसे सद्गुरु से साधक पवित्र प्रेरणा ग्रहण कर सकता है। वन्दन-आवश्यक में ऐसे ही सद्गुरु को नमन करने का विधान है।

वन्दन करने से अहकार नष्ट होता है, विनय की उपलब्धि होती है। सद्गुरुओं के प्रति अनन्य श्रद्धा व्यक्त होती है। नीर्थकरों की आज्ञा का पालन करने से शुद्ध धर्म की आराधना होती है। अतः साधक को सतत जागरूक रहकर वन्दन करना चाहिये। वन्दन करने में किञ्चिन्मात्र भी उपेक्षा नहीं रखनी चाहिये। जब साधक के अन्तर्मनिस में भक्ति का ओत प्रवाहित होता है, तब सहसा वह सद्गुरुओं के चरणों में झुक जाता है। जिस वन्दन में भक्ति की प्रधानता नहीं, केवल भय, प्रलोभन, प्रतिष्ठा आदि भावनाएँ पनप रही हों, वह वन्दन केवल द्रव्य-वन्दन है, भाव-वन्दन नहीं। द्रव्य-वन्दन से कितनी ही बार कर्म-बन्धन भी हो जाता है। पवित्र और निर्मल भावना से किया गया वन्दन ही मही वन्दन है। आचार्य मलयगिरि ने लिखा है द्रव्य-वन्दन मिथ्यादृष्टि भी करता है किन्तु भाव-वन्दन सम्यग्दृष्टि ही करता है। मिथ्यादृष्टि की द्रव्य-वन्दन की क्रिया केवल यात्रिक प्रक्रिया है, उसे किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। वन्दन के लिये द्रव्य और भाव दोनों ही आवश्यक हैं।

१. पास्त्याङ्क वंदमाणस्स नेव किनी न निज्जराहोऽ।

कायकिलेसं एमेव कुण्डि तह कम्बध च ॥

- आवश्यकनियुक्ति ११०८

२. जे बंधवेरभट्टा पाए उड्डंति वंध्यारीण ।

ते होति कुंट मुंटा बोही य सुदुल्लहा तेसि ॥

- आवश्यकनियुक्ति ११०९

धर्मपद^१ में तथागत बुद्ध ने कहा—पुण्य की इच्छा से जो व्यक्ति वर्ष भर में यज्ञ और हवन करता है, उस यज्ञ और हवन का फल पुण्यात्माओं के अभिवादन के फल का चतुर्थ भाग भी नहीं है। अतः सरल मानस वाले महात्माओं को वन्दन करना चाहिए। सदा वृद्धों की सेवा करने वाले और अभिवादनशील पुरुष की चार वस्तुएं वृद्धि को प्राप्त होती हैं—ग्राम, सौन्दर्य, सुख और बल।^२ इस प्रकार बौद्धधर्म में वन्दन को महत्व-दिया है। वहाँ पर भी श्रमणजीवन की वरिष्ठता और कनिष्ठता के आधार पर वन्दन की परम्परा रही है।

वैदिक परम्परा में भी वन्दन सद्गुणों की वृद्धि के लिये आवश्यक माना है।^३ श्रीमद्भागवत में नवधा भक्ति का उल्लेख है।^४ उस नवधा भक्ति में वन्दन भी भक्ति का एक प्रकार बताया गया है। श्रीमद्भगवद्गीता^५ के अठारहवें अध्याय में “मा नमस्कुरु” कहकर श्रीकृष्ण ने वन्दन के लिये भक्तों को उत्प्रेरित किया है।

जैन मनीषियों ने वन्दन के सम्बन्ध में बहुत ही विस्तार से और गहराई से चिन्तन किया है। आचार्य भद्रबाहु^६ ने वन्दन के ३२ दोष बताये हैं। उन दोषों से बचने वाला साधक ही सही वन्दन कर सकता है। संक्षेप में वे दोष इस प्रकार हैं—

१. अनादृत २. स्तब्ध ३. प्रविद्ध ४. परिपिण्डित ५. टोलगति ६. अंकुश ७. कच्छपरिगत
८. मत्स्योदवृत्त ९. मनसाप्रद्विष्ट १०. वैदिकाबद्ध ११. भय १२. भजमान १३. मैत्री १४. गोरव १५. कारण
१६. स्तैन्य १७. प्रत्यनीक १८. रुष्ट १९. तजित २०. शठ २१. हीलित २२. विपरिकुचित २३. दृष्टादृष्ट
२४. शूङ्ग २५. कर २६. मोरन २७. आशिष्ट-अनाशिष्ट २८. ऊन २९. उत्तरचृडा ३०. भूक ३१. ढब्डर
३२. चुड़ली ।

सार यह है कि वन्दन करते समय अन्तर्मानिस में किसी प्रकार की स्वार्थभावना / आकाशा / भय या किसी के प्रति अनादर की भावना नहीं होनी चाहिए। जिनको हम वन्दन करें उनको हम योग्य सम्मान प्रदान करें। मन, वचन और काया तीनों ही वन्दनीय के चरणों में न त हों।

प्रतिक्रमण

भारतवर्ष की सभी अध्यात्मवादी धर्म-परम्पराएं आत्मसाधना की प्रबल प्रेरणा प्रदान करती हैं। आत्मा में अनन्त काल से प्रमाद और असावधानी के कारण विकार और वासनाएं अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं। उन्हें हटाकर ईश्वरत्व को जगाना है। मानव में जो पशुत्व वृत्ति है, वह स्वयं उसकी नहीं अपितु बाहर से आई हुई है। साधक की आत्मा घनबोर घटाओं से धिरे हुए सूर्य के सदृश है। कर्मों की काली घटाओं के कारण आत्मा का परम तेज दिखाई नहीं दे रहा है। वह अपने-आप को दीन-हीन समझ रहा है। भूतकाल में जो अज्ञान और

१. धर्मपद, १०८
२. धर्मपद, १०९
३. मनुस्मृति, २१२१
४. श्रीमद्भागवत पुराण ७।५।२३
५. श्रीमद्भगवद्गीता १८।६५
६. (क) आवश्यकनियुक्ति १२०७-१२११
- (ख) प्रवचनसारोद्धार वन्दनाद्वार

प्रमाद के कारण भूलें हुई हैं, उन भूलों का परिष्कार प्रतिक्रमण के द्वारा ही सम्भव है। पापरूपी रोग को नष्ट करने में प्रतिक्रमण राम-बाण आशेध के सदृश है।

प्रतिक्रमण जैन परम्परा का एक विशिष्ट शब्द है। प्रतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ है पुनः लौटना। हम अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण कर, अपनी स्वभाव-दशा से निकलकर विभाव-दशा में चले गये, अतः पुनः स्वभाव रूप सीमा में प्रत्यागमन करना प्रतिक्रमण है। जो पाप मन, वचन और काया से स्वयं किये जाते हैं, दूसरों के करवाये जाते हैं और दूसरों के द्वारा किये हुए पापों का अनुमोदन किया जाता है, उन सभी पापों की निवृत्ति हेतु, किये गये पापों की आलोचना करना, निन्दा करना प्रतिक्रमण है। आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा है—शुभ योगों में से अशुभ योगों में गये हुए अपने-आप को पुनः शुभ योगों में लौटा लाना प्रतिक्रमण है।¹ आचार्य हरिभद्र ने भी आवश्यकवृत्ति में यही कहा है।²

गृहीत नियमों और मर्यादा के अतिक्रमण से पुनः लौटना ही प्रतिक्रमण है। साधना के क्षेत्र में मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग—ये पांचों भयकर दोष हैं। साधक प्रात और संध्या के सुहावने समय में अपने जीवन का अन्तर्निरीक्षण करता है, उस समय वह गहराई से चिन्तन करता है कि वह कहीं सम्यक्त्व के प्रशस्त पथ को छोड़कर मिथ्यात्व की कंटीली झाड़ियों में तो नहीं उलझा है? व्रत के स्वरूप को विस्तृत कर अव्रत को तो ग्रहण नहीं किया है? अप्रमत्तता के नन्दनवन में विहरण के स्थान पर प्रमाद की भूलसती महभूमि में तो विचरण नहीं किया है? अकषाय के सुगन्धित सरसब्ज बाग को छोड़कर, कषाय के धधकते हुए पथ पर तो नहीं चला है? मन, वचन, काया की प्रवृत्ति जो शुभ योग में लगनी चाहिये थी वह अशुभ योग में तो नहीं लगी? यदि मैं मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग में गया हूँ, तो मुझे पुनः सम्यक्त्व, व्रत, अकषाय, अप्रमाद और शुभ योग में आना चाहिये। इसी दृष्टि से प्रतिक्रमण किया जाता है।³

आवश्यकनिर्युक्ति, आवश्यकचूर्णि, आवश्यक हारिभद्रीयावृत्ति, आवश्यक मलयगिरिवृत्ति प्रभूति ग्रन्थों में प्रतिक्रमण के सम्बन्ध में बहुत विस्तार के साथ विचार-चर्चाएं की गई हैं। उन्होंने प्रतिक्रमण के आठ पर्यायवाची शब्द⁴ भी दिए हैं, जो प्रतिक्रमण के विभिन्न अर्थों को व्यक्त करते हैं। यद्यपि आठों का भाव एक ही है किन्तु ये शब्द प्रतिक्रमण के सम्पूर्ण अर्थ को समझने में सहायक हैं। वे इस प्रकार हैं—

१. प्रतिक्रमण⁵ —इस शब्द में “प्रति” उपर्यं है और “क्रमु” धातु है। प्रति का तात्पर्य है—प्रतिकूल और क्रमु का तात्पर्य है—पदनिषेप। जिन प्रवृत्तियों से साधक सम्यग्दर्शन, सम्यज्ञान, सम्यक्चारित्र

१. प्रतीपं क्रमण प्रतिक्रमणम्, अथमर्थः—शुभयोगेभ्योऽशुभयोगान्तरं क्रान्तस्य शुभेषु एव क्रमणात्प्रतीप क्रमणम्।

—योगशास्त्र, तृतीय प्रकाश, स्वोपज्ञवृत्ति

२. स्वस्थानाद् यत्परस्थान, प्रमादस्य वशाद् गतः।

तत्रैव क्रमण भूयः प्रतिक्रमणमुच्यते ॥

३ (क) प्रति प्रतिवर्तनं वा, शुभेषु योगेषु मोक्षफलदेषु ।

नि शल्यस्य यत्तेर्यत्, तद्वा ज्ञेय प्रतिक्रमणम् ॥

(ख) आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा १२५०

४. पडिक्रमणं पडियरणा, परिहरणा वारणा नियत्तीय ।

निन्दा गरिहा सोही, पडिक्रमणं अट्ठहा होइ ॥ —आवश्यकनिर्युक्ति १२३३

५. पडिक्रमणं पुनरावृत्तिः । —आवश्यकचूर्णि

रूप स्वस्थान से हटकर मिथ्यात्म, आज्ञान, असंयम रूप परस्थान में चला गया है, उसका पुनः अपने-आप में लौट आना प्रतिक्रमण या पुनरावृति है।

२. प्रतिचरण^१ —असंयम क्षेत्र से अलग-थलग रहकर अत्यन्त सावधान होकर विशुद्धता के साथ संयम का पालन करना प्रतिचरण है, अर्थात् संयम-साधना में अप्रसर होना प्रतिचरण है।

३. प्रतिहरण—साधक को साधना के पथ पर मुस्तैदी से अपने कदम बढ़ाते समय उसके पथ में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। कभी असंयम का आकर्षण उसे साधन से विचलित करना चाहता है तो कभी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। यदि साधक परिहरण (प्रतिहरण) न रखे तो वह पथघट हो सकता है। इसलिये वह प्रतिपल-प्रतिक्षण अशुभ योग, दुष्यन और दुराचरणों का त्याग करता है। यही परिहरण है।

४. वारणा—वारणा का अर्थ निषेध (रोकना) है। साधक विषय, कषायों से अपने आपको रोककर संयम-साधना करते हुए ही भोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिये विषय, कपायों से निवृत्त होने के लिये प्रतिक्रमण अर्थ में वारणा शब्द का प्रयोग हुआ है।

५. निवृत्ति^२ —जैन साधना में निवृत्ति का अत्यन्त महत्व रहा है। सतत सावधान रहने पर भी कभी प्रमाद के बश अशुभ योगों में उसकी प्रवृत्ति हो जाये तो उसे शीघ्र ही शुभ से आना चाहिये। अशुभ से निवृत्त होने के लिये ही गहरा प्रतिक्रमण का पर्यायवाची शब्द निवृत्ति आया है।

६. निन्दा—साधक अन्तर्निरोक्षण करता रहता है। उसके जीवन में जो भी पापयुक्त प्रवृत्ति हुई हो, शुद्ध हृदय से उसे उन पापों की निन्दा करनी चाहिये। स्वनिन्दा जीवन को माँजने के लिए है। उससे पापों के प्रति मन में ग्लानि पैदा होती है और साधक यह दृढ़ निश्चय करता है कि जो पाप मैंने असावधानी से किये थे, वे अब भविष्य में नहीं करूँगा। इस प्रकार पापों की निन्दा करने के लिये प्रतिक्रमण के अर्थ में निन्दा शब्द का अवहार हुआ है।

७. गर्हा—निन्दा अपने-आपकी की जाती है, उसके लिए साधी की आवश्यकता नहीं होती और गहरा गुरुजनों के समक्ष की जाती है। गुरुओं के समक्ष नि शल्य होकर अपने पापों को प्रकट कर देना बहुत ही कठिन कार्य है। जिस साधक में आत्मबल नहीं होता, वह गर्हा नहीं कर सकता। गर्हा में पापों के प्रति तीव्र पश्चात्ताप होता है। गर्हा पापरूपी विष को उतारने वाला गारुडी मन्त्र है, जिसके प्रयोग से साधक पाप से मुक्त हो जाता है। इसीलिये गर्हा को प्रतिक्रमण का पर्यायवाची कहा है।

८. शुद्धि—शुद्धि का अर्थ निर्मलता है। जैसे बर्तन पर लगे हुए दाग को खटाई से साफ किया जाता है, सोने पर लगे हुए मैल को तपा कर शुद्ध किया जाता है, ऊनी वस्त्र के मैल को पेट्रोल से साफ किया जाता है, वैसे ही हृदय के मैल को प्रतिक्रमण द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसीलिये उसे शुद्धि कहा है।

आचार्य भद्रबाहु ने साधक को उत्प्रेरित किया है कि वह प्रतिक्रमण में प्रमुख रूप से चार विषयों पर गहराई से अनुचित्तन करे। इस दृष्टि से प्रतिक्रमण के चार भेद बनते हैं।^३

१. अत्यादरात् चरणा पडिचरणा अकार्यपरिहार. कार्यप्रवृत्तिश्च । —आवश्यकचूणि

२. अशुभभाव-नियत्ति नियत्ति । —आवश्यकचूणि

३. पडिसिद्धाणं करणे, किञ्चाणमकरणे पडिक्रमणं ।

असद्दहणे य तहा, विवरीयपरूपणाए अ ॥ —आवश्यकनिर्युक्ति गाया १२६८

१. श्रमण और श्रावक के लिये क्रमशः महाब्रतों और अणुब्रतों का विधान है। उसमें दोष न लगे, इसके लिये सतत सावधानी आवश्यक है। यद्यपि श्रमण और श्रावक सतत सावधान रहता है, तथापि कभी-कभी असावधानीवश अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह में स्खलना हो गई हो तो श्रमण और श्रावक को उसकी शुद्धि हेतु प्रतिक्रमण करना चाहिये।

२. श्रमण और श्रावकों के लिये एक आचारसंहिता आगमसंहित्य में निरूपित है। श्रमण के लिये स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिलेखन आदि अनेक विधान हैं तो श्रावक के लिये भी दैनंदिन साधना का विधान है। यदि उन विधानों की पालना में स्खलना हो जाये तो उस सम्बन्ध में प्रतिक्रमण करना चाहिये। कर्तव्य के प्रति जरा-सी असावधानी भी ठीक नहीं है।

३. आत्मा आदि अमूर्त पदार्थों को प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध करना बहुत कठिन है। वे तो आगम आदि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किये जा सकते हैं। उन अमूर्त तत्त्वों के सम्बन्ध में मन में यह सोचना कि वे हैं या नहीं, यदि इस प्रकार मन में अश्रद्धा उत्पन्न हुई हो तो उसकी शुद्धि के लिये साधक को प्रतिक्रमण करना चाहिये।

४. हिंसा आदि दुष्कृत्य, जिनका महर्पियो ने निषेध किया है, साधक उन दुष्कृत्यों का प्रतिपादन न करे। यदि असावधानीवश कभी प्रतिपादन कर दिया हो तो शुद्धि करे।

अनुयोगद्वारसूत्र में प्रतिक्रमण के दो प्रकार बताये गये हैं—द्रव्यप्रतिक्रमण और भावप्रतिक्रमण। द्रव्य-प्रतिक्रमण में साधक एक स्थान पर अवस्थित होकर बिना उपयोग के यशप्राप्ति की अभिलाषा से प्रतिक्रमण करता है। यह प्रतिक्रमण यत्र की तरह चलता है, उसमें चिन्तन का अभाव होता है। पापों के प्रति मन में ग्लानि नहीं होती। वह पुनः-पुनः उन स्खलनाओं को करता रहता है। वास्तविक दृष्टि से जैसी शुद्धि होनी चाहिये, वह उस प्रतिक्रमण से नहीं हो पाती। भावप्रतिक्रमण वह है, जिसमें साधक के अन्तर्मानिस में पापों के प्रति तीव्र ग्लानि होती है। वह सोचता है, मैंने इस प्रकार स्खलनाएँ क्यों की? वह दृढ़ निश्चय के साथ उपयोगपूर्वक उन पापों की आलोचना करता है। भविष्य में वे दोष पुनः न लगे, इसके लिये दृढ़ सकल्प करता है। इस प्रकार भावप्रतिक्रमण वास्तविक प्रतिक्रमण है। भावप्रतिक्रमण में साधक न स्वयं मिथ्यात्व आदि दुर्भावों में गमन करता है और न दूसरों को गमन करने के लिये उत्प्रेरित करता है और न दुर्भावों में गमन करने का अनुमोदन करता है।^१

साधारणतया यह समझा जाता है कि प्रतिक्रमण अनीतकाल में लगे हुए दोषों की परिशुद्धि के लिए है। पर आचार्य भद्रबाहु^२ ने बताया कि प्रतिक्रमण केवल अनीतकाल में लगे दोषों की ही परिशुद्धि नहीं करता अपितु वह वर्तमान और भविष्य के दोषों की भी शुद्धि करता है। अनीतकाल में लगे हुए दोषों की शुद्धि तो आलोचना प्रतिक्रमण में की ही जाती है, वर्तमान में भी साधक संवर साधना में लगा रहने से पापों से निवृत्त

१. मिच्छत्ताइं ण गच्छावेद् णाणुजाणेऽ।

ज मण-वय-काएहि तं भणिय भावपडिकम्मण ॥

—भावशकनियुक्ति (हा. भ. वृ.)

२. (क) भावश्यकनियुक्ति

(ख) प्रतिक्रमणशब्दो हि अत्राशुभयोगनिवृत्तिमात्रार्थः सामान्यत. परिशुद्धते, तथा च सत्यतीतविषयं प्रतिक्रमणं निन्दाद्वारेण अशुभयोगनिवृत्तिरेवेति, प्रत्युपश्चविषयपि संवरद्वारेण अशुभयोग-निवृत्तिरेव अनागतविषयमपि प्रत्याख्यानद्वारेण अशुभयोगनिवृत्तिरेवेति न दोष इति। — आचार्य हरिभद्र

हो जाता है। साथ ही प्रतिक्रमण में वह प्रत्याख्यान प्रहण करता है, जिससे भावी दोषों से भी बच जाता है। भूतकाल के अशुभ योग से निवृत्ति, वर्तमान में शुभ योग में प्रवृत्ति और भविष्य में भी शुभ योग में प्रवृत्ति करूँगा, इस प्रकार वह संकल्प करता है।

काल की दृष्टि से प्रतिक्रमण के पांच प्रकार भी बताये हैं—१. दैवसिक, २. रात्रिक, ३. पाक्षिक, ४. चातुर्मासिक और ५. सांवत्सरिक।

१. दैवसिक—दिन के अन्त में किया जाने वाला प्रतिक्रमण दैवसिक है।

२. रात्रिक—रात्रि में जो दोष लगे हों—उनकी रात्रि के अन्त में निवृत्ति करना।

३. पाक्षिक—पन्द्रह दिन के अन्त में अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सम्पूर्ण पक्ष में आचरित पापों का विचार कर प्रतिक्रमण करना पाक्षिक प्रतिक्रमण है।

४. चातुर्मासिक—चार माह के पश्चात् कार्तिकी पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा और आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन चार महीने में लगे हुए दोषों की आलोचना कर प्रतिक्रमण करना चातुर्मासिक है।

५. सांवत्सरिक—आषाढ़ी पूर्णिमा के उनपचास या पचासवें दिन वर्ष भर में लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण करना।

यहाँ पर यह सहज जिज्ञासा हो सकती है कि जब साधक प्रतिदिन प्रातः-सायं नियमित प्रतिक्रमण करता है, फिर पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण को क्या आवश्यकता है? समाधान है—प्रतिदिन मकान की सफाई की जाती है तथापि पर्व दिनों में विशेष सफाई की जाती है, वैसे ही प्रतिदिन प्रतिक्रमण में अतिचारों की आलोचना की जाती है, पर पर्व दिनों में विशेष रूप से जागरूक रहकर जीवन का निरीक्षण, परीक्षण और पाप का प्रक्षालन किया जाता है।

स्थानांग^१ से प्रतिक्रमण के छह प्रकार अन्य दृष्टियों से प्रतिपादित हैं। वे इस प्रकार हैं—

१. उच्चारप्रतिक्रमण—विवेकपूर्वक पुरीपत्याग, मल परठ कर आने के समय मार्ग में गमनागमन सम्बन्धी जो दोष लगते हैं, उनका प्रतिक्रमण।

२. प्रस्तवणप्रतिक्रमण—विवेकपूर्वक मूत्र को परठने के पश्चात् ईर्या का प्रतिक्रमण।

३. इत्वरप्रतिक्रमण—दैवसिक, रात्रिक आदि स्वत्पकालीन प्रतिक्रमण करना।

४. यावत्कथिकप्रतिक्रमण महाद्वय आदि जो यावत्काल के लिये ग्रहण किये जाते हैं अर्थात् सम्पूर्ण जीवन के लिये पाप से निवृत्त होने का जो संकल्प किया जाता है, वह यावत्कथिकप्रतिक्रमण है।

५. यत्क्षित्-मिथ्याप्रतिक्रमण—सावधानीपूर्वक जीवनयापन करते हुए भी प्रमाद अथवा असावधानी से किसी भी प्रकार असंयमरूप आचरण हो जाने पर उसी क्षण उस भूल को स्वीकार कर लेना और उसके प्रति पश्चानाप करना।

६. स्वप्नान्तिकप्रतिक्रमण—स्वप्न में कोई विकार-वासना-रूप कुस्वप्न देखने पर उसके सम्बन्ध में पश्चात्तप करना।

१. स्थानाग ६।५।३७

ये जो प्रतिक्रमण के छह प्रकार प्रतिपादित किये गये हैं, इनका मुख्य सम्बन्ध श्रमण की जीवनचर्या से है।

संक्षेप में जिनका प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, उनका संक्षेप में वर्णिकरण इस प्रकार हो सकता है—
२५ मिथ्यात्म, १४ ज्ञानातिचार और अठारह पापस्थानों का प्रतिक्रमण सभी साधकों के लिये आवश्यक है। दूसरी बात पंच महाव्रत, मन, वाणी, शरीर का असंयम; गमन, भाषण, याचना, ग्रहण-निःपेप एवं मल-मूत्र-विसर्जन आदि से सम्बन्धित दोषों का प्रतिक्रमण भी श्रमण साधकों के लिये आवश्यक है। पंच अणुद्रतों, तीन गुणद्रतों और चार शिक्षाद्रतों में लगने वाले अतिचारों का प्रतिक्रमण द्रती श्रावकों के लिये आवश्यक है। जिन साधकों ने संलेखना व्रत ग्रहण कर रखा हो, उनके लिये संलेखना के पांच अतिचारों का प्रतिक्रमण आवश्यक है।

प्रतिक्रमण जैन साधना का प्राणतत्त्व है। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं जिसमें प्रमादवश सखलना न हो सके। चाहे लघुशंका से निवृत्त होते समय, चाहे शौचनिवृत्ति करते समय, चाहे प्रतिलेखना करते समय, चाहे भिक्षा के लिये इधर-उधर जाते समय साधक को उन सखलनाओं के प्रति सतत जागरूक रहना चाहिये। उन सखलनाओं के सम्बन्ध में किञ्चन्‌मात्र भी उपेक्षा न रखकर उन दोषों से निवृत्ति हेतु प्रतिक्रमण करना चाहिये। क्योंकि प्रतिक्रमण जीवन को माजने की एक अपूर्व क्रिया है।

साधक प्रतिक्रमण में अपने जीवन का गहराई से निरीक्षण करता है, उनके मन में, वचन में, काया में एकलृप्ता होती है। साधक साधना करते समय कभी क्रोध, मान, माया, लोभ से साधनाच्युत हो जाता है, उसमें भूल हो जाती है तो वह प्रतिक्रमण के समय अपने जीवन का गहराई से अवलोकन कर एक-एक दोष का परिष्कार करता है। यदि मन में छिपे हुए दोष को लज्जा के कारण प्रकट नहीं कर सका, उन दोषों को भी सद्गुरु के समझ या भगवान् की साक्षी से प्रकट कर देता है। जैसे कुशल चिकित्सक परीक्षण करता है, और शरीर में रही हुई व्याधि को एकस-रे आदि के द्वारा बता देता है, वैसे ही प्रतिक्रमण में साधक प्रत्येक प्रवृत्ति का अवलोकन करते हुए, उन दोषों को व्यक्त कर हल्का बनता है।

प्रतिक्रमण साधक-जीवन की एक अपूर्व क्रिया है। यह वह डायरी है जिसमें साधक अपने दोषों की सूची लिखकर एक-एक दोष से मुक्त होने का उपक्रम करता है। वही कुशल व्यापारी कहलाता है, जो प्रतिदिन साधनकाल देखता है कि आज के दिन मैंने कितना लाभ प्राप्त किया है। जिस व्यापारी को अपनी आमदनी का ज्ञान नहीं है, वह सफल व्यापारी नहीं हो सकता। साधक को देखना चाहिये कि आज के दिन ऐसा कौन सा कर्तव्य था जो मुझे करना चाहिये था, किन्तु प्रमाद के कारण मैं उसे नहीं कर सका? मुझे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिये था। इस प्रकार वह अपनी भूलों का स्मरण करता है। भूलों का स्मरण करने से उसे अपनी सही स्थिति का परिज्ञान हो जाता है। जब तक भूलों का स्मरण नहीं होगा, भूलों को भूल नहीं समझा जाएगा, तब तक उनका परिष्कार हो नहीं सकता। साधक अनेक बार अपनी भूलों को भूल न मानकर उन्हें सही मानता है पर वस्तुतः वह उसकी भूल ही होती है। कितने ही व्यक्ति भूल को भूल समझते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करते। पर जब साधक अन्तर्निरीक्षण करता है तो उसे अपनी भूल का परिज्ञान होता है। कहा जाता है कि सुप्रसिद्ध विचारक फैकलिन ने अपने जीवन को डायरी के माध्यम से सुधारा था। उसके जीवन में अनेक दुर्गुण थे। वह अपने दुर्गुणों को डायरी में लिखा करता था और फिर गहराई से उनका चिन्तन करता था कि इस सप्ताह में मैंने कितनी भूलें की हैं। अगले सप्ताह में इन भूलों की पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। इस प्रकार डायरी के द्वारा उसने जीवन के दुर्गुणों को धीरे-धीरे निकाल दिया था और एक महान् सद्गुणी चिन्तक बन गया था।

प्रतिक्रमण जीवन को सुधारने का श्रेष्ठ उपकरण है, आध्यात्मिक जीवन की भुली है। आत्मदोषों की आलोचना करने से पश्चात्ताप की भावना जागृत होने लगती है और उस पश्चात्ताप की अग्नि में सभी दोष जल कर नष्ट हो जाते हैं। पापाचरण शल्य के सदृश है। यदि उसे बाहर नहीं निकाला गया, मन में ही छिपा कर रखा गया तो उसका विष अन्दर ही अन्दर बढ़ता चला जायेगा और वह विष साधक के जीवन को बर्बाद कर देगा।

मानव की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपने सदृगुणों को तो सदा स्मरण रखता है किन्तु दुर्गुणों को भूल जाता है। साथ ही वह अन्य व्यक्तियों के सदृगुणों को भूलकर उनके दुर्गुणों को स्मरण रखता है। यही कारण है कि वह यदा कदा अपने सदृगुणों की सूची प्रस्तुत करता है और दूसरों के दुर्गुणों की गाथाएं गाता हुआ नहीं अधारता। जब कि साधक को दूसरों के सदृगुण और अपने दुर्गुण देखने चाहिये। प्रतिक्रमण के आठ पर्यायवाची शब्दों में निन्दा और गर्हा शब्द प्रयुक्त हुए हैं। दूसरों की निन्दा से कर्म-बन्धन होता है और स्वनिन्दा से कर्मों की निर्जरा होती है। जब साधक अपने जीवन का निरीक्षण करता है तो उसे अपने जीवन में हजारों दुर्गुण दिखाई देते हैं। उन दुर्गुणों को वह धीर-धीरे निकालने का प्रयास करता है। साधक के जीवन की यह विशेषता है कि वह गुणप्राही होता है। उसकी दृष्टि हस-दृष्टि होती है। वह हस की तरह सदृगुणों के पथ को ग्रहण करता है, मुक्ताओं को चुगता है। वह काक की तरह विष्ठा पर मुँह नहीं रखता।

बौद्धधर्म में प्रवारणा

जैनधर्म में व्यवस्थित रूप से निशान्त और दिवसान्त में जिस प्रकार साधकों के लिये प्रतिक्रमण करने का विधान है, उसी प्रकार पाप से मुक्त होने के विधान अन्य परम्पराओं में भी पाये जाते हैं। बौद्धधर्म में प्रतिक्रमण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है पर उसके स्थान पर प्रतिकर्म, प्रवारणा और पापदेशना प्रभुति शब्दों का प्रयोग हुआ। उदान में तथागत बुद्ध ने कहा—जीवन की निर्मलता एवं दिव्यता के लिये पापदेशना आवश्यक है। पाप के आचरण की आलोचना करने से व्यक्ति पाप के भार से हल्का हो जाता है।^१ खुला हुआ पाप चिपकता नहीं। बौद्धधर्म में प्रवारणा का अत्यधिक महत्त्व रहा है। वर्षावास के पश्चात् भिक्षुसंघ एकत्रित होता और अपने कृत अपराधों / दोषों के सम्बन्ध में गहराई से निरीक्षण करता कि हमारे जीवन में प्रस्तुत वर्षावास में क्या-क्या दोष लगे हैं? यह प्रवारणा है। इसमें दृष्टि, श्रूति, परिशंकित अपराधों का परिमार्जन किया जाता। जिससे परस्पर विनय का अनुमोदन होता।^२ प्रवारणा की विधि इस प्रकार थी—प्रमुख भिक्षु संघ को यह सूचित करता कि आज प्रवारणा है। सर्वप्रथम स्थविर भिक्षु उत्तरासंघ को अपने कंधे पर रखकर कुकुट आसन से बैठता। हाथ जोड़कर संघ से यह निवेदन करता कि मैं दृष्टि, श्रूति, परिशंकित अपराधों की आपके सामने प्रवारणा कर रहा हूँ। संघ मेरे अपराधों को बताये, मैं उनका स्पष्टीकरण करूँगा। वह इस बात को तीन बार दोहराता है। उसके बाद उससे छोटा भिक्षु और फिर क्रमशः सभी भिक्षु दोहराते हैं अपने पापों को। इस प्रकार प्रवारणा से पाक्षिक शुद्धि की जाती है। प्रवारणा चतुर्दशी और पूर्णिमा को की जाती। पहले कम से कम पाच भिक्षु प्रवारणा में आवश्यक माने जाते थे। उसके बाद चार, तीन, दो और अन्त में एक भिक्षु भी प्रवारणा कर सकता है—यह अनुमति दी गई। विशेष स्थिति में प्रवारणा बहुत ही संक्षेप में और अन्य समय में भी की जा सकती थी।

१. उदान ५/५, अनुवादक—जगदीश काश्यप, महाबोधि सभा, सारनाथ

२. अनुजानामि भिक्खवे, वस्स, बृद्धानं, भिक्खूनं तीहि ठानेहि पकारेतु दिट्ठेन वा सुतेन वा परिसंकाय वा।

सा वो भविस्सति अञ्जामञ्जानुलोमता आपत्तिबृद्धानता विनयपुरेक्षा रता।

—महाबग, पृ० १६७

बोधिचर्यावतार^१ नामक ग्रन्थ में आचार्य शान्तिदेव ने लिखा है—रात्रि में तीन बार और दिन में तीन बार त्रिस्कन्ध, पापदेशना-पुण्यानुमोदना और बोधिपरिणामना की आवृत्ति करनी चाहिये, जिससे अनजाने में हुई स्वलनाओं का शमन हो जाता है। आचार्य शान्तिदेव ने ही पापदेशना के प्रकृतिसावद्य और प्रज्ञप्तिसावद्य—ये हो प्रकार बताये हैं। प्रकृतिसावद्य वह है, जो स्वभाव से ही निष्ठनीय है—जैसे हिंसा, असत्य, चोरी आदि और प्रज्ञप्तिसावद्य है—द्रव प्रहण करने के पश्चात् उसका भंग करना—जैसे विकाल भोजन, परिघ्रह आदि। बोधिचर्यावतार में आचार्य शान्तिदेव लिखते हैं—जो भी प्रकृतिसावद्य और प्रज्ञप्तिसावद्य पाप मुझ अबोध मूढ़ ने कमाये हैं, उन सब की देशना दुख से घबराकर मैं प्रभु के सामने हाथ जोड़कर बारम्बार प्रणाम करता हूँ। हे नायको! अपराध को अपराध के रूप में ग्रहण करो। मैं यह पाप फिर नहीं करूँगा। बौद्ध प्रवारणा, जैसा कि हमने पूर्व पंक्तियों में लिखा है, एकाकी नहीं होती। वह तो सघ के साम्राज्य में ही होती है। इस प्रवारणा में जो ज्येष्ठ भिक्षु आचारसंहिता का पाठ करता है और प्रत्येक नियम के पढ़ने के पश्चात् उपस्थित भिक्षुओं से वह इस बात की अपेक्षा करता है कि यदि किसी ने नियम का भंग किया है तो वह संघ के समक्ष उसे प्रकट कर दे। जैन परम्परा में गुरु के समक्ष या गीतार्थ के समक्ष पापों की आलोचना करने का विधान है। पर सघ के समक्ष पाप को प्रकट करने की परम्परा नहीं है। सघ के समक्ष पाप को प्रकट करने से अगीतार्थ व्यक्ति उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। उससे निन्दा की स्थिति भी बन सकती है। इसलिये जैनधर्म ने गीतार्थ के सामने आलोचना का विधान किया। संघ के समक्ष जो प्रवारणा है, उसकी तुलना वर्तमान में प्रचलित सामूहिक प्रतिक्रिया के साथ की जा सकती है।

प्रतिक्रिया और संध्या

वैदिक परम्परा में प्रतिक्रिया की तरह संध्या का विधान है। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जो प्रातः और सायं काल दोनों समय किया जाता है। संध्या का अर्थ है—सम्—उत्तम प्रकार से ध्यै—ध्यान करना। अपने इष्टदेव का भक्ति-भावना से विभोर होकर श्रद्धा के साथ ध्यान करना, चिन्तन करना। संध्या का दूसरा अर्थ है—मिलन/संयोग/सम्बन्ध। उपासना के समय उपासक का परमेश्वर के साथ संयोग या सम्बन्ध होना। तीसरा अर्थ है—रात्रि और दिन की सन्धि-वेला में जो धार्मिक अनुष्ठान किये जाते हैं, वह संध्या है। इस संध्या में विष्णुमन्त्र के द्वारा शरीर पर जल छिटक कर शरीर को पवित्र बनाने का उपक्रम किया जाता है। पृथ्वी माता की स्तुति से अभिमंत्रित कर आसन पर जल छिटक कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद सृष्टि के उत्पत्तिकम पर विचार होता है, किर प्रणायाम का चक्र चलता है। अग्नि, वायु, आदित्य, वृहस्पति, वरुण, इन्द्र और विश्व देवताओं की महिमा और गतिमा गाई गई है। सप्तव्याहृति इन्हीं देवों के लिये होती है। वैदिक महियों ने जल की संस्तुति बहुत ही भावना के साथ की है। उन्होंने कहा—हे जल! आप जीव मात्र के मध्य में विचरते हो, ब्रह्माण्ड रूपी गुहा में सब और आपकी गति है। तुम्हीं यज्ञ हो, वषट्कार हो, अप हो, ज्योति हो, रस हो और अमृत भी तुम्हीं हो।^२ संध्या में तीन बार सूर्य को जल के द्वारा अर्घ्य दिया जाता है। प्रथम अर्घ्य में तीन राक्षसों की सवारी का, दूसरे में राक्षसों के शस्त्रों का और तीसरे में राक्षसों के नाश की कल्पना की जाती है। उसके पश्चात् गायत्रीमन्त्र पढ़ा जाता है। उसमें सूर्य से बुद्धि एवं स्फूर्ति की प्रार्थना की जाती है। इन स्तुतियों में जल छिटकने की भी प्रथा है, जो बाह्याचार पर आधृत है। अन्तर्जंगत

१. बोधिचर्यावतार ५/९८

२. ॐ अन्तर्श्वरसि भूतेषु, गुहायां विश्वतोमुखः।
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार, आपो ज्योतिरसोऽमृतम् ॥

की भावनाओं को स्पर्श कर पाप-मल से आत्मा को मुक्त करने का उपक्रम नहीं है। एक मन्त्र में इस प्रकार के भाव अवश्य ही व्यक्त हुए हैं—

“सूर्य नारायण, यक्षपति और देवताओं से मेरी प्रार्थना है—यक्ष विषयक तथा क्रोध से किये हुए पापों से मेरी रक्षा करें। दिन और रात्रि में मन, वाणी, हाथ, पैर, उदर और शिश्न से जो पाप हुए हों उन पापों को मैं अमृतयोनि सूर्य से होम करता हूँ। इसलिये वह उन पापों को नष्ट करें।”¹

कृष्णजुर्वेद में एक मन्त्र है कि मेरे मन, वाणी और शरीर से जो भी दुराचरण हुआ हो, मैं उसका विसर्जन करता हूँ।²

इस प्रकार वैदिक परम्परा में सध्या के द्वारा आचरित पापों के क्षय के लिये प्रभु से श्रम्भर्थना की जाती है। यह एक दृष्टि से प्रतिक्रमण से ही मिलता-जुलता रूप है।

पारसी धर्म में भी पाप को प्रकट करने का विधान है। खोरदेह अवस्ता पारसी धर्म का मुख्य ग्रन्थ है। उस ग्रन्थ में कहा गया है—मेरे मन में जो बुरे विचार समुत्पन्न हुए हों, वाणी से तुच्छ भाषा का प्रयोग हुआ हो और शरीर से जो अकृत्य किये हों, जो भी मैंने दुष्कृत्य किये हैं, मैं उसके लिये पश्चात्ताप करता हूँ। अहंकार, मृत व्यक्तियों की निन्दा, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, बुरी दृष्टि से निहारना, स्वच्छदता, आलस्य, कानाफूसी, पवित्रता का भंग, मिथ्या साक्ष्य, तस्करवृत्ति, व्यभिचार, जो भी पाप मुझसे ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से हुए हैं, उन दुष्कृत्यों को मैं सरल हृदय से प्रकट करता हूँ। उन सबसे अलग होकर पवित्र होता हूँ।³

ईसाई धर्म के प्रणेता महात्मा यीशु ने पाप को प्रकट करना आवश्यक माना है। पाप को छिपाने से वह बढ़ता है और प्रकट कर देने से वह घट जाता है या नष्ट हो जाता है। इस तरह पाप को प्रकट कर दोषों से मुक्त होने का उपाय जो बताया गया है वह प्रतिक्रमण से मिलता-जुलता है। प्रतिक्रमण जीवनशुद्धि का श्रेष्ठतम प्रकार है। किसी धर्म में उसकी विस्तार से चर्चा है तो किसी में समाप्त से। पर यह सत्य है कि सभी ने उसको आवश्यक माना है।

कायोत्सर्ग

जैन साधनापद्धति में कायोत्सर्ग का भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। कायोत्सर्ग को अनुयोगद्वारसूत्र में व्रणचिकित्सा कहा है। सतत सावधान रहने पर भी प्रमाद आदि के कारण साधना में दोष लग जाते हैं, भूलें हो जाती हैं। भूलों रूपी धावों को ठीक करने के लिये कायोत्सर्ग एक प्रकार का मरहम है। वह अतिचार रूपी धावों को ठीक कर देता है। एक वस्त्र बहुत ही मलीन हो गया है, उसे साफ करना है, वह एक बार में साफ नहीं होगा, उसे बार-बार साबुन लगाकर साफ किया जाता है। उसी प्रकार संयम रूपी वस्त्र पर भी अतिचारों का मैल लग जाता है, भूलों के दाग लग जाते हैं। उन दागों को प्रतिक्रमण के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। प्रतिक्रमण में भी जो दाग नहीं मिटते, उन्हें कायोत्सर्ग के द्वारा हटाया जाता है। कायोत्सर्ग में गहराई से चिन्तन कर उम दोष को नष्ट करने का उपक्रम किया जाता है। कायोत्सर्ग क्यों किया जाता है?

1. ओम् सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युक्तेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्। यद् अहा यद् रात्या पापमकार्यं मनसा वाचा हृताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पु, यत् किञ्चिद् द्वूरितं मयि इदमहमापोऽमृत-योनी सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा।”
2. कृष्णजुर्वेद - दर्शन और चिन्तन : भाग २, पृ० १९२ से उद्धृत।
3. खोरदेह अवस्ता, पृ० ५/२३-२४

उस प्रश्न पर आवश्यकसूत्र में चिन्तन करते हुए लिखा है—संयमी जीवन को अधिकाधिक परिष्कृत करने के लिये, भात्मा को माया, मिथ्यात्व और निदान शल्य से मुक्त करने के लिये, पाप कर्मों के निर्धात के लिये कायोत्सर्ग किया जाता है।^१

कायोत्सर्ग में काय और उत्सर्ग—ये दो शब्द हैं। जिसका तात्पर्य है—काय का त्याग। पर जीवित रहते हुए शरीर का त्याग सम्भव नहीं है। यहाँ पर शारीरत्याग का अर्थ है—शारीरिक चंचलता और देहासक्ति का त्याग। साधक कुछ समय तक संसार के भौतिक पदार्थों से अलग-थलग रहकर आत्मस्वरूप में लीन होता है। कायोत्सर्ग अन्तर्मुखी होने की एक पवित्र साधना है। बहिर्मुखी स्थिति से साधक अन्तर्मुखी स्थिति में पहुंचता है और अनासक्त बनकर राग-द्वेष से ऊपर उठ जाता है। कायोत्सर्ग से शारीरिक भ्रमता कम हो जाती है। शरीर की भ्रमता साधना के लिये सबसे बड़ी बाधा है। कायोत्सर्ग में शरीर की भ्रमता कम होने से साधक शरीर को सजाने-संवारने से हटकर आत्मभाव में लीन रहता है। यही कारण है कि साधक के लिये कायोत्सर्ग दुःखों का अन्त करने वाला बताया गया है। साधक जो भी कार्य करे, उस कार्य के पश्चात् कायोत्सर्ग करने का विधान है, जिससे वह शरीर की भ्रमता से मुक्त हो सके।

षडावश्यक में कायोत्सर्ग को स्वतंत्र स्थान दिया गया है, जो इस भावना को अभिव्यक्त करता है कि प्रत्येक साधक को प्रात् और संध्या के समय यह चिन्तन करना चाहिये कि यह शरीर पृथक् है और मैं पृथक् हूँ। मैं अजर, अमर, अविनाशी हूँ। यह शरीर क्षणभंगुर है। कमल-पत्र पर पड़े हुए ओसविन्दु की तरह यह शरीर कब नष्ट हो जाये, कहा नहीं जा सकता। शरीर के लिये मानव अकार्य भी करता है। शरीर के पोषण हेतु भक्ष्य-भ्रह्मक्षय का भी विवेक नहीं रख पाता। कायोत्सर्ग के द्वारा शरीर की भ्रमता कम की जाती है। कायोत्सर्ग में जब साधक अवस्थित होता है तब डॉस, मच्छरों के व सर्दी-गर्मी के कैसे भी उपसर्ग क्यों न हों, वह शान्त भाव से सहन करता है। वह देह में रहकर भी देहातीत स्थिति में रहता है। आचार्य धर्मदास ने उपदेशमाला ग्रन्थ में लिखा है कि कायोत्सर्ग के समय प्रावरण नहीं रखना चाहिये।

कायोत्सर्ग में साधक चट्टान की तरह पूर्ण रूप से निश्चल, निस्पन्द होता है। जिनमुद्रा में वह शरीर का भ्रमत्व त्याग कर आत्मभाव में रमण करता है। आचार्य भद्रबाहु^२ ने लिखा है—कायोत्सर्ग की स्थिति में साधक को यदि कोई भक्तिभाव से चन्दन लगाये या कोई द्वेषपूर्वक बसूले से शरीर का छेदन करे, चाहे उसका जीवन रहे अथवा मृत्यु का वरण करना पड़े—वह सब स्थितियों में सम रहता है। तभी कायोत्सर्ग विशुद्ध होता है। कायोत्सर्ग के समय देव, मानव और तिर्यञ्च सम्बन्धी सभी प्रकार के उपसर्ग उपस्थित होने पर जो साधक उन्हें समभावपूर्वक सहन करता है, उसी का कायोत्सर्ग वस्तुतः सही कायोत्सर्ग है।^३

आचार्य भद्रबाहु ने कायोत्सर्ग के साधकों के लिये जिन तथ्यों का प्रतिपादन किया है, वे साधक के अन्तर्मानिस में बल का सञ्चार करते हैं और वे दृढ़ता के साथ कायोत्सर्ग में तल्लीन हो जाते हैं किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह मिथ्याग्रह में चक्कर में पड़कर अपने जीवन को होम दे। क्योंकि सभी साधकों की स्थिति

१. तस्य उत्तरीकरणेण पायच्छित्तकरणेण, विसोहीकरणेण, विसल्लीकरणेण, पावाणं कम्माणं निर्घायणटाए ठामि काउस्सग्गाण। — आवश्यकसूत्र

२. आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा १५४८

३. तिविहाणुवस्गगाणं माणुसाण तिरियाण।

सम्महियासणाए काउस्सग्गो हवइ सुद्धो ॥

— आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा १५४९

समान नहीं होती। कुछ साधक विशिष्ट हो सकते हैं, ये कष्टों से बचराते नहीं, शेर की तरह साहसपूर्वक आगे बढ़ते हैं। पर कुछ दुर्बल साधक भी होते हैं, उनके लिये आवश्यक सूत्र में आगारों का निर्देश है। कायोत्सर्ग में खासी, छाँक, डकार, मूर्च्छा प्रभृति विविध शारीरिक व्याधियाँ हो सकती हैं। कभी शरीर में प्रकम्पन आदि भी हो सकता है। तो भी कायोत्सर्ग भंग नहीं होता। किसी समय साधक कायोत्सर्ग में खड़ा है, उस समय मकान की दीवार या छत गिरने की भी स्थिति पैदा हो सकती है। मकान में या जहाँ वह खड़ा है वहाँ पर आग्निकांड भी हो सकता है। तस्कर और राजा आदि के भी उपसर्ग हो सकते हैं। उस समय कायोत्सर्ग से निवृत्त होकर साधक सुरक्षित स्थान पर भी जा सकता है। उसका कायोत्सर्ग भंग नहीं होगा, क्योंकि कायोत्सर्ग का मूल उद्देश्य समाधि है। यदि समाधि भंग होती है तो आर्त और रौद्र ध्यान में परिणत होती है। यह परिणति कायोत्सर्ग को भंग कर देती है। जिस कायोत्सर्ग में समाधि की अभिवृद्धि होती हो, वह कायोत्सर्ग ही हितावह है। किन्तु जिस कार्य को करने से असमाधि की वृद्धि होती हो, आर्त और रौद्र ध्यान बढ़ते हों, वह कायोत्सर्ग के नाम पर किधा गया कायक्लेश है। आचार्य भद्रबाहु ने तो यहाँ तक कहा है कि एक साधक कायोत्सर्ग-मुद्रा में लीन है और यदि किसी दूसरे साधक को सांप आदि ने डस लिया तो ऐसी स्थिति में वह साधक उसी समय कायोत्सर्ग छोड़ कर दंशित साधक की सहायता करे। उस समय कायोत्सर्ग की अपेक्षा सहयोग देना ही श्रेयस्कर है।

कायोत्सर्ग का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि शारीरिक चचलता का त्याग कर वृक्ष की भाँति या पर्वत की तरह या सूखे काष्ठ की तरह साधक निस्पंद खड़ा हो जाये। शरीर से सम्बन्धित निस्पन्दता तो एकेन्द्रिय आदि प्राणियों में भी हो सकती है। पर्वत पर चाहे जितने भी प्रहार करो, वह कब चचल होता है? वह किसी पर रोध भी नहीं करता। उसमें जो स्थैर्य है, वह अविकसित प्राणी का स्थैर्य है किन्तु कायोत्सर्ग में होने वाला स्थैर्य भिन्न प्रकार का है। आचार्य जिनदासगणी महत्तर ने कायोत्सर्ग के दो प्रकार बताये हैं—१. द्रव्य-कायोत्सर्ग और भावकायोत्सर्ग।^१ द्रव्यकायोत्सर्ग में पहले शरीर का निरोध किया जाता है। शारीरिक चंचलता और ममता का परित्याग कर जिन-मुद्रा में स्थिर होना, कायचेष्टा का निस्पन्दन करना, यह काय-कायोत्सर्ग है। इसे द्रव्यकायोत्सर्ग भी कहते हैं। इसके पश्चात् साधक धर्मध्यान और शुक्लध्यान में रमण करता है। मन को पवित्र विचार और संकल्प से बांधता है, जिससे उसको किसी भी प्रकार की शारीरिक वेदना का अनुभव नहीं होता। वह तन में रहकर भी तन से अलग-अलग आत्मभाव में रहता है। यही भावकायोत्सर्ग का भाव है। इस प्रकार का कायोत्सर्ग ही सभी प्रकार के दुःखों को नष्ट करने वाला है।^२

द्रव्य और भाव के भेद को समझने के लिये आचार्यों ने कायोत्सर्ग के चार प्रकार बतलाये हैं—
१. उत्थित-उत्थित २. उत्थित-निविष्ट ३. उपविष्ट-उत्थित ४. उपविष्ट-निविष्ट।

१. उत्थित-उत्थित—इस कायोत्सर्ग-मुद्रा में जब साधक खड़ा होता है तो उसके साथ ही उसके अन्तर्मानस में चेतना भी खड़ी हो जाती है। वह अशुभ ध्यान का परित्याग कर प्रशस्त ध्यान में लीन हो जाता है। वह प्रथम श्रेणी का साधक है। उसका तन भी उत्थित है और मन भी। वह द्रव्य और भाव दोनों ही दृष्टियों से उत्थित है।

१. सो पुण काउस्सगो दव्वतो भावतो य भवति ।

दव्वतो कायचेट्ठा निरोहो, भावतो काउस्सगो भाण ॥

२. काउस्सगं तमो कुज्जा सव्वदुक्खविमोक्षणो ।

—आवश्यकचूणि

—उत्तराध्ययन २६-४२

२. उत्तिथ-निविष्ट कुछ साधक साधना की दृष्टि से श्रांख मूँदकर खड़े हो जाते हैं। वे शारीरिक दृष्टि से तो खड़े दिखाई देते हैं किन्तु मानसिक दृष्टि से उनमें कुछ भी जागृति नहीं होती। उनका मन संसार के विविध पदार्थों में उलझा रहता है। आर्तं और रौद्र ध्यान की धारा में वह अवगाहन करता रहता है। तन से खड़े होने पर भी उनका मन बैठा है। अतः उत्तिथ होकर भी वह साधक निविष्ट हैं।

३. उपविष्ट-उत्तिथ— कभी-कभी शारीरिक अस्वस्थता अथवा वृद्धावस्था के कारण कायोत्सर्ग के लिये साधक खड़ा नहीं हो सकता। वह शारीरिक सुविधा की दृष्टि से पद्मासन आदि सुखासन से बैठकर कायोत्सर्ग करता है। तन की दृष्टि से वह बैठा हुआ है किन्तु मन में तीव्र, शुभ-शुद्धधारा धारा प्रवाहित हो रही होती है, जिसके कारण बैठने पर भी वह मन से उत्थित है। शरीर भले ही बैठा है किन्तु साधक का मन उत्थित है।

४. उपविष्ट-निविष्ट—कोई साधक शारीरिक दृष्टि से समर्थ होने पर भी आलस्य के कारण खड़ा नहीं होता। बैठे-बैठे ही वह कायोत्सर्ग करता है। तन की दृष्टि से वह बैठा हुआ है और भाव की दृष्टि से भी उसमें जागृति नहीं है। उसका मन सातारिक विषय-वासना में या रागद्वेष में फंसा हुआ है। उसका तन और मन दोनों ही बैठे हुए हैं। कायोत्सर्ग के इन चार प्रकारों में प्रथम और तृतीय प्रकार का कायोत्सर्ग ही सही कायोत्सर्ग है। इन कायोत्सर्गों के द्वारा ही साधक साधना के महान् लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

शारीरिक अवस्थिति और मानसिक चिन्तनधारा की दृष्टि से आचार्य भद्रबाहु ने आवश्यकनियुक्ति^१ में कायोत्सर्ग के नौ प्रकार बताये हैं—

शारीरिक स्थिति

१. उत्सृत-उत्सृत
२. उत्मृत
३. उत्सृत-निषण्ण
४. निषण्ण-उत्सृत
५. निषण्ण
६. निषण्ण-निषण्ण
७. निषण्ण-उत्सृत
८. निषण्ण
९. निषण्ण-निषण्ण

- खड़ा
- खड़ा
- खड़ा
- बैठा
- बैठा
- बैठा
- लेटा
- लेटा
- लेटा

मानसिक विचारधारा

- | | |
|--|------------------|
| धर्म-शुक्लध्यान | धर्म-शुक्लध्यान |
| न धर्म-शुक्ल, न आर्द्ध-रौद्र किन्तु चिन्तनशून्य दशा | आर्त-रौद्रध्यान |
| आर्त-रौद्रध्यान | धर्म-शुक्लध्यान |
| न धर्म-शुक्लध्यान, न आर्त-रौद्र किन्तु चिन्तनशून्य दशा | धर्म-शुक्लध्यान |
| आर्त-रौद्रध्यान | धर्म-शुक्लध्यान |
| न धर्म-शुक्ल, न आर्त-रौद्र किन्तु चिन्तनशून्य दशा | आर्त-रौद्र-ध्यान |
| आर्त-रौद्र-ध्यान | |

कायोत्सर्ग खड़े होकर, बैठ कर और लेटकर तीनों अवस्थाओं में किया जा सकता है। खड़ी मुद्रा में कायोत्सर्ग करने की रीति इस प्रकार है— दोनों हाथों को घुटनों की ओर लटका ले, पैरों को सम रेखा में रखें, एड़ियां मिली हों और दोनों पैरों के पंजों में चार अंगुल का अन्तर हो। बैठी मुद्रा में कायोत्सर्ग करने वाला पद्मासन या सुखासन से बैठे। हाथों को या तो घुटनों पर रखे या बायीं हथेली पर दायीं हथेली रखकर उन्हें अक में रखे। लेटी हुई मुद्रा में कायोत्सर्ग करने वाला सिर से लेकर पैर तक के अवयवों को पहले ताने फिर स्थिर करे। हाथ-पैर को सटाये हुए न रखे। इन सभी में अंगों का स्थिर और शिथिल होना आवश्यक है।^२

१. आवश्यकनियुक्ति, गाथा १४५९-६०

२. योगशास्त्र ३, पत्र २५०

खड़े होकर कायोत्सर्ग करने की एक विशेष परम्परा रही है। क्योंकि तीर्थकर प्रायः इसी मुद्रा में कायोत्सर्ग करते हैं। आचार्य अपराजित ने लिखा है कि कायोत्सर्ग करने वाला साधक शरीर से निक्षय होकर खम्भे की तरह खड़ा हो जाय। दोनों बाहुधों को घुटनों की ओर फैला दे। प्रशस्त ध्यान में लीन हो जाये। शरीर को एकदम अकड़ा कर न खड़ा रखे और न एकदम झुकाकर ही। वह सम्मुद्रा में खड़ा रहे। कायोत्सर्ग में कष्टों और परीषहों को सम्भाव से सहन करे। कायोत्सर्ग जिस स्थान पर किया जाए, वह स्थान एकान्त, शान्त और जीव-जन्मुद्धों से रहित हो।^१

द्रव्यकायोत्सर्ग, भावकायोत्सर्ग की ओर बढ़ने का एक उपक्रम है। द्रव्य स्थूल है, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ा जाता है। द्रव्यकायोत्सर्ग में वाह्य वस्तुओं का परित्याग किया जाता है, जैसे—उपधि का त्याग करना, भक्त-पान आदि का त्याग करना, पर भावकायोत्सर्ग में तीन बातें आवश्यक है—कषाय-व्युत्सर्ग, संसार-व्युत्सर्ग और कर्मव्युत्सर्ग।

कषायव्युत्सर्ग में चारों प्रकार के कषायों का परिहार किया जाता है। क्षमा के द्वारा क्रोध को, विनय के द्वारा मान को, सरलता से माया को तथा सन्तोष से लोक को जीता जाता है।

संसारव्युत्सर्ग में संसार का परित्याग किया जाता है। संसार चार प्रकार का है—द्रव्यसंसार, क्षेत्रसंसार और भावसंसार।^२ द्रव्यसंसार चार गति रूप है। क्षेत्रसंसार अधः, ऊर्ध्व और मध्य लोक रूप है। कालसंसार एक समय से लेकर पुद्गलपरावर्तन काल तक है। भावसंसार जीव का विषयासक्ति रूप भाव है, जो संसार-भ्रमण का मूल कारण है। द्रव्य, क्षेत्र, काल संसार का त्याग नहीं किया जा सकता है। आचारांग^३ में कहा है—जो इन्द्रियों के विषय है—वे ही वस्तुतः संसार है और उनमें आसक्त हुआ आत्मा संसार में परिभ्रमण करता है। भ्रगम साहित्य में यत्र-तत्र “संसारकांतारे” शब्द का व्यवहार हुआ है। जिसका अर्थ है— संसार के चार गति रूप किनारे हैं। संसार परिभ्रमण के जो मूल कारण है, उन मूल कारणों का त्याग करना। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग का परित्याग करना ही संसारव्युत्सर्ग है।

अष्ट प्रकार के कर्मों को नष्ट करने के लिये जो कायोत्सर्ग किया जाता है, उसे कर्मव्युत्सर्ग कहते हैं। कायोत्सर्ग के जो विविध प्रकार बताये गये हैं, उनमें शारीरिक दृष्टि से और विचार की दृष्टि से भेद किये गये हैं। प्रयोजन की दृष्टि से कायोत्सर्ग के दो भेद किये गये हैं— चेष्टाकायोत्सर्ग और अभिभवकायोत्सर्ग।^४

चेष्टाकायोत्सर्ग दोषविशुद्धि के लिये किया जाता है। जब श्रमण शौच, भिक्षा आदि कार्यों के लिये बाहर जाता है तथा निद्रा आदि में प्रवृत्ति होती है, उसमें दोष लगने पर उसकी शुद्धि के लिये प्रस्तुत कायोत्सर्ग किया जाता है। अभिभवकायोत्सर्ग दो स्थितियों में किया जाता है—प्रथम दीर्घकाल तक आत्मचिन्तन के लिए

१. तत्र शरीरनिस्पृहः, स्थाणुरिवोर्ध्वकायः। प्रलवितभूजः प्रशस्तध्यानपरिणतोऽनुभ्रमिता नतकायः परीषहानु-पसर्गाश्च सहमान् तिष्ठन्निर्जन्तुके कर्मांपायाभिलाषी विविक्ते देषे।

—मूलाराधना २-११३, विजयोदया पृ. २७८-२७९

२. चउच्चिह्ने संसारे पण्णते, तं जहा—

द्रव्यसंसारे, वेत्तसंसारे कालसंसारे, भावसंसारे।

—स्थानांग ४, १२, ६१

३. जे गुणे मे आवट्टे।

—आचारांग १११५

४. सो उस्सग्गो दुविहो चिट्ठए अभिभवे य नायव्वो।

भिक्षायरियाइ पहमो उवसग्गभिजुं जणे विहश्चो॥

—आवश्यकनियूँक्ति, गाथा १४५२

या आत्मशुद्धि के लिये मन को एकाग्र कर कायोत्सर्ग करना और दूसरा संकट श्राने पर। जैसे—विष्वव, अग्निकांड, दुष्मिका आदि। चेष्टाकायोत्सर्ग का काल उच्छ्रवास पर आधारित है। यह कायोत्सर्ग विभिन्न स्थितियों में ८, २५, २७, ३००, ५०० और १००८ उच्छ्रवास तक किया जाता है। अभिभवकायोत्सर्ग का काल जघन्य अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट एक वर्ष का है। बाहुबलि ने एक वर्ष तक यह कायोत्सर्ग किया था।^१ दोषविशुद्धि के लिये जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह कायोत्सर्ग दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक रूप से पांच प्रकार का है।

षडावश्यक में जो कायोत्सर्ग है, उसमें चतुर्विशतिस्तव का ध्यान किया जाता है। चतुर्विशतिस्तव में सात श्लोक और अट्टाईस चरण हैं।^२ एक उच्छ्रवास में एक चरण का ध्यान किया जाता है। एक चतुर्विशतिस्तव का ध्यान पञ्चीस उच्छ्रवासों में सम्पन्न होता है। प्रथम श्वास लेते समय मन में 'लोगस्स उज्ज्वोयगरे' कहा जायेगा और सांस को छोड़ते समय 'धम्मतित्थयरे जिणे' कहा जायेगा। द्वितीय सांस लेते समय 'अरिहृते कित्तइस्स' और छोड़ते समय 'चउबीसं पि केबली' कहा जायेगा। इस प्रकार चतुर्विशतिस्तव का कायोत्सर्ग होता है।

प्रवचनसारोद्धार^३ में और विजयोदयावृत्ति^४ में कायोत्सर्ग का ध्येय, परिमाण और कालमान इस प्रकार दिया गया है—

प्रवचनसारोद्धार

चतुर्विशतिस्तव	श्लोक	चरण	उच्छ्रवास
१. दैवसिक	४	२५	१००
२. रात्रिक	२	१२६	५०
३. पाक्षिक	१२	७५	३००
४. चातुर्मासिक	२०	१२५	५००
५. सांवत्सरिक	४०	२५२	१००८

१. (क) तत्रचेष्टाकायोत्सर्गोऽष्ट-पंचविशति-सप्तविशति त्रिशतपञ्चशतग्रन्थोत्तरसहस्रोच्छ्रवासान् यावद् भवति। अभिभव-कायोत्सर्गस्तु मुहूर्तादारभ्य संवत्सरं यावद् बाहुबलिरिव भवति। योगशास्त्र ३, पत्र २५०
(ख) अन्तमुहूर्तः कायोत्सर्गस्य जघन्यः कालः वर्षमुल्कृष्टः। —मूलाराधना २, ११६, विजयोदयावृत्ति
२. योगशास्त्र, ३
३. चत्तारि दो दुवालस, वीस चत्ता य हुंति उज्जोया।
देवसिय राय पवित्रय, चाउम्मासे य वरिसे य ॥
पणवीस अद्वतेरस, सलोग पन्नतरी य बोद्धव्या ।
सप्तमेण पणवीसं, वे बावण्णा य बरिसंमि ॥
सायं सयं गोसद्ध तिनेव सया हवेति पक्खम्भि ।
पंच य चाउम्मासे, वरिसे अट्ठोत्तर सहस्रा ॥
४. सायाह्ने उच्छ्रवासशतकं प्रत्यूषसि पंचाशत, पक्षे त्रिशतानि।
चतुर्षु मासेसु चतुःशतानि, पंचशतानि संवत्सरे उच्छ्रवासानाम् ॥
ग्रन्थौ प्रतिक्रमे योगभक्ती तौ द्वावुदाहृतौ।

—मूलाराधना-विजयोदयावृत्ति, १, ११६

विज्ञोदया

चतुर्विशतिसत्तव	स्त्रीक	चरण	उच्छ्वास
१. दैवसिक	४	२५	१००
२. रात्रिक	२	१२२	५०
३. पाक्षिक	१२	७५	३००
४. चातुर्मासिक	१६	१००	४००
५. सांवत्सरिक	२०	१२५	५००

प्रबन्धनसारोद्धार और विज्योदयावृत्ति में जो उच्छ्वास संख्या कायोत्सर्ग की दी गई है, उसमें एक-रूपता नहीं है। यह ऊपर की पंक्तियों में जो चार्ट दिया गया है, उससे सहज जाना जा सकता है।

दिग्म्बर परम्परा के आचार्य अभितगति^१ ने यह विधान किया है—दैवसिक कायोत्सर्ग में १०८ और रात्रि के कायोत्सर्ग में ५४ उच्छ्वासों का ध्यान करना चाहिये और अन्य कायोत्सर्ग में २७ उच्छ्वासों का ध्यान करना चाहिये। २७ उच्छ्वासों में नमस्कार मन्त्र की नौ आवृत्तियां हो जाती हैं, क्योंकि ३ उच्छ्वासों में एक नमस्कार महामंत्र पर ध्यान किया जाता है। ‘नमो अरिहताणं, नमो सिद्धाणं’ एक उच्छ्वास में, ‘नमो श्रायिरियाणं, नमो उवज्ज्वलायाणं’ दूसरे उच्छ्वास में तथा ‘नमो लोए सञ्चासाहूणं’ तीसरे उच्छ्वास में—इस प्रकार ३ उच्छ्वासों में एक नमस्कार महामन्त्र का ध्यान पूर्ण होता है। आचार्य अभितगति का अधिमत है कि श्रमण को दिन और रात में कुल अट्टाइस बार कायोत्सर्ग करना चाहिये।^२ स्वाध्यायकाल में १२ बार, बन्दनकाल में ६ बार, प्रतिक्रमणकाल में ८ बार, योगभक्ति काल में २ बार—इस प्रकार कुल अट्टाइस बार कायोत्सर्ग करना चाहिये। आचार्य अपराजित का मन्तव्य है कि पंच महाव्रत सम्बन्धी अतिक्रमण होने पर १०८ उच्छ्वासों का कायोत्सर्ग करना चाहिये। कायोत्सर्ग करते समय मन की चंचलता से या उच्छ्वासों की सख्त्या की परिणना में सदैह समुत्पन्न हो जाये तो आठ उच्छ्वासों का और अधिक कायोत्सर्ग करना चाहिये।^३

श्वेताम्बर और दिग्म्बर दोनों ही परम्पराओं के साहित्य के पर्यवेक्षण करने पर यह स्पष्ट है कि अतीत काल में श्रमण साधकों के लिये कायोत्सर्ग का विधान विशेष रूप से रहा है। उत्तराध्ययन^४ के श्रमण समाचारी अध्ययन में और दशवैकालिक चूलिका^५ में श्रमण को पुनः-पुनः कायोत्सर्ग करने वाला बताया है। कायोत्सर्ग

१. अष्टोत्तरशतोच्छ्वासः कायोत्सर्गः प्रतिक्रमे ।

सान्ध्ये प्राभातिक वार्षमन्यस्तत् सप्तविंशतिः ॥

सप्तविंशतिहच्छ्वासाः संसारोन्मूलनक्षमे ।

सन्ति पंचनमस्कारे नवघा चिन्तिते सति ॥

२. अष्टविंशति सञ्चायानाः कायोत्सर्ग भता जिनैः ।

अहोरात्रगताः सर्व षडावश्यकारिणाम् ॥

स्वाध्याये द्वादश प्राज्ञैः बन्दनाया षडीरिताः ।

अष्टौ प्रतिक्रमे योगभक्तौ तौ द्वावृद्धाहौ ॥

३. मूलाराधना २, ११६ विज्योदया वृत्ति

४. उत्तराध्ययन २६, ३९-५१

५. अभिक्रमणं काउस्सगकारी ।

—अभितगति श्रावकाचार द, ६८-६९

—अभितगति श्रावकाचार द, ६६-६७

—दशवैकालिक चूलिका २-७

में मानसिक एकाग्रता मर्वप्रथम आवश्यक है। कायोत्सर्ग अनेक प्रयोजनों से किया जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ का उपशमन कायोत्सर्ग का मुख्य प्रयोजन है।^१ अमंगल, विघ्न और बाधा के परिहार के लिये भी कायोत्सर्ग का विधान प्राप्त होता है। किसी शुभ कार्य के प्रारम्भ में, यात्रा में, यदि किसी प्रकार का उपसर्ग, बाधा या अपशकुन हो जाये तो आठ श्वास-प्रश्वास का कायोत्सर्ग करना चाहिये। उस कायोत्सर्ग में नमस्कार महामन्त्र का चिन्तन करना चाहिये। द्वितीय बार पुनः बाधा उपस्थित हो जाये तो सोलह श्वास-प्रश्वास का कायोत्सर्ग कर दो बार नमस्कार महामन्त्र का चिन्तन करना चाहिये। यदि तृतीय बार भी बाधा उपस्थित हो तो ३२ श्वास-प्रश्वास का कायोत्सर्ग कर चार बार नमस्कार महामन्त्र का चिन्तन करना चाहिये। चतुर्थ बार भी यदि बाधा उपस्थित हो तो विघ्न अवश्य ही आने वाला है, ऐसा समझकर शुभ कार्य या विहार यात्रा को प्रारम्भ नहीं करना चाहिये।^२ कायोत्सर्ग की प्रक्रिया कष्टप्रद नहीं है। कायोत्सर्ग से शरीर को पूर्ण विश्वान्ति प्राप्त होती है और मन में अपूर्व शान्ति का अनुभव होता है। इसीलिये कायोत्सर्ग लम्बे समय तक किया जा सकता है। कायोत्सर्ग में मन को श्वास में केन्द्रित किया जाता है, एतदर्थं उसका कालमान श्वास गिनती से भी किया जाता है।

कायोत्सर्ग का प्रधान उद्देश्य है आत्मा का सान्निध्य प्राप्त करना और सहज गुण है मानसिक सन्तुलन बनाये रखना। मानसिक सन्तुलन बनाए रखने से बुद्धि निर्मल होती है और शरीर पूर्ण स्वस्थ होता है। आचार्य भद्रबाहु ने कायोत्सर्ग के अनेक फल बताए हैं—१. देहजाड्यबुद्धि—श्लेष्म आदि के द्वारा देह में जड़ता आती है। कायोत्सर्ग से श्लेष्म आदि के दोष नष्ट हो जाते हैं। इसीलिये उनसे उत्पन्न होने वाली जड़ता भी समाप्त हो जाती है।

२. मतिजाड्यबुद्धि—कायोत्सर्ग में मन की प्रवृत्ति केन्द्रित हो जाती है, उससे चित्त एकाग्र होता है। बौद्धिक जड़ता समाप्त होकर उसमें तीक्ष्णता आती है।

३. मुख-दुःखतिक्षा—कायोत्सर्ग से सुख-दुःख को सहन करने की अपूर्व क्षमता प्राप्त होती है।

४. अनुप्रेक्षा—कायोत्सर्ग में अवस्थित व्यक्ति अनुप्रेक्षा या भावना का स्थिरतापूर्वक अभ्यास करता है।

५. ध्यान—कायोत्सर्ग से शुभध्यान का सहज अभ्यास हो जाता है।^३

कायोत्सर्ग में शारीरिक चंचलता के विसर्जन के साथ ही शारीरिक ममत्व का भी विसर्जन होता है, जिससे शरीर और मन में तनाव उत्पन्न नहीं होता। शारीरशास्त्रियों का मानना है कि तनाव से अनेक शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ समुत्पन्न होती हैं। उदाहरणार्थ शारीरिक प्रवृत्ति से—

१. कायोत्सर्गशतक, गाथा ८

२. सञ्चेसु खलियादिसु भाएजभा पञ्च मंगलं ।

दो सिलोरे व चितेऽज्जा एगगो वावि तक्खण ॥

बिहूयं पुण खलियादिसु, उत्सासा होति तह य मोलम य ।

तद्यमिम उ बनीसा, चउत्थमिम न गच्छए अण्णं ॥

—व्यवहारभाष्य पीठिका, गाथा ११८, ११९

३ (क) देहमइजड्डसुदी, सुहदुक्खतिक्षया अणुप्पेहा ।

भाइय य सुहं झाणं, एगगो काउसगम्मि ॥

—कायोत्सर्गशतक, गाथा १३

(ख) मणसो एगगतं जणयइ, देहस्स हणइ जड़डतं ।

काउसगग्नुणा खलु, मुहदुहमजभत्थया चेव ॥

—व्यवहारभाष्य पीठिका, गा. १२५

(ग) प्रपत्नविशेषतः परमलाघवसंभवात् ।

—वही, वृत्ति

१. स्नायु में शर्करा कम हो जाती है।
२. लैकिटक एसिड स्नायु में एकत्रित होती है।
३. लैकिटक एसिड की अभिवृद्धि होने पर शरीर में उण्ठता बढ़ जाती है।
४. स्नायुतंत्र में थकान का अनुभव होता है।
५. रक्त में प्राणवायु की मात्रा न्यून हो जाती है। किन्तु कायोत्सर्ग से—

१. एसिड पुनः शर्करा में परिवर्तित हो जाता है।
२. लैकिटक एसिड का स्नायुओं में जमाव न्यून हो जाता है।
३. लैकिटक एसिड की न्यूनता से शारीरिक उण्ठता न्यून होती है।
४. स्नायुतंत्र में अभिनव ताजगी आती है।
५. रक्त में प्राणवायु की मात्रा बढ़ जाती है।

इस प्रकार स्वास्थ्यदृष्टि से कायोत्सर्ग का अत्यधिक महत्व है। मन, मस्तिष्क और शरीर का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। जब इन तीनों में सामंजस्य नहीं होता तब स्नायविक तनाव समुत्पन्न होते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तब तन और मन में सन्तुलन रहना चाहिये। जब सन्तुलन नहीं रहता तब स्नायविक तनाव बढ़ जाता है। तन श्रलग कार्य कर रहा है और मन श्रलग स्थान पर भटक रहा है तो स्नायविक तनाव हो जाता है। कायोत्सर्ग इस स्नायविक तनाव को दूर करने का एक सुन्दर उपाय है।

कायोत्सर्ग में सर्वप्रथम शिथिलीकरण की आवश्यकता है। यदि बैठे-बैठे ही साधक कायोत्सर्ग करना चाहता है तो वह सुखासन या पचासन से बैठे। फिर रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा करे, उसमें झुकाव और तनाव न हो। अंगोपाग शिथिल और सीधे सरल रहें। उसके पश्चात् दीर्घ श्वास ले। बिना कष्ट के जितना लम्बा श्वास ले सके उतना लम्बा करने का प्रयास करे। इससे शरीर और मन इन दोनों के शिथिलीकरण में बहुत सहयोग मिलेगा। आठ-दस बार दीर्घ श्वास लेने के पश्चात् वह ऋग सहज हो जायेगा। स्थिर बैठने से अपने आप ही कुछ-कुछ शिथिलीकरण हो सकता है और उसके पश्चात् जिस अग को शिथिल करना हो उसमें मन को केन्द्रित करे। जैसे सर्वप्रथम गर्दन, कन्धा, सीना, पेट, दायें बायें पृष्ठ भाग, भुजाएं, हाथ, हथेली, अंगुली कटि, पैर आदि सभी की मांसपेशियों को शिथिल किया जाता है।

इस प्रकार शारीरिक अवयव व मांसपेशियों के शिथिल हो जाने से स्थूल शरीर से सम्बन्ध विच्छेद होकर सूक्ष्म शरीर से—तैजस और कार्मण से सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। तैजस शरीर से दीप्ति प्राप्त होती है। कार्मण शरीर के साथ सम्बन्ध स्थापित कर भेद-विज्ञान का अभ्यास किया जाता है। इस तरह शरीर-आत्मक्य की जो आन्ति है, वह भेदविज्ञान में मिट जाती है। शरीर एक वर्तन के सदृश है। उसमें श्वास, इन्द्रिय, मन और मस्तिष्क जैसी अनेक शक्तियां रही हुई हैं। उन शक्तियों से परिचित होने का सरल भार्ग कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग के श्वास सूक्ष्म होता है। शरीर और मन के बीच में श्वास है। श्वास के पांच प्रकार बताये गये हैं—१. सहज श्वास, २. शान्त श्वास, ३. उखड़ी श्वास, ४. विक्षिप्त श्वास और ५. तेज श्वास।

साधक पहले अभ्यास में गहरा और लम्बा श्वास लेता है। दूसरे अभ्यासक्रम में लयबद्ध श्वास का अभ्यास किया जाता है। तृतीय ऋग में सूक्ष्म, शान्त और जमे हुए श्वास का अभ्यास किया जाता है। चतुर्थ अभ्यासक्रम में सहज कुम्भक की स्थिति होती है। इस स्थिति का निर्माण प्राणायाम, प्रलम्ब जाप और ध्यान से किया जाता है। प्राणायाम का सीधा प्रभाव शरीर पर गिरता है किन्तु मनोग्रन्थि पर चोट करने के लिये मन

का संकल्पबद्ध होना आवश्यक है। कितने ही जैनाचार्यों ने दीर्घ श्वास को उपयोगी माना है किन्तु तेज़ श्वास को नहीं। उनका मन्तव्य है कि तीव्र श्वास की ओट से शरीर और मन अत्यधिक थकान के कारण शिथिल हो जाते हैं, जेतना के प्रति सावधानता की स्थिति नहीं होती। उस अवस्था में मूच्छर्षा और थकान के कारण आने वाली तन्द्रा रूप शून्यता से अपने-आप को बचाना भी बिठन हो जाता है। इसलिये श्वास को उखाड़ना नहीं चाहिये। उसे लम्बा और गहरा करना चाहिये। जितना श्वास धीमा होता है, शरीर में उतनी ही क्रियाशीलता न्यून हो जाती है। श्वास की सूक्ष्मता ही शान्ति है। प्रारम्भ में ऊर्जा का विस्तार और तया उत्पादन नहीं होता। केवल ऊर्जा का संरक्षण होता है और कुछ दिनों के पश्चात् वह संचित ऊर्जा मन को एक दिशागामी बनाकर उसे ध्येय में लगाती है। श्वास की मंदिता से शरीर भी निष्क्रिय हो जाता है, प्राण शान्त हो जाते हैं। मन निर्विचार हो और अन्तर्मनिस में तीव्रतम वैराग्य उद्बुद्ध हो जाता है। ज्यों-ज्यों श्वास चंचल होता है, त्यों-त्यों मन भी चंचल होता है। श्वास के स्थिर होने पर मन की चंचलता भी नष्ट हो जाती है।¹ श्वास शरीर में रहा हुआ यंत्र है जिसके अधिक सक्रिय होने पर शरीरकेन्द्रों में उथल-पुथल मच जाती है और सामान्य होते ही उसमें एक प्रकार की शान्ति व्याप्त हो जाती है। श्वास की निष्क्रियता ही मन की शान्ति और समाधि है। जब हमें क्रोध आता है उस समय हमारी सांस की गति तीव्र हो जाती है पर ध्यान में श्वासगति शान्त होने से उसमें मन की स्थिरता होती है।

कायोत्सर्ग की योग्यता प्रतिक्रमण के पश्चात् आती है। प्रतिक्रमण में पापों की आलोचना हो जाने से चित्त पूर्ण रूप से निर्मल बन जाता है, जिससे धर्मध्यान और शुक्लध्यान में साधक एकाग्रता प्राप्त कर सकता है। यदि साधक बिना चित्तशुद्धि किये ही कायोत्सर्ग करता है तो उसे उतनी सफलता प्राप्त नहीं होती। एतदर्थं ही षडावश्यक में प्रतिक्रमण के पश्चात् कायोत्सर्ग का विधान किया है।

कायोत्सर्ग को सही रूप से सम्पन्न करने के लिये यह आवश्यक है कि कायोत्सर्ग के दोषों से बचा जाये। प्रवचनसारोद्वार प्रभृति ग्रन्थों में कायोत्सर्ग के १९ दोष वर्णित हैं—१. घोटक दोष २. लता दोष ३. स्तंभकुड्य दोष ४. माल दोष ५. शबरी दोष ६. वधु दोष ७. निगड़ दोष ८. लम्बोत्तर दोष ९. स्तन दोष १०. उद्धिका दोष ११. संयती दोष १२. खलीन दोष १३. वायस दोष १४. कपित्य दोष १५. शीर्षोत्कम्पित दोष १६. मूक दोष १७. अंगुलिका भ्रू दोष १८. वारुणी दोष और १९. प्रजा दोष।

इन दोषों का मुख्य सम्बन्ध शरीर से तथा बैठने और खड़े रहने के आसन आदि से है। अतः साधक को इन दोषों से मुक्त होकर कायोत्सर्ग की साधना करनी चाहिये।

जैसे जैनधर्म में कायोत्सर्ग का विधान है, उस पर अत्यधिक बल दिया है, वैसे ही न्यूनाधिक रूप में वह अन्य धार्मिक परम्पराओं में भी मान्य रहा है। बोधिचर्यावितार² ग्रन्थ में आचार्य शान्तिरक्षित ने लिखा है—सभी देहधारियों को जिस प्रकार सुख हो, वैसे ही यह शरीर मैंने न्यौद्धावर कर दिया है। वे चाहे इसकी हत्या करें, निन्दा करें या इस पर धूल फैकें, चाहे खेलें, चाहे हँसें, चाहे बिलास करें। मुझे इसकी क्या चिन्ता? क्योंकि मैंने शरीर उन्हें ही दे डाला है। इस प्रकार वे देह-व्युत्सर्जन की बात करते हैं। कायोत्सर्ग ध्यानसाधना

१. चले बाते चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत्।

निष्फलं तं विजानीयात् श्वासो यत्र लयं गतः ॥

२. बोधिचर्यावितार ३। १२-१३

का ही एक प्रकार है। तथागत बुद्ध ने ध्यानसाधना पर बल दिया। ध्यानसाधना बौद्ध परम्परा में अतीत का से चली आ रही है। विषयना आदि में भी देह के प्रति ममत्व हटाने का उपक्रम है।

प्रत्याख्यान

छठे आवश्यक का नाम प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान का अर्थ है—स्थाग करना।^१ प्रत्याख्यान शब्द की रचना प्रति = आ = आख्यान, इन तीनों शब्दों के संयोग से होती है। अविरति और असंयम के प्रतिकूल रूप में मर्यादा के साथ प्रतिज्ञा ग्रहण करना प्रत्याख्यान है।^२ दूसरे शब्दों में कहे तो आत्मस्वरूप के प्राप्तभिव्याप्त रूप से, जिससे अनाशंसा गुण समुत्पन्न हो, इस प्रकार का आख्यान अर्थात् कथन करना प्रत्याख्या है। और भी अधिक स्पष्ट शब्दों में कहें तो भविष्यकाल के प्रति आ—मर्यादा के साथ अशुभ योग से निवृत्ति और शुभ योग में प्रवृत्ति का आख्यान करना प्रत्याख्यान है।

इस विराट् विश्व में इतने अधिक पदार्थ हैं, जिनकी परिगणना करना सम्भव नहीं और उन सबस्तुओं को एक ही व्यक्ति भोगे, यह भी कभी सम्भव नहीं। चाहे कितनी भी लम्बी उम्र क्यों न हो, तथापि ए मानव संसार की सभी वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकता। मानव की इच्छाएं असीम हैं। वह सभी वस्तुओं के पाना चाहता है। चक्रवर्ती सप्ताह को सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाए तो भी उसकी इच्छाओं का अन्त नहीं असकता। इच्छाएं दिन द्वन्द्वी और रात चौगुनी बढ़ती रहती हैं। इच्छाओं के कारण मानव के अन्तर्मानिसः सदा अशान्ति बनी रहती है। उस अशान्ति को नष्ट करने का एकमात्र उपाय प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान में साध्य अशान्ति का मूल कारण आसक्ति और तृष्णा को नष्ट करता है। जब तक आसक्ति बनी रहती है तब तक शान्ति उपलब्ध नहीं हो सकती। सामायिक, चतुर्विंशतिसत्त्व, बन्दन, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग के द्वारा आत्मशुद्धि की जाती है किन्तु पुनः आसक्ति रूपी तस्करराज अन्तर्मानिस में प्रविष्ट न हो, उसके लिये प्रत्याख्यान अत्यन्त आवश्यक है एक बार वस्त्र को स्वच्छ बना दिया गया, वह पुनः मलिन न हो, इसके लिये उस वस्त्र को कपाट में रखते हैं, इस तरह मन में मलिनता न आये, इसलिये प्रत्याख्यान किया जाता है। अनुयोगदार में प्रत्याख्यान का एक नाम ‘गुणधारण’ दिया गया है। गुणधारण से तात्पर्य है—ब्रत रूपी गुणों को धारण करना। मन, वचन और काया व योगों को रोककर शुभ योगों में प्रवृत्ति को केन्द्रित किया जाता है। शुभ योगों में केन्द्रित करने से इच्छाओं का निरुद्धन होता है। तृष्णाएं शान्त हो जाती हैं। अनेक सद्गुणों की उपलब्धि होती है। एतदर्थे ही आचार्य भद्रबाहुः कहा—प्रत्याख्यान से संयम होता है। संयम से आश्रव का निरुद्धन होता है और आश्रव के निरुद्धन से तृष्णा का अन्त हो जाता है।^३ तृष्णा के अन्त से अनुपम उपशमभाव समुत्पन्न होता है और उससे प्रत्याख्यान विशुद्ध बनता है।^४ उपशमभाव की विशुद्धि से चारित्रधर्मे प्रकट होता है। चारित्र से कर्म निजीर्ण होते हैं। उससे

१. प्रवृत्तिप्रतिकूलतया आ-मर्यादया ख्यानं—प्रत्याख्यानम्।

—योगशास्त्रवृत्ति

२. अविरतिस्वरूपप्रभृति प्रतिकूलतया आ-मर्यादया आकारकरणस्वरूपया आख्यानं—कथनं प्रत्याख्यानम्।

—प्रवचनसारोद्धारवृत्ति

३. पञ्चक्खार्णमि कए, आसवदाराइं हुति पिहियाइं।

आसवदुच्छेऽपां तण्हा-वुच्छेयणं होइ ॥ —आवश्यकनिर्युक्ति १५९४

४. तण्हा-वोच्छेदेण उ, अउलोवसमो भवे मणुस्साणं।

अउलोवसमेण पुणो, पञ्चक्खाणं हवइ सुद्दं ॥ —आवश्यकनिर्युक्ति, १५९५

केवलज्ञान, केवलदर्शन का विषय आलोक जगमगाने लगता है और शाश्वत मुक्ति रूपी सुख प्राप्त होता है।^१

प्रत्याख्यान के मुख्य दो भेद हैं—१. मूलगुण-प्रत्याख्यान और २. उत्तरगुण-प्रत्याख्यान। मूलगुण-प्रत्याख्यान यावज्जीवन के लिये ग्रहण किया जाता है। मूलगुणप्रत्याख्यान के भी दो भेद हैं—१. सर्वमूलगुण-प्रत्याख्यान और २. देशमूलगुणप्रत्याख्यान। सर्वमूलगुणप्रत्याख्यान में श्रमण के पांच महाव्रत आते हैं और देशमूलगुणप्रत्याख्यान में श्रमणोपासक के पांच अणुव्रत आते हैं। उत्तरगुणप्रत्याख्यान प्रतिदिन ग्रहण किया जाता है या कुछ दिनों के लिये। उत्तरगुणप्रत्याख्यान के भी देश उत्तरगुणप्रत्याख्यान और सर्व उत्तरगुणप्रत्याख्यान ये दो भेद हैं। गृहस्थों के लिये तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, ये सात उत्तरगुणप्रत्याख्यान हैं। श्रमणों और श्रमणोपासक दोनों के लिये दस प्रकार के प्रत्याख्यान हैं। भगवतीसूत्र,^२ स्थानांगवृत्ति,^३ आवश्यक-नियुक्ति^४ और मूलाचार^५ में दस प्रत्याख्यानों का वर्णन है। जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है—

१. ग्रनागत—पर्युषण आदि पर्व में जो तप करना चाहिये, वह तप पहले कर लेना जिससे कि पूर्व के समय वृद्ध, रुग्ण, तपस्वी, आदि की सेवा सहज रूप से की जा सके। मूलाचार के टीकाकार बसुनन्दी ने लिखा है—चतुर्दशी को किया जाने वाला उपवास प्रतिपदा को करना।

२. अतिक्रान्त—जो तप पर्व के दिनों में करना चाहिये, वह तप पर्व के दिनों में सेवा आदि का प्रसंग उपस्थित होने से न कर सके तो उसे बाद में अपर्व के दिनों में करना चाहिये। बसुनन्दी के अनुसार चतुर्दशी को किया जाने वाला उपवास प्रतिपदा को करना।

३. कोटिसहित—जो पूर्व तप चल रहा हो, उस तप को बिना पूर्ण किये ही अगला तप प्रारम्भ कर देना। जैसे—उपवास का पारणा किये बिना ही अगला तप प्रारम्भ करना। आचार्य अभयदेव ने भी स्थानांग-वृत्ति में यही अर्थ किया है। आचार्य बट्टकेर ने मूलाचार में कोटि सहित प्रत्याख्यान का अर्थ लिखा है कि शक्ति की अपेक्षा उपवास आदि करने का संकल्प करना। बसुनन्दी के अनुसार यह संकल्प समन्वित प्रत्याख्यान है। जैसे—अगले दिन स्वाध्याय बेला पूर्ण होने पर यदि शक्ति रही तो मैं उपवास करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा।

४. नियन्त्रित—जिस दिन प्रत्याख्यान करने का विचार हो उस दिन रोग आदि विशेष बाधाएं उपस्थित हो जायें तो भी उन बाधाओं की परवाह किये बिना जो मन में प्रत्याख्यान धारण किया है, वह प्रत्याख्यान कर लेना। मूलाचार में इसका नाम विखण्डित है, पर दोनों में अर्थभेद नहीं है। प्रस्तुत प्रत्याख्यान चतुर्दश पूर्वधारी जिनकल्पी श्रमण, दश पूर्वधारी श्रमण के लिये है, क्योंकि उनका संकल्पबल इतना सुदृढ़ होता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उनको निश्चय से विचलित नहीं कर सकती। जम्बूस्वामी के निर्वाण के पश्चात् जिनकल्प का विच्छेद हो गया है, इसलिये यह प्रत्याख्यान भी वर्तमान में नहीं है।

१. तत्त्व चरितधर्मो, कम्मविवेगो तथो अपुव्वं तु।

तत्त्वो केवलनाणं, तथो य मुक्त्वो सयासुक्ष्मो ॥

—आवश्यकनियुक्ति, १५९६

१. भगवतीसूत्र ७।२

२. स्थानांगवृत्ति पत्र ४७२-४७३

३. आवश्यकनियुक्ति, अध्ययन ६

४. मूलाचार, षट्मावश्यक ध्यानिकार, गाथा १४०-१४१

५. साकार—प्रत्याख्यान करते समय साधक मन में विशेष आकार की कल्पना करता है—यदि इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होगी तो मैं इसका त्याग करता हूँ। दूसरे शब्दों में यूँ कहा जा सकता है कि मन में अपवाद की कल्पना करके जो त्याग किया जाता है, वह साकार प्रत्याख्यान है।

६. निराकार—यह प्रत्याख्यान किसी प्रकार का अपवाद रखे बिना किया जाता है। इस प्रत्याख्यान में दृढ़ भनोबत की आपेक्षा होती है। आचार्य अभ्यदेव ने पांचवें, छठे प्रत्याख्यान के सम्बन्ध में लिखा है कि साकार प्रत्याख्यान में सभी प्रकार के अपवाद व्यवहार में लाये जा सकते हैं—पर अनाकार प्रत्याख्यान में महत्तर की आज्ञा आदि अपवाद भी व्यवहार में नहीं लाये जा सकते, तथापि अनाभोग और सहसाकार की छूट इनमें भी रहती है। वसुनन्दी ने आकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अमुक नक्षत्र में अमुक तपस्या करती है। नक्षत्र आदि का विचार किये बिना स्वेच्छा से उपवास आदि करना अनाकार प्रत्याख्यान है।

७. परिमाणद्रवत—श्रमण भिक्षा के लिये जाते समय या आहार ग्रहण करते समय यह प्रतिज्ञा ग्रहण करता है कि मैं आज इतना ही ग्रास ग्रहण करूँगा। अथवा भोजन लेने के लिये गृहस्थ के यहाँ जाते समय मन में यह विचार करना कि अमुक प्रकार का आहार प्राप्त होगा तो मैं ग्रहण करूँगा, अन्यथा नहीं। जैसे भिक्षुप्रतिमाधारी श्रमण दत्त आदि का परिमाण करके ही आहार लेते हैं। मूलाचार में परिमाणकृत के स्थान पर परिमाणगत शब्द आया है।

८. नीरवशेष—शशन, पान, खादिम और स्वादिम इन चारों प्रकार के आहार का पूर्ण रूप से परित्याग करना। वसुनन्दी श्रमण का यह अभिभवत है कि यह प्रत्याख्यान यावज्जीवन के लिये होता है। पर इवेताम्बर आगम साहित्य में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है।

९. संकेतिक—जो प्रत्याख्यान संकेत पूर्वक किया जाये, वह संकेतिक प्रत्याख्यान है। जैसे मुट्ठी बाधकर या किसी वस्त्र में गांठ लगाकर—जब तक मैं मुट्ठी या गांठ नहीं खोलूँगा, तब तक कोई भी वस्तु मुख में नहीं डालूँगा। जिस प्रत्याख्यान में साधक अपनी सुविधा के अनुसार प्रत्याख्यान करता है, वह संकेतिक प्रत्याख्यान कहलाता है। मूलाचार में इसका नाम अद्वानगत है। वसुनन्दी श्रमण ने अद्वानगत प्रत्याख्यान का अर्थ मार्गविषयक प्रत्याख्यान किया है। यह अटवी, नदी आदि को पार करते समय उपवास करने की पद्धति का सूचक है। सहेतुक प्रत्याख्यान का अर्थ है—उपर्युक्त आदि आने पर किया जाने वाला उपवास।

१०. अद्वा—समय विशेष की मर्यादा निश्चित करके प्रत्याख्यान करना। इस प्रत्याख्यान के अन्तर्गत (नमोकार सहित) नवकारसी, पोरसी, पूर्वार्द्ध, एकाशन, एकस्थान, आचाम्ल, उपवास, दिवसचरिम, अभिग्रह, निवृक्तिक, ये दस प्रत्याख्यान आते हैं। अद्वा का अर्थ काल है। आचार्य अभ्यदेव ने अद्वा का अर्थ पोरसी आदि कालमान के आधार पर किया जाने वाला प्रत्याख्यान किया है।

प्रत्याख्यान में आत्मा मन, वचन और काया की दुष्ट प्रवृत्तियों को रोककर शुभ प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता है। आश्रव का निरूपण होने से साधक पूर्ण निस्पृह हो जाता है, जिससे उसे शान्ति उपलब्ध होती है। प्रत्याख्यान में साधक जिन पदार्थों को ग्रहण करने की कूट रखता है, उन पदार्थों को ग्रहण करते समय आसक्त नहीं होता। प्रत्याख्यान से साधक के जीवन में अनासक्ति की विशेष जागृति होती है।

साधना के क्षेत्र में प्रत्याख्यान का विशिष्ट महत्त्व रहा है। प्रत्याख्यान में किसी भी प्रकार का दोष न

लगे, इसके लिये साधक को सतत जागरूक रहना चाहिये। इसीलिये आवश्यक में खह प्रकार की विशुद्धि का उल्लेख है। वे विशुद्धियाँ निम्नानुसार हैं—

१. श्रद्धानविशुद्धि—पञ्च महाव्रत, बारह व्रत आदि रूप जो प्रत्याख्यान हैं, उसका श्रद्धा के साथ पालन करना।

२. ज्ञानविशुद्धि—जिनकल्प, स्थविरकल्प, मूलगुण, उत्तरगुण आदि जिस प्रत्याख्यान का जैसा स्वरूप है, उस स्वरूप को समीक्षीय रूप से जानना।

३. विनयविशुद्धि—मन, वचन और काया सहित प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान में जितनी वन्दनाओं का विधान है, उतनी वन्दना अवश्य करनी चाहिये।

४. अनुआषाणाशुद्धि—प्रत्याख्यान ग्रहण करते समय सद्गुरु के सम्मुख विनय भुद्वा में खड़े रहकर शुद्ध पाठ का उच्चारण करे।

५. अनुपालनाशुद्धि—भयंकर वन में या दुर्भिक्ष आदि में या हण अवस्था में व्रत का उत्साह के साथ सम्यक् प्रकार से पालन करे।

६. भावविशुद्धि—राग-दोष रहित पवित्र भावना से प्रत्याख्यान का पाठ करना।

आवश्यकनियुक्ति में आचार्य भद्रबाहु ने लिखा है कि प्रत्याख्यान में तीन प्रकार के दोष लगने की सम्भावना रहती है। अतः साधक को उन दोषों से बचना चाहिये। वे दोष इस प्रकार हैं—

१. अमुक व्यक्ति ने प्रत्याख्यान ग्रहण किया है, जिसके कारण उसका समाज में आदर हो रहा है। मैं भी इसी प्रकार का प्रत्याख्यान करूँ, जिससे मेरा आदर हो। ऐसी राग भावना को लेकर प्रत्याख्यान करना।

२. मैं ऐसा प्रत्याख्यान करूँ जिसके कारण जिन्होंने प्रत्याख्यान ग्रहण किया है, उनकी कीर्ति-कीमुदी घुंघली हो जाये। इस प्रकार दूसरों के प्रति दुर्भावना से उत्प्रेरित होकर प्रत्याख्यान करना। इस प्रकार के प्रत्याख्यान में तीव्र दोष प्रकट होता है।

३. इस लोक में मुझे यश प्राप्त होगा और परलोक में भी मेरे जीवन में सुख और शान्ति की वंशी बजेगी, इस भावना से उत्प्रेरित होकर प्रत्याख्यान करना। इसमें यश की अभिलाषा, वैभवप्राप्ति की कामना आदि रही हुई है।

शिष्य ने जिज्ञासा प्रस्तुत की—गुह्देव ! किस साधक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है और किस साधक का प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है ?

भगवान् ने समाधान दिया—जिस साधक को जीव-अजीव का परिज्ञान है, प्रत्याख्यान किस उद्देश्य से— किया जा रहा है, इसकी पूर्ण जानकारी है, उस साधक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है। जिस साधक को जीव-अजीव का परिज्ञान नहीं है, जो ज्ञान की प्रधानता के कारण प्रत्याख्यान करता हुआ भी प्रत्याख्यान के मर्म को नहीं जानता, उसका प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है। अतः ऐसा प्रत्याख्यान करने वाला असंयत है, अविरत है और एकान्त बाल है।^१

१. एवं खलु से दुपच्चक्षाई सम्बोधिते हि जाव सम्बसत्तेहि पञ्चक्षायमिति वदमाणो नो सच्चं भासं भासइ; भोसं भासं भासइ। —भगवती ८।२

प्रवचनसारोद्धार,^१ योगशास्त्र^२ आदि प्रन्थों में प्रत्याख्यान ग्रहण करने वाले साधक और ग्रहण करने वाले साधक की योग्यता और अयोग्यता को लक्ष्य में रखकर चतुर्भंगी का प्रतिपादन किया है—

१. प्रत्याख्यान ग्रहण करने वाला साधक भी विवेकी हो और प्रत्याख्यानप्रदाता गुरु भी गीतार्थ हो तब वह पूर्ण शुद्ध प्रत्याख्यान है।

२. प्रत्याख्यान ग्रहण करने वाला प्रत्याख्यान के रहस्य को नहीं जानता पर प्रत्याख्यान प्रदान करने वाला गुरु प्रत्याख्यान के मर्म को जानता है और वह प्रत्याख्यान करने वाले शिष्य को प्रत्याख्यान का मर्म सम्बन्ध प्रकार से समझा देता है तो शिष्य का प्रत्याख्यान सही प्रत्याख्यान हो जाता है। यदि वह उसके मर्म को नहीं समझता है तो उसका प्रत्याख्यान अशुद्ध प्रत्याख्यान है।

३. प्रत्याख्यान प्रदान करने वाला गुरु प्रत्याख्यान के मर्म को नहीं जानता है किन्तु जो प्रत्याख्यान ग्रहण कर रहा है, वह प्रत्याख्यान के रहस्य को जानता है, तो वह प्रत्याख्यान शुद्ध प्रत्याख्यान है। यदि प्रत्याख्यान जाता गुरु विद्यमान हों, उनकी उपस्थिति में भी परम्परा आदि की दृष्टि से ग्रन्थीतार्थ से प्रत्याख्यान ग्रहण करने अनुचित है।

४. प्रत्याख्यान ग्रहण करने वाला प्रत्याख्यान के मर्म को नहीं जानता और जिससे प्रत्याख्यान ग्रहण करना है, वह भी प्रत्याख्यान के रहस्य से अनभिज्ञ है तो उसका प्रत्याख्यान अशुद्ध प्रत्याख्यान है।

षडावश्यक में प्रत्याख्यान सुमेरु के स्थान पर है। प्रत्याख्यान से भविष्य में आने वाली अवत की सम्भिराएँ इक जाती हैं और साधक नियमों-उपनियमों का सम्यक् पालन करता है। उत्तराध्ययन में प्रत्याख्यान सम्बन्ध में चिन्तन करते हुए निम्न प्रकार बताये हैं—

१. संभोग-प्रत्याख्यान^३—श्रमणों द्वारा लाये हुए आहार को एक स्थान पर मण्डलीबद्ध बैठकर खा का परित्याग करना। इससे जीव स्वावलम्बी होता है और अपने द्वारा प्राप्त लाभ से ही सन्तुष्ट रहता है।

२. उपधि-प्रत्याख्यान^४—वस्त्र आदि उपकरणों का त्याग करना। इससे स्वाध्याय आदि करने विघ्न उपस्थित नहीं होता। आकांक्षा रहित होने से वस्त्र आदि मागने की और उनकी रक्षा करने की उसे इच्छ नहीं होती तथा मन में संक्लेश भी नहीं होता।

३. आहार-प्रत्याख्यान^५—आहार का परित्याग करने से जीवन के प्रति ममत्व नहीं रहता। निर्मम होने से आहार के अभाव में भी उसे किसी प्रकार के कष्ट की अनुभूति नहीं होती।

४. योग-प्रत्याख्यान^६—मन, वचन और काय सम्बन्धी प्रवृत्ति को रोकना योग-प्रत्याख्यान है। २

१. जाणगो जाणगसगासे, अजाणगो जाणगसगासे, जाणगो अजाणगसगासे, अजाणगो अजाणगसगासे।

—प्रवचनसारोद्धारवृ

२. योगशास्त्र, स्वोपज्ञवृत्ति

३. उत्तराध्ययन २१।३३

४. उत्तराध्ययन २१।३४

५. उत्तराध्ययन २१।३५

६. उत्तराध्ययन २१।३७

चौदहवें गुणस्थान में प्राप्त होता है। ऐसा साधक नूतन कर्मों का बन्ध नहीं करता वरन् पूर्वसंचित कर्मों को साथ करता है।

५. सद्भाव-प्रत्याख्यान^१—सभी प्रकार की प्रवृत्तियों का परिस्थाग कर बीतराग अवस्था को प्राप्त करना। इससे जीव सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है।

६. शरीर-प्रत्याख्यान^२—इससे अशरीरी सिद्धावस्था प्राप्त होती है।

७. सहाय-प्रत्याख्यान^३—प्रपने कार्य में किसी का भी सहयोग न लेना। इससे जीव एकत्वभाव को प्राप्त करता है। एकत्वभाव प्राप्त होने से वह अबद्विहीन, कलहविहीन, संयमबहुत तथा समाधिबहुत हो जाता है।

८. कषाय-प्रत्याख्यान^४—सामान्य रूप से कषाय को संयमी साधक जीतता ही है, जिससे साधक कर्मों का बन्ध नहीं करता। कषायों पर विजय प्राप्त करने से उसे मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों के प्रति भमर्त्व या द्वेष नहीं होता। इस प्रकार उत्तराध्ययन में प्रत्याख्यानों के प्रकार व उसके फल निरूपित किये हैं। प्रत्याख्यान से अधिक्षय में होने वाले पापकृत्य रुक जाते हैं और साधक का जीवन संयम के सुहावने भास्त्रोक से जगमगाने लगता है।

इस प्रकार षडावश्यक साधक के लिये अवश्य करणीय हैं। साधक चाहे श्रावक हो अथवा अमण, वह इन क्रियाओं को करता ही है। हाँ, इन दोनों की गहराई और अनुभूति में तीव्रता, मंदता हो सकती है और होती है। श्रावक की अपेक्षा अमण इन क्रियाओं को अधिक तत्त्वीनता के साथ कर सकता है क्योंकि वह संसार-त्यागी है, आरम्भ-समारम्भ से सर्वथा विरत है। इसी कारण उसकी साधना में श्रावक की अपेक्षा अधिक तेजस्विता होती है। षडावश्यकों का साधक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आवश्यक से जहाँ आध्यात्मिक शुद्धि होती है, वहाँ लौकिक जीवन में भी समता, नम्रता, क्षमाभाव आदि सद्गुणों की वृद्धि होने से आनन्द के निर्मल निर्झर बहने लगते हैं।

व्याख्यातासाहित्य

आवश्यकसूत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण सूत्र है कि उस पर सबसे अधिक व्याख्याएँ लिखी गयी हैं। इसके मुख्य व्याख्यापन्थ ये हैं—

निर्युक्ति, भाष्य, चूणि, वृत्ति, स्तबक (टब्बा) और हिन्दी विवेचन।

भागमों पर दस निर्युक्तियां प्राप्त हैं। उन दस निर्युक्तियों में प्रथम निर्युक्ति का नाम आवश्यकनिर्युक्ति है। आवश्यकनिर्युक्ति में प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। उसके पश्चात् की निर्युक्तियों में उन विषयों की चर्चाएँ न कर आवश्यकनिर्युक्ति को देखने का संकेत किया गया है। प्रत्यनिर्युक्तियों को समझने के लिये आवश्यकनिर्युक्ति को समझना आवश्यक है। इसमें सर्वप्रथम उपोदधात है, जो भूमिका के रूप में है। उसमें ८८० गाथाएँ हैं। प्रथम पाँच ज्ञानों का विस्तार से निरूपण है।

१. उत्तराध्ययन २१।४।

२. उत्तराध्ययन २१।३।८

३. उत्तराध्ययन २१।३।९

४. उत्तराध्ययन २१।३।६

ज्ञान के वर्णन के पश्चात् निर्युक्ति में घडावश्यक का निरूपण है। उसमें सर्वप्रथम सामायिक है। चारित्र का प्रारम्भ ही सामायिक से होता है। मुक्ति के लिये ज्ञान और चारित्र ये दोनों आवश्यक हैं। सामायिक का अधिकारी श्रुतज्ञानी होता है। वह स्थ, उपशम, स्थयोपशम कर केवलज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करता है। सामायिकश्रुत का अधिकारी ही तीर्थकर जैसे गौरवशाली पद को प्राप्त करता है। तीर्थकर केवल-ज्ञान होने के पश्चात् जिस श्रुत का उपदेश करते हैं- वही जिनप्रवचन हैं। उस पर विस्तार से चिन्तन करने के पश्चात् सामायिक पर उद्देश्य, निर्देश, निर्गम आदि २६ बातों के द्वारा विवेचन किया गया है। मिथ्यात्व का निर्गमन किस प्रकार किया जाता है, इस प्रश्न पर चिन्तन करते हुए निर्युक्तिकार ने महावीर के पूर्व भवों का वर्णन, उसमें कुलकरों की चर्चा, अगवान् ऋषभदेव का जीवन-परिचय आदि विस्तृत रूप से दिया है। निहितों का भी निरूपण है।

नय दृष्टि से सामायिक पर चिन्तन करने के पश्चात् सम्यक्त्व, श्रुत और चारित्र- ये तीन सामायिक के भेद किये गये हैं। जिसकी आत्मा संयम, नियम और तप में रमण करती है, जिसके अन्तर्मानिस में प्राणिमात्र के प्रति समझाव का समुद्र ठाठे मारता है—वही सामायिक का सच्चा अधिकारी है। सामायिकसूत्र के प्रारम्भ में नमस्कार महामन्त्र आता है। इसलिये नमस्कार मंत्र की उत्पत्ति, निक्षेप, पद, पदार्थ, प्ररूपणा, वस्तु, आक्षेप, प्रसिद्धि, क्रम, प्रयोजन और फल—इन ग्राहक दृष्टियों से नमस्कार महामन्त्र पर चिन्तन किया गया है जो साधक के लिये बहुत ही उपयोगी है। (सर्वंविरति) सामायिक में तीन करण और तीन योग से सावध प्रवृत्ति का त्याग होता है।

दूसरा अध्ययन चतुर्विंशतिस्तृत्व का है। इसमें नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन छह निक्षेपों की दृष्टि से प्रकाश ढाला गया है।

तृतीय अध्ययन बन्दना का है। चित्कर्म, कृतिकर्म, पूजाकर्म और विनयकर्म, ये बन्दना के पर्यायवाची हैं। बन्दना किसे करनी चाहिये ? किसके द्वारा होनी चाहिये ? कब होनी चाहिये ? कितनी बार होनी चाहिये ? कितनी बार सिर झुकना चाहिये ? कितने आवश्यकों से शुद्धि होनी चाहिये ? कितने दोषों से मुक्ति होनी चाहिये ? बन्दना किसलिये करनी चाहिये ? प्रभृति नौ बातों पर विचार किया गया है। वही श्रमण बन्दनीय है जिसका प्राचार उत्कृष्ट है और विचार निर्मल है। जिस समय वह प्रशान्त, आश्वस्त और उपशान्त हो, उसी समय बन्दना करनी चाहिये।

चतुर्थ अध्ययन का नाम प्रतिक्रमण है। प्रमाद के कारण आत्मभाव से जो आत्मा मिथ्यात्व आदि परस्थान में जाता है, उसका पुनः अपने स्थान में आना प्रतिक्रमण है। प्रतिचरणा, परिहरणा, वारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा, शुद्धि—ये प्रतिक्रमण के पर्यायवाची हैं। इनके ग्रन्थ को समझाने के लिये निर्युक्ति में अनेक दृष्टान्त दिये गये हैं। नामदल्ल आदि की कथाएँ दी गई हैं। इसके पश्चात् आलोचना, निरपलाप, आपत्ति, दृढधर्मता आदि ३२ योगों का संग्रह किया गया है और उन्हें समझाने के लिये महागिरि, स्थूलभद्र, धर्मघोष, सुरेन्द्रदत्त वारतक, वैद्य धनवन्तरि, करकण्डु, आर्य पुष्पभूति आदि के उदाहरण भी दिये गये हैं। साथ ही स्वाध्याय-अस्वाध्याय के सम्बन्ध में प्रकाश ढाला गया है।

पांचवें अध्ययन में कायोत्सर्ग का निरूपण है। कायोत्सर्ग और व्युत्सर्ग ये एकायंवाची हैं। कुछ दोष आलोचना से ठीक होते हैं तो कुछ दोष प्रतिक्रमण से और कुछ दोष कायोत्सर्ग से ठीक होते हैं। कायोत्सर्ग से देह और दुष्कृति की जड़ता मिटती है। सुख-दुःख को सहन करने की क्षमता समुत्पन्न होती है। उसमें अनित्य,

अशरण आदि द्वादश अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन होता है। मन की चंचलता नष्ट होकर शुभ ध्यान का अस्थास निरन्तर बढ़ता है। निर्युक्तिकार ने शुभ ध्यान पर चिन्तन करते हुए कहा है कि अन्तमुहूर्त तक जो चित्त की एकाग्रता है, वही ध्यान है। उस ध्यान के आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल—ये चार प्रकार बताये हैं। प्रथम दो ध्यान संसार-अभिवृद्धि के हेतु होने से उन्हें अपध्यान कहा है और अन्तिम दो ध्यान मोक्ष का कारण होने से प्रशस्त हैं। ध्यान और कायोत्सर्ग के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की जानकारी दी गई है जो ज्ञानवर्द्धक है। अमण को अपने सामर्थ्य के अनुसार कायोत्सर्ग करना चाहिये। शक्ति से अधिक समय तक कायोत्सर्ग करने से अनेक प्रकार के दोष समुत्पन्न हो सकते हैं। कायोत्सर्ग के समय कपटपूर्वक निद्रा लेना, सूत्र और अर्थ की प्रतिपूच्छा करना, कांटा निकालना, लघुरंगा आदि करने के लिये चले जाना उचित नहीं है। इससे उस कार्य के प्रति उपेक्षा प्रकट होती है। कायोत्सर्ग के घोटक आदि १९ दोष भी बताए हैं। जो देहबुद्धि से परे है, वही व्यक्ति कायोत्सर्ग का सच्चा अधिकारी है।

छठ्ठे अध्ययन प्रत्याख्यान, प्रत्याख्याता, प्रत्याख्येय, पर्वद, कथनविद्धि और फल इन छह दृष्टियों से विवेचन किया गया है। प्रत्याख्यान के नाम, स्थापना, द्रव्य, अदित्या, प्रतिषेष और भाव, ये छह प्रकार हैं। प्रत्याख्यान की विशुद्धि श्रद्धा, ज्ञान, विनय, अनुभाषण, अनुपालन और भाव—इन छह प्रकार से होती है। प्रत्याख्यान से आश्रव का निरन्धन होता है। समता की सरिता में अवगाहन किया जाता है। चारित्र की आराधना करने से कर्मों की निर्जरा होती है। अपूर्वकरण कर क्षपकश्रेणी पर आरूढ़ होकर केवल-ज्ञान प्राप्त होता है और अन्त में मोक्ष का अव्याबाध सुख मिलता है। प्रत्याख्यान का अधिकारी वही साधक है जो विक्षिप्त और अविनीत न हो।

आवश्यकनिर्युक्ति में थमण जीवन को तेजस्वी-वर्चस्वी बनाने वाले जितने भी नियमोपनियम हैं, उन सबकी चर्चा विस्तार से की गई है। प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों का प्रतिपादन भी इस निर्युक्ति में हुआ है। प्रस्तुत निर्युक्ति के रचयिता आचार्य भद्रबाहु हैं। इतिहासविज्ञों का अभिभावत है कि जैन इतिहास में भद्रबाहु नामक अनेक आचार्य हुए हैं, उनमें एक चतुर्दश पूर्वधारी आचार्य भद्रबाहु नेपाल में महाप्राणायाम नामक योग की साधना करने गए थे, वे श्वेताम्बर परम्परा की दृष्टि से छेदसूत्रकार थे। दिगम्बर परम्परा के अनुसार वे भद्रबाहु नेपाल न जाकर दक्षिण में गए थे। पर हमारी दृष्टि से ये दोनों भद्रबाहु एक न होकर पृथक्-पृथक् रहे होंगे। क्योंकि जो नेपाल गये थे वे दक्षिण में नहीं गए हैं और जो दक्षिण में गए थे वे नेपाल नहीं गए थे। निर्युक्तिकार भद्रबाहु प्रसिद्ध ज्योतिर्विद् वराहमिहिर के सहोदर भ्राता थे। उनका समय विक्रम की छठी शताब्दी है। आगमप्रभाकर पूर्णविजयजी का मन्तव्य है कि श्रुतकेवली भद्रबाहु ने निर्युक्तियां प्रारम्भ की और द्वितीय भद्रबाहु तक उन निर्युक्तियों में विकास होता रहा। इस प्रकार निर्युक्तियों में कुछ गायाएं बहुत ही प्राचीन हैं तो कुछ अर्वाचीन हैं। वर्तमान में जो निर्युक्तियां हैं, वे चतुर्दश पूर्वधर भद्रबाहु के द्वारा पूर्ण रूप से रचित नहीं हैं। क्योंकि निर्युक्तिकार भद्रबाहु ने छेदसूत्रकार भद्रबाहु को नमस्कार किया है। हमारे अभिभावतानुसार समवायांग, स्थानाग एवं नन्दी में जहाँ पर द्वादशांगी का परिचय प्रदान किया गया है, वहाँ पर 'सखेज्जामी निज्जुत्तीओ' यह पाठ प्राप्त होता है। इससे यह स्पष्ट है कि निर्युक्तियों की परम्परा आगम काल में भी थी। प्रत्येक आचार्य या उपाध्याय अपने शिष्यों को आगम का रहस्य हृदयंगम कराने के लिये अपनी-अपनी दृष्टि से निर्युक्तियों की रचना करते रहे होंगे। जैसे वर्तमान प्रोफेसर विद्यार्थियों को नोट्स लिखवाते हैं, वैसे ही निर्युक्तियों रही होंगी। उन्हीं को मूल आधार बनाकर द्वितीय भद्रबाहु ने निर्युक्तियों को अन्तिम रूप दिया हुआ।

नियुक्तियों के पश्चात् भाष्य साहित्य लिखा गया। नियुक्तियों की व्याख्यासीली बहुत ही गूढ़ और सक्षिप्त थी। उनमें विषय विस्तार का अभाव था। उसका मुख्य लक्ष्य पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करना था। नियुक्तियों के गम्भीर रहस्यों को प्रकट करने के लिये विस्तार से प्राकृत भाषा में जो पद्धतिम् व्याख्याएं लिखी गई, वे भाष्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। नियुक्तियों के शब्दों में छिपे हुए अर्थवाहुल्य को अभिव्यक्त करने का श्रेय भाष्यकारों को है। भाष्य में अनेक स्थलों पर मानधी और शौरसेनी के प्रयोग दृष्टिगोचर होते हैं। मुख्य छन्द गार्या है। भाष्य साहित्य में अनेक प्राचीन अनुश्रुतियों, लौकिक कथाओं और परम्परागत अमणों के आचार-विचार की विधियों का प्रतिपादन है।

भाष्य

भाष्यकार जिनभद्रगणी क्षमाधर्मण का नाम जैन इतिहास में गोरख के साथ उट्टकित है। आवश्यकसूत्र पर उन्होंने विशेषावश्यकभाष्य की रचना की। आवश्यकसूत्र पर तीन भाष्य लिखे गए हैं—१. मूलभाष्य २. भाष्य और ३. विशेषावश्यकभाष्य। पहले के दो भाष्य बहुत ही सक्षेप में लिखे गये हैं। उनकी बहुत सी गाथाएं विशेषावश्यकभाष्य में मिल गई हैं। इसलिये विशेषावश्यकभाष्य दोनों भाष्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह भाष्य केवल प्रथम अध्ययन सामायिक पर है। इसमें ३६०३ गाथाएं हैं।

प्रस्तुत भाष्य में जैनागमसाहित्य में वर्णित जितने भी महत्वपूर्ण विषय है, प्रायः उन सभी पर चिन्तन किया है। ज्ञानवाद, प्रमाणवाद, आचार, नीति, स्याद्वाद, नयवाद, कर्मवाद पर विशेष समझी का आकलन-सकलन है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैन दार्शनिक सिद्धान्तों की तुलना अन्य दार्शनिक सिद्धान्तों के साथ की गई है। इसमें जैन आगमसाहित्य की मान्यताओं का ताकिक दृष्टि से विश्लेषण किया गया है। आगम के गहन रहस्यों को समझने के लिए यह भाष्य बहुत ही उपयोगी है और इसी भाष्य का अनुसरण परवर्ती विज्ञों ने किया है। सर्वप्रथम प्रवचन को नमस्कार किया है, उसके पश्चात् लिखा है कि ज्ञान और क्रिया दोनों से मोक्ष प्राप्त होता है। आवश्यक स्वयं ज्ञान-क्रियामय है। उसी से सिद्धि सम्प्राप्त होती है। जैसे कुशल वैद्य बालक के लिये योग्य आहार की अनुमति देता है, वैसे ही अगवान् ने साधकों के लिये आवश्यक की अनुमति प्रदान की है। अष्ट कार्य में विविध प्रकार के विज्ञ उपस्थित होते हैं। उनकी शान्ति के लिये मंगल का विधान है। ग्रन्थ में मंगल तीन स्थानों पर होता है। मंगल शब्द पर निषेप दृष्टि से चिन्तन किया है। ज्ञान भावमंगल है। अतः ज्ञान के पांचों भेदों का बहुत विस्तार के साथ निरूपण है।

आवश्यक पर नाम आदि निषेपों से चिन्तन किया गया है। द्रव्य-आवश्यक, आगम और नो-आगम रूप दो प्रकार का है। अधिकाक्षर पाठ के लिये राजपुत्र कुणाल का उदाहरण दिया है। हीनाक्षर पाठ के लिये विद्याधर का उदाहरण दिया है। उभय के लिये बाल का उदाहरण दिया है और श्रातुर के लिये अतिमात्रा में भोजन और भेषज विपर्यय के उदाहरण दिये हैं। लोकोत्तर नोआगम रूप द्रव्यावश्यक के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये साध्वाभास का दृष्टान्त देकर समझाया है। भाव-आवश्यक भी आगम रूप और नोआगम रूप दो प्रकार का है। आवश्यक के अर्थ का जो उपयोग रूप परिणाम है वह आगम रूप भाव-आवश्यक है। ज्ञान-क्रिया उभय रूप जो परिणाम हैं, वह नोआगम रूप भाव-आवश्यक है। पठावश्यक के पर्याय और उसके अर्थाद्धिकार पर विचार किया गया है।

सामायिक पर चिन्तन करते हुए कहा है— समभाव ही सामायिक का लक्षण है। सभी द्रव्यों का आधार आकाश है, वैसे ही सभी सद्गुणों का आधार सामायिक है। सामायिक के दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीन भेद

। किसी महानगर में प्रवेश करने के लिए अनेक द्वार होते हैं, वैसे ही सामायिक अध्ययन के उपक्रम, निष्ठेप, गुणम और नय—ये चार द्वार हैं। इन चारों द्वारों का विस्तार से निरूपण किया गया है। सामायिकश्रृत का और सामायिक है। चारित्र ही मुक्ति का साक्षात् कारण है। ज्ञान से वस्तु का यथार्थ परिज्ञान होने से चारित्र की शुद्धि होती है। केवलज्ञान होने पर भी जीव मुक्त नहीं होता, जब तक उसे सर्व संवरका लाभ न हो जाये। सामायिक का लाभ जीव को कब उपलब्ध होता है? इस पर चिन्तन करते हुए लिखा है कि प्राठों कर्म प्रकृतियों और उत्कृष्ट स्थितियों के रहते हुए जीव को सामायिक का लाभ नहीं हो सकता। नाम, गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति इस कोटा-कोटि सागरोपम है। मोहनीय की सत्तर कोटा-कोटि सागरोपम है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय की तीस कोटा-कोटि सागरोपम है। आयुकर्म की तीस सागरोपम है। मोहनीयकर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बन्ध होने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र और अन्तराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति प्रती है, किन्तु आयुकर्म की स्थिति के लिए निश्चित नियम नहीं है। वह उत्कृष्ट और मध्यम और जघन्य तीनों कार की स्थिति बन्ध सकती है। मोहनीय के अतिरिक्त ज्ञानावरण आदि किसी भी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का अन्ध होने पर मोहनीय या अन्य कर्म की उत्कृष्ट या मध्यम स्थिति का बन्ध होता है किन्तु आयुकर्म की स्थिति अन्य भी बन्ध सकती है। सम्यक्त्व, श्रूत, देशव्रत और सर्वव्रत, इन चार सामायिकों में से जिसने उत्कृष्ट कर्म-स्थिति का बन्ध किया है, वह एक भी सामायिक को प्राप्त नहीं कर सकता। किन्तु उसे पूर्वप्रतिपक्ष विकल्प से ती भी है और नहीं भी होती। जैसे अनुत्तरविमानवासी देव में पूर्वप्रतिपक्ष सम्यक्त्व, श्रूत होते हैं, शेष में ही। जिनकी ज्ञानावरण आदि की जघन्य स्थिति है, उनको भी इन चार सामायिकों में से एक का भी लाभ ही होता, क्योंकि उसे पहले ही प्राप्त हो गई है। अतः पुनः प्राप्त करने का प्रश्न ही समुपस्थित नहीं होता। आयुकर्म की जघन्य स्थिति वाले को न यह पहले प्राप्त होती है और न वह प्राप्त ही कर सकता है।

इसके पश्चात् सम्यक्त्व प्राप्ति के कारणों पर चिन्तन करते हुए ग्रन्थ-भेद का स्वरूप स्पष्ट किया है। आयुकर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों की स्थिति, देशन्यून कोटा-कोटि सागरोपम की अवशेष रहती है तब आत्मा स्मृत्व के अभिभुव होता है। उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। उसमें से पल्योपम पृथक्त्व का क्षय होने पर गविरति—आवक्त्व की प्राप्ति होती है। उसमें में भी संख्यात सागरोपम का क्षय होने पर सर्वविरति चारित्र की पलविधि होती है। उसमें से संख्यात सागरोपम का क्षय होने पर उपमश्रेणी प्राप्त होती है। उसमें से भी संख्यात सागरोपम का क्षय होने पर क्षयक्षेणी प्राप्त होती है।

कषाय के उदय के कारण दर्शन आदि सामायिक प्राप्त नहीं हो सकती। यदि कदाचित् प्राप्त भी हो गई। वह पुनः नष्ट हो जाती है। जिससे कर्मों का लाभ हो वह कषाय है। अनन्तानुबन्धी-चतुष्क, अप्रत्याह्यानी-तुष्क, प्रत्याह्यानी-चतुष्क इन बारह प्रकार के कषायों का क्षय, उयशम या क्षयोपशम होने से चारित्र की प्राप्ति ही है। सामायिक में सावद्य योग का त्याग होता है। वह इत्वर और यावत्कथिक के रूप में दो प्रकार की है। चर सामायिक अल्पकालीन होती है और यावत्कथिक जीवनपर्यन्त के लिए। भाव्यकार ने सामायिक, दोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसम्पराय और यथार्थात् चारित्र का विस्तार से विवेचन किया है।

सामायिक चारित्र का उद्देश, निर्देश, निर्गम, क्षेत्र, काल, पुरुष, कारण, प्रत्यय, लक्षण, नय, समवत्तार, नुस्त, किम्, कतिविधि, कस्य, कुत्र, केषु, कथम्, कियच्चिर, कति, सान्तर, अविरहित, भव, आकर्ष, स्पर्शन् और तत्क्ति, इन छब्बीस द्वारों से वर्णन किया है। सामायिक सम्बन्धी जितनी भी महस्वपूर्ण बातें हैं, वे सभी इन रों में समाविष्ट हो गई हैं। तृतीय निर्गम द्वारा में सामायिक की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचार करते हुए आचार्य भगवान् महावीर के ग्यारह गणघरों की चर्चा की है। सामायिक के ग्यारहबैं द्वार समवत्तार पर विवेचन करते

हुए आचार्य ने चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग के पृथक्करण की चर्चा की है तथा निहंतों का भी वर्णन है। निहंतवाद पर विस्तार से चर्चा है। अन्त में "करेमि भन्ते" आदि सामायिक सूत्र के मूल पदों पर विचार किया गया है।

जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण की प्रबल तार्किक शक्ति, अभिव्यक्तिकुशलता, प्रतिपादन की पटुता तथा विवेचन की विशिष्टता को निहार कर कौन मेधावी मुग्ध नहीं होगा? भाष्यसाहित्य में विशेषावश्यकभाष्य का अनूठा स्थान है। विशेषावश्यकभाष्य आचार्य जिनभद्र की अन्तिम रचना है। उन्होंने इस पर स्वोपज्ञवृत्ति भी लिखी ग्राम्यभ की थी, किन्तु पूर्ण होने से पहले ही उनका आपूर्य पूर्ण हो गया था, जिससे वह वृत्ति अपूर्ण ही रह गई। विज्ञों का अभिभावत है कि जिनभद्र गणी का उत्तरकाल विक्रम संवत् ६५० से ६६० के आस-पास होना चाहिए।

चूणिसाहित्य

नियुक्ति और भाष्य की रचना के पश्चात् जैन मनीषियों के अन्तर्मनिस में आगमों पर गद्यात्मक व्याख्या साहित्य लिखने की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने शुद्ध प्राकृत में और संस्कृत मिश्रित प्राकृत में व्याख्याओं की रचना की, जो आज चूणिसाहित्य के रूप में विश्रुत है। चूणिसाहित्य के निर्माताओं में जिनदासगणि महत्तर का मूर्धन्य स्थान है। उन्होंने सात चूणियां लिखी। उसमें आवश्यक चूणि एक महत्वपूर्ण रचना है।

यह चूणि नियुक्ति के अनुसार लिखी गई है, भाष्य गायाओं का उपयोग भी यत्न-तत्र हुआ है। मुख्य रूप से भाषा प्राकृत है किन्तु संस्कृत के श्लोक, गद्य व गद्य पंक्तियां भी उद्धृत की गई हैं। भाषा प्रवाहयुक्त है। शैली में लालित्य व ओज है। ऐतिहासिक कथाओं की प्रचुरता है। यह चूणि अन्य चूणियों से विस्तृत है। ग्रोषनियुक्ति चूणि, गोविन्दनियुक्ति, वसुदेवहिण्डी प्रभृति अनेक ग्रन्थों का उल्लेख इसमें हुआ है। सर्वप्रथम मंगल की चर्चा की गई है। भावमंगल में ज्ञान का निरूपण है। श्रुतज्ञान की दृष्टि से आवश्यक पर निषेप दृष्टि से चिन्तन किया है। द्रव्यावश्यक और भावावश्यक पर प्रकाश ढाला है। श्रुत का प्ररूपण तीर्थकर करते हैं। तीर्थकर कौन होते हैं—इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान् महावीर का जीव मिथ्यात्व से किस प्रकार मुक्त हुआ, यह प्रतिपादन करने के लिये महावीर के पूर्व भवों चर्चा की गई है। महावीर का जीव मरीचि के भव में कृष्णभद्रेव का पौत्र था। अतः भगवान् कृष्णभद्रेव के पूर्वभव और कृष्णभद्रेव के जीवन पर प्रकाश ढाला है। सम्राट् भरत का भी सम्पूर्ण जीवन इसमें आया है। भगवान् महावीर का जीव अनेक भवों के पश्चात् महावीर बना। महावीर के जीवन में जो भी उपसर्ग आये, उसका सविस्तृत निरूपण चूणि में हुआ है। नियुक्ति की तरह निहंतवाद का भी निरूपण है। उसके पश्चात् द्रव्य, पर्याय, नयदृष्टि से सामायिक के भेद, उसका स्वामी, उसकी प्राप्ति का क्षेत्र, काल, दिशा, सामायिक करने वाला, उसकी प्राप्ति के हेतु, आनन्द, कामदेव का दृष्टान्त, अनुकूल्या, इन्द्रनाग, पुण्यशाल, शिवराजीर्षि गंगादत्त, दशार्णभद्र, इलापुत्र आदि के दृष्टान्त दिये हैं। सामायिक की स्थिति, सामायिक वालों की संख्या, सामायिक का अन्तर, सामायिक का आकर्ष, समभाव की महत्ता का प्रतिपादन करने के लिये दमदन एवं मेतार्य का दृष्टान्त दिया है। समास, संक्षेप और अनवद्य के लिये धर्मरूचि व प्रत्याख्यान के लिये लेतलीपुत्र का दृष्टान्त देकर विषय को स्पष्ट किया गया है। इसके पश्चात् सूत्रस्पशिक नियुक्ति की चूणि है। उसमें नमस्कार महामन्त्र, निषेप दृष्टि से स्नेह, राग व द्वेष के लिये क्रमशः अर्हंसक, धर्मरूचि तथा जमदग्नि का उदाहरण दिया गया है। अरिहन्तों व सिद्धों को नमस्कार, श्रीतपत्तिकी आदि चारों प्रकार की बुद्धि, कर्म, समुद्धात, योगनिरोध, सिद्धों का अपूर्व मानन्द, आचार्य उपाध्यायों और साधुओं को

नेमस्कार एवं उसके प्रयोजन पर प्रकाश डाला है। उसके बाद सामायिक के पाठ 'करेमि भन्ते' की व्याख्या करके छह प्रकार के कर्म का विस्तृत निरूपण किया गया है।

चतुर्विशतिस्तव में स्तव, लोक, उद्योग, धर्म-तीर्थकर आदि पदों पर निषेप दृष्टि से विस्तृत किया है। तृतीय वन्दना अध्ययन में वन्दन के योग्य श्रमण के स्वरूप का प्रतिपादन किया है और चित्कर्म, कृतिकर्म पूजा-कर्म, विनयकर्म को दृष्टान्त देकर समझाया गया है। अनन्या को वन्दन करने का निषेध किया गया है।

चतुर्थ अध्ययन में प्रतिक्रमण की परिभाषा प्रतिक्रामक, प्रतिक्रमण, प्रतिक्रान्तव्य इन तीन दृष्टियों से की गई है। प्रतिचरणा, परिहरणा, वारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा, शुद्धि और आलोचना पर विवेचना करते हुए उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक, अतिचार, ईर्यापथिकी विवादना, प्रकाम शब्दा, चिक्षाचर्या, स्वाध्याय आदि में जगने वाले अतिचार, चार विकथा, चार ध्यान, पांच किया, पांच कामगुण, पांच महाव्रत, पांच समिति आदि का प्रतिपादन किया है। शिक्षा के ग्रहण और आसेवन ये दो भेद किए हैं। अभयकुमार का विस्तार से जीवन-परिचय दिया है। साथ ही सम्राट् श्रेणिक, चेलणा, सुरसा, कोणिक, चेटक, उदायी, महापद्मनंद, शकडाल, वरुचि, स्थूलभद्र आदि ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्र भी दिये गये हैं। व्रत वी महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा है - प्रज्ज्वलित अग्नि में प्रवेश करना श्रेयस्कर है, किन्तु व्रत का भंग करना अनुचित है। विशुद्ध कार्य करते हुए मरना श्रेष्ठ है, किन्तु शील से स्वलित हो कर जीवित रहना अनुचित है।

पञ्चम अध्ययन में कायोत्सर्ग का वर्णन है। कायोत्सर्ग एक प्रकार से आध्यात्मिक व्यञ्चिकित्सा है। कायोत्सर्ग में काय और उत्सर्ग ये दो पद हैं। काय का नाम, स्थापना आदि बारह प्रकार के निषेपों से वर्णन किया है और उत्सर्ग का छह निषेपों से। कायोत्सर्ग के चेष्टाकायोत्सर्ग और अभिभवकायोत्सर्ग ये दो भेद हैं। गमन आदि में जो दोष लगा हो उसके पाप से निवृत्त होने के लिये चेष्टाकायोत्सर्ग किया जाता है। हूण आदि से पराजित होकर जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह अभिभवकायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग के प्रशस्त एवं अप्रशस्त ये दो भेद हैं और फिर उच्छ्रृत आदि नौ भेद हैं। श्रृंति, सिंदू की स्तुति पर प्रकाश डालकर भाषणा की विधि पर विचार किया है। अन्त में कायोत्सर्ग के दोष, फल आदि पर भी प्रकाश डाला गया है।

षष्ठ अध्ययन में प्रत्याख्यान का विवेचन है। इसमें सम्यक्त्व के अतिचार, श्रावक के बारह व्रतों के अतिचार, दस प्रत्याख्यान, छह प्रकार की विशुद्धि, प्रत्याख्यान के गुण, आगार आदि पर अनेक दृष्टान्तों के साथ विवेचन किया है।

इस प्रकार आवश्यकचूणि जिनदासगणी महत्तर की एक महनीय कृति है। आवश्यकनिर्युक्ति में आये हुए सभी विषयों पर चूणि में विस्तार के साथ स्पष्टता की गई है। इसमें अनेक पौराणिक, 'ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन उट्टच्छित किये गये हैं, जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है।

टीकासाहित्य

मूल आगम, निर्युक्ति और भाष्यसाहित्य प्राकृत भाषा में निर्मित हैं। चूणिसाहित्य में प्रधान रूप से प्राकृत भाषा का और गोण रूप से संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। उसके पश्चात् संस्कृतटीका का युग आया। जैन साहित्य में टीका का युग स्वर्णम् युग है। निर्युक्ति में आगमों के शब्द की अनुत्पत्ति और व्याख्या है। भाष्यसाहित्य में विस्तार से आगमों के गम्भीर भावों का विवेचन है। चूणिसाहित्य में निगृह भावों को लोक-कथामों के आधार से समझने का प्रयास है तो टीकासाहित्य में आगमों का दार्शनिक दृष्टि से विश्लेषण है। टीकाकारों ने प्राचीन

नियुक्ति, भाष्य और चूर्ण साहित्यों का तो अपनी टीकाओं में प्रयोग किया ही है साथ ही नये-नये हेतुओं द्वारा विषय को और अधिक पुष्ट बनाया है। टीकाओं के अध्ययन और परिचीन से उस युग की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों का भी सम्पूर्ण परिज्ञान हो जाता है। टीकाकारों में सर्वप्रथम टीकाकार जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण हैं। उन्होंने अपने विशेषावश्यकभाष्य पर स्वोपन वृत्ति लिखी पर यह वृत्ति वे अपने जीवनकाल में पूर्ण नहीं कर सके। वे छठे गणधर व्यक्त तक ही टीका लिख सके। उनकी शैली सरल, सरस और प्रसादगुण युक्त थी। उनकी प्रस्तुत टीका उनके पश्चात् कोटधाचार्य ने पूर्ण की। इसका संकेत कोटधाचार्य ने छठे गणधरबाद के अन्त में दिया है।

संस्कृत टीकाकारों में आचार्य हरिभद्र का नाम गोरख के साथ लिया जा सकता है। वे संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड पण्डित थे। उनका सत्ता-समय विक्रम संवत् ७५७ से ८२७ का है। उन्होंने आवश्यकनियुक्ति पर भी वृत्ति लिखी किन्तु प्रावश्यकचूर्ण के पदों का उसमें पनुसरण न करके स्वतन्त्र रूप से विषय का प्रतिपादन किया है। प्रस्तुत वृत्ति को वेखकर विज्ञों ने यह ग्रनुमान किया है कि आचार्य हरिभद्र ने आवश्यकसूत्र पर दो वृत्तियां लिखी थीं। वर्तमान में जो टीका उपलब्ध नहीं है, वह टीका उपलब्ध टीका से बड़ी थी। क्योंकि आचार्य ने स्वयं लिखा है—‘व्यासार्थस्तु विशेषविवरणादवगन्तव्य इति।’ अन्वेषण करने पर भी यह टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। वृत्ति में ज्ञान का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए प्राभिनिकोधिक ज्ञान का छह दृष्टियों से विवेचन किया है। श्रुत, अवधि, मनःपर्यंव और केवलज्ञान का भी भेद आदि की दृष्टि से विवेचन किया है।

सामायिक आदि के तेबीस द्वारो का विवेचन नियुक्ति के अनुसार किया गया है। सामायिक के निर्गम द्वार में कुलकरो के प्रति और उनके पूर्व भवो के सम्बन्ध में सूचन किया है। नियुक्ति और चूर्ण में जिन विषयों का संक्षेप में संकेत किया गया है उन्हीं का इसमें विस्तार किया गया है। ध्यान के प्रसंग में ध्यानशतक की समस्त गाथाओं पर भी विवेचन किया है। परिस्थापनाविधि पर प्रकाश ढालते हुए सम्पूर्ण परिस्थापना सम्बन्धी नियुक्ति के पाठ को उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत वृत्ति में प्राकृत भाषा में दृष्टान्त भी विषय को स्पष्ट करने के लिये दिये गये हैं। इस वृत्ति का नाम शिष्यहिता है। इसका ग्रन्थमान २२००० श्लोकप्रमाण है। लेखक ने अन्त में अपना संक्षेप में परिचय भी दिया है।

कोटधाचार्य ने आचार्य जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण के अपूर्ण स्वोपन भाष्य को पूर्ण किया और विशेषावश्यक-भाष्य पर भी एक नवीन वृत्ति लिखी। पर लेखक ने उस वृत्ति में आचार्य हरिभद्र का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है। इससे यह ज्ञात होता है कि वे हरिभद्र के समकालीन या पूर्ववर्ती होगे। कोटधाचार्य ने जिन-भद्रगणी क्षमाश्रमण का अदास्तिनिधि स्मरण किया है। मलधारी आचार्य हेमचन्द्र ने अपनी विशेषावश्यकभाष्यवृत्ति में कोटधाचार्य का प्राचीन टीकाकार के रूप में उल्लेख किया है। प्रभावक चरित्रकार ने आचार्य शीलाङ्कु को और कोटधाचार्य को एक माना है। परन्तु शीलाङ्कु और कोटधाचार्य दोनों के समय एक नहीं है। कोटधाचार्य का समय विक्रम की आठवीं शती है तो शीलाङ्कु का समय विक्रम की नौवीं दशमी शती है। अतः वे दोनों पृथक्-पृथक् हैं। कोटधाचार्य का प्रस्तुत विशेषावश्यकभाष्य पर जो विवरण है वह न तो अतिसंक्षिप्त है और न अतिविस्तृत ही है। विवरण में जो कथाएं उट्टकित की गई हैं, वे प्राकृत भाषा में हैं। विवरण का ग्रन्थमान १३७०० श्लोक प्रमाण है।

आचार्य मलयगिरि उत्कृष्ट प्रतिभा के घनी मूर्धन्य मनीषी थे। उन्होंने आगमग्रन्थों पर बहुत ही महत्व-पूर्ण टीकाएँ लिखी हैं। उन टीकाओं में उनका प्रकाण्ड पाण्डित्य स्पष्ट रूप से झलकता है। विषय की गहनता, भाषा की प्रांजलसा, शैली का लालित्य एवं विश्लेषण की स्पष्टता उनकी विशेषताएँ हैं। वे आगमसाहित्य के

गम्भीर जाता थे तो गणितशास्त्र, दर्शनशास्त्र और कर्मसिद्धान्त में भी निष्णात थे। उन्होंने अनेक आगमों पर टीकाए लिखी। आवश्यकसूत्र पर भी उन्होंने आवश्यकविवरण नामक वृत्ति लिखी है। यह विवरण मूल सूत्र पर न होकर आवश्यकनियुक्ति पर है। यह विवरण अपूर्ण ही प्राप्त हुआ है। इसमें मंगल आदि पर विस्तार से विवेचन और उसकी उपयोगिता पर चिन्तन किया गया है। नियुक्ति की गाथाओं पर सरल और सुबोध शैली में विवेचन किया है। विवेचन की विशिष्टता यह है—आचार्य ने विशेषावश्यकभाष्य की गाथाओं पर स्वतन्त्र विवेचन न कर उनका सार अपनी वृत्ति में उट्टकित कर दिया है। वृत्ति में जितनी भी गाथाएं आई हैं, वे वृत्ति के वक्तव्य को पुष्ट करती हैं। वृत्ति में विशेषावश्यकभाष्य की स्वोपज्ञवृत्ति का भी उल्लेख हुआ है साथ ही प्रज्ञाकरणपूर्ण, आवश्यक चूर्णिकार, आवश्यक मूल टीकाकार, आवश्यक मूल भाष्यकार, लघीयस्त्रयालंकार, अकलङ्क-न्यायावतार वृत्तिकार प्रभृति का भी उल्लेख हुआ है। यत्र-तत्र विषय को स्पष्ट करने के लिए कथाएं भी उद्धृत की गई हैं। कथाओं की भाषा प्राकृत है। वर्तमान में जो विवरण उपलब्ध है उसमें चतुर्विशितस्तव नामक द्वितीय अध्ययन के 'यूभं रयणविचितं कुंथं सुमिणम्मि तेण कुंयुजिणो' के विवेचन तक प्राप्त होता है। उसके पश्चात् भगवान् अरनाथ के उल्लेख के बाद का विवरण नहीं मिलता है। यह जो विवरण है वह चतुर्विशितस्तव नामक द्वितीय अध्ययन तक है और वह भी अपूर्ण है। जो विवरण उपलब्ध है उसका ग्रन्थमान १५००० श्लोक प्रमाण है।

मलधारी आचार्य हेमचन्द्र महान् प्रतिभासम्पन्न और आगमों के ज्ञाता थे। वे प्रबचनपटु और वामी थे। उन्होंने अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया। आवश्यकवृत्ति प्रदेशव्याख्या आचार्य हरिभद्र की वृत्ति पर लिखी गई है, इसलिए उसका अपर नाम हारिभद्रीयावश्यक वृत्तिटिप्पणि है। मलधारी आचार्य हेमचन्द्र के शिष्य ने प्रदेश-व्याख्याटिप्पणि भी लिखा है।

आचार्य मलधारी हेमचन्द्र की विशेषावश्यकभाष्य पर दूसरी वृत्ति शिष्यहिता है। यह बृहत्तम कृति है। आचार्य ने भाष्य में जितने भी विषय आये हैं, उन सभी विषयों को बहुत ही सरल और सुगम दृष्टि से समझाने का प्रयास किया है। दर्शनिक चर्चाओं का प्राधान्य होने पर भी शैली में काठिन्य नहीं है। यह इसकी महान् विशेषता है। संस्कृत कथानकों से विषय में सरसता व सरलता आ गई है। यदि यह कह दिया जाये कि प्रस्तुत टीका के कारण विशेषावश्यकभाष्य के पठन-पाठन में सरलता हो गई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी।

अन्य अनेक मनीषियों ने भी आवश्यकसूत्र पर वृत्तियां लिखी हैं। संक्षेप में उनका विवरण इस प्रकार है—जिनभट्ट, माणिक्यसेन्हर, कुलप्रभ, राजवल्लभ आदि ने आवश्यकसूत्र पर वृत्तियों का निर्माण किया है। इनके अतिरिक्त विक्रम संवत् ११२२ में नमि साधु ने, संवत् १२२२ में श्री चन्द्रसूरि ने, संवत् १४४० में श्री ज्ञान-सागर ने, संवत् १५०० में धीरसुन्दर ने, संवत् १५४० में शुभवद्वंतगिरि ने, संवत् १६९७ में हितरुचि ने तथा सन् १९५८ में पूज्य धासीलालजी महाराज ने भी आवश्यकसूत्र पर वृत्ति का निर्माण कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। टीका युग समाप्त होने के पश्चात् जनसाधारण के लिये आगमों के शब्दार्थ करने वाली संक्षिप्त टीकाएं बनाई गई जो स्तवक या टब्बा के नाम से विश्रुत हैं और वे लोकभाषाओं में सरल और सुबोध शैली में लिखी गईं। धर्मसिंह मुनि ने १८वीं शताब्दी में २७ आगमों पर बालावबोध टब्बे लिखे थे। उनके टब्बे मूलस्पर्शी अर्थ को स्पष्ट करने वाले हैं। उन्होंने आवश्यक पर भी टब्बा लिखा था। टब्बों के पश्चात् अनुवाद युग का प्रारम्भ हुआ। मुख्य रूप से आगम साहित्य का अनुवाद तीन भाषाओं में उपलब्ध है—अंग्रेजी, गुजराती और हिन्दी। आवश्यकसूत्र का अंग्रेजी अनुवाद नहीं हुआ है, गुजराती और हिन्दी में ही अनुवाद हुआ है। शोध प्रधान युग में आवश्यकसूत्र पर पंडित मुख्लालजी सिंघवी तथा उपाध्याय अमरसुनिजी प्रभृति विज्ञों ने विषय का विश्लेषण करने के लिये हिन्दी में शोध निबन्ध भी प्रकाशित किये हैं।

आधुनिक युग मुद्रण का युग है। इस युग में विराट् साहित्य मुद्रित होकर जनता-जनादेन के कर-कमलों में पहुंचा है। आगमों के प्रकाशन का कार्य विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय-समय पर हुआ है। आवश्यकसूत्र और उसका व्याख्यासाहित्य इस प्रकार प्रकाशित हुआ है—

सन् १९२८ में आगमोदय समिति बम्बई ने आवश्यकसूत्र भद्रबाहुनियुक्ति और मलथगिरि वृत्ति के साथ प्रथम भाग प्रकाशित किया। उसका द्वितीय भाग सन् १९३२ में तथा तृतीय भाग सन् १९३६ में देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्घार सूरत से प्रकाशित हुए।

सन् १९१६-१७ में आवश्यक भद्रबाहुनियुक्ति हारिभ्रीया वृत्ति के साथ आगमोदय समिति बम्बई से प्रकाशित हुई।

सन् १९२० में आवश्यकसूत्र मलधारी हेमचन्द्र विहित प्रदेशाव्याख्या के साथ देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्घार बम्बई ने प्रकाशित किया।

सन् १९३९ और १९४१ में भद्रबाहुकृत आवश्यकनियुक्ति की माणिक्यशेखर विरचित दीपिका विजयदान सूरीश्वर जैन ग्रन्थमाला, सूरत से प्रकाशित हुई।

सन् १९२८ और सन् १९२९ में आवश्यकचूर्ण जिनदासरचित् ऋषः पूर्व भाग और उत्तर भाग प्रकाशित हुआ है। वीर संवत् २४२७ से २४४१ में विशेषावश्यकभाष्य शिष्यहिताख्य बृहदवृत्ति, मलधारी आचार्य हेमचन्द्र की टीका सहित, यशोविजय जैन ग्रन्थमाला बनारस से प्रकाशित हुआ। सन् १९२३ में 'विशेषावश्यक-गाथानामकारादिक्रमः तथा विशेषावश्यकविषयाणामनुक्रमः' आगमोदय समिति बम्बई से प्रकाशित हुए।

सन् १९६६ में विशेषावश्यकभाष्य स्वोपज्ञवृत्ति सहित लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर से तीन भागों में प्रकाशित हुआ है।

सन् १९३६ और १९३७ में कोटधाचार्य कृत विशेषावश्यकभाष्य विवरण का प्रकाशन ऋषभदेवजी केसरीमलजी प्रचारक संस्था रत्नाम से हुआ। सन् १९३६ में ही आवश्यक नमिसार वृत्ति विजयदान सूरीश्वर ग्रन्थमाला बम्बई से प्रकाशित हुई।

सन् १९५८ में पूर्य धासीलालजी महाराजकृत आवश्यकसूत्र संस्कृत व्याख्या हिन्दी व गुजराती अनुवाद से साथ जैनशास्त्रोद्घार समिति राजकोट ने प्रकाशित किया।

सन् १९०६ में आवश्यकसूत्र गुजराती अनुवाद के साथ भीमसी माणेक बम्बई ने और सन् १९२४ से २७ तक आगमोदय समिति बम्बई ने गुजराती अनुवाद प्रकाशित कर अपनी साहित्यिक रुचि का परिचय दिया। वीर संवत् २४४६ में आचार्य अमोलकक्षिजी ने ३२ आगमों का जो हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया, उस लड़ी की कड़ी में आवश्यकसूत्र भी प्रकाशित हुआ।

आवश्यकसूत्र का मूल पाठ भी अनेक स्थलों से प्रकाशित हुआ है। गुडगांव छावनी से सन् १९५४ में मुनि फूलचन्दजी 'पुफ्फिभिकखु' ने सुत्तगमे का प्रकाशन करवाया, उस में तथा सैलाना से सन् १९८४ में प्रकाशित 'अंगपविट्ठसुत्ताणि' में मूल पाठ प्रकाशित हुआ है। आगमप्रभावक मुनि पुष्यविजयजी महाराज ने जैन आगम ग्रन्थमाला के अन्तर्गत ईस्ती सन् १९७७ में श्री महावीर जैन विद्यालय बम्बई से 'दसवेयालियसुत्त उत्तरज्ञक्यणाहं आवस्यसुत्त' शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। यह अनेक ग्रन्थों के टिप्पण, सूत्रानुक्रम, विशेषनामानुक्रम आदि अनेक परिशिष्टों के साथ प्रकाशित है। शोधाधियों के लिये बहुत ही उपयोगी है।

संवत् २००७ में सन्मति ज्ञानपीठ आगरा से सामायिकसूत्र और श्रमणसूत्र हिन्दी विवेचन सहित प्रकाशित हुआ है।

प्रस्तुत संस्करण और सम्पादन

समय-समय पर आवश्यकसूत्र पर बहुत लिखा गया है और विभिन्न स्थानों से उसका प्रकाशन भी हुआ है। उसी प्रकाशन की ध्वनि परम्परा में प्रस्तुत प्रकाशन भी है। श्रमण संघ के युवाचार्य स्वर्गीय पण्डितप्रबर मधुकर मिश्रीमलजी महाराज की यह हार्दिक इच्छा थी कि आगमबत्तीसी का प्रकाशन हो। उनके संयोजकत्व और प्रधान सम्पादकत्व में आगम प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ हुआ। स्वल्प समय में ही अनेक आगमों के शानदार प्रकाशन हुए। पर परिताप है कि युवाचार्यभी की कमनीय कल्पना उनके जीवनकाल में पूर्ण नहीं हो सकी। सन् १९८३ में उनका स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास से एक महामनीषी सन्तरत्न की क्षति हुई। उनकी हार्दिक इच्छा को मूर्त्त रूप देने का उत्तरदायित्व सम्पादक मण्डल और प्रकाशन समिति का था। प्रसन्नता है सम्पादक मण्डल और प्रकाशन समिति ने अपना उत्तरदायित्व निष्ठा के साथ निभाया है और अनेक मूर्धन्य मनीषियों के सहयोग से इस कार्य को सम्पन्न करने का संकल्प किया है। आवश्यकसूत्र के सम्पादन का श्रेय परम विद्युपी साध्वीरत्न उमरावकुंवरजी 'अर्चना' की सुशिष्या विदुषा महासती श्री सुप्रभाजी एम. ए., साहित्यरत्न, सिद्धान्ताचार्य को है। इसमें शुद्ध मूल पाठ, विशिष्ट शब्दों का अर्थ, भावार्थ और साथ ही आवश्यक विवेचन दिया गया है, अतएव यह संस्करण सर्वसाधारण के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने बहुत ही लगन के साथ इस ग्रन्थ-रत्न का सम्पादन किया है। साध्वी सुप्रभाजी उदीयमान लेखिका तथा विविध विषयों की ज्ञाता हैं। महामनीषी, आगमप्रकाशन माला के प्राण पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल ने अपनी कलम के स्पर्श से सम्पादन को निखारा है। भारिल्ल जी की पैनी दृष्टि से सम्पादन में चार-चांद लग गये हैं। आशा है अन्य आगमों की भाँति यह आगम भी जनमानस में समादृत होगा।

आवश्यकसूत्र पर बहुत ही विस्तार से प्रस्तावना लिखने का भेरा विचार था पर अन्यान्य ग्रन्थों के लेखन में व्यस्त होने से सक्षेप में ही कुछ लिख गया हूँ, उसका सारा श्रेय महामहिम विश्वसन्त अध्यात्मयोगी पूज्य गुह्देव उपाध्याय श्री पुष्करमुनि जी महाराज की महती कृपा-दृष्टि को है। उनकी महान् कृपा से ही मैं लेखन के क्षेत्र में कुछ कार्य कर सका हूँ। आवश्यकसूत्र के रहस्य को समझने के लिये यह प्रस्तावना कुछ उपयोगी होगी तो मैं अपना श्रम सार्थक समझूँगा। आज भौतिकवाद की धार्धी में मानव बहिर्मुखी होता चला जा रहा है। वह अपने-आप को भूलकर पर-पदार्थों को प्राप्त करने के लिये ललक रहा है और उसके लिये अन्याय, अत्याचार और अब्द्धाचार को अपना रहा है, जिससे वह स्वयं अशात है, परिवार, समाज और राष्ट्र में सर्वांग अशांति की ज्वाला धघक रही है। उससे मानव व्यथित है, समाज परेशान है और राष्ट्र चिन्तित है। यह प्रगति नहीं, उसके नाम पर पनपने वाला भ्रम है। आज आवश्यकता है, जो अतिक्रमण हुआ है उससे पुनः स्वभाव की ओर लौटने की। आवश्यकसूत्र साधक को परभाव से हटाकर निजभाव में लाने का सन्देश प्रदान करता है। उस सन्देश को हम जीवन में उतार कर अपने को पावन बनाएं, यही आत्मरिक कामना !

जैन स्थानक
बीरनगर, बिल्ली-७
१८-७-८५

—देवेन्द्रमुनि शास्त्री

आग्राम प्रकाशन रामिति, हयावर


(कार्यकारिणी समिति)

१.	श्रीमान् सागरमलजी बेताला	अध्यक्ष	इन्दौर
२.	" रतनचन्दजी मोदी	कार्यवाहक अध्यक्ष	ब्यावर
३.	" धनराजजी विनायकिया	उपाध्यक्ष	ब्यावर
४.	" एम० पारसमलजी चोरड़िया	उपाध्यक्ष	मद्रास
५.	" हुकमीचन्दजी पारख	उपाध्यक्ष	जोधपुर
६.	" दुलीचन्दजी चोरड़िया	उपाध्यक्ष	मद्रास
७.	" जसराजजी पारख	उपाध्यक्ष	दुर्ग
८.	" जी० सायरमलजी चोरड़िया	महामन्त्री	मद्रास
९.	" अमरचन्दजी मोदी	मन्त्री	ब्यावर
१०.	" ज्ञानराजजी मूथा	मन्त्री	पाली
११.	" ज्ञानचन्दजी विनायकिया	सह-मन्त्री	ब्यावर
१२.	" जंवरीलालजी शिशोदिया	कोषाध्यक्ष	ब्यावर
१३.	" आर० प्रसन्नचन्दजी चोरड़िया	कोषाध्यक्ष	मद्रास
१४.	" श्री माणकचन्दजी संचेती	परामर्शदाता	जोधपुर
१५.	" एस० सायरमलजी चोरड़िया	सदस्य	मद्रास
१६.	" मोतीचन्दजी चोरड़िया	"	मद्रास
१७.	" मूलचन्दजी सुराणा	"	नागौर
१८.	" तेजराजजी भण्डारी	"	महामन्दिर
१९.	" भंवरलालजी गोठी	"	मद्रास
२०.	" प्रकाशचन्दजी चोपड़ा	"	ब्यावर
२१.	" जतनराजजी मेहता	"	मेहतासिटी
२२.	" तनसुखचन्दजी बोहरा	"	दुर्ग
२३.	" चन्दनमलजी चोरड़िया	"	मद्रास
२४.	" सुमेरमलजी मेहतिया	"	जोधपुर
२५.	" आसूलालजी बोहरा	"	महामन्दिर

आवृत्यकसूत्रम् : विषयानुक्रमणिका

गुरुवन्दनसूत्र	३	तीन गौरव	३७
नमस्कारसूत्र	४	तीन विराधन	३८
प्रथम अध्ययन : सामायिक		चार कषाय	३८
प्रतिज्ञासूत्र	५	चार संज्ञा	३८
मंगलसूत्र	६	चार विकथा	३८
उत्तम चतुष्टय	७	चार व्यान	३८
शरण-सूत्र	८	पांच क्रिया	३८
(मधिष्ठ) प्रतिक्रमण-सूत्र	९	पांच कामगुण	३८
ऐर्यापिधिक-सूत्र	१०	पांच महाव्रत	३८
विशिष्ट शब्दों का स्पष्टीकरण	१३	पांच समिति	३८
आगम-सूत्र	१५	अह जीवनिकाय	३९
ज्ञान में अतिचारों का पाठ	१५	अह लेश्या	३९
द्वितीय अध्ययन : चतुर्विशतिस्तव		सात भयस्थान	३९
चतुर्विशतिस्तव का पाठ	१६	शाठ भद्रस्थान	३९
तृतीय अध्ययन : वन्दन		नौ ब्रह्मचर्यगुप्ति	३९
इच्छापि खमासमण्ड	१९	दस श्रमणधर्म	३९
वन्दन विवि	२२	भ्यारह उपासकप्रतिमा	३९
प्राशातनाशों के तेतीस प्रकार	२४	बारह भिक्षुप्रतिमा	३९
चतुर्थ अध्ययन : प्रतिक्रमण		तेरह क्रियास्थान	३९
अतिचारों का पाठ	२६	चौदह भूतग्राम	३९
शत्र्यासूत्र	२९	पन्द्रह परमाधार्मिक	३९
भिक्षादेषनिवृत्ति-सूत्र	३१	सोलह गाथाषोडशक	३९
स्वाध्याय तथा प्रतिलेखना-दोषनिवृत्तिसूत्र	३३	सत्रह असंयम	३९
तेतीस बोल का पाठ	३५	अठारह अब्रह्मचर्य	३९
एक असंयम	३७	उत्तीस ज्ञातासूत्र-अध्ययन	३९
दो बंधन	३७	बीस असमाधिस्थान	३९
तीन दंड	३७	इक्कीस शबलदोष	३९
तीन गुप्ति	३७	बाईस परीषह	३९
तीन शत्य	३७	तेहस सूत्रकृतांग अध्ययन	३९
		चीबीस देव	३९
		पच्चीस भावना	३९

छब्बीस दशाधुतस्कन्ध,	४०	६. दिग्द्रवत के अतिचार	१०९
बृहत्कल्प, व्यवहारसूत्र		७. उपभोग-परिभोगपरिमाण व्रत के अतिचार	१०२
त्रयी के छब्बीस अध्ययने		८. अनर्थदण्डविरमणव्रत के अतिचार	१०४
सत्ताईस अनगारगुण	४०	९. सामायिकव्रत के अतिचार	१०५
अट्टाईस आचारप्रकल्प	४०	१०. देशावकाशिकव्रत के अतिचार	१०५
उनतीस पापशुत्प्रसंग	४०	११. पौषधव्रत के अतिचार	१०६
तीस महामोहनीयस्थान	४०	१२. अतिथिसंविभागव्रत के अतिचार	१०६
इकतीस सिद्धगुण	४०	पंचम अध्ययन : कायोत्सर्ग	
बत्तीस योगसंग्रह	४०	कायोत्सर्ग का स्पष्टीकरण	१०६
तेतीस आशातना	४०	षष्ठाध्ययन : प्रत्याख्यान	
प्रतिज्ञासूत्र (निर्झन्य-प्रवचन का फ़ाल)		५५. प्रत्याख्यान के प्रकार	११०
बड़ी संलेखना का फ़ाल		५६. नमस्कारसहित सूत्र	१११
पांच पदों की वन्दना		५८. पौर्णीसूत्र	११२
दर्शनसम्यकव्रत का फ़ाल		५९. पूर्वार्धसूत्र	११३
गुरु-गुणस्मरणसूत्र		६०. एकाशनसूत्र	११४
आमणासूत्र		६२. एगट्टाण पञ्चकद्वाण	११५
चौरासी लाख जीवयोनि का फ़ाल		६३. श्रावास्त्र—श्राव्यबिल प्रत्याख्यानसूत्र	११६
कुलकोडी खमाने का फ़ाल		६३. अभक्तार्थ—उपवाससूत्र	११७
प्रणिपात्रसूत्र		६५. दिवसचरिमसूत्र	११८
व्रतों की उपयोगिता		६९. अभिग्रहसूत्र	११९
कारह व्रतों के अतिचारों का प्रतिक्रमण		७१. निर्विकृतिकसूत्र	१२०
१. अर्हिसागुणव्रत के अतिचार	९९	प्रत्याख्यान पारणासूत्र	१२०
२. मृषावाद विरमण व्रत के अतिचार	९९	परिशिष्ट	
३. अदत्तादान विरमणाणुव्रत के अतिचार	१००	१०१. आदर्शक की विधि	१२२
४. ब्रह्मचर्याणुव्रत के अतिचार	१००		
५. परिप्रहृपरिमाणव्रत के अतिचार	१०१		



आवर्सयसुतं

आवश्यकसूत्रम्

आतशयकः सूत्रम्

गुरुवन्दनसूत्र

तिष्ठुतो आयाहिणं पयाहिणं करेमि, वंदामि, नमंसामि, सक्कारेमि, सम्माणेमि, कल्त्ताणं
मंगलं देवयं चेह्यं पञ्जुवासामि मत्थएण वंदामि ।

भावार्थ—हे गुरु महाराज ! मैं अञ्जलिपुट को तीन बार दाहिने हाथ की ओर से प्रारंभ करके फिर दाहिने हाथ की ओर तक घुमाकर अपने ललाटप्रदेश पर रखता हुआ प्रदक्षिणापूर्वक स्तुति करता हूँ, पांच अंग भुकाकर वन्दना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत्कार करता हूँ, (वस्त्र, अन्न आदि से) सम्मान करता हूँ, आप कल्याण-रूप हैं, मंगल-स्वरूप हैं, आप देवतास्वरूप हैं, चैत्य अर्थात् ज्ञानस्वरूप हैं ।

अतः हे गुरुदेव ! मैं मन, वचन और शरीर से आपकी पर्युपासना—सेवाभक्ति करता हूँ तथा विनय-पूर्वक मस्तक भुकाकर आपके चरण-कमलों में वन्दना करता हूँ ।

विवेचन—भारतीय संस्कृति में गुरु का महस्त्वपूर्ण स्थान है । यदि जीवन में सद्गुरु का सान्निध्य प्राप्त न हो तो प्रभु-दर्शन भी कठिन हो जाता है । प्रत्येक मंगलकार्य के प्रारंभ में भक्ति एवं श्रद्धा के साथ गुरु को वन्दन किया जाता है ।

एक दृष्टि से भगवान् से भी सद्गुरु का महस्त्व अधिक है । एक वैदिक ऋषि ने तो यहाँ तक कहा है—भगवान् यदि रुष्ट हो जाय तो सद्गुरु बचा सकता है पर सद्गुरु रुष्ट हो जाय तो भगवान् की शक्ति नहीं, जो उसे उबार सके ।

हूरौ रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरौ रुष्टे न वै शिवः ।

तस्मात्सर्वप्रथनेन, गुरुमेव प्रसादयेत् ॥

वस्तुतः सद्गुरु का महस्त्व अपरम्पार है । दीपक को प्रकाशित करने के लिये जैसे तेल की आवश्यकता है, घड़ी को चलाने के लिए चाबी की जरूरत है, शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है । सद्गुरु ही जीवन के सच्चे कलाकार हैं । **अतः** गुरुदेव ही भव-सिन्धु में नौका स्वरूप हैं, जो भव्य प्राणियों को किनारे लगाते हैं । अज्ञानरूप अन्धकार में भटकते हुए प्राणी के लिए गुरु प्रदीप के समान प्रकाशदाता हैं । विश्व में गुरु से बढ़कर अन्य कोई भी उपकारी नहीं है । अनेक भक्तों ने तो यहाँ तक कह डाला है कि—“गुरु न तजूँ हरि को तज डालूँ ।” क्योंकि हिताहित का बोध कराने वाले गुरु ही होते हैं । ऐसे परम उपकारी गुरुदेव की चरण-वन्दना, सेवा, अर्चना आदि शिष्य समर्पण भाव से करे तब ही वह जीवन और जगत् का रहस्य समझ सकता है ।

नवकारमंत्र के संबंध में जैनपरम्परा की मान्यता है कि यह सम्पूर्ण जैन वाङ्मय अथवा चौदह पूर्वों का सार है, निचोड़ है। जैन साहित्य का सर्वश्रेष्ठ मंत्र नवकारमंत्र है। वह दिव्य समझाव का प्रमुख प्रतीक है। इसमें विना किसी साम्प्रदायिक भेदभाव के, विना किसी देश, जाति अथवा धर्म की विशेषता के केवल गुण-पूजा का महत्व बताया गया है। प्राचीन धर्म-ग्रन्थों में नवकारमंत्र का दूसरा नाम परमेष्ठीमंत्र भी है। जो महान् आत्माएँ परम पद में अर्थात् उच्च स्वरूप में स्थित हैं, वे परमेष्ठी कहलाती हैं।

नवकारमंत्र के नमस्कारमंत्र, परमेष्ठीमंत्र आदि अनेक नाम हैं। परन्तु सबसे प्रसिद्ध नाम नवकारमंत्र ही है। नवकारमंत्र में नी पद हैं, अतः इसे नवकारमंत्र कहते हैं। पांच पद मूल पदों के हैं और शेष चार पद चूलिका के हैं। अरिहन्त आदि पांच पद साधक तथा सिद्ध की भूमिका के हैं और अन्तिम चार पद महामंत्र की भूमिका के निदर्शक हैं।

मुमुक्षु मानवों ने नमस्कार को बहुत महत्वपूर्ण माना है। नमस्कार, नम्रता एवं गुणग्राहकता का विशुद्ध प्रतीक है। अपने से श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ आत्माओं को नमस्कार करने की परंपरा अनादिकाल से अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। अरिहन्तों के बारह, सिद्धों के आठ, आचार्यों के छत्तीस, उपाध्यायों के पञ्चवीस एवं साधुओं के सत्ताईस गुण हैं। इन गुणों से मुक्त इन पांचों पदों के बाच्य महान् आत्माओं को किया गया नमस्कार इस नश्वर संसार से सदा के लिए छुटकारा दिलाकर शाश्वत शिव-सुख का प्रदाता है।

प्रथम पद अरिहन्त का है। अरिहन्त में दो शब्द हैं—‘अरि’ और ‘हन्त’। अरि का अर्थ है—राग-द्वेष आदि अन्दर के शत्रु और हन्त का अर्थ है—नाश करने वाला।

अरिहन्त पद का दूसरा अर्थ इस प्रकार है—जिसने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय, इन चार घनधातिक कर्मों का नाश करके केवलज्ञान, केवलदर्शन को प्राप्त कर लिया है, वह जीवन्मुक्त परमात्मा अरिहन्त है।

अरिहन्त पद के आचार्यों ने अनेक पाठान्तरों का उल्लेख किया है, यथा—अरहन्त, अर्हन्त, अरुहन्त, अरोहन्त आदि। जिनके लिये जगत् में कोई रहस्य नहीं रह गया है, जिनके केवलज्ञान-दर्शन से कुछ छिपा नहीं है, वे अरहन्त हैं। जो अशोकवृक्ष आदि प्रतिहार्यों से पूजित हैं, वे अर्हन्त हैं। जिन्हें फिर कभी जन्म नहीं लेना है अर्थात् जो जन्म-मरण से सदा के लिए छुटकारा पा चुके हैं, उन्हें ‘अरुहन्त’ या ‘अरोहन्त’ कहते हैं।

दूसरा पद ‘नमो सिद्धाण्ड’ है। सिद्ध का अर्थ है—पूर्ण अर्थात् जिनकी साधना पूरी हो चुकी है। जो महान् आत्मायें कर्म-मल से सर्वथा मुक्त होकर जन्म-मरण के चक्र से सदा के लिये छुटकारा पाकर अजर, अमर, सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, वे सिद्ध पद से सम्बोधित होते हैं। सिद्धों का सिद्धत्व बोढ़ मान्यता के अनुसार दीपक बुझ जाने की तरह अभावस्वरूप नहीं है और न किसी विराट् सत्ता में विलीन हो जाना है, अपितु सद्भाव स्वरूप है। सिद्धों के सुख अपार हैं। चक्रवर्ती आदि मनुष्यों को तथा समस्त देवों को भी सुख प्राप्त है पराश्रित है किन्तु उससे भी अनुपम, अनन्त अव्याबोध एवं अनिर्वचनीय आध्यात्मिक सुख सिद्धों को सदैव प्राप्त रहता है। विस्तार से उस सुख का वर्णन जानने के लिये औपचारिक सूत्र (आगम प्रकाशन समिति व्यावर, पृ. १८०-१८१) देखना चाहिये।

विशिष्ट शब्दों का अर्थ

तिक्खुसो—तिकृत्वः—तीन बार ।

आयाहिणं—दाहिनी ओर से । इसका 'आदक्षिण' संस्कृत रूप बनता है ।

पयाहिणं—का संस्कृत रूप 'प्रदक्षिणम्' होता है । अर्थात् दाहिनी ओर से प्रदक्षिणापूर्वक ।

बंदामि—वन्दन करता हूँ । वन्दन का अर्थ है स्तुति करना ।

नमस्तामि—नमस्कार करता हूँ । इसका संस्कृत रूप 'नमस्यामि' है । वन्दना और नमस्कार में अन्तर है । वन्दना अर्थात् मुख से गुणगान करना, स्तुति करना और नमस्कार अर्थात् काया से नमीभूत होना, प्रणमन करना ।

कल्याणं—कल्याणं—कल्य अर्थात् मोक्ष प्रदान करने वाले या शांति प्रदान करने वाले ।

मंगलं—शुभं, क्षेमं, प्रशस्तं एवं शिवं ।

आवश्यकनिर्युक्ति के आधार पर आचार्य हरिभद्र ने दशवैकालिकसूत्र के प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा की टीका में लिखा है—

“मंग्यते -अधिगम्यते हितमनेन इति मंगलम्” अर्थात् जिसके द्वारा साधक को हित की प्राप्ति हो वह मंगल है ।

“मां गालयति भवादिति मंगलम्-संसारादपनयति” जो मुझे (आत्मा को) संसार के बन्धन से अलग करता है, छुड़ाता है, वह मंगल है । विशेषावश्यकभाष्य के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीहेमचन्द्राचार्य कहते हैं—“मङ्ग्यते-अलंक्रियते आत्मा येनेति मंगलम्” जिसके द्वारा आत्मा शोभायमान हो वह मंगल है । अथवा जिसके द्वारा स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त किया जाता है या पाप का विनाश किया जाता है, उसे मंगल कहते हैं ।

नमस्कारसूत्र

नमो अरिहताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं ।

नमो उद्गङ्घायाणं, नमो लोए सम्बसाहूणं ॥

भावार्थ—अरिहतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, मानव-लोक में विद्यमान समस्त साधुओं को नमस्कार हो ।

एसो पंच नमोक्कारो, सम्ब-पाद-प्यणासणो ।

मंगलाणं च सर्वेसि, पढमं हृष्टं मंगलं ॥

भावार्थ—उपर्युक्त पांच परमेष्ठी—महान् आत्माओं को किया हुआ यह नमस्कार सब प्रकार के पापों को पूर्णतया नाश करने वाला है और विश्व के सब मंगलों में प्रथम मंगल है ।

विवेचन—भारतीय-संस्कृति में जैनसंस्कृति का और जैनसंस्कृति में भी जैनधर्म का महत्वपूर्ण स्थान है । जैनपरम्परा में नमस्कारमन्त्र या नवकारमन्त्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र नहीं है । जैनधर्म अध्यात्म-प्रधान धर्म है । अतः उसका मन्त्र भी अध्यात्मभावना से ओतप्रोत है ।

तीसरा पद 'नमो आयरियाण' है। आचार्य भारतीय संस्कृति का सच्चा संरक्षक है, पथप्रदर्शक है तथा आलोक-स्तंभ है। आचार्य कोई साधारण साधक न होकर एक विशिष्ट साधक है। आचार्य को धर्म-प्रधान श्रमण-संघ का पिता कहा है। "आचार्यः परमः पिता।" तीर्थकर तो नहीं पर तीर्थकर सदृश है। वह ज्ञानाचार, दर्शनाचार आदि पांच आचारों का स्वयं दृढ़ता से पालन करता है तथा अन्य साधकों को दिशा-दर्शन देता है। दीपक की तरह स्वयं जलकर दूसरे आत्म-दीपों को प्रदीप्त करता है। साधु, साध्वी श्रावक और श्राविका—यह चतुर्विध संघ है, इसकी आध्यात्मिक-साधना के नेतृत्व का भार आचार्य पर ही होता है। "नमो आयरियाण" इस पद के द्वारा अनन्त-अनन्त भूत, वर्तमान एवं अनागत आचार्यों को नमस्कार किया जाता है।

चतुर्थ पद में उपाध्यायों को नमस्कार किया गया है। यह पद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधक-जीवन में विवेक-विज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता है। भेद-विज्ञान के द्वारा जड़ और चेतन के, धर्म और अधर्म के, उत्थान एवं पतन के, संसार और मोक्ष के पृथक्करण का भान होने पर ही साधक अपना उच्च एवं आदर्श जीवन बना सकता है और साधना के सर्वोत्तम शिखर पर पहुंच सकता है। अतः आध्यात्मिक विद्या के शिक्षण का कर्तृत्व उपाध्याय पर है।

"उप-समीपेऽधीयते यस्मात् इति उपाध्यायः।" उपाध्याय मानव-जीवन की अन्तर्गतियों को सूक्ष्म पद्धति से सुलझाते हैं और पापाचार के प्रति विरक्ति की तथा सदाचार के प्रति अनुरक्ति की शिक्षा देने वाले हैं। "नमो उवज्ञायाण" इस पद द्वारा अनन्तानन्त भूत, वर्तमान एवं आगामी काल के उपाध्यायों को बन्दना की जाती है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र से युक्त तथा सूत्र पढ़ाने के कारण उपकारी होने से उपाध्याय नमस्कार के योग्य है।

पांचवे पद में साधुओं को नमस्कार किया गया है। निर्वाण-साधक को अर्थात् सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र रूप रत्नों और इनके द्वारा मोक्ष को साधने वाले अथवा सब प्राणियों पर समभाव रखने वाले, मोक्षाभिलाषी भव्यों के सहायक तथा अद्वाई द्वौप रूप लोक में रहे हुए सभी सर्वज्ञ आज्ञानु-वर्ती साधुओं को नमस्कार हो। "साधयति मोक्षमार्गमिति साधुः" अर्थात् जो सम्यग्ज्ञान-दर्शन एवं चारित्र रूप रत्नत्रय की, मोक्षमार्ग की साधना करते हैं, वे साधु हैं।



[१]

प्रथम अध्ययन : सामायिक

प्रतिशासूत्र

करेमि भंते ! सामाइयं सब्दं सावज्जं जोगं पञ्चकदामि जावजीवाए, तिविहं तिविहेण—
मणेण, वायाए, काएण न करेमि, न कारवेमि, करतंपि अन्नं न समणुआणामि । तस्य भंते !
पडिककमामि, निवामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि ।

भावार्थ—भगवन् ! मैं सामायिक द्रत ग्रहण करता हूँ । अतः सावद्य-पाप कर्म वाले
व्यापारों का त्याग करता हूँ ।

जीवन पर्यन्त मन, वचन और शरीर—इन तीनों योगों से पाप कर्म न मैं स्वयं करूँगा, न
दूसरों से कराऊँगा और न करने वालों का अनुमोदन ही करूँगा ।

भंते ! पूर्वकृत पापों से निवृत्त होता हूँ, अपने मन से पापों को बुरा मानता हूँ, आपकी
साक्षी से उनकी गर्हा—निन्दा करता हूँ, अतीत में कृत पापों का पूर्णरूप से परित्याग करता हूँ ।

विवेचन—जब मोक्षाभिलाषी साधक, गृहस्थ जीवन से सर्वविरति-साधुता की ओर अग्रसर
होता है, तब यह सामायिकसूत्र बोला जाता है । विश्व-हितंकर संत के पद पर पहुँचने के लिये
इस सामायिक सूत्र का आलम्बन लेना जन परम्परा के अनुसार अनिवार्य है ।

सामायिक का उद्देश्य समभाव की साधना है । प्राणिमात्र पर समभाव रखना महान्
उच्च आदर्श है । शास्त्रकार कहते हैं—

‘जो समो सब्बभूएसु, तसेसु थावरेसु य ।

तस्य सामाइयं होइ, इइ केवलिभासियं ।’—अनुयोगद्वार

केवली भगवान् ने कहा है—जो (साधक) समस्त त्रस और स्थावर जीवों के प्रति समभाव
धारण करता है, उसी को सामायिक की प्राप्ति होती है ।

जैनधर्म समताप्रधान धर्म है, समता की साधना को ही सामायिक कहते हैं । सामायिक
शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—‘समस्य आयः समायः, सः प्रयोजनं यस्य तत् सामायिकम्’ अर्थात्
वह अनुष्ठान जिसका प्रयोजन जीवन में समता लाना है । गृहस्थ श्रावक सामायिक स्वीकार करते
समय दो करण और तीन योग से साधारणतया एक भुहूर्तं अर्थात् ४८ मिनिट के लिए सावद्ययोग
का त्याग करता है । जैनधर्म में जो भी प्रत्याख्यान अथवा नियम किया जाता है उसमें करण और
योग का होना आवश्यक है । करण का अर्थ है—प्रवृत्ति । उसके तीन रूप हैं—(१) स्वयं करना,
(२) दूसरे से कराना और (३) अनुमोदन करना । योग का अर्थ है मन, वचन और शरीर ।

सर्वश्रेष्ठ त्याग तीनों करणों और तीनों योगों से होता है। मुनि की सामायिक तीन करण तीन योग से होती है, अतः सर्वोत्कृष्ट त्याग मुनि का माना गया है। गृहस्थ की सामायिक दो करण तीन योग से होती है। सामायिक पाठ का उच्चारण करते समय यदि कोई गृहस्थ श्रावक स्वयं सामायिक व्रत ग्रहण कर रहा है अथवा साधु उसे व्रत ग्रहण करवा रहा है तो 'दुविहं तिविहेण' पाठ बोला जाएगा और 'जावज्जीवाए' के स्थान पर 'जावनियमं' कहा जाएगा।

जैनधर्म में पतन के दो कारण माने गये हैं—योग और कषाय। योग का अर्थ है—मन, वचन और काया की हलचल। कषाय अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों आत्मा की वैषम्यपूर्ण अवस्थाएँ हैं। क्रोध उस अवस्था का नाम है, जब हम दूसरे को घृणा या द्वेष की दृष्टि से देखते हैं और हानि पहुँचाना चाहते हैं। मान की अवस्था में द्वेष भावना न्यून होने पर भी उस रूप में भेदबुद्धि रहती है, हम स्वयं को ऊँचा मानते हैं और दूसरे को नीचा, स्वयं को बड़ा और दूसरे को छोटा, अपने को धर्मर्त्मा एवं दूसरे को पापी, अधम मानते हैं। माया का अर्थ है स्वार्थ को प्रचल्य-रूप से या कपट के द्वारा पूर्ण करने की भावना। लोभ अर्थात् अधिक लाभ की इच्छा। लोभ-वस्था में स्वयं के स्वार्थ को जितना महत्व दिया जाता है, उतना दूसरे के स्वार्थ को नहीं। सामायिक इन्हीं प्रशुभ योगों और कषायों से ऊपर उठने की साधना है।

सामायिक पूर्ण करते समय गृहस्थ संभावित भूलों का चिन्तन करता है, जिन्हें जैन परिभाषा में 'अतिचार' कहते हैं। वे अतिचार पांच प्रकार के हैं—१. मनोदुषप्रणिधान, २. वचो-दुषप्रणिधान, ३. कायदुषप्रणिधान, ४. स्मृत्यन्तर्धान, ५. अनवस्थितता। प्रणिधान का अर्थ है—विनियोग, जिसे अंग्रेजी में Investment कहा जाता है। दुषप्रणिधान का अर्थ है—गलत विनियोग (Wrong Investment)। मन, वचन और काया प्रत्येक साधक की बहुमूल्य सम्पत्ति है। स्मृत्यन्तर्धान का अर्थ है—इस बात को भूल जाना कि मैं सामायिक में हूँ और व्यथा की बातों में लगना। साधक को सदा जागरूक रहना चाहिये। अनवस्थितता का अर्थ है—चंचलता अथवा अन्यमनस्कता। जितने समय के लिये व्रत लिया है, उसे स्थिरता के साथ पूरा करना चाहिये।

मंगलसूत्र

चत्तारि मंगल—

अरिहन्ता मंगल,

सिद्धा मंगल,

साधु मंगल,

केवलि-पण्णतो धम्मो मंगलं ।

भावार्थ—संसार में चार मंगल हैं—

(१) अरिहन्त भगवान् मंगल हैं ।

(२) सिद्ध भगवान् मंगल हैं ।

(३) साधु-महाराज मंगल हैं ।

(४) सर्वज्ञप्ररूपित धर्म मंगल है ।

चिवेचन—मंगल दो प्रकार के हैं—लौकिक मंगल और लोकोत्तर मंगल दधि, अक्षत, पुष्पमाला

आदि लौकिक मंगल माने गए हैं। सूत्रोक्त अरिहन्त आदि लोकोत्तर मंगल हैं। लौकिक मंगल एकान्त और आत्मनिष्ठ मंगल नहीं होते। अतः आध्यात्मनिष्ठ आत्मार्थी महापुरुषों ने लौकिक मंगल से पृथक् अलौकिक मंगल की शोध की है। अलौकिक मंगल कभी अमंगल नहीं होता है। सांसारिक उलझनों से भरे लौकिक मंगल से आज दिन तक न तो किसी ने स्थायी शान्ति प्राप्त की है और न भविष्य में ही कोई कर पाएगा। स्थायी आनन्द जब तक न मिले, तब तक वह मंगल कैसा ? अतः अलौकिक मंगल ही वास्तविक मंगल है।

प्रस्तुत चार मंगलों में प्रथम दो मंगल आदर्श रूप हैं। हमारे जीवन का अन्तिम लक्ष्य क्रमशः अरिहंत और अन्त में सिद्ध पद की प्राप्ति करना ही है। अरिहन्त और सिद्ध पूर्ण आत्मविशुद्धि अर्थात् सिद्धता के आदर्श होने से आदर्श मंगल है, जबकि साधु साधकता के आदर्श मंगल हैं। साधु पद में आचार्य और उपाध्याय भी समाहित हो जाते हैं।

सबसे अन्त में धर्म-मंगल आता है। इसी के प्रभाव से या धर्म के फलस्वरूप ही पूर्ववर्ती अन्य पदों की प्रतिष्ठा है। धर्म की शक्ति सर्वोपरि है।

उत्तमचतुष्टय

चत्तारि लोगुतमा—

अरिहंता लोगुतमा,
सिद्धा लोगुतमा,
साधू लोगुतमा,
केवलि-पण्णतो धन्मो लोगुतमो ।

भावार्थ—संसार में चार उत्तम अर्थात् सर्वश्रेष्ठ हैं—

१. अरिहंत भगवान् लोक में उत्तम हैं,
२. सिद्ध भगवान् लोक में उत्तम हैं,
३. साधु महाराज लोक में उत्तम हैं,
४. सर्वज्ञप्ररूपित धर्म लोक में उत्तम है।

विवेचन—आगमकारों ने कहा है कि उत्तम चार हैं। अनंत काल से भटकती हुई भव्य आत्माओं को उत्थान के पथ पर ले जाने वाले अरिहन्त, सिद्ध, साधु और धर्म ये चार ही उत्तम हैं तथा जो उत्तम होता है, वही मंगल होता है। यह बात विश्व-विष्यात है कि आज सासार का प्रत्येक प्रबुद्ध प्राणी उत्तम की शोध में लगा हुआ है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र हो। चार उत्तमों में अरिहंत और सिद्ध परमात्मा के रूप में उत्तम हैं। कर्ममल के दूर हो जाने के बाद आत्मा का शुद्ध ज्योति रूप हो जाना ही परमात्मत्व है। साधु पद में आचार्य, उपाध्याय और मुनि, महात्मा के रूप में उत्तम हैं। आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनने के लिये धर्म ही एक मात्र उत्तम एवं उत्कृष्ट साधन है। कहा भी है—‘धारणाद् धर्मः’ अर्थात् दुर्गति में गिरती हुई आत्माओं को जो धारण करता है, वहांता है, वही उत्तम धर्म है।

आगमकार ने इसी सिद्धान्त पर प्रकाश डाला है कि धर्म सब मंगलों का मूल है। यदि

पुण्य में सुगन्धि न हो, अर्थि में उछिता न हो, जल में शीतलता न हो, मिसरी में मिठास हो तो उनका क्या स्वरूप रहेगा ? कुछ भी नहीं । ठीक यही दशा धर्महीन मानव की है । कहा है—“धर्मेण हीना: पशुभिः समानाः” अर्थात् धर्महीन मानव और पशु में कोई अन्तर नहीं—दो समान हैं । धर्म की साधना शुभ की साधना है । साधना हो प्रकार की है—१. नीति की साधना और २. धर्म की साधना । नीति की साधना, पुण्य की साधना है । यह साधना केवल नैतिकता ले जा सकती है और धर्म-प्राप्ति की नीति का काम करती है । धर्म की साधना मुक्ति तक जाती है ।

शरणसूत्र

चत्तारि सरणं पवर्ज्जामि—

अरिहंते सरणं पवर्ज्जामि,

सिद्धे सरणं पवर्ज्जामि,

साधू सरणं पवर्ज्जामि,

केवलि-पञ्चात्मं धर्मं सरणं पवर्ज्जामि ।

भावार्थ—मैं चार की शरण स्वीकार करता हूँ—

१. अरिहंतों की शरण स्वीकार करता हूँ,

२. सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ,

३. साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ,

४. सर्वज्ञप्ररूपित धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ ।

विवेचन—विश्व का कोई भी भौतिक पदार्थ मानव को वास्तविक रूप में शरण नहीं सकता है । चाहे माता हो, पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, धन-वैभव हो अथवा अन्य कोई स्वज परिजन हो । किन्तु इस तथ्य को न जानकर अज्ञानी मानव दुनिया के नश्वर पदार्थों को ही शासमझता है ।

वास्तविकता यह है कि विश्व में सिवाय अरिहंत, सिद्ध, साधु और सर्वज्ञप्ररूपित धर्म अतिरिक्त अन्य कोई शरणदाता नहीं है । जितने भी अतीत एवं वर्तमान में दुष्ट जन शिष्ट बने वे चार शरण स्वीकार करने पर ही बने हैं । मनुष्य धर्म की शरण में आना चाहता है । धर्म शरण देने की क्षमता है “धर्मो दीपो पइट्टा ण” अर्थात् धर्म एक दीप है—प्रकाशपुंज है, १ प्रतिष्ठा है—एक आधार है, एक गति है । शरण देने वाले भी अनेक हो सकते हैं किन्तु व उत्तम शरण है जो हमें ज्ञान देता है । संकटों से उबारता है, भय से विमुक्त करके निर्भय बना है । संसार का कौन-सा पदार्थ है जो हमें सदा के लिए मृत्यु के भय से बचा सके ? पाप-कर्मों अनिष्ट विपाक से हमारी रक्षा कर सके ? यह शक्ति सूत्रोक्त चार की शरण अहं में ही । अतएव यही चार पारमार्थिक दृष्टि से शरण-भूत हैं ।

प्रतिक्रमण-सूत्र

इच्छामि ठामि काउस्त्वं जो मे देवसिंहो भद्रयारो कमो काइझो, बाइझो, माणसि

उत्सुक्तो, उत्प्रग्नो, अकल्पो, अकरणिक्षी, दुष्काशी, दुर्विचितिश्ची प्रेणायारो, अणिछित्यव्याहो, असमणपाडग्नो, नाजे तह दंसणे चरिते सुए सामाइए, तिष्ठं गुणीणं, चउष्ठं कसायाणं, पंचष्ठं महव्याणं, छण्ठं जीवनिकायाणं, सत्त्वं पिङ्गलाणं, अदृष्टं पवयमाऊणं, नवज्ञं दंभवेगगुतीणं, दसविहं समणधन्मे, समणाणं जोगाणं जं खंडियं जं विराहियं तत्स मिष्ठा मि दुष्कडं ॥

भावार्थ—हे भदन्त ! मैं चित्त को स्थिरता के साथ, एक स्थान पर स्थिर रहकर, ध्यान-मौ। के सिवाय अन्य सभी व्यापारों का परित्याग रूप कायोत्सर्ग करता हूँ । [परन्तु इसके पहले शिष्य अपने दोषों की आलोचना करता है—] ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में तथा विशेष रूप से श्रुतधर्म में, सम्यक्त्व रूप तथा चारित्र रूप, सामायिक में 'जो मे देवसिद्धो' अर्थात् मेरे द्वारा प्रमादवश दिवस सम्बन्धी (तथा रात्रि सम्बन्धी) संयम मर्यादा का उल्लंघन रूप जो अतिचार किया गया हो, चाहे वह कायिक, वाचिक अथवा मानसिक अतिचार हो, उस अतिचार का पाप मेरे लिए निष्फल हो ।

वह अतिचार सूत्र के विरुद्ध है, मार्ग अर्थात् परम्परा से विरुद्ध है, अकल्प—आचार से विरुद्ध है, नहीं करने योग्य है, दुष्यान-आत्मध्यान रूप है, दुर्विचित्ति—रोदध्यान रूप है, नहीं आचरने योग्य है, नहीं चाहने योग्य है, संक्षेप में साधुवृत्ति के सर्वथा विपरीत है—साधु को नहीं करने योग्य है ।

योग-निरोधात्मक तीन गुप्ति, चार, कषायों की निवृत्ति, पांच महाव्रत, छह पृथिवीकाय, जलकाय आदि जीवनिकायों की रक्षा, सात पिण्डेषणा—(१. अससृष्टा, २. संसृष्टा, ३. उद्धृता, ४. अल्पलेपा, ५. अवगृहीता, ६. प्रगृहीता, तथा ७. उज्जितधर्मिका), आठ प्रवचन माता (पांच समिति, तीन गुप्ति), नौ ब्रह्मचर्यगुप्ति, दशविध श्रमणधर्म (श्रमण-सम्बन्धी कर्तव्य) यदि खण्डित हुए हों, अथवा विराधित हुए हों, तो वह सब पाप मेरे लिए निष्फल हो ।

विवेचन—मानव, देव एवं दानव के बीच की कड़ी है । वह अपनी सद्वृत्तियों के द्वारा देवत्व को प्राप्त कर सकता है और असद्वृत्तियों के द्वारा दानव जैसी निम्न कोटि में भी पहुँच सकता है । मनुष्य के पास तीन महान् शक्तियाँ हैं—मन, वचन एवं काय । इन शक्तियों के बल पर वह प्रशस्त-अप्रशस्त चाहे जैसा जीवन बना सकता है । सन्तों-मुनिजनों को तो कदम-कदम पर मन, वचन और शरीर की शुभाशुभ चेष्टायों का ध्यान रखना ही चाहिये । इस विषय में जरा भी प्रसावधानी भयंकर पतन का कारण बन सकती है । प्रस्तुत प्रतिक्रमण-सूत्र के पाठ द्वारा इन्हीं तीन शक्तियों—योगों से रात-दिन में होने वाली भूलों का परिमार्जन किया जाता है और भविष्य में सावधान रहने की सुदृढ़ धारणा बनाई जाती है । यह प्रतिक्रमण का प्रारम्भिक सूत्र है । इसमें आचार-विचार सम्बन्धी भूलों का संक्षेप में प्रतिक्रमण किया गया है ।

कुछ पारिभाषिक शब्दों का विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

‘उत्सुक्तो’—उत्सुक्तो का संस्कृत रूप ‘उत्सूत्र’ होता है । उत्सूत्र का अर्थ है—सूत्र अर्थात् आगम से विशद्ध आचरण ।

'उन्मार्ग'— उन्मार्ग रूप अर्थात् क्षायोपशमिक भाव का उल्लङ्घन करके औदयिक इ संक्रमण करना उन्मार्ग है। चारित्रावरण कर्म का जब क्षयोपशम होता है, तब चारित्र का आग्रह होता है और जब चारित्रावरण कर्म का उदय होता है, तब चारित्र का धात होता है। अतः को प्रतिपल उदय भाव से क्षयोपशमिक भाव में संचरण करते रहना चाहिये। मार्ग का परम्परा भी है।

'ध्रुक्प्यो'— चरण एवं करण रूप धर्मव्यापार कल्प अर्थात् आचार कहलाता है। चरण के विरुद्ध आचरण करना अकल्प है।

'सुए'— अर्थात् श्रुत का अर्थ है श्रुतज्ञान। वीतराग तीर्थकर भगवान् के श्रीमुख से हुआ होने से आगम-साहित्य को श्रुत कहा जाता है। लिपिबद्ध होने से पूर्व आगम श्रुतिपरम्परा ग्रहण किए जाते थे, अर्थात् गुरु अपने शिष्य को और शिष्य अपने शिष्य को मीखिक रूप में प्रदान करता था। इस कारण भी आगम 'श्रुत' कहलाता है। श्रुत-सम्बन्धी अतिचार का आशः श्रुत की विपरीत श्रद्धा एवं प्रलृपण।

'सत्तण्हं पिण्डेसणाण'— दोष रहित शुद्ध प्रासुक आहार-पानी ग्रहण करना एषणा है। पिण के सात प्रकार हैं—

१. असंसृष्टा—देय भोजन से विना सने हुए हाथ तथा पात्र से आहार लेना।

२. संसृष्टा—देय भोजन से सने हुए हाथ तथा पात्र से आहार लेना।

३. उद्धृता—बर्तन से थाली आदि में गृहस्थ ने अपने लिए जो भोजन निकाल रख वह लेना।

४. अल्पलेपा—जिनमें चिकनाहट न हो, अतएव लेप न लग सके, इस प्रकार के अचने आदि ग्रहण करना।

५. अवगृहीता—भोजनकाल के समय भोजनकर्ता ने भोजनार्थ थाली आदि में जो परोस रखा हो, किन्तु अभी भोजन शुरू न किया हो, वह आहार लेना।

६. प्रगृहीता—थाली में भोजनकर्ता द्वारा हाथ आदि से प्रथम बार तो प्रगृहीत हो चुका पर दूसरी बार आस लेने के कारण झूठा न हुआ हो, वह आहार लेना।

७. उजिभतधर्मा—जो आहार अधिक होने अथवा अन्य किसी कारण से फेंकने समझकर डाला जा रहा हो, वह ग्रहण करना।

'प्रदुष्णं पवयणमाक्षण'— पांच समिति और तीन गुप्ति मिलकर आठ प्रवचन-माताएं सम्पूर्ण श्रमणाचौर की आधारभूमि पांच समिति और तीन गुप्ति ही हैं। सभी तीन यतनापूर्वक समिति और योगों का सम्यक् निप्रह गुप्ति कहलाता है।

पांच समिति— १. ईर्यसमिति, २. भाष्यसमिति, ३. एषणासमिति, ४. इ भंडमत्तनिक्षेवणासमिति, ५. उच्चारपासवण्खेत्तल-जल्ल-संघाण-परिट्रावणियासमिति।

तीन गुप्ति— १. मनोगुप्ति, २. वचनगुप्ति एवं ३. कायगुप्ति।

‘जं खंडियं जं विराहियं’—जो खडित हुआ हो और विराधित हुआ हो। किसी व्रत का अल्पांशेन उल्लंघन खण्डन कहलाता है और सर्वांशेन अतिक्रमण को विराधना कहते हैं। कहीं-कहीं सर्वांश नहीं किन्तु अधिकांश के उल्लंघन को विराधना कहा गया है।

‘मिच्छा मि दुष्कर्त’—मेरा दुष्कृत मिथ्या—निष्फल हो। ‘मिच्छा मि’ इस पद का ‘मि’ ‘च्छा’ ‘मि’ ऐसा पदच्छेद करके इस प्रकार अर्थ करते हैं—यथा ‘मि’—कायिक और मानसिक अभिमान को छोड़कर, ‘छा’—प्रसंयमरूप दोष को ढँक कर, ‘मि’—चारित्र की भर्यादा में रहा हुआ मैं।

‘दु’ ‘क’ ‘डं’—

‘दु’—सावद्यकारी आत्मा की निन्दा करता हूँ, ‘क’—किये हुए सावद्य कर्म को, ‘डं’—उपशम द्वारा त्यागता हूँ। अर्थात् द्रव्य एवं भाव से नम्र तथा चारित्रमर्यादा में स्थित होकर मैं सावद्य क्रियाकारी आत्मा की निन्दा करता हूँ और किये हुए दुष्कृत (पाप) को उपशम भाव से हटाता हूँ। किन्तु यह एक किलष्ट कल्पना है।

ऐरापथिकसूत्र

इच्छामि पदिक्कमिउं इरियावहियाए विराहणाए गमणागमणे पाणवकमणे जीय-कस्त्रणे, हरिय-कमणे, ओसा-उर्त्तिगपणग-दग-मट्टी-मकडा-संताणा-संकमणे,

जे मे जीवा विराहिया—ऐरिविया, ब्रेइविया, देइविया, चउरिविया, पंचिविया, अभिहिया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघट्टिया, परियाविया, किलामिया, उहविया, ठाणाघो ठाणं संकामिया, जीवियाघो वबरोविया,

तस्स मिच्छा मि दुष्कर्त ।

भावार्थ—मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। मार्ग में चलते हुए अथवा संयमधर्म पालन करते हुए नापरवाही अथवा असावधानी के कारण किसी भी जीव की किसी प्रकार की विराधना अर्थात् हिंसा हुई हो तो मैं उस पाप से निवृत्त होना चाहता हूँ।

स्वाध्याय आदि के लिये उपाश्रय से बाहर जाने में और फिर लोटकर उपाश्रय आने में अथवा मार्ग में कहीं गमनागमन करते हुए प्राणियों को पैरों के नीचे या किसी अन्य प्रकार से कुचला हो, सचित्त जौ, गेहूं या किसी भी तरह के बीजों को कुचला हो, घास अंकुर आदि हरित वनस्पति को मसला हो, दबाया हो, आकाश से रात्रि में गिरने वाली ओस, उर्त्तिग अर्थात् कीड़ी आदि के बिल, पांचों ही रंग की सेवाल—काई, सचित्त जल, सचित्त पृथकी और मकड़ी के सचित्त जालों को दबाया हो, मसला हो तो मेरा वह सब अतिचारजन्य पाप मिथ्या हो—निष्फल हो तथा एकेन्द्रिय, द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पञ्चेन्द्रिय तक किसी भी जीव की विराधना—हिंसा की हो, सामने आते हुए की रोका हो, धूल आदि से ढँका हो, जमीन पर या आपस में मसला हो, एकत्रित करके छपर नीचे ढेर किया हो, असावधानी से क्लेशजनक रीति से छुआ हो, परितापित अर्थात् दुःखित किया हो, थकाया हो, त्रस्त—हैरान किया हो, एक जगह से दूसरी जगह बदला हो, जीवन से रहित किया हो, तो मेरा वह सब पाप मिथ्या हो—निष्फल हो।

विवेचन—मनुष्य भ्रमणशील है। वह सदा-सर्वदा धूमता रहता है। कभी शरीर से धूमता है, कभी बाणों से दुनिया की सैर करता है, तो कभी मन से आकाश-पाताल को नापता है। उसका एक योग निरंतर गतिशोल रहता है। उसकी यात्रा जिन्दगी की पहली सांस से प्रारम्भ होती है और अन्तिम सांस तक चलती रहती है। साधु तो विशेष रूप से धुमक़ड़ है। तात्पर्य यह है कि जीवन में गमनागमन करना अनिवार्य किया है और उससे अन्य प्राणियों को पीड़ा होना भी स्वाभाविक है।

प्रस्तुत ऐरापथिक सूत्र में गमनागमन आदि प्रवृत्तियों में किस प्रकार और किन-किन जीवों को पीड़ा पहुँच जाती है? इसका अत्यन्त सूक्ष्मता एवं विशदता से वर्णन किया गया है। एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक सभी सूक्ष्म एवं स्थूल जीवों को हुई पीड़ा के लिये हृदय से पश्चात्ताप करके शुद्ध-विशुद्ध बनाने का प्रभावशाली विधान इस पाठ में किया गया है।

जैनधर्म विवेकप्रधान धर्म है। विश्व में जितने भी धर्म के व्याख्याकार हुए हैं, उन्होंने प्रत्येक साधना को, चाहे वह लघु हो, चाहे महान्, चाहे सामान्य हो, चाहे विशिष्ट, विवेक की कसोटी पर कसकर देखा है। जिस साधना में विवेक है, वह सम्यक् साधना है, शुभ योग वाली साधना है और जिसमें अविवेक है, वह असम्यक् और अशुभ योग वाली साधना है। आचाराङ्गसूत्र में स्पष्ट कहा है—‘विवेगे धम्ममाहिए’ अर्थात् विवेक में ही धर्म है, विवेक सत्यासत्य का परीक्षण करने वाला दिव्य नेत्र है। हेय क्या है, ज्ञेय क्या है, उपादेय क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है? विवेकी पुरुष इन सब बातों का विवेक से ही निर्णय करता है। यातना अर्थात् विवेकपूर्वक चलने फिरने, खड़े होने, बैठने, सोने, आदि से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता, क्योंकि पाप-कर्म के बन्धन का मूल कारण अयतना है। दशवैकालिक सूत्र में कहा है—

जयं चरे जयं चिट्ठे, जयमासे जयं सये ।

जयं भुंजतो भासतो, पाप-कर्मं न बन्धई ॥ —वश. ४ । ८

प्रस्तुत पाठ हृदय की कोमलता का ज्वलन्त उदाहरण है। विवेक और यतना के संकल्पों का जीता जागता चित्र है। आवश्यक प्रवृत्ति के लिए इधर-उधर आना-जाना हुआ हो और उपयोग रखते हुए भी यदि कहीं असावधानीवश किसी जीव को पीड़ा पहुँची हो तो उसके लिये प्रस्तुत सूत्र में पश्चात्ताप प्रकट किया गया है।

‘इच्छामि पदिकमिति इरियावहियाए विराहणाए’

यह प्रारम्भ का सूत्र आज्ञासूत्र है। इसके द्वारा गुरुदेव से ऐरापथिक प्रतिक्रमण की आज्ञा ली जाती है।

‘इच्छामि’ शब्द से ध्वनित होता है कि साधक पर बाहर का कोई दबाव नहीं है। वह स्वेच्छापूर्वक अन्तर की प्रेरणा से ही आत्मशुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करना चाहता है। इसके लिए गुरुदेव से आज्ञा मांग रहा है। प्रायश्चित्त और दण्ड में यही अन्तर है। प्रायश्चित्त में अपराधी स्वयं अपने अपराध को स्वीकार करके पुनः आत्मशुद्धि के लिये प्रायश्चित्त करने को तत्पर रहता है। दण्ड में स्वेच्छा के लिए कोई स्थान नहीं है।

‘गमणागमणे’ से लेकर ‘जीविधाद्वो ववरोविया’ तक का पाठांश आलोचनासूत्र है। आलोचना का अर्थ है गुरु महाराज के समक्ष अपने अपराध को एक के बाद एक क्रमशः प्रकट करना। अपनी भूल स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है, और फिर उसे गुरु के समक्ष निष्कपट भाव से यथावत् रूप में निवेदन करना तो और भी बड़ी बात है। आत्मशोधन की आन्तरिक कामना रखने वाले साहसी ओर पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं।

विशिष्ट शब्दों का स्पष्टीकरण

‘अभिहृद्या’—इसका संस्कृत रूप ‘अभिहता:’ बनता है, जिसका अर्थ है समुख आते हुए को रोका हो। अर्थात् सामने आते प्राणियों को रोककर उनकी स्वतन्त्र गति में बाधा डाली हो।

‘धृतिया’—(वर्तिताः) अर्थात् धूल आदि से ढंके हों।

‘सेसिया’—का अर्थ है जीवों को भूमि पर मसलना और संघटिया का अर्थ है जीवों का स्पर्श करके पीड़ित करना।

‘उर्त्तिग’—का अर्थ चींटियों का नाल अथवा चींटियों का बिल किया गया है। आचार्य हरिभद्र ने इनका अर्थ ‘गर्दंभ’ की आकृति का जीव विशेष भी किया है,—उर्त्तिगा गर्दंभाकृतयो जीवाः, कीटिकानगराणि वा।’ आचार्य जिनदास महत्तर के उल्लेख से मालूम होता है कि यह भूमि में गड़ा करने वाला जीव है। ‘उर्त्तिगा नाम गद्भाकिती जीवा भूमीए खड्यं करेति’—आवश्यकचूणि। ‘वग’—सचित जल। ‘मट्टी’ सचित पृथ्वी। ‘ठाणाद्वो ठाणं संकामिया’—एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेला हो। ‘ववरोविया’—घात किया हो।

आगारसूत्र

तस्स उत्तरीकरणेण पायच्छित्तकरणेण विसोहीकरणेण विसल्लीकरणेण पावाणं कम्माणं निग्धायणट्टाए ठानि काउस्सगं,

अप्नत्थ ऊससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छोएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसगेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए,

सुहुमेर्यि अंग-संचालेहि,
सुहुमेहिं लेल-संचालेहि,
सुहुमेहिं दिट्टि-संचालेहि
एवभाइएहि आगारेहि,
अभगगो अविराहिद्वो, हुज्ज मे काउस्सगो,
जाव अरिहताणं भगवत्ताणं,
नमुक्कारेणं न पारेमि,
ताव काथं ठाणेणं मोणेणं
झाणेणं, अप्पाणं बोसिरामि।

भावार्थ—आत्मा की विशेष उत्कृष्टता, निर्मलता या श्रेष्ठता के लिये, प्रायश्चित्त के लिए, शल्यरहित होने के लिए, पाप कर्मों का पूर्णतया विनाश करने के लिए मैं कायोत्सर्ग करता हूँ।

कायोत्सर्ग में कायव्यापारों का परित्याग करता हूँ, निश्चल होता हूँ। परन्तु जो शारीरिक क्रियाएँ अशक्यपरिहार होने के कारण स्वभावतः हरकत में आ जाती हैं उनको छोड़कर। (वे क्रियाएँ इस प्रकार हैं—)

ऊँचा श्वास, नीचा श्वास, खांसी, छींक, उबासी, डकार, अपान वायु का निकलना, चक्कर आना, पित्तविकार-जन्य मूँछ्छा, सूक्ष्म रूप से अगों का हिलना, सूक्ष्म रूप से कफ का निकलना, सूक्ष्म रूप से नेत्रों की हरकत से अर्थात् संचार से, इत्यादि आगारों से मेरा कायोत्सर्ग भग्न न हो एवं विराधना रहित हो।

जब तक अरिहंत भगवानों को नमस्कार न कर लूँ, तब तक एक स्थान पर स्थिर रह, मौन रहकर, धर्मध्यान में चित्त को स्थिर करके अपने शरीर को पापव्यापारों से अलग करता हूँ।

विवेचन—प्रस्तुत सूत्र में अतिचारों की विशेष शुद्धि के लिये विधिपूर्वक कायोत्सर्ग का स्वरूप बताया गया है।

यहाँ पर 'तस्स' पद से अतिचारयुक्त आत्मा को ग्रहण किया गया है। कोई-कोई 'तस्स' इस पद से अतिचार का ग्रहण करते हैं, लेकिन वह उचित नहीं है। वास्तव में उसका सम्बन्ध 'तस्स मिच्छा मि दुक्कड़' इस पद के साथ है। 'उत्तरीकरणेण' और 'विसल्लीकरणेण' के साथ उसका सम्बन्ध नहीं बैठता। कारण यह है कि न तो अतिचारों को उत्कृष्ट बनाने के लिये कायोत्सर्ग किया जाता है और न उसमें माया आदि शल्य होते हैं। मायादि शल्य तो आत्मा के विभाव परिणाम हैं, अतः स्पष्ट है कि 'तस्स' का अर्थ आत्मा ही हो सकता है। आत्मविकास की प्राप्ति के लिये शरीर सम्बन्धी समस्त चंचल व्यापारों का त्याग करना ही इस सूत्र का प्रयोजन है।

यह उत्तरी-करण सूत्र है। इसके द्वारा ऐयपिथिक प्रतिक्रमण से शुद्ध आत्मा में बाकी रही हुई सूक्ष्म मलीनता को भी दूर करने के लिये विशेष परिष्कार—स्वरूप कायोत्सर्ग का संकल्प किया जाता है। प्रस्तुत उत्तरीकरण पाठ के सम्बन्ध में संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि व्रत एवं आत्मा की शुद्धि के लिये प्रायश्चित्त आवश्यक है। प्रायश्चित्त विना भाव की शुद्धि के नहीं हो सकता। भाव-शुद्धि के लिए शल्य (माया, निदान, मिथ्यादर्शन) का त्याग जरूरी है। शल्य का त्याग और पापकर्मों का नाश कायोत्सर्ग से ही हो सकता है, अतः कायोत्सर्ग करना परमावश्यक है।

विशिष्ट शब्दों का अर्थ

'तस्स'—अतिचारों से दूषित आत्मा की। 'उत्कृष्टता या निर्मलता के लिए, 'विसल्लीकरणेण'—शल्यरहित करने के लिये। 'ठामि'—करता हूँ। उड्डुएण—डकार आने से। 'भमलीए'—चक्कर आ जाने से। 'खेलसंचालेहि'—खेल-प्लेइ-कफ के संचार से।

ज्ञान के अतिचार का पाठ

आगमे तिविहे पण्ठते, तं जहा—मुसागमे, अस्थागमे तदुभयागमे ।'

जं वाइङं, वल्लामेलियं, हीणकुरं, अच्छकुरं पयहीणं, विणयहीणं, जोगहीणं, घोसहीणं,

१. इस तरह तीन प्रकार के आगम रूप ज्ञान के विषय में कोई अतिचार लगा हो तो आलोड़।

सुट्टुदिण्णं, दुट्ठु पडिछियं, अकाले कलो सञ्ज्ञानो, काले न कलो सञ्ज्ञानो, असञ्ज्ञाए सञ्ज्ञाइयं, सञ्ज्ञाए न सञ्ज्ञाइयं, ^१ तस्स मिच्छा मि दुष्कडं ॥

भावार्थ—आगम तीन प्रकार का है—

१. सुत्तागम, २. अत्थागम, ३. तदुभयागम ।

जिसमें अक्षर थोड़े पर अर्थ सर्वव्यापक, सारगम्भित, सन्देहरहित, निर्दोष तथा विस्तृत हो उसे विद्वान् लोग 'सूत्र' कहते हैं ।

सूत्र रूप आगम 'सूत्रागम' कहलाता है तथा जो मुमुक्षुओं से प्राप्ति हो उसे 'अर्थगम' कहते हैं । केवल सूत्रागम से प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए सूत्र और अर्थ रूप 'तदुभयागम' कहा है ।

इस आगम का पाठ करने में जो अतिचार—दोष लगा हो, उसका फल मिथ्या हो । वे अतिचार इस प्रकार हैं—

१. सूत्र के अक्षर उलट-पलट पढ़े हों ।

२. एक ही शास्त्र में अलग-अलग स्थानों पर आये हुए समान अर्थ वाले पाठों को एक स्थान पर लाकर पढ़ा हो अथवा अस्थान में विराम लिया हो या अपनी बुद्धि से सूत्र बनाकर सूत्र में डालकर पढ़े हों ।

३. हीन अक्षर युक्त अर्थात् कोई अक्षर कम करके पढ़ा हो ।

४. अधिक अक्षर युक्त पढ़ा हो ।

५. पदहीन पढ़ा हो,

६. विनयरहित पढ़ा हो,

७. योगहीन (मन की एकाग्रता से रहित) पढ़ा हो । अथवा जिस शास्त्र के अध्ययन के लिए जो आयंविल आदि करने रूप योगोद्वहन—तपश्चरण विहित है, उसे न करके पढ़ा हो ।

८. उदात्त आदि स्वरों से रहित पढ़ा हो ।^२ अथवा पात्र-अपात्र का विवेक किए विना पढ़ाया हो ।

९. 'सुट्टुदिण्णं'—शिष्य में शास्त्र ग्रहण करने की जितनी शक्ति हो उससे अधिक पढ़ाया हो ।

१०. आगम को दुष्ट भाव से ग्रहण किया हो ।

११. जिन सूत्रों के पठन का जो काल शास्त्र में कहा है, उससे भिन्न दूसरे काल में उन सूत्रों का स्वाध्याय किया हो ।

१. भणतां गुणतां विचारतां ज्ञान और ज्ञानबंत की आशाताना की हो तो 'तस्स मिच्छा मि दुष्कडं ।'

२. स्वर के तीन भेद हैं—उदात्त, अनुदात्त, स्वरित । 'उच्चैरपलभ्यमान उदात्तः, नीचरनुदात्तः, समबृत्या स्वरितः', अर्थात्—तीव्र उच्चारण पूर्वक बोलना उदात्त, धीमे बोलना अनुदात्त तथा मध्यमरूप से बोलना स्वरित कहलाता है ।

१२. स्वाध्याय के शास्त्रोत्त काल में स्वाध्याय न किया हो ।

१३. अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय किया हो ।

१४. स्वाध्याय काल में स्वाध्याय न किया हो, उससे उत्पन्न हुआ मेरा सर्व पाप निष्फल हो ।

विवेचन—जो ज्ञान तीर्थंकर भगवान् के द्वारा उपदिष्ट होने के कारण शंकारहित एवं अलोकिक है तथा भव्य जीवों को चकित कर देने वाला है अथवा जो ज्ञान अर्हन्त भगवान् के मुख से निकलकर गणधर देव को प्राप्त हुआ तथा भव्य जीवों ने सम्यक् भाव से जिसको माना उसे 'आगम' कहते हैं ।

मूल पाठ रूप, अर्थ रूप एवं मूल पाठ और अर्थ-उभय रूप, इस तरह तीन प्रकार के आगम-ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ । यदि सूत्र क्रमपूर्वक न पढ़ा गया हो, यथा—'नमो अरिहंताणं' की जगह 'अरिहंताणं नमो' ऐसा पढ़ा हो । अक्षरहीन पढ़ा हो, जैसे 'अनल' शब्द का अकार कम कर दिया जाय तो 'नल' बन जाता है तथा 'कमल' शब्द के 'क' को कम कर देने से 'मल' बन जाता है इत्यादि; इस विषय में विद्याधर और अभ्यकुमार का दृष्टान्त प्रसिद्ध है—

उड़ते-गिरते किसी विद्याधर के विमान को देखकर अपने पुत्र अभ्यकुमार के साथ राजा श्रेणिक ने भगवान् से पूछा—भन्ते ! यह विमान इस प्रकार उड़-उड़ कर क्यों गिर रहा है ? तब भगवान् ने फरमाया—यह विद्याधर अपनी विद्या का एक अक्षर भूल गया है, जिससे यह विमान बिना पांख के पक्षी की तरह बार-बार गिरता है ।

ऐसा मुनकर राजा श्रेणिक के पुत्र अभ्यकुमार ने अपनी पदानुसारिणी-लिङ्घ द्वारा उसके विमानचारण मंत्र को पूरा करके उसके मनोरथ को सिद्ध किया और उस विद्याधर से आकाशगामिनी विद्या की सिद्धि का उपाय सीख लिया ।

अधिक अक्षर जोड़कर पढ़ा जाए तो—यथा 'नल' शब्द के पहले 'अ' जोड़कर पढ़ा जाए तो 'अनल' बन जाता है, जिसका अर्थ प्रग्निं है । पद को न्यून या अधिक करके बोला गया हो, विनय-रहित पढ़ा गया हो, योगहीन पढ़ा हो, उदात्तादि स्वर रहित पढ़ा हो, शक्ति से अधिक पढ़ाया हो, पढ़ा हो, आगम को बुरे भाव से ग्रहण किया हो ।

अकाल में स्वाध्याय किया हो और स्वाध्याय के लिए नियत काल में स्वाध्याय न किया हो, अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय किया हो, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय न किया हो तथा पढ़ते समय, बिचरते समय ज्ञान तथा ज्ञानबन्त पुरुषों की अविनय-आशातना की हो तो मेरा वह सब पाप निष्फल हो ।

॥ प्रथम सामाधिकावश्यक सम्पन्न ॥



१. अस्वाध्याय के लिए देखिए परिशिष्ट

[२]

द्वितीय अध्यायन : चतुर्विशतिरुत्तम

लोगस्स उज्ज्वोयगरे, धर्मसित्यरे जिणे ।
 अरिहंते कित्तहस्तं, चउबीसं पि केवली ॥१॥

उसभमजियं च बंदे, संभवमभिष्णवं च सुमहं च ।
 पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं बंदे ॥२॥

सुविहं च पुण्डितं, सीयल-सिज्जंस-दासुपुज्जं च ।
 विमलमणं च जिणं, धर्मं संति च बंदामि ॥३॥

कुंथुं ग्ररं च मल्ल, बंदे मुणिसुब्बयं नमिजिणं च ।
 बंदामि रिट्टनेमि, पासं तह बद्धमाणं च ॥४॥

एवं मए अभिथुशा, विहूयरयमला पहीणजरमरणा ।
 चउबोसं पि जिणवरा, तित्यवरा मे पसीयंतु ॥५॥

कित्य-चंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा ।
 आरुग-बोहि लाभं, समाहि-वरमुत्तमं वितु ॥६॥

चंदेसु निम्मलयरा, आइच्छेसु महियं पयासयरा ।
 सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम विसंतु ॥७॥

भावार्थ— अखिल विश्व में धर्म या सम्यग्ज्ञान का उद्योत करने वाले, धर्म-तीर्थ की स्थापना करने वाले, रागद्वेष को जीतने वाले, अन्तरंग शत्रुओं को नष्ट करने वाले केवलज्ञानी चौबीस तीर्थकरों का मैं कीर्तन करूँगा अर्थात् स्तुति करूँगा या करता हूँ ॥१॥

श्री ऋषभदेव को और अजितनाथ को बन्दन करता हूँ । सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, पश्चप्रभ, सुपाश्व और रागद्वेष के विजेता चन्द्रप्रभ जिन को नमस्कार करता हूँ ॥२॥

श्री पुष्पदन्त (सुविधिनाथ), शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमलनाथ, रागद्वेष के विजेता अनन्त, धर्मनाथ तथा श्री शान्तिनाथ भगवान् को नमस्कार करता हूँ ॥३॥

श्री कुम्थुनाथ, ग्रनाथ, मल्लनाथ, मुनिसुद्रत एवं नमिताथजिन को बन्दन करता हूँ । इसी प्रकार भगवान् अरिष्टनेमि, पाश्वनाथ और वर्धमान स्वामी को भी नमस्कार करता हूँ ॥४॥

जिसकी मैंने नामनिर्देशपूर्वक स्तुति की है, जो कर्म रूप रज एवं मल से रहित हैं, जो जरा-

मरण—दोनों से सर्वथा मुक्त हैं, वे आन्तरिक शत्रुओं पर विजय पाने वाले धर्मप्रवर्तक चौबीस तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हों ॥५॥

जिनकी इन्द्रादि देवों तथा मनुष्यों ने स्तुति की है, बन्दना की है, भाव से पूजा की है और जो सम्पूर्ण लोक में सबसे उत्तम हैं, वे तीर्थंकर भगवान् मुझे आरोग्य अर्थात् आत्म-स्वास्थ्य या सिद्धत्व अर्थात् आत्म-शान्ति, बोधि—सम्यक् दर्शनादि रत्नत्रय का पूर्ण लाभ तथा श्रेष्ठ समाधि प्रदान करें ॥६॥

जो चन्द्रमाओं से भी विशेष निर्मल हैं, जो सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान हैं, जो स्वयंभूरभूमण जैसे महासुम्ब्र के समान गम्भीर हैं, वे सिद्ध भगवान् मुझे सिद्धि प्रदान करें, अर्थात् उनके आलम्बन से मुझे सिद्धि अर्थात् मोक्ष प्राप्त हो ।

विवेचन—पहले अध्ययन में सावद्य योग की निवृत्ति रूप सामायिक का निरूपण करके अब चतुर्विशितस्तव रूप इस दूसरे अध्ययन में समस्त सावद्य योगों की निवृत्ति का उपदेश होने से सम्यक्त्व की विशुद्धि तथा जन्मान्तर में भी बोधि और सम्पूर्ण कर्मों के नाश के कारण होने से परम उपकारी तीर्थंकर भगवन्तों का गुण-कीर्तन अर्थात् स्तवन किया गया है ।

जो केवलज्ञान रूपी सूर्य अथवा ज्ञान के द्वारा देखा जाय उसे व्युत्पत्ति की उपेक्षा से 'लोक' कहते हैं । यहाँ जैन परिभाषा के अनुसार 'लोक' शब्द से पञ्चास्तिकाय का ग्रहण है । शास्त्र में द्वय, क्षेत्र, काल और भाव रूप चतुर्विधि लोक का भी कथन है । यहाँ इन सभी का ग्रहण समझ लेना चाहिये । इस समस्त लोक को प्रवचन रूपी दीपक द्वारा प्रकाशित करने वाले, प्राणियों को संसार के दुःखों से छुड़ाकर सुगति में धारण करने वाले, धर्म रूप तीर्थं की स्थापना करने वाले, रागादि कर्मशत्रुओं को जीतने वाले चौबीस तीर्थंकरों की मैं स्तुति करता हूँ ।

इस प्रकार चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति करने की सामान्य रूप से प्रतिज्ञा करने के पश्चात् नामग्रहणपूर्वक विशेष रूप से स्तुति की गई है । जो लोकालोक के स्वरूप को जानने वाले, परम पद को प्राप्त होने वाले, भव्य जनों के आधारभूत, धर्म रूपी बगीचे को प्रवचन रूप जल से सीचने वाले तथा वृषभ के चिह्न से युक्त हैं, ऐसे श्री ऋषभदेव स्वामी को मैं बन्दन करता हूँ ॥

जो रागद्वेष को जीतने वाले हैं तथा जब वे गर्भ में आये तब चौपड़ खेलते समय माता की हार न होने से जिनका नाम 'अजित' पड़ा है, उन श्री अजितनाथ को मैं बन्दन करता हूँ ।

जो अनन्त सुख स्वरूप हैं, और जिनके गर्भ में आते ही धान्यादि के अधिक संभव होने से दुभिक्ष मिटकर सुभिक्ष हो गया ऐसे श्री संभवनाथ को बन्दन करता हूँ ।

जो भव्य जीवों को हर्षित करने वाले हैं और गर्भ में आने पर जिनका इन्द्र ने बार-बार स्तवन-अभिनन्दन किया, उन श्री अभिनन्दन स्वामी को मैं बन्दन करता हूँ ।

इसी प्रकार विभिन्न विशेषताओं से युक्त केवलज्ञानियों में श्रेष्ठ चौबीस तीर्थंकर हैं, वे मुझ पर प्रसन्न हों । 'चउबीसंपि' में 'अपि' शब्द से महाविदेह क्षेत्र में विहरमान तीर्थंकर ग्रहण किए गए हैं । उन सबको भी बन्दन करता हूँ ।

कतिपय शब्दों का स्पष्टीकरण—कितिय—पृथक्-पृथक् नाम से कीर्तित अथवा स्तुत, वंदिय—वन्दित-मन वचन तथा काय से स्तुत, महिया—पूजित, ज्ञानातिशय आदि गुणों के कारण सब प्राणियों द्वारा सम्मानित। पूजा का अर्थ सत्कार एवं सम्मान करना है। आचार्यों ने पूजा के दो भेद किए हैं—द्रव्यपूजा एवं भावपूजा। प्रभुपूजा के लिए पुष्पों की आवश्यकता होती है, किन्तु वे निरवद्य अचित्त भाव-पुष्प ही होने चाहिये। इसके विषय में जैन-जगत् प्रसिद्ध आचार्य हरिभद्र ने अष्टक प्रकरण में प्रभुपूजा के योग्य भाव-पुष्पों का वर्णन इस प्रकार किया है—

अहिंसा सत्यमस्तेयं, ब्रह्मचर्यमसंगतं ।

गुरुभक्तिस्तपो ज्ञानं, सत्पुष्पाणि प्रचक्षते ॥

—अष्टक प्रकरण ३।६

अर्थात्—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अनासक्ति, भक्ति, तप एवं ज्ञान रूपी प्रत्येक पुष्प जीवन को महका देने वाला है। ये हृदय के भाव पुष्प हैं।

आरुग्ग—**अर्थात् आरोग्य**—**आत्म-स्वास्थ्य** या **आत्म-शांति**। आरोग्य दो प्रकार का होता है—द्रव्यारोग्य और भावारोग्य। द्रव्य-आरोग्य यानी ज्वर आदि रोगों-विकारों से रहित होना। भाव-आरोग्य यानी कर्म-विकारों से रहित होना। अर्थात् आत्म-शांति मिलना, आत्मस्वरूपस्थ होना या सिद्ध होना। प्रस्तुतसूत्र में ‘आरोग्य’ का मूल अभिप्राय भाव-आरोग्य से है। भाव-आरोग्य की साधना के लिए द्रव्य-आरोग्य भी अपेक्षित है, क्योंकि जब तक शरीर एवं मन स्वस्थ नहीं होगा, तब तक आत्म साधना का होना कठिन होगा, किन्तु वह यहाँ विवक्षित नहीं है। अथवा ‘आरुग्गबोहिलाभं पद का अर्थ है—आरोग्य अर्थात् मोक्ष के लिए बोधि सम्यग्दर्शनादि का लाभ।

संसार-सागर से पार कराने वाला एवं दुर्गति से बचाने वाला धर्म ही सच्चा तीर्थ है—जो अहिंसा, सत्य आदि धर्म-तीर्थ की स्थापना करते हैं, वे तीर्थकर कहलाते हैं। चौबीसों ही तीर्थकरों ने अपने-अपने समय में धर्म की स्थापना की है, धर्म से डिगती हुई जनता को पुनः धर्म में स्थिर किया है।

प्रस्तुत पाठ में अन्तिम शब्द आते हैं—सिद्धा सिद्धि मम विसंतु—इसका अर्थ है—सिद्ध भगवान् मुझे सिद्धि प्रदान करें। यहाँ शंका हो सकती है कि—सिद्ध भगवान् तो वीतराग हैं, कृत-कृत्य हैं, किसी को कुछ देते-लेते नहीं, फिर उनसे इस प्रकार की याचना की क्यों गई है? समाधान यह है कि वस्तुतः इसका आशय यह है कि भक्त भगवान् का आलम्बन लेकर ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं।

॥ द्वितीय आवश्यक समाप्त ॥



[३]

तृतीय अध्ययन : टरंटन

इच्छामि खमासणो

इच्छामि खमासणो ! वंदिउं जावणिऊजाए निसीहियाए, अणुआणह मे मिडगहुं, निसीहि
अहोकायं कायसंफासं, खमणिऊजो भे किलामो, अप्पकिलंताणं, बहुसुभेणं भे दिवसो बहुकंतो ?
जत्ता भे ? जवणिऊजं च भे ? खमेमि खमासमणो ! देवसिंगं बहुकमं, आवस्तियाए पडिकमामि ।
खमासमणाणं देवसिआए आसायणाए तित्तीसशयराए जं किंचि मिच्छाए मणदुषकडाए बथदुषकडाए
कायदुषकडाए कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सब्बकालियाए सब्बमिच्छोवयाराए सब्बधम्मा-
इककमणाए आसायणाए, जो भे देवसिओ अह्यारो कओ तस्स खमासमणो ! पडिकमामि निवामि
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

भावार्थ—इच्छा निवेदन—हे क्षमावान् श्रमण ! मैं अपने शरीर को पाप-क्रिया से हटाकर
यथाशक्ति वन्दना करना चाहता हूँ ।

अनुज्ञापना—इसलिए मुझको परिमित भूमि (अवग्रह) में प्रवेश करने की आज्ञा दीजिये ।

पाप क्रिया को रोककर मैं आपके चरणों का अपने मस्तक से स्पर्श करता हूँ । मेरे द्वारा
छूने से आपको बाधा हुई हो तो उसे क्षमा कीजिये ।

**शरीरयात्रा-पृच्छा—आपने अग्न्यान अवस्था में रहकर बहुत शुभ क्रियाओं से दिवस
विताया है ?**

**संयमयात्रा-पृच्छा—आपकी संयमयात्रा तो निर्बाधि है ? और आपका शरीर, मन तथा
इन्द्रियों की पीड़ा से तो रहित है ?**

अपराध-क्षमापना—हे क्षमावान् श्रमण ! मैं आपको दिवस सम्बन्धी अपराध के लिए
खमाता हूँ और आवश्यक क्रिया करने में जो विपरीत अनुष्ठान हुआ है उससे निवृत्त होता हूँ । आप
क्षमाश्रमण की दिवस में की हुई तेतीस में से किसी भी आशातना द्वारा मैंने जो दिवस सम्बन्धी
अतिचार सेवन किया हो^१ उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ तथा किसी भी मिथ्या भाव से की हुई, दुष्ट
मन से, वचन से और काया से की हुई, कोध, मान, माया, और लोभ से की हुई, भूतकालादि सर्वकाल
सम्बन्धी सर्व मिथ्योपचार से की गई, धर्म का उल्लंघन करने वाली आशातना के द्वारा जो मैंने
दिवस सम्बन्धी अतिचार सेवन किया हो, तो हे क्षमाश्रमण ! उससे मैं निवृत्त होता हूँ, उसकी मैं
निन्दा करता हूँ और विशेष निन्दा करता हूँ, गुरु के समक्ष निन्दा करता हूँ और आत्मा को (अपने
आपको) पाप सम्बन्धी व्यापारों से निवृत्त करता हूँ ।

१. रात्रि प्रतिक्रमण करते समय

विवेचन—दूसरे अध्ययन में प्राणातिपात आदि सावद्य योग की निवृतिरूप सामांयिक व्रत के उपदेशक तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। तीर्थंकरों से उपदिष्ट वह सामांयिक व्रत गुरु महाराज की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। इस कारण, तथा गुरुवन्दनपूर्वक ही प्रतिक्रमण करने का शिष्टाचार होने से गुरुवन्दना करना आवश्यक है। अतएव 'गुरुवन्दन' नामक तृतीय अध्ययन प्रारम्भ करते हैं—

'इच्छामि'—जैनधर्म इच्छाप्रधान धर्म है। साधक प्रत्येक साधना अपनी स्वयं की इच्छा से करता है, उस पर किसी का दबाव नहीं रहता है। चित्त की प्रसन्नता के अभाव में अर्हच-पूर्वक या दबाव से की जाने वाली साधना, वस्तुतः साधना न होकर एक तरह से दण्ड रूप हो जाती है। दबाव से या भय के भार से लदी हुई निष्ठाण धर्मक्रियाएं साधक के जीवन को उन्नत बनाने के बदले कुचल देती हैं। यही कारण है कि जैनधर्म की साधना में सर्वत्र 'इच्छामि खमासमणो', 'इच्छामि पडिककमामि' आदि रूप में सर्वप्रथम 'इच्छामि' का प्रयोग होता है। इच्छामि का अर्थ है—मैं चाहता हूँ अर्थात् मैं अन्तःकरण की प्रेरणा से यह क्रिया करने का अभिलाषी हूँ।

'खमासमणो'—श्रमणः, शमनः, समनाः, समणः, इन चारों शब्दों का प्राकृत में 'समणो' रूप बनता है। इन चारों के शब्दार्थ में किंचित् भिन्नता होने पर भी भावार्थ में भेद नहीं है।

१. 'श्रमण' बारह प्रकार की तपस्या में श्रम अर्थात् परिश्रम करने वाले, अथवा इन्द्रिय एवं मन का दमन करने वाले को 'श्रमण' कहते हैं।

२. 'शमन'—क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय एवं नोकषाय रूपी अग्नि को शान्त करने वाले को 'शमन' कहते हैं।

३. 'समन'—शत्रु तथा मित्र पर समझाव रखने वाले को 'समन' कहते हैं।

४. 'समण'—अच्छी तरह से जिनवाणी का उपदेश देने वाले, अथवा संयम के बल से कषाय को जीतकर रहने वाले को 'समण' कहते हैं।

'श्रम' धातु तप और लेद अर्थ में व्यवहृत होती है। अतः जो तपश्चरण करता है एवं संसार से सर्वथा निर्लिप्त रहता है, वह श्रमण कहलाता है। क्षमाप्रधान श्रमण क्षमाश्रमण होता है।

अनुयोगद्वारा सूत्र में आवश्यक के छह प्रकार बताए गए हैं—

'सामाइयं चउदीसत्यग्रो, वंदयं, पडिकमणं, काउस्सगो पच्चखाणं ।'

इनमें वन्दना तीसरा आवश्यक है। इसमें शिष्य गुरुदेव को वन्दन कर सम्बोधन करके कहता है—हे क्षमाश्रमण गुरुदेव ! मैं अपनी शक्ति के अनुसार प्राणातिपात आदि सावद्य व्यापारों से रहत काय से वन्दना करना चाहता हूँ, अतः आप मुझे मितावश्रह (जहाँ गुरु महाराज विराजित हों, उनके चारों ओर की साढ़े तीन हाथ भूमि) में प्रवेश करने की आज्ञा दीजिये।

गुरु शिष्य को 'अनुजानामि' अर्थात् आज्ञा देता हूँ, कहकर प्रवेश की आज्ञा देते हैं। आज्ञा पाकर शिष्य कहता है—हे गुरु महाराज ! मैं सावद्य व्यापारों को रोककर मस्तक और हाथ से आपके चरणों का स्पर्श करता हूँ। इस तरह वन्दना करने से मेरे द्वारा आपको किसी प्रकार का कष्ट पहुँचा हो तो आप उसे क्षमा करें।

खामेमि खमासमणो ! वेबसियं वहकमनं आवस्त्याए पडिकमामि—अर्थात्—हे क्षमा-श्रमण ! दिवस सम्बन्धी जो कुछ अपराध हो चुका है उसके लिये क्षमा चाहता हूँ और भविष्य में आपकी आज्ञा की आराधना रूप आवश्यक किया के द्वारा अपराध से अलग रहूँगा, अर्थात् अपराध नहीं करने का प्रयत्न करूँगा ।

बन्दना विधि

'इच्छामि खमासमणो बंदितं जावणिज्जाए निसीहियाए'—वन्दना के समय उपर्युक्त सूत्रांश बोलकर अवग्रह में प्रवेश करने की आज्ञा के लिये अवग्रह से बाहर ही खड़ा रहकर दोनों हाथ ललाट-प्रदेश पर रखकर गुरु के सामने शिर झुकाए । इसका आशय यह है कि वह गुरुदेव की आज्ञाओं को सदैव मस्तक पर बहन करने के लिए कृतप्रतिज्ञ है ।

प्रथम के तीन आवर्त—'अहो'-‘काय’-‘काय’—इस प्रकार दो-दो अक्षरों से पूरे होते हैं । कमलमुद्वा से अंजलिबद्ध दोनों हाथों से गुरु-चरणों को स्पर्श करते हुए मन्द स्वर से 'अ' अक्षर कहना, तत्पश्चात् अंजलिबद्ध हाथों को मस्तक पर लगाते हुए उच्च स्वर से 'हो' अक्षर कहना, यह पहला आवर्तन है । इसी प्रकार 'का....य' और 'का....य' के शेष दो आवर्त भी किए जाते हैं ।

अगले तीन आवर्त—१. 'जत्ता भे,' २. 'जवणि,' ३. 'ज्जं च भे'—इस प्रकार तीन-तीन अक्षरों के होते हैं । कमल-मुद्वा से अंजलि बाँधे हुए दोनों हाथों से गुरुचरणों को स्पर्श करते हुए अनु-दात्त मन्द स्वर से 'ज' अक्षर कहना चाहिये । पुनः हृदय के पास अञ्जलि लाते हुए स्वरित-मध्यम स्वर से 'त्ता' अक्षर कहना चाहिए । फिर अपने मस्तक को छूते हुए उदात्त स्वर से 'भे' अक्षर कहना चाहिए । यह प्रथम आवर्त है । इसी पद्धति से 'ज ... व ... णि' और 'ज्जं ... च भे' ये शेष दो आवर्त भी करने चाहिये । प्रथम 'खमासमणे' छह और इसी प्रकार दूसरे 'खमासमणे' के छह, कुल बारह आवर्त होते हैं ।

इस प्रकार शिष्य, अवग्रह के बाहर प्रथम इच्छा-निवेदन-स्थान में यथाजात मुद्वा से दोनों हाथों में रजोहरण लिए हुए आधा शरीर झुकाकर नमन करता है और 'इच्छामि खमासमणो' से लेकर 'निसीहियाए' तक का पाठ पढ़कर वन्दनकर्ता शिष्य वन्दन करने की इच्छा निवेदन करता है । शिष्य के इस प्रकार निवेदन करने के पश्चात् अवग्रह से बाहर रहकर ही 'तिक्खुत्तो' के पाठ से वन्दन कर लेना चाहिए । अथवा गुरु 'छन्देण' ऐसा शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ है—इच्छानुसार वन्दन करने की सम्मति देना ।

गुरुदेव की तरफ से उपर्युक्त पद्धति के द्वारा वन्दन करने की आज्ञा मिल जाने पर शिष्य आगे बढ़कर, अवग्रहक्षेत्र के बाहर, किन्तु पास ही 'अवग्रह-प्रवेशाज्ञा-याचना' नामक दूसरे स्थान में पुनः अद्वाविनत होकर नमन करता है और गुरुदेव से 'अणुजाणह मे मिउगगह' इस पाठ के द्वारा अवग्रह में प्रवेश करने की आज्ञा मांगता है । आज्ञा मांगने पर गुरुदेव अपनी ओर से 'अणुजाणामि' कहकर आज्ञा प्रदान करते हैं ।

आज्ञा मिलने के बाद 'यथाजात मुद्वा' अर्थात् दीक्षा अंगीकार करते समय शिष्य की जैसी मुद्वा होती है, बैसी, दोनों हाथ अंजलिबद्ध कपाल (मस्तक) पर रखने की मुद्वा से 'निसीहि-निसीहि' पद कहते हुए अवग्रह में प्रवेश करना चाहिये । बाद में रजोहरण से भूमि प्रमार्जन कर गुरुदेव के

पास उकड़ू प्रथात् गोदुहासन से बेठकर प्रथम के तीन आवर्त 'अहो-कायं-कायं' पूर्वोक्त विधि के अनुसार करके 'संफास' कहते हुए गुरु-चरणों में मस्तक लगाना चाहिये ।

तत्पश्चात् 'खमणिज्जो भे किलामो' पाठ के द्वारा चरण-स्पर्श करते समय गुरुदेव को जो बाधा होती है, उसकी क्षमा माँगी जाती है । तदनन्तर 'अप्पकिलंताणं वहुसुभेण भे दिवसो वइकंतो ?' कहकर दिवस संबंधी कुशल-क्षेम पूछा जाता है । फिर गुरु भी 'तथा' कहकर अपने शिष्य का कुशल-क्षेम पूछते हैं ।

अनन्तर शिष्य 'ज त्ता भे' 'ज व णि' 'जजं च भे'—इन तीनों आवर्तों की क्रिया करे एवं संयम-यात्रा तथा शरीर संबंधी शांति पूछें । उत्तर में गुरुदेव भी शिष्य से उसकी यात्रा और यापनीय सम्बन्धी सुख-शान्ति पूछें । इसके बाद 'आवस्तियाए' कहते हुए श्रवण्य से बाहर आना चाहिये ।

प्रस्तुत पाठ में जो 'वहुसुभेण भे दिवसो वइकंतो' में 'दिवसो वइकंतो' पाठ है, उसके स्थान में रात्रि-प्रतिक्रमण के समय 'राई वइकंता', पाक्षिक प्रतिक्रमण में 'पक्खो वइकंतो', चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में 'चाउम्मासी वइकंता' तथा सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में 'संवच्छरो वइकंतो' ऐसा पाठ बोलना चाहिए ।

समवायांग सूत्र के १२वें समवाय में वन्दन के स्वरूप का प्रस्तुपण करते हुए भगवान् महावीर ने वन्दन की २५ विधियां बतलाई हैं—

दुश्मोण्यं जहाजायं, कितिकम्भं बारसावयं ।

चउसिरं तिगुतं च, दुपवेसं एग निक्खमणं ॥

अर्थात् - दो अवनत, एक यथाजात, बारह आवर्त, चार शिर, तीन गुप्ति, दो प्रवेश और एक निष्क्रमण - इस प्रकार कुल पच्चीस आवश्यक हैं ।

आवश्यक-क्रिया में तीसरे वन्दन आवश्यक का महत्त्वपूर्ण स्थान है । गुरुदेव को विनम्र हृदय से वन्दन करना तथा उनकी दिन तथा रात्रि सम्बन्धी सुख-शान्ति पूछना शिष्य का परम कर्तव्य है, क्योंकि अरिहन्तों के पश्चात् गुरुदेव ही आध्यात्मिक साम्राज्य के अधिपति हैं, उनको वन्दन करना भगवान् को वन्दन करने के समान है । वन्दन करने से विनम्रता आती है । प्राचीन भारत में प्रस्तुत विनय के सिद्धान्त पर अत्यधिक बल दिया गया है । कहा भी है - 'विणयो जिण-सासनमूलम्' अर्थात् विनय जिनशासन का मूल है । जैनसिद्धान्तदीषिका में कहा है - 'अनाशातना बहुमानकरणं च विनयः ।' अशातना नहीं करना तथा बहुमान करना विनय है ।

विशिष्ट शब्दों का अर्थ - जावणिज्जाए—शक्ति की अनुकूलता से, शक्ति के अनुसार । निसीहियाए—सावच्च व्यापार की निवृत्ति से । अनुजाणह—अनुमति दीजिये । मिउग्गह—मित्रवग्रह अर्थात् गुरु महाराज जहाँ विराजमान हों, उसके चारों ओर की साढे तीन हाथ चौड़ी भूमि । अहो कायं—अधःकाय—शरीर का भाग, चरण । कायसंफासं काय अर्थात् हाथ से, (चरणों का) सम्यक् स्पर्श । खमणिज्जो—क्षमा के योग्य । भे—आपके द्वारा । अप्पकिलंताणं—शारीरिक श्रम या बाधा से रहित । 'ग्रप्प' (ग्रल्प) शब्द यहाँ 'अभाव' का वाचक है । वइकंतो—व्यतीत हुआ । जत्ता—संयम रूप यात्रा । जवणिज्जं—(यापनीयम्) इन्द्रियादि की बाधा से रहित । वइकमं—अतिचार ।

प्रावस्तिया— अवश्य करने योग्य चरण-करण रूप किया । **आसायना—** अवज्ञा, अनादर । **तेत्तीसत्त्वयराए—** तेतीस प्रकार (की आशातना) में से कोई भी । **सम्बकालियाए—** सर्व-भूत, वर्तमान, भविष्यत् काल संबंधी । **सम्बिमिछोबयाराए—** सर्वांशतः मिथ्या उपचारों से युक्त ।

आशातनाएँ तेतीस हैं, वे इस प्रकार हैं—

१. शैक्ष (नवदीक्षित या प्रल्प दीक्षा-पर्याय वाला) साधु रात्निक (अधिक दीक्षा पर्याय वाले) साधु के अति निकट होकर गमन करे । यह शैक्ष की (शैक्ष द्वारा की गई) पहली आशातना है ।

२. शैक्ष साधु रात्निक साधु के आगे गमन करे । यह शैक्ष की दूसरी आशातना है ।

३. शैक्ष साधु रात्निक साधु के साथ बराबरी से चले । यह शैक्ष की तीसरी आशातना है ।

४. शैक्ष साधु रात्निक साधु के आगे खड़ा हो । यह शैक्ष की चौथी आशातना है ।

५. शैक्ष साधु रात्निक साधु के बराबरी से खड़ा हो । यह शैक्ष की पांचवीं आशातना है ।

६. शैक्ष साधु रात्निक साधु के अति निकट खड़ा हो । यह शैक्ष की छठी आशातना है ।

७. शैक्ष साधु रात्निक साधु के आगे बैठे । यह शैक्ष की सातवीं आशातना है ।

८. शैक्ष साधु रात्निक साधु के साथ बराबरी से बैठे । यह शैक्ष की आठवीं आशातना है ।

९. शैक्ष साधु रात्निक साधु के अति समीप बैठे । यह शैक्ष की नवीं आशातना है ।

१०. शैक्ष साधु रात्निक साधु के साथ बाहर विचार भूमि को निकलता हुआ यदि शैक्ष रात्निक साधु से पहले आचमन (शौच-शुद्धि) करे तो यह शैक्ष की दसवीं आशातना है ।

११. शैक्ष साधु रात्निक साधु के साथ बाहर विचार भूमि को या विहार भूमि को निकलता हुआ यदि शैक्ष रात्निक साधु से पहले आलोचना करे और रात्निक पीछे करे तो यह शैक्ष की अत्यारहवीं आशातना है ।

१२. कोई साधु रात्निक साधु के साथ पहले से बात कर रहा हो, तब शैक्ष साधु रात्निक साधु से पहले ही बोले और रात्निक साधु पीछे बोल पावे । यह शैक्ष की बारहवीं आशातना है ।

१३. रात्निक साधु रात्रि में या विकाल में शैक्ष से पूछे कि आर्य ! कौन सो रहे हैं और कौन जाग रहे हैं ? यह सुनकर भी शैक्ष अनसुनी करके कोई उत्तर न दे तो यह शैक्ष की तेरहवीं आशातना है ।

१४. शैक्ष साधु अशन, पान, खादिम या स्वादिम लाकर पहले किसी अन्य शैक्ष के सामने आलोचना करे पीछे रात्निक साधु के सामने, तो यह शैक्ष की चौदहवीं आशातना है ।

१५. शैक्ष साधु अशन, पान, खादिम या स्वादिम लाकर पहले किसी अन्य शैक्ष को दिखलावे पीछे रात्निक साधु को दिखावे, तो यह शैक्ष की पन्द्रहवीं आशातना है ।

१६. शैक्ष साधु अशन, पान, खादिम या स्वादिम आहार लाकर पहले किसी अन्य शैक्ष को भोजन के लिये निमंत्रण दे और पीछे रात्निक साधु को निमंत्रण दे, तो यह शैक्ष की सोलहवीं आशातना है ।

१७. शैक्ष साधु रात्निक साधु के साथ अशन, पान, खादिम, स्वादिम आहार को लाकर रात्निक साधु से बिना पूछे जिस किसी को दे, तो यह शैक्ष की सत्तरहवीं आशातना है ।

१८. शैक्ष साधु अशन, पान, खादिम, स्वादिम आहार लाकर रात्निक साधु के साथ भोजन करता हुआ यदि उत्तम भोज्य पदार्थों को जल्दी-जल्दी बड़े-बड़े कपलों से खाता है, तो वह शैक्ष की अठारहवीं आशातना है।

१९. रात्निक साधु द्वारा कुछ कहे जाने पर यदि शैक्ष उसे अनुसुनी करता है, तो यह शैक्ष की उन्नीसवीं आशातना है।

२०. रात्निक साधु के द्वारा कुछ कहे जाने पर यदि शैक्ष अपने स्थान पर बैठे हुए सुनता है, तो यह शैक्ष की बीसवीं आशातना है।

२१. रात्निक साधु के द्वारा कुछ कहे जाने पर 'क्या कहा' इस प्रकार से यदि शैक्ष कहे तो यह शैक्ष की इक्कीसवीं आशातना है।

२२. शैक्ष रात्निक साधु को 'तुम' कह कर (तुच्छ शब्द से) बोले तो यह शैक्ष की बाईसवीं आशातना है।

२३. शैक्ष रात्निक साधु से यदि चप-चप करता हुआ उड़ता से बोले तो यह शैक्ष की तेझीसवीं आशातना है।

२४. शैक्ष, रात्निक साधु के कथा करते हुए की 'जी, हाँ' आदि शब्दों से अनुभोदना न करे तो यह शैक्ष की चौबीसवीं आशातना है।

२५. शैक्ष रात्निक द्वारा धर्मकथा करते समय 'तुम्हे स्मरण नहीं' इस प्रकार से बोले तो यह शैक्ष की पचचीसवीं आशातना है।

२६. शैक्ष रात्निक के द्वारा धर्मकथा करते समय 'बस करो' इत्यादि कहे तो यह शैक्ष की छब्बीसवीं आशातना है।

२७. शैक्ष रात्निक के द्वारा धर्मकथा करते समय यदि परिषद् को भेदन करे, तो यह शैक्ष की सत्ताईसवीं आशातना है।

२८. शैक्ष रात्निक साधु के धर्मकथा कहते हुए उस सभा के नहीं उठने पर दूसरी या तीसरी बार भी उसी कथा को कहे, तो यह शैक्ष की अट्ठाईसवीं आशातना है।

२९. शैक्ष यदि रात्निक साधु के शय्या, संस्तारक को पैर से ढुकरावे, तो यह शैक्ष की उनतीसवीं आशातना है।

३०. शैक्ष यदि रात्निक साधु के शय्या या आसन पर खड़ा होता, बैठता, सोता है, तो यह शैक्ष की तीसवीं आशातना है।

३१, ३२. शैक्ष यदि रात्निक साधु से ऊंचे या समान आसन पर बैठता है, तो यह शैक्ष की इकतीसवीं, बत्तीसवीं आशातना है।

३३. रात्निक के कुछ कहने पर शेष अपने आसन पर बैठा-बैठा उत्तर दे, यह शेष व तेतीसवीं आशातना है।

विवेचन—नवोन दीक्षित साधु का कर्तव्य है कि वह अपने आचार्य, उपाध्याय और दीक्षा पर्याय में ज्येष्ठ साधु का चलते, उठते, बैठते समय उनके द्वारा कुछ पूछने पर, गोचरी करते समय सदा ही उनके विनय-सम्मान का ध्यान रखे। यदि वह अपने इस कर्तव्य में चूकता है, तो उनके आशातना करता है और अपने मोक्ष के साधनों को खड़ित करता है। इसी बात को ध्यान में रखकर ये तेतीस आशातनाएँ कही गई हैं। प्रकृत सूत्र में चार आशातनाओं का निर्देश कर शेष की यावं पद से सूचना की गई है। उनका दशाश्रुतस्कंध के अनुसार स्वरूप-निरूपण किया गया है।

॥ तृतीय आवश्यक सम्पन्न ॥



[४]

चतुर्थ अध्ययन : प्रतिक्रमण

अतिचारों का पाठ

पहिली इरियासमिति के विषय जो कोई अतिचार लाग्यो होय तो आलोऊं, द्रव्य थकी छ काया का जीव जोइने न चाल्यो होऊं, क्षेत्र थकी साढ़ा तीन हाथ प्रमाणे जोइने न चाल्यो होऊं, काल थकी दिन को देखे विना रात को पूँजे विना चाल्यो होऊं, भाव थकी उपयोग सहित जोइने न चाल्यो होऊं, गुण थकी संवरगुण पहिली इरियासमिति के विषय जो कोई पाप दोष लाग्यो होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ।

दूसरी भाषासमिति के विषय जो कोई अतिचार लाग्यो होय तो आलोऊं, द्रव्य थकी भाषा कर्कशकारी, कठोरकारी, निश्चयकारी, हिंसाकारी, छेदकारी, भेदकारी, परजीव को पीड़ाकारी, सावज्ज सव्वपापकारी कड़ी मिश्रभाषा बोल्यो होऊं, क्षेत्र थकी रस्ते चालतां लोल्यो होऊं, काल थकी पहर रात्रि गया पीछे गाढ़े गाढ़े शब्द बोल्यो होऊं, भाव थकी रागद्वेष से बोल्यो होऊं, गुण थकी संवर गुण, दूसरी भाषा समिति के विषय जो कोई पाप दोष लाग्यो होय तो देवसिय संबन्धि तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ।

तीसरी एषणासमिति के विषय जो कोई अतिचार लाग्यो होय तो आलोऊं, द्रव्य थकी सोले उद्गमण का दोष, सोले उत्पात का दोष, दश एषणा का दोष इन बयालीस दोष सहित प्राहार पाणी लायो होय, क्षेत्र थकी दो कोश उपरांत ले जाई ने भोगव्यो होय, काल थकी पहेला पहर को छेला पहर में भोगव्यो होय, भाव थकी पांच मांडला का दोष न टाल्या होय, गुण थकी संवर गुण, तीसरी एषणासमिति के विषय जो कोई पाप दोष लाग्यो होय, तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ।

चौथी श्रावणभंडमत्तनिक्षेवणा समिति के विषय जो कोई अतिचार लाग्यो होय तो आलोऊं, द्रव्य थकी भाण्डोपकरण अजयणा से लीधा होय, अजयणा से रख्या होय, क्षेत्र थकी गृहस्थ के घर आंगणे रख्या होय, काल थकी कालोकाल पड़िलेहणा न की होय, भाव थकी ममता मूर्छा सहित भोगव्या होय, गुण थकी संवर गुण, चौथी समिति के विषय जो कोई पाप दोष लाग्यो होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ॥४॥

पांचवीं उच्चार-पासवण-खेल-जल्ल-सिधाण-परिद्वावणियासमिति के विषय जो कोई अतिचार लाग्यो होय तो आलोऊं, द्रव्य थकी ऊंची नीची जगह परठव्यो होय, क्षेत्र थकी गृहस्थ के घर आंगणे परठव्यो होय, भाव थकी जाता आवसही आवसही न करी होय, परिठवते पहले शक्रेन्द्र महाराज की श्राज्ञा नहीं ली होय, थोड़ी पूँजी ने घणो परिठव्यो होय, परठने के बाद तीन बार वोसिरे वोसिरे न किन्हो होय, आवता निःसही न करी होय, ठिकाणे आई ने काळसग्ग न कर्यो होय, गुण थकी

संबर गुण पांचवाँ समिति के विषय जो कोई पाप, दोष लाभ्यो होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ॥५॥

मनगुप्ति के विषय जो कोई अतिचार लाभ्यो होय तो आलोऊं, आरंभ-समारंभ, विषय-कथाय के विषय खोटो मन प्रवर्तव्यो होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ॥६॥

वचनगुप्ति के विषय जो कोई अतिचार लाभ्यो होय तो आलोऊं, वचन आरंभ, सारंभ, समारंभ, राजकथा, देशकथा, स्त्रीकथा, भत्तकथा इन चार कथा में से कोई कथा की होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ॥७॥

कायगुप्ति के विषय जो कोई अतिचार लाभ्यो होय तो आलोऊं, काया आरंभ, सारंभ समारंभ, बिना पूज्या अजयणापणे असावधानपणे, हाथ-पग पसारया होय, संकोच्या होय, बिना पूज्यां भीतादिक को श्रोटींगणो (सहारा) लीधो होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ॥८॥

पृथ्वीकाय में मिट्टी, मरडो, खड़ी, गेह, हिंगलू, हड़ताल, हड़मची, लूण, भोडल पत्थर इत्यादि पृथ्वीकाय के जीवों की विराधना की होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ॥९॥

अप्काय में ठार को पाणी, श्रोस को पाणी, हिम को पाणी, घड़ा को पाणी, तलाब को पाणी, निवाण को पाणी, संकाल को पाणी, मिश्र पाणी, वर्षादि को पाणी इत्यादि अप्काय के जीवों की विराधना की होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ।

तेउकाय में खीरा, अंगीरा, भोभल, भड़साल, झाल, टूटती झाल, बिजली, उल्कापात इत्यादि तेउकाय के जीवों की विराधना की होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ।

बाउकाय में उक्कलियावाय, मंडलियावाय, घणवाय, घणगूंजवाय, तणवाय, शुद्धवाय, सपटवाय, वीजणे करी, तालिकरो, चमरीकरी इत्यादि बाउकाय के जीवों की विराधना की होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ।

बनस्पतिकाय में हरी तरकारी, बीज, अंकुर, कण, कपास, गुम्मा, गुच्छा, लत्ता, लीलण, फूलण इत्यादि बनस्पतिकाय के जीवों की विराधना की होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ।

बेहन्द्रिय में लट, गिंडोला, ग्रलसिया शंख, संखोलिया, कोडी, जलोक इत्यादि बेन्द्रिय जीवों की विराधना की होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ।

तेहन्द्रिय में कीड़ी मकोड़ी, जूँ, लींख, चांचण, माकण, गजाई, खजूरीया, उधर्द, धनेरिया इत्यादि तेहन्द्रिय जीवों की विराधना की होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ।

चतुरिन्द्रिय में तीड़, पतंगिया, मक्खी, मच्छर, भंवरा, तिगोरी, कसारी, बिच्छु इत्यादि चतुरिन्द्रिय जीवों की विराधना की होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ।

पंचेन्द्रिय में जलचर, थलचर, खेचर, उरपर, भुजपर सज्जी असज्जी, गर्भज, समुच्छम, पर्याप्ता अपर्याप्ता इत्यादि पंचेन्द्रिय जीवों की विराधना की होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ।

पहिला महाव्रत के विषय जो कोई अतिचार लाग्यो होय तो आलोङं, (१) इन्द्रथावरकाय (२) ब्रह्मथावरकाय (३) सिप्पथावरकाय (४) सम्मतीथावरकाय (५) पायावचथावरकाय (६) जंगमकाय द्रव्य से इनकी हिंसा की होय, क्षेत्र से समस्त लोक में, काल से जावजीव तक भाव से तीन करण तीन योग से महाव्रत के विषय जो कोई पाप दोष लाग्यो होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

दूसरा महाव्रत के विषय जो कोई अतिचार लाग्यो होय तो आलोङं, कोहा वा, लोहा वा, हासा वा, क्रीडा कुतुहलकारी द्रव्य से भूठ बोल्यो होऊं, क्षेत्र से समस्त लोक में, काल से जावजीव तक, भाव से तीन करण तीन योग से दूसरा महाव्रत के विषय जो कोई पाप दोष लाग्यो होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

तीसरा महाव्रत के विषय जो कोई अतिचार लाग्यो होय तो आलोङं, कामराग, दृष्टिराग देवता सम्बन्धी, मनुष्य तियंच सम्बन्धी द्रव्य से काम-भोग सेव्या होय, क्षेत्र से समस्त लोक में, काल से जावजीव तक, भाव से तीन करण तीन योग से चौथा महाव्रत के विषय कोई पाप दोष लाग्यो होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

पांचवां महाव्रत के विषय जो कोई अतिचार लाग्यो होय तो आलोङं, सचित्त परिग्रह, अचित्त परिगृह, मिश्र परिग्रह, द्रव्य से छति वस्तु पर मूर्छा की होय, पर वस्तु की इच्छा की होय, सुई कुसग धातु मात्र परिग्रह राख्यो होय, क्षेत्र से समस्त लोक में, काल से जावजीव तक, भाव से तीन करण तीन योग से पांचवां महाव्रत के विषय जो कोई दोष लाग्यो होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

छटा रात्रिभोजन त्याग के विषय जो कोई अतिचार होय तो आलोङं, चार आहार असण, पाण, खाइयं, साइमं, सीतमात्र, लेपमात्र, रातवासी राख्यो होय, रखायो होय, राखता प्रत्ये भलो जाण्यो होय तो देवसिय सम्बन्धी वस्तु मिच्छा मि दुक्कडं ।

अठारह पाप (१) प्राणातिपात (२) मृषावाद (३) अदत्तादान (४) मैथुन (५) परिग्रह (६) क्रोध (७) मान (८) माया (९) लोभ (१०) राग (११) द्वेष (१२) कलह (१३) अस्याख्यान (१४) पैशुन्य (१५) परपरिवाद (१६) रति-अरति (१७) मायामोसो (१८) मिथ्यादर्शनशल्य ये अद्वारह पाप सेव्या होय, सेवाया होय, सेवता प्रत्ये भलो जाण्यो होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

पांच मूलगुण महाव्रत के विषय जो कोई पाप, दोष लाग्यो होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । इस उत्तरगुण पञ्चक्षण के विषय जो कोई पाप, दोष लाग्यो होय तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । तेतीस आशातना में गुह की, बड़ों की, कोई भी आशातना हुई हो तो देवसिय सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

शब्दासूत्र

इच्छामि पद्मिकमिडं, पगामसिज्जाए, निगामसिज्जाए, संथाराउच्चटृणाए, परियटृणाए, आउट्जाए, पसारणाए, छप्पईसंघटृणाए, कूइए, कष्कराइए, छीए, जंभाइए, आमोसे ससरक्खामोसे

आउलमाउलाए, सोवणवस्तियाए, इत्थीविष्परियासियाए' दिट्ठिविष्परियासियाए, मणविष्परियासियाए, पाण-भोयण-विष्परियासियाए, जो मे देवसिम्बो अहयारो कम्बो, तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ॥

भावार्थ— मैं शयन सम्बन्धी प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। शयन काल में यदि देर तक सोता होऊँ या बार-बार बहुत काल तक सोता रहा होऊँ, अयतना के साथ एक बार करवट ली हो, या बार-बार करवट बदली हो, हाथ और पैर आदि अंग अयतना से समेटे हों तथा पसारे हों, घटपद्मी—जूँ आदि क्षुद्र जीवों को कठोर स्पर्श के द्वारा पीड़ा पहुँचाई हो, बिना यतना के अथवा जोर से खांसा हो, यह शय्या बड़ी कठोर है, आदि शय्या के दोष कहे हों, अयतना से छींक एवं जंभाई ली हो, बिना पूँजे शरीर को खुजलाया हो अथवा किसी भी वस्तु का स्पर्श किया हो, सचित् रजयुक्त वस्तु का स्पर्श किया हो—(ये सब शयनकालीन जागते समय के अतिचार हैं।)

अब सोते समय स्वप्न-अवस्था सम्बन्धी अतिचार कहे जाते हैं—स्वप्न मे थुद्ध, विवाहादि के अवलोकन से आकुलता-व्याकुलता रही हो, स्पर्श में मन भ्रान्त हुआ हो, स्वप्न में स्त्री के साथ कुशील सेवन किया हो, स्त्री आदि को अनुराग की दृष्टि से देखा हो, मन में विकार आया हो, स्वप्न-दशा में रात्रि में आहार-पानी का सेवन किया हो या सेवन करने की इच्छा की हो, इस प्रकार मेरे द्वारा शयन सम्बन्धी जो भी अतिचार किया हो 'तस्स मिच्छा मि दुक्कड़' अर्थात् वह सब मेरा पाप निष्फल हो।

विवेचन - हमारी आत्मा का प्रत्येक प्रदेश जड़ से आबद्ध-प्रतिबद्ध है। प्रत्येक आत्म-प्रदेश पर कर्मकीट के अनन्त पटल लगे हैं और उस कर्म-कालिमा से आत्मा कलुषित बनी हुई है। जब तक कर्म-कालिमा बनी रहेगी, तब तक जन्म-मरण रोग-शोक और संयोग-वियोगादि दुःख भी बने रहेंगे। अनादि काल से ऐसा ही चला आ रहा है। आत्म-बद्ध कर्म-कीट को हटाकर आत्मा को निर्मल शुद्ध बनाने से ही दुःख-परम्परा नष्ट हो सकती है। 'जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः' की उक्ति के अनुसार बूँद-बूँद से घट भर जाता और पाई-पाई जोड़ते हुए तिजोरी भर जाती है। धर्म-साधना के लिए भी ठीक यही बात है।

यद्यपि सभी धर्मप्रवर्तकों एवं प्रचारकों ने अपनी अपनी दृष्टि से धर्मसाधना के लिए अनिवार्य विवेक का विवेचन किया है, फिर भी जितना सूक्ष्म एवं भावपूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण जैनागमों में किया गया है वैसा अन्यत्र नहीं। जैन संस्कृति की प्रत्येक क्रिया विवेकमय है। दशवै-कालिक सूत्र में कहा है—

जयं चरे, जयं चिट्ठे, जयमासे, जयं सये ।

जयं भुजतो भासतो, पावकम्मं न बंधइ ॥

जो साधक यतना से चलता है, यतना से खड़ा होता है, यतना से बैठता है, यतना से सोता है, यतना से भोजन करता और बोलता है, वह पापकर्म का बन्ध नहीं करता।

साधारण से साधारण साधक भी छोटी-छोटी साधनाओं पर लक्ष्य देता रहे, विवेक-यतना को विस्मृत न करे तो एक दिन वह बहुत ऊँचा साधक बन सकता है और इसके विपरीत साधारण-सी

१. स्त्री साधक 'इत्थीविष्परियासिआए' के स्थान पर 'पुरिसविष्परियासियाए' पढ़े।

भूलों की उपेक्षा करते रहने से तथा विवेक नहीं रखने से उच्चतर श्रेणी के साधक का भी अधःपतन हो सकता है। यही कारण है कि जैन आचारशास्त्र सूक्ष्म भूलों पर भी ध्यान रखने का संकेत करता है।

प्रस्तुत सूत्र शयन सम्बन्धी अतिचारों का प्रतिक्रमण करने के लिये है। सोते समय जो भी शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक किसी भी प्रकार की भूल हुई हो, संयम का अतिक्रमण किया हो किसी भी प्रकार का भाव-विपर्यास हुआ हो, उस सबके लिये पश्चात्ताप करने का—‘मिच्छा मि दुक्कड़’ देने का विधान प्रस्तुत शय्या-सूत्र में किया गया है।

विशिष्ट शब्दों का अर्थ—पणामसिज्जाए—का संस्कृत रूप ‘प्रकामशय्या’ होता है। प्रकाम-शय्या का अर्थ है—मर्यादा से अधिक सोना। निगामसिज्जाए—बार-बार अधिक काल तक सोते रहना, निकामशय्या है। कूइए—खाँसते हुए। कष्कराइए—‘कर्करायित’ शब्द का अर्थ है—कुड़कुड़ाना। शय्या विषम हो या कठोर हो तो साधु को समता एवं शान्ति के साथ उसका सेवन करना चाहिये। साधक को शय्या के दोष कहते हुए कुड़कुड़ाना-बड़बड़ाना नहीं चाहिये। आमोसे—प्रमार्जन किए बिना शरीर या अन्य वस्तु का स्पर्श करना। ससरबद्धामोसे—सचित्त रज से युक्त वस्तु को छूना। आउलमाउलाए—आकुलता-व्याकुलता से। सोवणवत्तियाए—स्वप्न के प्रत्यय—निमित्त से।

प्रस्तुत शय्या-सूत्र को, जब भी साधक सोकर उठे, अवश्य पढ़ना चाहिये। इसे निद्रा-दोषनिवृत्ति का पाठ भी कहा जाता है। यह पाठ पढ़कर बाद में एक लोगस्स अथवा चार लोगस्स का पाठ भी पढ़ना चाहिये।

भिक्षादोषनिवृत्तिसूत्र

पडिक्कमामि गोयरगच्चरियाए, भिक्खायरियाए उग्धाडकवाङ-उग्धाडणाए, साणावच्छादारासंघटणाए, मण्डी-पाहुडियाए, बलिपाहुडियाए, उवणापाहुडियाए, संकिए, सहसाकारे, प्रणेतणाए, पाणेतणाए पाणभोयणाए, बोयभोयणाए, हरियभोयणाए, पच्छाकम्मियाए, पुरेकम्मियाए, अदिट्हहडाए, दग्संसट्हहडाए, रयसंसट्हहडाए, पारिसाडणियाए, पारिट्हावणियाए, आहासण-भिक्खाए, जं उग्मेण, उप्पायणेतणाए अपरिसुद्धं परिग्नहियं, परिभुत्तं वा जं न परिट्हवियं, तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ।

भावार्थ—गोचरचर्चार्या रूप भिक्षाचर्चार्या में, यदि ज्ञात अथवा अज्ञात किसी भी रूप में जो भी अतिचार-दोष लगा हो, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ।

अर्थ खुले किवाड़ों को खोलना, कुत्ते बछड़े और बच्चों का संघटा—स्पर्श करना, मण्डी-प्राभृतिक अग्रपिण्ड लेना, बलिप्राभृतिका—बलि के लिए तैयार किया हुआ भोजन लेना, अथवा साधु के आने पर बलिकर्म करके दिया हुआ भोजन लेना, स्थापनाप्रभृतिका—भिक्षुओं को देने के उद्देश्य से अलग रखा हुआ भोजन लेना, आधाकर्म आदि की शंका वाला आहार लेना, सहसाकार—बिना सोचे-विचारे शीघ्रता से आहार लेना, बिना एषणा—छान-बीन किए लेना, पान—भोजन-पानी आदि पीने योग्य वस्तु की एषणा में किसी प्रकार की त्रुटि करना, जिसमें कोई प्राणी हो, ऐसा भोजन लेना,

बीजभोजन—बीजों वाला भोजन लेना, हरित-भोजन—सचित्त बनस्पति वाला भोजन, पश्चात्-साधु को आहार देने के बाद तदर्थ सचित्त जल से हाथ या पात्रों को धोने आदि के कारण लगने वा दोष, पुरःकर्म—साधु को आहार देने से पहले सचित्त जल से हाथ या पात्र धोने आदि से लगने वा दोष, अदृष्टाहृत—बिना देखा लाया भोजन लेना, उदकसंसृष्टाहृत—सचित्त जल के साथ स्पर्श वा वस्तु लेना, सचित्त रज से स्पृष्ट वस्तु लेना, पारिशाटनिका—देते समय मार्ग में गिरता-बिखरता हु दिया जाने वाला आहार लेना, पारिष्ठापनिका—आहार देने के पात्र में पहले से रहे हुए किसी भोजन को डालकर दिया जाने वाला अन्य भोजन लेना, अथवा बिना कारण 'परठने-योग्य' कालातं अयोग्य वस्तु ग्रहण करना। बिना कारण भाँगकर विशिष्ट वस्तु लेना, उद्गम—आधाकर्म आदि उद्गम दोषों से युक्त भोजन लेना, उत्पादन—धात्री आदि १६ साधु की तरफ से लगने वाले उत्पाद दोषों सहित आहार लेना। एषणा-ग्रहणैषणा संबंधी शंकित आदि १० दोषों से सहित आहार लेन

उपर्युक्त दोषों वाला अशुद्ध—साधुमर्यादा के विपरीत आहार-पानी ग्रहण किया हो, ग्रह किया हुआ भोग लिया हो, किन्तु दूषित जानकर भी परठा न हो, तो मेरा समस्त पाप मिथ्या हो

विवेचन—जैन धर्म अहिंसाप्रधान धर्म है। अहिंसक करुणा का सागर, दया का आगा सद्भावना का सरोवर, सरसता का स्रोत तथा अनुकम्पा का उत्स होता है। वह प्रत्येक साधना उपयोग-सावधानी रखता है तथा साधना की प्रगति के लिए खान-पान, आचार-विचार, आहा विहार की विशुद्धि को बड़ा महत्व देता है।

संयमसाधना के लिए मानव जीवन आवश्यक है और जीवन को टिकाये रहने के लिये आहा पानी का सेवन अनिवार्य है। आहार-पानी आरम्भ-समारंभ के बिना तैयार नहीं होता और सा आरंभ समारंभ का त्यागी होता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जैनागमों में इस समस्या बहुत ही सुन्दर समाधान किया है। प्रस्तुत पाठ उसी समाधान का बोधक है। प्रथम तो य कि साधु भिक्षावृत्ति से जीवननिर्वाह करे और भिक्षावृत्ति में भी निर्दोष आहार ग्रहण करे। उजिन दोषों से बचना है, वे दोष इस पाठ में प्रतिपादित किए गए हैं।

जैन भिक्षु के लिए नवकोटि-परिशुद्ध आहार ग्रहण करने का विधान किया गया है। नवकोटि इस प्रकार है—न स्वयं भोजन पकाना, न अपने लिए दूसरों से कहकर पकवाना, न पकाते हुए व अनुमोदन करना। न खुद बना-बनाया खरीदना, न अपने लिए दूसरों से खरीदवाना और न खरीद वाले का अनुमोदन करना। न स्वयं किसी को पीड़ा देना, न दूसरे से पीड़ा दिलवाना और न पीड़ देने वाले का अनुमोदन करना। इस प्रकार जैन धर्म में बहुत सूक्ष्म अहिंसा की मर्यादा का ध्यारखा गया है।

विशिष्ट शब्दों का अर्थ—गोचरचर्या—अर्थात् जिस प्रकार एक गाय वन में घास का तिनक जड़ से न उखाड़ कर, ऊपर से ही खाती हुई धूमती—आगे बढ़ जाती है और अपनी क्षुधानिवृति कर लेती है, इसी प्रकार मुनि भी किसी गृहस्थ को पीड़ा न देता हुआ थोड़ा-थोड़ा भोजन ग्रहण करने अपनी क्षुधानिवृत्ति करता है। दशवैकालिक सूत्र में इसके लिए मधुकर अर्थात् भ्रमर की उपमा दी है। भ्रमर भी फूलों को बिना कुछ हानि पहुँचाए थोड़ा-थोड़ा रस ग्रहण करता हुआ, आत्मतृप्ति करता है।

कपाटोद्धाटन—गृहस्थ के घर के द्वार के बंद किवाड़ खोलकर आहार-पानी लेना सदोष है, क्योंकि बिना प्रमार्जन किए कपाट-उद्धाटन से जीव-विराधना की सम्भावना रहती है। इस प्रकार घर में प्रवेश करके आहार लेने से साधक की असम्मति भी प्रतीत होती है, क्योंकि गृहस्थ अपने घर के अन्दर किसी विशेष कार्य में संलग्न हो और साधु अचानक किवाड़ खोलकर अन्दर जाए तो यह उचित नहीं है। यह उत्सर्ग मार्ग है। यदि किसी विशेष कारण से आवश्यक वस्तु लेनी हो तथा यतनापूर्वक किवाड़ खोलने हों तो स्वयं खोले अथवा किसी अन्य से खुलवाये जा सकते हैं। यह अपवाद मार्ग है।

मंडीप्राभूतिका—अर्थात् अग्रपिंड लेना। तैयार किए हुए भोजन के कुछ अग्र-अंश को पुण्यार्थ निकाल कर जो रख दिया जाता है, वह अग्रपिंड कहलाता है।

बलिप्राभूतिका—देवी-देवता आदि की पूजा के लिए तैयार किया हुआ भोजन बलि कहलाता है। ऐसा आहार लेना साधु को नहीं कल्पता है।

संकिए—आहार लेते समय भोजन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भी आधाकर्मादि दोष की आशंका से युक्त; ऐसा आहार कदापि नहीं लेना चाहिये।

सहसाकार—'उतावला सो बावला' शीघ्रता में कार्य करना, क्या लौकिक और क्या लोकोत्तर दोनों ही दृष्टियों से अहितकर है।

अदृष्टाहृत—गृहस्थ के घर पर पहुँच कर साधु को जो भी वस्तु लेनी हो, वह जहाँ रखी हो, स्वयं अपनी आंखों से देखकर लेनी चाहिये। बिना देखे ही किसी वस्तु को ग्रहण करने से अदृष्टाहृत दोष लगता है। भाव यह है कि देय वस्तु न मालूम किसी सचित्त वस्तु पर रखी हुई हो, अतः उसके ग्रहण करने से जीव-विराधना दोष लग सकता है। अतएव बिना देखे किसी भी वस्तु को लेना ग्राह्य नहीं है।

अवभावण मिक्षा—भोजन में किसी विशिष्ट वस्तु की याचना करना।

स्वाध्याय तथा प्रतिलेखनादोषनिवृत्ति सूत्र

पठिककमामि आउक्कालं सज्जायस्त अकरण्याए, उभयो कालं भंडोवगरणस्त अप्पडिलेहणाए, दुप्पडिलेहणाए, अप्पमज्जणाए, दुप्पमज्जणाए, अहृकमे, अहृकमे, अह्यारे, अणायारे जो मे देवसिंग्रो अह्यारो कम्मो तस्स मिच्छा मि दुर्शकडं।

भावार्थ—स्वाध्याय तथा प्रतिलेखना सम्बन्धी प्रतिक्रमण करता है। यदि प्रमादवश दिन और रात्रि के प्रथम तथा अन्तिम प्रहर रूप चारों कालों में स्वाध्याय न किया हो, प्रातः तथा सन्ध्या दोनों काल में वस्त्र-पात्र आदि भाण्डोपकरण की प्रतिलेखना न की हो अथवा सम्यक्-प्रकार से प्रतिलेखना न की हो, प्रमार्जना न की हो, अथवा विधिपूर्वक प्रमार्जना न की हो, इन कारणों से अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार अथवा अनाचार लगा हो तो वे सब मेरे पाप मिथ्या- निष्फल हों।

विवेचन—

(प्र.) कालपडिलेहण्याए एं भंते ! जीवे किं अण्यइ ?

(उ.) कालपडिलेहण्याए एं नाणावरणिञ्जं कम्मं ज्ञवेइ।

हे भगवन् ! काल की प्रतिलेखना करने से क्या कल होता है ?

काल की प्रतिलेखना से ज्ञानावरणकर्म का क्षय होता है और ज्ञान गुण की प्राप्ति होती है ।

—उत्तराध्ययन सूत्र अ. २९

उपर्युक्त सूत्र काल-प्रतिलेखना का है । आगम में कथन है कि दिन के पूर्व भाग तथा उत्तर भाग में, इसी प्रकार रात्रि के पूर्व भाग तथा उत्तर भाग में, अर्थात् दिवस एवं रात्रि के चारों कालों में नियमित स्वाध्याय करना चाहिये । साथ ही वस्त्र पात्र रजोहरण आदि की प्रतिलेखना भी आवश्यक है । यदि प्रमादवश उक्त दोनों आवश्यक कर्तव्यों में भूल हो जाय तो उसकी शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करने का विधान है ।

प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न करने, टिकाये रखने, नष्ट करने और संयुक्त को वियुक्त तथा वियुक्त को संयुक्त करने में काल का महत्वपूर्ण योग है । अतः जीवन की प्रगति के प्रत्येक अंग को आलोकित रखने के लिए काल की प्रतिलेखना करना अर्थात् काल का ध्यान रखना अतीव आवश्यक है । जिस काल में जो क्रिया करनी चाहिये उस काल में वही क्रिया की जानी चाहिये । इसीलिये उत्तराध्ययन सूत्र में शास्त्रकार ने साधुओं के लिए कालक्रम (Time Table) निर्धारित कर दिया है । साथ ही यह भी निर्दिष्ट कर दिया है—‘काले कालं समायरे’—अर्थात् प्रत्येक कार्य नियत समय पर ही करना चाहिये । दिवस और रात्रि का प्रथम और अन्तिम प्रहर स्वाध्याय के लिए निश्चित किया गया है । इस प्रकार अहोरात्र में स्वाध्याय के चार काल हैं ।

स्वाध्याय परम तप है । नवीन ज्ञानार्जन के लिए, अर्जित ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए तथा ज्ञानावरणकर्म की निर्जरा के लिए स्वाध्याय ही एक सबल साधन है । स्वाध्याय की एक बड़ी विशेषता है—चित्त की एकाग्रता । स्वाध्याय से चंचल चित्त की दौड़धूप रुक जाती है और वह केन्द्रित हो जाता है । यही कारण है कि उसके लिए चार प्रहर नियत किए गए हैं ।

स्थानांगसूत्र के टीकाकार अभ्यदेवसूरि ने स्वाध्याय का अर्थ करते हुए लिखा है—
भलोभांति मर्यादा के साथ अध्ययन करना स्वाध्याय है—‘मुष्ठु आमर्यादिया अधीयते इति स्वाध्याय ।

—स्थानांग २ स्था. १३०

शास्त्रकारों ने स्वाध्याय को नन्दनवन की उपमा दी है । जिस प्रकार नन्दनवन में प्रत्येक दिशा के भव्य से भव्य दृश्य मन को आनन्दित करने के लिए होते हैं, वहाँ जाकर मानव सब प्रकार के कष्टों को भूल जाता है, उसी प्रकार स्वाध्याय रूप नन्दनवन में भी एक से एक सुन्दर एवं शिक्षाप्रद दृश्य देखने को मिलते हैं तथा मन दुनियावी भंभटों से मुक्त होकर एक अलोकिक लोक में विचरण करने लगता है । स्वाध्याय हमारे अन्धकारपूर्ण जीवनपथ के लिए दीपक के समान है ।

प्रतिलेखना—साधु के पास जो भी वस्त्र पात्र आदि उपधि हो, उसकी प्रातःकाल एवं सायंकाल प्रतिलेखना करनी होती है । उपधि को बिना देखे पूँजे उपयोग में लाने से हिंसा का दोष लगता है । शास्त्रोक्त समय पर स्वाध्याय या प्रतिलेखना न करना, शास्त्रनिषिद्ध समय पर करना स्वाध्याय

एवं प्रतिलेखना पर श्रद्धा न रखना तथा इस सम्बन्ध में मिथ्या प्ररूपणा करना, या उचित विधि से न करना आदि स्वाध्याय एवं प्रतिलेखन रूप अतिचार-दोष हैं।

यह काल-प्रतिलेखना सूत्र स्वाध्याय तथा प्रतिलेखन करने के बाद पढ़ना चाहिये।

प्रस्तुत पाठ में आये हुए अतिक्रम आदि का अर्थ इस प्रकार है—

१. अतिक्रम—गृहीत व्रत या प्रतिज्ञा को भंग करने का विचार करना।

२. अविक्रम—व्रतभंग के लिए उद्यत होना।

३. अतिचार—प्रांशिक रूप से व्रत को खंडित करना।

४. अनाचार—व्रत को पूर्ण रूप से भंग करना।

तेतीस बोल का पाठ

पडिक्रमामि एगविहे असंजमे । पडिक्रमामि दोहि वंशणेहि—रागवंशणेण, दोस-वंशणेण ।

पडिक्रमामि तिहि वंडेहि—मणवंडेण, वयवंडेण, कायवंडेण ।

पडिक्रमामि तिहि गुतीहि—मणगुतीए, वयगुतीय, कायगुतीए ।

पडिक्रमामि तिहि सल्लेहि—मायासल्लेण, नियाणसल्लेण, मिष्ठादंसणसल्लेण ।

पडिक्रमामि तिहि गारवेहि—इडीगारवेण, रसगारवेण, सायागारवेण ।

पडिक्रमामि तिहि विराहणाहि—नाणविराहणाए, दंसणविराहणाए, चरित्तविराहणाए ।

भावार्थ—अविरति रूप एकविध असंयम का आचरण करने से जो भी अतिचार-दोष लगा हो, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ।

दो प्रकार के बन्धनों से लगे दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ, अर्थात् उनसे पीछे हटता हूँ। दो प्रकार के बन्धन हैं—१. रागबन्धन एवं २. द्वेषबन्धन।

तीन प्रकार के दण्डों से लगे दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। तीन दण्ड—

१. मनोदण्ड, २. वचनदण्ड एवं ३. कायदण्ड ।

तीन प्रकार की गुप्तियों से अर्थात् उनका आचरण करते हुए प्रमादवश जो भी गुप्तियों सम्बन्धी विपरीताचरणरूप दोष लगे हों, उनका प्रतिक्रमण करता हूँ। तीन गुप्ति—ममोगुप्ति, वचनगुप्ति एवं कायगुप्ति ।

तीन प्रकार के शल्यों से होने वाले दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। तीन शल्य—माया-शल्य, निदानशल्य और मिथ्यादर्शनशल्य ।

तीन प्रकार के गौरव—अभिमान से लगने वाले दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। तीन गौरव—१. आचार्य आदि पद की प्राप्ति रूप ऋद्धि का अहंकार—ऋद्धि-गौरव । २. मधुर आदि रस की प्राप्ति का अभिमान—रस-गौरव तथा ३. साता-गौरव—साता का अर्थ है आरोग्य एवं शारीरिक सुख। आरोग्य, शारीरिक सुख तथा वस्त्र, पात्र शयमासन आदि सुख-साधनों के मिलने पर अभिमान करना और न मिलने पर उनकी आकंक्षा करना साता-गौरव है।

तीन प्रकार की विराधनाओं से होने वाले दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ । वे इस प्रकार हैं

१. ज्ञान की तथा ज्ञानी की निदा करना, ज्ञानार्जन में आलस्य करना, अकाल स्वाध्रुत करना आदि ज्ञानविराधना है ।

२. सम्यक्त्व एवं सम्यक्त्वधारी साधक की विराधना करना दर्शनविराधना है ।

३. अर्हिसा, सत्य आदि चारित्र का सम्यक् पालन न करना, उसमें दोष लगाना चाहि विराधना है ।

पडिक्कमामि चउहिं कसाएहिं—कोहकसाएण, माणकसाएण, मायाकसाएण, ले कसाएण ।

पडिक्कमामि चउहिं सभाहिं—आहारसभाए, भयसभाए, मेहुणसभाए, परिग्रहसभाए ।

पडिक्कमामि चउहिं विकहाहिं—इत्थीकहाए, भत्तकहाए, देसकहाए, रायकहाए ।

पडिक्कमामि चउहिं भाणेहिं—अट्टेण भाणेण, रहेण भाणेण, धम्मेण भाणेण, सुकं भाणेण ।

भावार्थ—कथायसूत्र—चार कथाओं के द्वारा होने वाले अतिचारों का प्रतिक्रमण कहते हैं । चार कथाय—क्रोधकथाय, मानकथाय, मायाकथाय और लोभकथाय ।

संज्ञासूत्र—चार प्रकार की संज्ञाओं के द्वारा जो अतिचार-दोष लगा, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ । चार संज्ञाएँ—आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा और परिग्रहसंज्ञा ।

विकथासूत्र—स्त्रीकथा, भक्तकथा, देशकथा और राजकथा, इन चार विकथाओं के द्वारा जो भी अतिचार लगा हो, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ ।

ध्यानसूत्र—आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान के करने से तथा धर्मध्यान एवं शुक्लध्यान वे करने से जो भी अतिचार लगा हो, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ ।

पडिक्कमामि पंचहिं किरियाहिं—काइयाए, अहिगरणियाए, पाउसियाए, पारितावणिय पाणाइवायकिरियाए ।

पडिक्कमामि पंचहिं कामगुणेहिं—सहेण, रुवेण, गंधेण, रसेण, फासेण ।

पडिक्कमामि पंचहिं महब्बरहिं—सव्वाशो पाणाइवायाशो वेरमण, सव्वाशो मुसावाय वेरमण, सव्वाशो अदिशावाणाशो वेरमण, सव्वाशो मेहुणाशो वेरमण, सव्वाशो परिग्रह वेरमण ।

पडिक्कमामि पंचहिं समिईहिं—इरियासमिईए, भासासमिईए, एसणासमिईए, आय भंडमत्तनिखेवणासमिईए, उच्चार-पासवण-खेल-जल्स-सिधाण-परिद्वावणियासमिईए ।

भावार्थ—क्रियासूत्र—कायिकी, आधिकरणिकी, प्राद्वेषिकी, पारितापनिकी और प्राणा पातिकी, इन पांचों क्रियाओं के करने से जो भी अतिचार लगा हो उनका प्रतिक्रमण करता हूँ ।

कामगुणसूत्र—शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इन पांचों कामगुणों के द्वारा जो अतिचार लगा हो उसका प्रतिक्रमण करता हूँ ।

महाब्रतसूत्र—सर्वप्राणातिपातविरमण—श्रीहिंसा, सर्वमृषावादविरमण—सत्य, सर्वअदत्तादानविरमण—असत्य, सर्वमैथुनविरमण—ब्रह्मचर्य, सर्वपरिग्रहविरमण—श्रपरिग्रह, इन पांचों महाब्रतों में कोई भी अतिचार-दोष लगा हो, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ।

समितिसूत्र—ईर्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदान-भाण्डमान्न-निक्षेपणासमिति, उच्चार-प्रश्वरण-श्लेष्म-जल्ल-सिंघाण-परिष्ठापनिकासमिति, इन पांचों समितियों का सम्यक् पालन न करने से जो भी अतिचार लगा हो उसका प्रतिक्रमण करता हूँ।

पठिक्कमामि छाहि जीवनिकाएहि—पुढविकाएण, आउकाएण, तेउकाएण, वाउकाएण, वणस्सइकाएण, तसकाएण।

पठिक्कमामि छाहि लेसाहि—किण्हलेसाए, नीललेसाए, काउलेसाए, तेउलेसाए, पउम-लेसाए, सुकलेसाए।

जीवनिकायसूत्र—पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय, इन छहों जीवनिकायों की हिंसा करने से जो अतिचार लगा हो, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ।

लेश्यासूत्र—कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पश्चलेश्या और शुक्ल-लेश्या, इन छहों लेश्याओं के द्वारा अर्थात् प्रथम तीन अधर्म लेश्याओं का आचरण करने से और अन्त की तीन धर्मलेश्याओं का आचरण न करने से जो भी अतिचार लगा हो, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ।

पठिक्कमामि सत्ताहि भयठाणेहि,

अट्टाहि भयटुणेहि,

नवर्हि बंधचेरगुत्तीहि,

दसविहे समणधम्मे—

एककारसाहि उवासगपाडिमाहि,

बारसाहि भिक्खुपडिमाहि,

तेरसाहि किरियाठाणेहि,

चउद्दसाहि भूयगामेहि,

पञ्चरसाहि परमाहम्मिएहि,

सोलसाहि गाहासोलसएहि,

सत्तरसविहे असंजमे,

अट्टारसविहे अबंभे,

एगूणबीसाए नायजभयणेहि,

बीसाए असमाहिठाणेहि—

इक्कबीसाए सबलेहि, बाबीसाए परीसहेहि,

तेबीसाए सूयगजभयणेहि, चउबीसाए देवेहि, पणबीसाए भावणाहि,

छब्बीसाए दसाकप्पवहाराणं उद्वेसणकालेहि,
सत्तावीसाए अणगारगुणेहि
अट्टावीसाए आयारप्पकप्पेहि ।
एगूणतीसाए पावलुयप्पसंगेहि,
तीसाए महामोहणीयटुणेहि,
एगतीसाए सिद्धाइगुणेहि,
बत्तीसाए जोग-संगहेहि,
तेत्तीसाए आसायणाहि—

१. अरिहंताणं आसायणाए, २. सिद्धाणं आसायणाए, ३. आयरियाणं आसायणाए,
४. उवजभायाणं आसायणाए, ५. साहूणं आसायणाए, ६. साहुणीणं आसायणाए, ७. सावयाणं
आसायणाए, ८. सावियाणं आसायणाए, ९. देखाणं आसायणाए, १०. देवीणं आसायणाए,
११. इहसोगस्स आसायणाए, १२. परलोगस्स आसायणाए, १३. केवलि-पञ्चस्स घम्मस्स आसायणाए,
१४. सदेव-न्युयासुरस्स लोगस्स आसायणाए, १५. सध्वापाण-भूय-जीव-सत्ताणं आसायणाए,
१६. कालस्स आसायणाए, १७. सुग्रस्स आसायणाए, १८. सुयदेवयाए आसायणाए, १९. वायणा-
यरियस्स आसायणाए, जं २०. वाइङ्, २१. वच्छामेलियं, २२. हीणवखरं, २३. अच्चवखरं
२४. पथहीणं, २५. विणयहीणं, २६. जोग-हीणं, २७. घोसहीणं, २८. सुट्ठुदिन्नं, २९. दुट्ठुपडिच्छियं,
३०. अकाले कओ सउभाओ, ३१. काले न कओ सउभाओ, ३२. असउभाइए सउभाइयं, ३३. सउभाए
न सउकाइयं, तस्स मिच्छा भि दुष्कडं ।

भावार्थ—प्रतिक्रमण करता हूँ—सात भय के स्थानों अर्थात् कारणों से, आठ मद के स्थानों
से, नी ब्रह्माचर्य की गुप्तियों से अर्थात् उनका सम्यक् पालन न करने से, दसविध क्षमा आदि श्रमण
धर्म की विराधना से,

ग्यारह उपासक प्रतिमा—श्रावक की प्रतिज्ञाओं से अर्थात् उनकी अश्रद्धा तथा विपरीत
प्ररूपणा से, बारह भिक्षु की प्रतिमाओं से—उनकी अश्रद्धा अथवा विपरीत प्ररूपणा से, तेरह क्रिया
के स्थानों के सेवन से, चौदह जीवों के समूह से अर्थात् उनकी हिंसा से, फन्द्रह परमाधार्मिकों से
अर्थात् उन जैसा भाव रखने या आचरण करने से, सूत्रकृतांगसूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के गाथा
अध्ययन सहित सोलह अध्ययनों से, सत्तरह प्रकार के असंयम में रहने से, अठारह प्रकार के अब्रह्माचर्य
में वर्तने से, ज्ञातासूत्र के उभीस अध्ययनों से अर्थात् उनकी विपरीत श्रद्धा प्ररूपणा करने से, बीस
असमाधि के स्थानों से,

इक्कीस शब्लों से, बाईस परिषहों से अर्थात् उनको सहन न करने से, सूत्रकृतांगसूत्र के
तीइस अध्ययनों से अर्थात् तदनुसार आचरण न करने से या विपरीत श्रद्धा-प्ररूपणा करने से, चौबीस
देवों से अर्थात् उनकी अवहेलना करने से, या पांच महाव्रतों की पच्चीस भावनाओं (का यथावत् पालन
करने) से, दशश्रुतस्कन्ध, बूहृत्कल्प और व्यवहार—उक्त सूत्रव्ययी के छब्बीस उद्देशन कालों से,

सत्ताईस साधु के गुणों से, आचारप्रकल्प—आचारांग तथा निशीथसूत्र के अट्टाईस अध्ययनों से, उनतीस पापश्रुत के प्रसंगों से, महामोहनीय कर्म के तीस स्थानों से,

सिद्धों के हक्तीस आदि या सर्वोत्कृष्ट गुणों से, बत्तीस योगसंग्रहों से, तेतीस आशातनाओं से, यथा—अर्हित, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, देव, देवी, इहलोक, परलोक, केवलि-प्ररूपित धर्म, देव-मनुष्य-ग्रसुरों सहित समग्र लोक, समस्त प्राण—विकलब्रय, भूत—वनस्पति, जीव—पञ्चेन्द्रिय, सत्त्व—पृथ्वीकाय आदि चार स्थावर, तथैव काल, श्रुत-शास्त्र, श्रुत-देवता वाचनाचार्य—इन सबकी आशातना से,

तथा व्याविद्ध—सूत्र के पाठों को या सूत्र के अक्षरों को आगे-पीछे किया हो, व्यत्याप्रेडित—शून्य-चित्त से कई बार पढ़ता ही रहा हो, अन्य सूत्र का पाठ अन्य सूत्र में मिलाया हो, अक्षर छोड़कर पढ़ा हो, अत्यक्षर—अक्षर बढ़ा दिये हों, पदहीन पढ़ा हो, शास्त्र एवं शास्त्राध्यापक का समुचित विनय न किया हो, घोषहीन उदात्तादि स्वरों से रहित पढ़ा हो, योगहीन—उपधानादि तपोविशेष के विना अथवा उपयोग के विना पढ़ा हो, सुष्ठुदत्त—अधिक ग्रहण करने की योग्यता न रखने वाले शिष्य को भी अधिक पाठ दिया हो, दुष्टप्रतीच्छित—वाचनाचार्य के द्वारा दिए हुए आगमपाठ को दुष्ट भाव से ग्रहण किया हो, अकाल-स्वाध्याय—कालिक, उत्कालिक सूत्रों को उनके निषिद्ध काल में पढ़ा हो, काल-अस्वाध्याय—विहित काल में सूत्रों को न पढ़ा हो, अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय किया हो, स्वाध्याय की स्थिति में स्वाध्याय न किया हो ।

इस प्रकार श्रुतज्ञान की चौदह आशातनाओं से, और सब मिलाकर तेतीस आशातनाओं से जो भी अतिचार हो, तत्सम्बन्धी मेरा दुष्कृत-पाप मिथ्या हो ।

विवेचन—**असंयमसूत्र**—असंयम, संयम का विरोधी है । असंयम ही समस्त सांसारिक दुःखों का मूल है । चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से होने वाले राग-द्वेष रूप कषाय आदि भावों का नाम असंयम है । लोभ एवं तृष्णा ये मन की दुष्ट वृत्तियाँ हैं । इन वृत्तियों पर जो संयम नहीं रखता है, अथवा नियंत्रण नहीं रखता है वह इनका दास है, गुलाम है । वह कभी आत्म-विजेता नहीं बन सकता । अतः आत्मविजेता बनने के लिए आत्मसंयम परम् आवश्यक है । जो आत्म-संयम नहीं रख सकता, अपने मन एवं इन्द्रियों पर नियंत्रण स्थापित नहीं करता, वह इच्छाओं के वशीभूत होकर कभी शांति-समाधि नहीं पा सकता और इच्छाएँ तो आकाश के समान अनन्त हैं । उनकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती । शास्त्रकार कहते हैं—‘इच्छा हु आगाससमा अणतिया ।’

—उत्तराध्ययन सू. अ. ९

यद्यपि संयम के १७ भेद होने से उसके विरोधी असंयम के भी १७ भेद हैं और विस्तार की विवक्षा से अन्य भेद भी हो सकते हैं, जो आगे गिनाए भी गए हैं । किन्तु सामान्यग्राही संग्रहनय की अपेक्षा से यहाँ एक ही प्रकार कहा गया है ।

बन्धनसूत्र—

प्रस्तुत सूत्र में राग-द्वेष को बन्धन कहा है । राग-द्वेष के द्वारा अष्टविध कर्मों का बन्ध होता है । राग-द्वेष की प्रवृत्ति चारित्रमोह के उदय से होती है तथा चारित्रमोह संयम-जीवन का दूषक एवं धातक है । जब तक राग-द्वेष की मलिनता है, तब तक चारित्र की शुद्धता किसी भी तरह नहीं हो सकती ।

राग-द्वेष दो बीज हैं, कर्मबन्ध की व्याप्ति ।
आत्मतम धेराग्य से, पावं मुक्ति समाध ॥

—बृहदालोयणा (रणजीतसिंह कृत)

जिसके द्वारा आत्मा कर्म से रंगा जाता है, वह मोह की परिणति राग है तथा किसी के प्रति शत्रुता, धृणा, क्रोध आदि दुर्भविना द्वेष है। चार कषायों में से क्रोध और मान को द्वेष में तथा माया और लोभ को राग में परिणित किया गया है।

दण्डसूत्र—

आत्मा को जिस अशुभ प्रवृत्ति से आत्मा दंडित होता है अर्थात् दुःख का पात्र बनता है, वह दण्ड कहलाता है। दण्ड तीन प्रकार के हैं— १. मनोदण्ड, २. वचनदण्ड और ३. कायदण्ड।

१. मनोदण्ड—१. विषाद करना, २. कूरतापूर्ण विचार करना, ३. व्यर्थ कल्पनाएँ करना, ४. मन का इधर-उधर बिना प्रयोजन भटकना, ५. अपवित्र विचार रखना, ६. किसी के प्रति धृणा, द्वेष आदि करना मनोदण्ड है। इनकी अशुभ प्रवृत्तियों से आत्मा २४ दण्डकों में दण्डित होता है।

२. वचनदण्ड—१. असत्य बोलना, २. अन्य की निदा, चुगली करना, ३. कड़वा बोलना, ४. अपनी प्रशंसा करना, ५. निरर्थक या निष्प्रयोजन बोलना, ६. सिद्धान्त के विरुद्ध प्ररूपणा करना आदि।

३. कायदण्ड—१. किसी को पीड़ा पहुंचाना, २. अनाचार का सेवन करना, ३. किसी की वस्तु चुराना, ४. अभिमान से अकड़ना, ५. व्यर्थ इधर-उधर ढोलना, ६. असावधानी से चलना आदि।

इन्हीं तीनों के माध्यम से आत्मा अशुभ प्रवृत्तियाँ करके दंडित होता है—२४ दण्डकों में भटकता हुआ क्लेशों का भाजन बनता है, अतएव ये दण्ड कहलाते हैं।

गुप्तिसूत्र—

गुप्ति—अशुभ योग से निवृत्त होकर शुभ योग में प्रवृत्ति करना गुप्ति है। अथवा संसार के कारणों से आत्मा की सम्यक् प्रकार से रक्षा करना, तीनों योगों की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना तथा आगन्तुक कर्मरूपी कचरे को रोकना गुप्ति है। गुप्ति तीन प्रकार की है—१. मनोगुप्ति, २. वचनगुप्ति, ३. कायगुप्ति।

मनोगुप्ति—आर्त तथा रौद्र ध्यान विषयक मन से संरंभ, समारंभ तथा आरंभ संबंधी संकल्प-विकल्प न करना, धर्म-ध्यान सम्बन्धी चिन्तन करना, मध्यस्थ भाव रखना मनोगुप्ति है।

मनोगुप्ति के चार भेद—

द्रव्य से आरम्भ-समारम्भ में मन न प्रवत्तिवि, क्षेत्र से समस्त लोक में, काल से जीवन पर्यन्त और भाव से विषय-कषाय, आर्त-रौद्र ध्यान, राग-द्वेष में मन न प्रवत्तिवि।

वचनगुप्ति के चार भेद—

द्रव्य से चार प्रकार की विकथा न करना, क्षेत्र से समस्त लोक में, काल से जीवन-पर्यन्त, भाव से सावद्य वचन न बोलना।

कायगुप्ति के चार भेद—

द्रव्य से शरीर की शुश्रूषा न करे, क्षेत्र से समस्त लोक में, काल से जीवन पर्यन्त, भाव से सावद्य योग न प्रवर्तना ।

शत्यसूत्र—

माया, निदान और मिथ्यादर्शन, ये तीनों दोष आगम की भाषा में शत्य कहलाते हैं । जिसके द्वारा अन्तर पीड़ा सालती रहती हो, कसकती रहती हो वह तीर, कांटा आदि द्रव्य शत्य हैं । माया आदि भाव शत्य हैं । आचार्य हरिभद्र के अनुसार शत्य शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—“शत्यतेऽनेनेति शत्यम् ।” आध्यात्मिक क्षेत्र में माया, निदान और मिथ्यादर्शन को शत्य इसलिए कहा कि जिस प्रकार शरीर के किसी भाग में कांटा, कील तथा तीर आदि तीक्ष्ण वस्तु घुस जाए तो वह मनुष्य को क्षुब्धि बना देती है, उसी प्रकार अन्तर में रहा हुआ सूक्ष्म शत्यक्रय भी साधक की अन्तरात्मा को सालता रहता है । तीनों ही शत्य तीव्र कर्मवन्ध के हेतु हैं ।

१. मायाशत्य—माया का अर्थ है कपट । माया एक तीक्ष्ण धारवाली असि है जो आपसी स्नेह-सम्बन्ध को क्षण भर में ही काट देती है । दशवैकालिकसूत्र में कहा है—‘माया मित्ताणि नासेइ’ अर्थात् मायाचार करने से मिश्रों—मैत्रीभाव का विनाश होता है ।

२. निदानशत्य—धर्मचिरण के सांसारिक फल की कामना करना, भोगों की लालसा रखना निदानशत्य है ।

३. मिथ्यादर्शनशत्य—सत्य पर श्रद्धा न लाना एवं असत्य का कदाग्रह रखना मिथ्या दर्शनशत्य है । इस प्रकार तीनों शत्यों से होने वाले दोषों का प्रतिक्रिया करता हूँ ।

गौरवसूत्र एवं विराधनासूत्र—

आचार्य आदि की पदप्राप्ति रूप ऋद्धिगौरव, मधुर आदि प्रिय रस की प्राप्ति का अभिमान रूप रसगौरव तथा शारीरिक आदि सुखप्राप्ति से होने वाले अभिमान रूप सातागौरव के कारण, एवं ज्ञान की अर्थात् जिसके द्वारा जीवादि पदार्थ जाने जाएँ उस ज्ञान की विराधना, दर्शन की विराधना, चारित्र की विराधना, इन तीन विराधनाओं के कारण जो कोई अतिचार किया गया हो तो उससे मैं निवृत्त होता हूँ ।

गौरव का अर्थ है गुरुत्व—भारीपन । गौरव दो प्रकार का है—१. द्रव्यगौरव, २. भावगौरव । पत्थर आदि की गुरुता द्रव्यगौरव है और अभिमान एवं लोभ के कारण होने वाला आत्मा का अशुभ भाव भावगौरव है ।

किसी भी प्रकार का दोष न लगाते हुए चारित्र का विशुद्ध रूप से पालन करना आराधना है और इसके विपरीत ज्ञानादि आचार का सम्यक् रूप से आराधन न करना, उनमें दोष लगाना विराधना है ।

कषायसूत्र—

कोहं माणं च मायं च, लोभं च पाद-वद्धणं ।

बमे चत्तारि दोसे उ, इष्ठांतो हियमप्पणो ॥ --दशवै. सू. अ. ८

अर्थात् अपनी आत्मा का हित चाहने वाले साधक को पाप बढ़ाने वाले क्रोध, मान, माया तथा लोभ इन चारों कषायों का त्याग कर देना चाहिये ।

आत्मा का कषायों द्वारा जितना अहित होता है, उतना किसी भी अन्य शत्रु द्वारा नहीं होता । कषाय कर्मबन्ध के प्रबल कारण हैं । यही आत्मा को संसार-भ्रमण कराते हैं । कषाय के द्वारा जिसकी आत्मा कलुषित है, उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि का समावेश नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार जैसे काले कंबल पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता । आत्मा के उत्थान तथा पतन के मूल कारण कषाय हैं । कषायों के तीव्र उद्वेक से आत्मा अधःपतन के गहरे गर्त में गिरती जाती है, क्योंकि कषायों का मन पर अधिकार हो जाने पर उनके विरोधी सभी सद्गुण एक-एक करके लुप्त हो जाते हैं—

कोहो पीइं पणासेइ, माणो विणयनासणो ।
माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सव्वविणासणो ॥
उवसमेण हणे कोहं, माणं महवया जिणे ।
मायमज्जब-भावेण, लोभं संतोसग्नो जिणे ॥

—दशवैकालिक, अ. ८।३८, ३९

क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है तथा लोभ समस्त सद्गुणों का नाश करता है ।

क्षमा से क्रोध को, विनय से अर्थात् मृदुता से मान को, सरलता से माया को और संतोष से लोभ को जीतना चाहिये ।

संज्ञासूत्र—

जीवों की इच्छा को संज्ञा कहते हैं । संज्ञा का अर्थ 'चेतना' भी होता है । प्रस्तुत में मोहनीय एवं प्रसाता वेदनीय कर्म के उदय से जब चेतनाशक्ति विकारयुक्त हो जाती है तब वह 'संज्ञा' पदवाच्य होती है ।

श्रीपञ्चवणा सूत्र के आठवें पद में संज्ञा के दस प्रकार बताए हैं ।^१ अनेक सूत्रों में सोलह भेद भी प्ररूपित किए गए हैं । मूल भेद चार हैं—१. आहार, २. भय, ३. मैथुन, ४. परिग्रह ।

१. आहारसंज्ञा—आहारसंज्ञा चार कारणों से उत्पन्न होती है । यथा—१. पेट खाली होने से, २. क्षुधा वेदनीय के उदय से, ३. आहार को देखने से और ४. आहार सम्बन्धी चिन्तन करने से ।

२. भय-संज्ञा—भयसंज्ञा चार कारणों से उत्पन्न होती है—१. अधैर्य रखने से, २. भय-मोह के उदय से, ३. भय उत्पन्न करने वाले पदार्थ को देखने से, ४. भय का चिन्तन करने से । भय-मोहनीय केउ दय से आत्मा में जो त्रास का भाव उत्पन्न होता है, वह भयमोहनीय है ।

१. १. आहारसंज्ञा, २. भयसंज्ञा, ३. मैथुनसंज्ञा, ४. परिग्रहसंज्ञा, ५. क्रोधसंज्ञा, ६. मानसंज्ञा, ७. मायासंज्ञा
८. लोभसंज्ञा, ९. लोकसंज्ञा, १०. ग्रोथसंज्ञा ।

३. मैथुनसंज्ञा—वेदमोहोदय का संवेदन मैथुनसंज्ञा कहलाती है। वह भी चार कारणों से उत्पन्न होती है—१. शरीर पुष्ट बनाने से, २. वेदमोहनीय कर्मोदय से, ३. स्त्री आदि को देखने से और ४. काम-भोग का चिन्तन करने से ।

४. परिग्रहसंज्ञा—लोभमोहनीय के उदय से मनुष्य की संप्रहवृत्ति या मूर्छा जागृत होती है वह परिग्रहसंज्ञा है। उसके भी चार कारण हैं—१. ममत्व बढ़ाने से, २. लोभमोहनीय के उदय से, ३. धन-सम्पत्ति देखने से और ४. धन परिग्रह का चिन्तन करने से ।

विकथासूत्र ॥

संयम को दूषित करने वाले एवं निरर्थक वातालाप को विकथा कहते हैं। स्त्रीकथा, भक्तकथा, देशकथा तथा राजकथा रूप चार विकथाओं के कारण जो कुछ अतिचार लगा हो तो उससे मैं निवृत्त होता हूँ। (नारी साधिका के लिए 'पुरुषकथा' बोलना चाहिये) ।

१. स्त्रीकथा—अमुक देश, जाति, कुल की अमुक स्त्री सुन्दर अथवा कुरुप होती है। वह बहुत सुन्दर वस्त्राभूषण पहनती है। गाना भी बहुत सुन्दर गाती है। इत्यादि विचार से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों में दोष लगने की संभावना होने से इसको अतिचार का हेतु माना गया है।

२. भक्तकथा—‘भक्तकथा’ आवाप, निर्वाप, आरम्भ एवं निष्ठान के भेद से चार प्रकार की है।

आवाप—अमुक रसोई में इतना धी, इतना शाक, इतना मसाला ठीक रहेगा।

निर्वाप—इतने पकवान थे, इतना शाक था, मधुर था, इस प्रकार देखे हुए भोज्य पदार्थ की कथा करना ।

आरम्भ—अमुक रसोई में इतने शाक और फल आदि की जरूरत रहेगी, इत्यादि ।

निष्ठान—अमुक भोज्य पदार्थों में इतने रूपये लगेंगे आदि ।

३. देशकथा—देशों की विविध वेश-भूषा, शृंगार-रचना, भोजनपद्धति, गृह-निर्माणकला, रीति-रिवाज आदि की प्रशंसा या निंदा करना देशकथा है।

४. राजकथा—राजाओं की सेना, रानियों, युद्ध-कला, भोग-विलास आदि का वर्णन करना, राजकथा कहलाती है। राजकथा चार प्रकार की है—१. अतियान, २. निर्याण, ३. बलवाहन, ४. कोष ।

ध्यानसूत्र ॥

पवन रहित अर्थात् निर्वात् स्थान में स्थिर दीप-शिखा के समान निश्चल, अन्य विषयों के संकल्प से रहित केवल एक ही विषय का चिन्तन ध्यान कहलाता है। अर्थात् अन्तर्मुहूर्त काल तक स्थिर अध्यवसान एवं मन की एकाग्रता ध्यान है। वीतराग के मन का अभाव होने के कारण योग-निरोध ही उनका ध्यान होता है।'

ध्यान प्रशस्त और अप्रशस्त रूप से दो प्रकार का होता है। आर्त तथा रौद्र अप्रशस्त ध्यान हैं, अतः हेय—त्याज्य हैं। धर्म तथा शुक्ल प्रशस्त ध्यान हैं—आचरणीय हैं।

१. अंतोमुहूर्तमिति, चित्तावत्थाणमेगवत्युम्भि ।

छउमस्थाणं भाण, जोगणिरोहो जिणाणति ॥

आचार्य जिनदास महत्तर ने आवश्यकचूर्ण के प्रतिक्रमणाध्ययन में इसी प्रसंग पर एक गाथा उद्घृत की है—

हिंसाणुरंजितं रौद्रं, अदृं कामाणुरंजितं ।

धर्माणुरंजितं धर्मं, सुक्लज्ञाणं निरंजनं ॥

अर्थात्—काम से अनुरंजित ध्यान आर्त कहलाता है। हिंसा से रंगा हुआ ध्यान रौद्र है, धर्म से अनुरंजित ध्यान धर्मध्यान है और शुक्लध्यान पूर्ण निरंजन होता है।

१. आर्तध्यान—आर्ति का अर्थ दुःख, व्यथा, कष्ट या पीड़ा होता है। आर्ति के निमित्त से जो ध्यान होता है, वह आर्तध्यान कहलाता है। अनिष्ट वस्तु के संयोग से, इष्ट वस्तु के वियोग से, रोग आदि के कारण तथैव भोगों की लालसा से मन में जो एक प्रकार की विकलता-सी अर्थात् पीड़ा-सी होती है और जब वह एकाग्रता का रूप धारण करती है तब आर्तध्यान कहलाती है।

२. रौद्रध्यान—हिंसा आदि अत्यन्त कूर विचार रखने वाला व्यक्ति रुद्र कहलाता है। रुद्र व्यक्ति के मनोभावों को रौद्रध्यान कहा जाता है। अथवा छेदन, भेदन, दहन, बन्धन, मारण, प्रहरण दमन, कर्तन आदि के कारण राग-द्वेष का उदय हो और दया न हो ऐसे आत्म-परिणाम को रौद्रध्यान कहते हैं।^१

३. धर्मध्यान—वीतराग की आज्ञा रूप धर्म से युक्त ध्यान को धर्मध्यान कहते हैं। अथवा-आगम के पठन, व्रतधारण, बन्ध-मोक्षादि, इन्द्रिय दमन तथा प्राणियों पर दया करने के चिन्तन को धर्मध्यान कहते हैं।^२

४. शुक्लध्यान—कर्म मल को शोधन करने वाला तथा शोक को दूर करने वाला ध्यान शुक्लध्यान है।^३ धर्मध्यान, शुक्लध्यान का साधन है। कहा भी है—‘जिसकी इन्द्रियाँ विषय-वासना रहित हों, संकल्प-विकल्पादि दोष युक्त जो तीन योग, उनसे रहित महापुरुष के ध्यान को ‘शुक्लध्यान’ कहते हैं।^४

१. सछेदनैर्दहन- भञ्जन-मारणेष्व,

बन्ध-प्रहार-दमनैविनिकृत्तनैश्च ॥

रागोदयो भवति येन न चानुकम्पा,

ध्यानं तु रौद्रमिति तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥

२. सूत्रार्थसाधनमहाप्रतिधारणेषु,

बन्धप्रमोक्षगमनागममहेतुचिन्ता ।

पञ्चेन्द्रियव्युपरमस्त्र दया च भूते,

ध्यानं तु धर्ममिति संप्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥

३. शोधयत्यष्टप्रकारं कर्ममलं शुचं वा क्लमयतीति शुक्लम् ।

—प्राचार्य नमि ।

४. यस्येन्द्रियाणि विषयेषु पहाङ् मुखानि,

संकल्पकल्पन विकल्पविकारदोषैः ।

योगैस्तथा त्रिभिरहो ! निभूतान्तरात्मा,

ध्यानं तु शुक्लमिदमस्य समादिशन्ति ॥

क्रियासूत्र—

जैन परिभाषा के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में हिंसाप्रधान दुष्ट व्यापार-विशेष को 'क्रिया' कहते हैं। विस्तार-पद्धति में क्रिया के २५ भेद माने गये हैं। परन्तु अन्य समस्त क्रियाओं का सूत्रोक्त पांच क्रियाओं में ही अन्तर्भूत हो जाता है, अतः मूल क्रियाएं पांच ही मानी जाती हैं।

१. कायिकीक्रिया—काय के द्वारा होने वाली क्रिया कायिकी कहलाती है। इसके तीन भेद माने गये हैं। मिथ्यादृष्टि और अविरत सम्यक्-दृष्टि की क्रिया अविरत-कायिकी कहलाती है, प्रमत्तसंयमी मुनि की क्रिया दुष्प्रणिहितकायिकी और अप्रमत्तसंयत मुनि की क्रिया सावद्ययोग से उपरत होने के कारण उपरतकायिकी कहलाती है।

२. आधिकरणीक्रिया—जिसके द्वारा आत्मा नरक आदि दुर्गति का अधिकारी होता है, वह पाप का साधन खड़गादि या दुर्मत्रादि का अनुष्ठान-विशेष अधिकरण कहलाता है, उससे होने वाली क्रिया।

३. प्राद्वेषिकीक्रिया—प्रद्वेष का अर्थ मत्सर, डाह, ईर्ष्या होता है। यह अकुशल परिणाम कर्मबन्ध का प्रबल कारण माना जाता है। अतः जीव या अजीव किसी भी पदार्थ पर द्वेषभाव रखना, प्राद्वेषिकीक्रिया है।

४. पारितापनिकीक्रिया—ताड़न आदि के द्वारा दिया जाने वाला दुःख परितापन कहलाता है। परितापन से निष्पत्त होने वाली क्रिया पारितापनिकी क्रिया कहलाती है। स्व तथा पर के भेद से पारितापनिकी क्रिया दो प्रकार की होती है। अपने आपको परिताप पहुंचाना स्वपारितापनिकी और अन्य प्राणी को परिताप पहुंचाना पर-पारितापनिकी क्रिया है।

५. प्राणातिपातिकीक्रिया—प्राणों का अतिपात या विनाश प्राणातिपात कहलाता है। प्राणातिपात से होने वाली क्रिया प्राणातिपातिकी कहलाती है। इसके को भेद है—क्रोधादि कषायवश होकर अपनी हिंसा करना, स्वहस्तप्राणातिपातिकी क्रिया है और इसी प्रकार दूसरे की हिंसा करना, परप्राणातिपातिकी क्रिया है।

कामगुणसूत्र—

प्रस्तुत सूत्र में उल्लेख है कि यदि संयम यात्रा करते हुए कही कामगुण अर्थात् पांच इन्द्रियों के विषय—शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श, इन विषयों में मन भटक गया हो, तटस्थता को छोड़ राग-द्वेष युक्त हो गया हो, मोहजाल में फंस गया अर्थात् इष्ट शब्दादि में राग और अनिष्ट में द्वेष उत्पन्न हुआ हो तो उसे वहाँ से हटाकर पुनः संयम-पथ पर अग्रसर करना चाहिये। यही कामगुणों से आत्मा का प्रतिक्रमण है।

महाब्रतसूत्र—

साधु हिंसा, असत्य, अदत्तादान, आदि का सर्वथा त्याग करता है अर्थात् अहिंसा आदि महाब्रतों की नवकोटि से सदा सर्वथा पूर्ण आराधना करता है, फलतः साधु के अहिंसा आदि व्रत महाब्रत कहलाते हैं।

महाब्रत साधु के पांच मूलगुण कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त शेष आचार उत्तरगुण कहलाते हैं। उत्तरगुणों की उपयोगिता मूलगुणों की रक्षा में है, स्वयं स्वतन्त्र उनका कोई प्रयोजन नहीं। महाब्रत तीन करण और तीन योग से ग्रहण किये जाते हैं। जीवन पर्यन्त किसी भी

प्रकार की हिंसा न स्वयं करना, न दूसरे से कराना, न करने वालों का अनुमोदन करना, मन से, वचन से और काय से, यह अहिंसा महाक्रत है। इसी प्रकार असत्य, स्तेय, मैथुन एवं परिग्रह आदि के त्याग के सम्बन्ध में भी नव कोटि की प्रतिज्ञा का भाव समझ लेना चाहिये।

विशेष ज्ञातव्य—

प्रस्तुत महाक्रतसूत्र के पश्चात् प्रायः सभी प्राप्त प्रतियों और आवश्यकसूत्र के टीकाग्रन्थों में समितिसूत्र का उल्लेख मिलता है। परन्तु आचार्य जिनदास महत्तर ने लिखा है—‘एत्य केवि अण्णं पि पठन्ति’ अर्थात् यहाँ कुछ आचार्य दूसरे पाठ भी पढ़ते हैं। यथा—पांच आश्रव, पांच संवरद्वार, पांच निर्जरद्वार आदि।’

समितिसूत्र—

सर्वथा जीव हिंसा से निवृत्त मुनि की आवश्यक निर्दोष प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। उत्तम परिणामों की चेष्टा को भी समिति कहते हैं। समिति आगमों का एक सांकेतिक शब्द है। समिति का अर्थ है—विवेक-युक्त होकर प्रवृत्ति करना। समिति पांच प्रकार की है—

१. ईर्यासमिति—कार्य उत्पन्न होने पर विवेकपूर्वक गमन करना तथा दूसरे जीवों को किसी प्रकार की हानि न हो, इस प्रकार उपयोगपूर्वक चलना ईर्यासमिति है।

२. भाषासमिति—आवश्यकता होने पर निर्दोष वचन की प्रवृत्ति करना, अर्थात् हित, मित, सत्य एवं स्पष्ट वचन कहना भाषासमिति है।^१

३. एषणासमिति—आहारादि सम्बन्धी बयालीस दोषों को टालकर निर्दोष भिक्षा ग्रहण करना, ५ मण्डल सम्बन्धी दोष टाल कर भोगना एषणासमिति है।

४. आदानभाण्डमात्र-निक्षेपणासमिति—वस्त्र, पात्र, पुस्तक आदि उपकरणों को उपयोग-पूर्वक ग्रहण करना एवं जीव रहित प्रमार्जित भूमि पर निक्षेपण करना-रखना आदान-भाण्ड-मात्र-निक्षेपणासमिति है।

५. पारिष्ठापनिकासमिति—मल, मूत्र, कफ, थूक, नासिकामल आदि या भृत्यशेष भोजन तथा भग्न पात्र आदि परठने योग्य वस्तु जीव रहित एकान्त स्थिण्डल-भूमि में परठना, जीवादि उत्पन्न न हों, एतदर्थं उचित यतनापूर्वक परठना पारिष्ठापनिकासमिति है।

जीवनिकायसूत्र—

‘जीवनिकाय’ शब्द जीव और निकाय इन दो शब्दों से बना है। जीव का अर्थ है—चेतन-प्राणी तथा निकाय का अर्थ है—राशि अर्थात् समूह। जीवों की राशि को जीवनिकाय कहते हैं। पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, बनस्पति और त्रस, ये छह निकाय हैं। इन छह निकायों में अर्थात् समूहों में समस्त संसारी जीवों का समावेश हो जाता है। प्रस्तुत सूत्र में छहों जीवसमूहों में से किसी को किसी भी प्रकार की प्रमाद-वश पीड़ा पहुंचायी हो तो उसका प्रतिक्रियण किया गया है।

१. “पडिकमामि पंचहि आसवदारेहि—मिच्छत्त-अविरति-पमाद-कसायजोगेहि, पचहि अणासवदारेहि—सम्मत-विरति-अप्पमाद-अकसायित्त अजोगित्तेहि, पंचहि निज्जर-ठाणेहि, नाण-दंसण-नरित्त-तव-संजर्मेहि।”

२. “भाषासमितिर्ताम हितमितासंदिग्धार्थभाषणम्।” — आचार्य हरिभद्र।

लेश्यासूत्र—

लेश्या का संक्षिप्त अर्थ है—मनोवृत्ति या विचार-तरंग। उत्तराध्ययनसूत्र, भगवतीसूत्र, प्रज्ञापनासूत्र आदि में लेश्या का विस्तार से तथा सूक्ष्म रूप से वर्णन किया गया है।

लेश्या की व्याख्या करते हुए आचार्य जिनदास महत्तर कहते हैं कि आत्मा के जिन शुभाशुभ परिणामों के द्वारा शुभाशुभ कर्म का आत्मा के साथ संश्लेषण होता है, वे परिणाम लेश्या कहलाते हैं।^१ मन, वचन और काय रूप योग के परिणाम लेश्या पदवाच्य हैं। क्योंकि योग के अभाव में अयोगों के बली लेश्यारहित माने गए हैं। लेश्या के मुख्य भेद छह हैं—

१. कृष्णलेश्या—यह मनोवृत्ति सबसे जघन्य है। कृष्णलेश्या वाले के विचार अतीव क्षुद्र, कूर, कठोर एवं निरंय होते हैं। अर्हिसा, सत्य आदि से उन्हें धूणा होती है। इहलोक परलोक से एवं परलोक सम्बन्धी अनिष्ट परिणामों से वे नहीं डरते। उन्हें अपने सुख से मतलब होता है—दूसरों के जीवन का कुछ भी हो, इसकी चिन्ता नहीं रहती है। वे अतिशय कूर एवं पापी होते हैं।

२. नीतलेश्या—यह मनोवृत्ति पहली की अपेक्षा कुछ ठीक है परन्तु उपादेय यह भी नहीं। इस लेश्या वाला ईर्ष्यालु, असहिष्णु, मायावी, निलंज एवं रसलोलुप होता है। अपने सुख में मस्त रहता है। परन्तु जिन प्राणियों के द्वारा सुख मिलता है, उनकी भी 'अजपोषण' न्याय के अनुसार कुछ सार-संभाल कर लेता है।

३. कापोतलेश्या—यह मनोवृत्ति भी अप्रशस्त है। इस लेश्या वाला व्यक्ति विचारने, बोलने और कार्य करने में वक्र होता है। कठोरभाषी एवं अपने दोषों को ढँकने वाला होता है।

४. तेजोलेश्या—यह मनोवृत्ति पवित्र है। इसके होने पर मनुष्य नम्र, विचारशील, दयालु एवं धर्म में अभिरुचि रखने वाला होता है। अपनी सुख-सुविधा को गोण करके दूसरों के प्रति अधिक उदार भावना रखता है।

५. पश्चलेश्या—पश्चलेश्या वाले मनुष्य का जीवन कमल के समान दूसरों को सुगन्ध देने वाला होता है। इस लेश्या वाले का मन शान्त, निश्चल एवं अशुभ प्रवृत्तियों को रोकने वाला होता है। पाप से भय खाता है। मोह और शोक पर विजय प्राप्त करता है। वह मितभाषी, सौम्य एवं जितेन्द्रिय होता है।

६. शुक्ललेश्या—यह मनोवृत्ति सबसे अधिक विशुद्ध होने के कारण शुक्ल कहलाती है। इस लेश्या वाला शरीर के निर्वाह के लिए आहार ग्रहण करता है। किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता। राग-द्वेष की परिणति हटाकर वीतराग भाव धारण करता है। परम शुक्ललेश्या वाला आसक्तिरहित होकर सतत सम्भाव रखता है।

प्रथम की तीन लेश्याएं—कृष्ण, नील एवं कापोत त्याज्य हैं और अन्त की तीन लेश्याएं—तेजो, पश्च एवं शुक्ल उपादेय हैं। अन्तिम शुक्ललेश्या के बिना आत्म-विकास की पूर्णता का होना

१. 'लिश् संश्लेषणे, संश्लिष्यते आत्मा तैस्तःः परिणामान्तरः। यथा श्लेषेण वर्ण-सम्बन्धो भवति एवं लेश्या-भिरात्मनि कर्मणि संश्लिष्यन्ते। योग-परिणामो लेश्या, जम्हा अयोगिकेवली अलेस्सो।'

असंभव है। जीवनशुद्धि के पथ में अधर्म लेश्याओं का आचरण किया हो और धर्म लेश्याओं का आचरण न किया हो तो प्रस्तुत सूत्र के द्वारा उसका प्रतिक्रमण किया जाता है।

आदिसूत्र—

भय से लेकर आशातना तक के बोल कुछ उपादेय हैं, कुछ ज्ञेय हैं, कुछ हेय हैं। भयस्थान के सात प्रकार हैं—

१. इहलोकभय—अपनी जाति के प्राणी से डरना इहलोकभय है, जैसे—मनुष्य का मनुष्य से, तिर्यङ्गच का तिर्यङ्गच से डरना।

२. परलोकभय—दूसरी जाति वाले प्राणी से डरना परलोकभय है, जैसे—मनुष्य का देव से या तिर्यङ्गच आदि से डरना।

३. आदानभय—चोर आदि द्वारा धन आदि छीने जाने का भय।

४. अकस्मात्भय—बिना कारण ही अचानक डर जाना।

५. आजीविकाभय—दुर्भिक्ष आदि में जीवन-यात्रा के लिये भोजन आदि की अप्राप्ति के दुर्बिकल्प से डरना।

६. मरणभय—मृत्यु से डरना।

७. अपयश-अश्लोकभय—अपयश की आशंका से डरना।

भयमोहनीयकर्म के उदय से होने वाले आत्मा के उद्वेग रूप परिणाम-विशेष को भय कहते हैं। साधु को किसी भय के आगे अपने आपको नहीं भुकाना चाहिये। निर्भय रहना अर्थात् न स्वयं भयभीत होना और न दूसरों को भयभीत करना चाहिये। भय के द्वारा संयम-जीवन दूषित होता है, तदर्थं भय का प्रतिक्रमण किया जाता है।

आठ मदस्थान—

१. जातिमद—ऊंची एवं श्रेष्ठ जाति (मातृपक्ष) का अभिमान।

२. कुलमद—ऊंचे कुल (पितृपक्ष) का अभिमान।

३. बलमद—अपने बल का घमण्ड करना।

४. रूपमद—अपने रूप का, सौन्दर्य का अभिमान करना।

५. तमोमद—उग्र तपस्वी होने का गर्व करना।

६. श्रुतमद—शास्त्राभ्यास का अर्थात् पंडित होने का घमण्ड करना।

७. लाभप्रद—अभीष्ट वस्तु के मिल जाने पर लाभ का गर्व करना।

८. ऐश्वर्यमद—अपने प्रभुत्व का अहंकार।

विवेचन—ये आठ मद समवायांग सूत्र के उल्लेखानुसार हैं। गणधर गौतम ने श्री महावीर-स्वामी से प्रश्न किया था—

माण-विजय भंते ! जीवे कि जणयह ?

हे भगवन् ! मान पर विजय पाने से जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है ?

भगवान् ने समाधान दिया—“माणविजेत्रं महावं जणयइ, माणवेयणिर्वं नवं कस्मं न बंधइ, पुष्ट्र-बद्धं च निजजरेइ ।”—उत्तरा. सू. प्र. २९ ।

अर्थात्—मान पर विजय पाने से मृदुता प्राप्त होती है । नवीन कर्मों का बन्ध नहीं होता तथा पूर्वांजित कर्मों की निर्जंरा होती है ।

अहंकार से मनुष्य का दिमाग आसमान पर चढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में नीचे ठोकर लगने पर सिर फटने को आशंका रहती है ।

जगत् में मान, गर्व, अभिमान को कुत्ते के समान माना गया है । जैसे कुत्ता प्रेम करने पर मुँह चाट कर अशुद्ध कर देता है और मारने पर काट खाता है, उसी तरह अहंकार का पोषण करने से अपयश का भागी बनना पड़ता है और जब अहंकार खंडित हो जाता है तो जीवन-लीला समाप्त होने की भी नौबत आ जाती है । इसलिए कहा है—

“मृत्योस्तु क्षणिका पीडा मान-खंडो पदे-पदे ।”

अर्थात्—मृत्यु की पीडा तो क्षणिक होती है, किन्तु मान-भंग होने की पीडा पद-पद पर कष्ट पहुंचाती है ।

नौ ब्रह्मचर्यगुप्तियाँ—

ब्रह्मचर्य शरीर की शक्ति है । जीवन का परमोत्तम धन है । मन का मर्दन है । आत्मा का उत्थान है । व्रतों में उत्तम है । साधना की बुनियाद और धर्माराधना का आधार है । सफलता का साधन और शांति का स्रोत है । क्षमा का सागर और विनय का आगार है । सूत्रकृतांग सूत्र के छट्ठे अध्ययन में लिखा है—‘तवेसु वा उत्तम बंधचेर’ अर्थात् ब्रह्मचर्य तपों में श्रेष्ठ है ।

ब्रह्मचर्य का अर्थ—

जीवो बंधो जीवमिम वेव चरिया, हृविज्ज जा जविणो ?

तं जाणं बंधचेरं, विमुक्त परदेहतित्तिस्स ॥

—भगवती आराधना ८१

अर्थात्—ब्रह्म अर्थात् आत्मा, आत्मा में चर्या अर्थात् रमण करना ब्रह्मचर्य है ।

ब्रह्मचर्य धर्मसाधना का आधार है । इसकी साधना से आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है । प्रश्नव्याकरणसूत्र में कहा है—‘ब्रह्मचर्य धर्मरूपी पद्मसरोवर की पाल है । वह दया क्षमादि गुणों का आगार है एवं धर्मशाखाओं का आधार है । ब्रह्मचारी की देव-नरेन्द्र पूजा करते हैं । यह संसार का मंगलमय मार्ग है ।

देव-दानव-नंघवा जवख-रक्खस-किञ्चरा ।

बंधयारि नमंसंति दुष्करं जे करंति ते ॥

—उत्तराध्ययनसूत्र

अर्थात्—देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा किञ्चर आदि देवगण भी दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं ।

अमेरिकन कृषि 'थोरो' ने कहा है—“ब्रह्मचर्य जीवन-वृक्ष का पुष्प है और प्रतिभा, पवित्रता, वीरता आदि अनेक उसके मनोहर फल है।” व्यास के शब्दों में—“ब्रह्मचर्य अमृत है।” जो मनुष्य ब्रह्मचर्य रूपी अमृत का आस्वादन कर लेता है, वह सदा के लिये अमर बन जाता है। ब्रह्मचर्य जीवन की विराट साधना है।

यदि साधना करते हुए कहीं भी प्रमादवश नौ ब्रह्मचर्यगुप्तियों का अतिक्रमण किया हो तो उसका प्रस्तुत सूत्र के द्वारा प्रतिक्रमण किया जाता है।

ब्रह्मचर्य को भलीभांति सुरक्षित रखने के लिए नव गुप्तियां शास्त्रों में प्रतिपादित की गई हैं। संक्षेप में उनका आशय इस प्रकार है—

१. विविक्तवस्तिसेवन—स्त्री, पशु और नपुंसकों से युक्त स्थान में न ठहरना।
२. स्त्रीकथापरिहार—स्त्रियों की कथा-वार्ता, सौन्दर्य आदि की चर्चा न करना।
३. निष्ठानुपदेशन—स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठे, उसके उठ जाने पर भी एक मुहूर्त तक उस स्थान पर न बैठे।
४. स्त्री-अंगोपांगावर्जन—स्त्रियों के मनोहर अंग, उपांग न देखे। यदि कभी अकस्मात् दृष्टि पड़ जाय तो उसी प्रकार सहसा हटा ले जैसे सूर्य की ओर से दृष्टि हटा ली जाती है।
५. कुड्यान्तर-शब्दध्वंदणादिवर्जन—दीवार आदि की आड़ से स्त्री के शब्द, गीत, हास्य, रूप आदि न सुने और न देखे।
६. पूर्वभोगास्मरण—पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण न करे।
७. प्रणीत-भोजन-त्याग—विकारोत्पादक गरिष्ठ भोजन न करे।
८. अतिमात्र-भोजन-त्याग—रुखा-सूखा भोजन भी अधिक मात्रा में न करे। आहार सम्बन्धी ग्रन्थों के अनुसार आधा पेट अन्न से भरे, आधे में से दो भाग पानी के लिए और एक भाग हवा के लिए छोड़ दें। शास्त्रानुसार पुरुष साधक का उत्कृष्ट आहार बत्तीस और नारी साधिका का अट्टाईस कवल है। कवल का प्रमाण भी बता दिया गया है—मयूरी के अंडे जितना।
९. विभवापरिवर्जन—शरीर की विभूषा—सजावट न करे। इन नौ ब्रह्मचर्य-गुप्तियों में और क्षान्ति, मुक्ति, निर्लोभता, आजंव (सरलता रखना), मार्दव (मान परित्याग), लाघव (द्रव्य भाव से लघुता), सत्य संयम तप ब्रह्मचर्य एवं त्याग, इस प्रकार दस प्रकार के यतिधर्म में जो कोई अतिचार लगा हो तो उससे मैं निवृत्त होता हूँ।

ग्यारह उपासकप्रतिमाएँ—

देशविरत श्रावक के अभिग्रहविशेष को प्रतिमा कहते हैं। देव और गुरु की उपासना करने वाला श्रमणोपासक होता है। जब उपासक प्रतिमाओं का शाराधन करता है तब प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। ये प्रतिमाएँ ग्यारह हैं।

१. दर्शनप्रतिमा—इस प्रतिमा में श्रावक किसी भी प्रकार का राजाभियोग आदि आगार न रख कर शुद्ध निरतिचार, विधिपूर्वक सम्यग्दर्शन का पालन करता है। इसमें मिथ्यात्व-अतिचार का त्याग मुख्य है। यह प्रतिमा एक मास की होती है।

२. व्रतप्रतिमा—व्रती श्रावक सम्यक्त्व लाभ के पश्चात् व्रतों की साधना करता है। पांच अनुव्रत आदि व्रतों की प्रतिज्ञाओं को सम्यक् प्रकार से निभाता है। किन्तु सामायिक का यथासमय सम्यक् पालन नहीं कर पाता। यह प्रतिमा दो मास की होती है।

३. सामायिकप्रतिमा—इस प्रतिमा में सामायिक तथा देशावकाशिक व्रत का पालन करता है, किन्तु पर्व दिनों में पौष्टिकव्रत का सम्यक् पालन नहीं कर पाता। यह तीन मास की होती है।

४. पौष्टिकवासप्रतिमा—पूर्वोक्त सभी नियमों के साथ ग्रष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और श्रावकस्या को प्रतिपूर्ण पौष्टि उपवास सहित करता है। यह प्रतिमा चार मास की है।

५. कायोत्सर्गप्रतिमा—उपर्युक्त सभी व्रतों का भली-भाँति पालन करते हुए प्रस्तुत प्रतिमा में निम्नोक्त नियमों को विशेष रूप से धारण करना होता है—

१. स्नान नहीं करना।
२. रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करना।
३. धोती की लांग खुली रखना।
४. दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करना।
५. रात्रि में मैथुन का परिमाण रखना।

इस प्रतिमा का पालन जघन्य एक या दो श्रथवा तीन दिन, उत्कृष्ट पांच महीने तक किया जाता है। इसे नियमप्रतिमा भी कहा जाता है।

६. ब्रह्मचर्यप्रतिमा—ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना। इस प्रतिमा की कालमर्यादा जघन्य एक रात्रि और उत्कृष्ट छह मास की होती है।

७. सचित्तत्यागप्रतिमा—सचित्त आहार का सर्वथा त्याग करना। यह प्रतिमा जघन्य एक रात्रि और उत्कृष्ट सात मास की होती है।

८. आरंभत्यागप्रतिमा—इस प्रतिमा में स्वयं आरंभ नहीं करता, छह काय के जीवों की दया पालता है। इसकी कालमर्यादा जघन्य एक, दो, तीन दिन और उत्कृष्ट आठ मास की है।

९. प्रेष्यत्यागप्रतिमा—इस प्रतिमा में दूसरों के द्वारा आरम्भ करने का भी त्याग होता है। वह स्वयं आरम्भ नहीं करता, न दूसरों से करवाता है किन्तु अनुमोदन का उसे त्याग नहीं होता है। काल जघन्य एक, दो, तीन दिन है और उत्कृष्ट काल नौ मास है।

१०. उद्दिष्टभक्तत्यागप्रतिमा—इस प्रतिमा में ग्रपने निमित्त बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है, उद्दिष्ट भक्त का भी त्याग होता है। उस्तरे से सर्वथा शिरोमुण्डन करना होता है। गृह सम्बन्धी विषयों के पूछे जाने पर यदि जानता है तो 'जानता हूँ' और नहीं जानता है तो 'नहीं जानता हूँ' इतना मात्र कहे। यह प्रतिमा जघन्य एक रात्रि की, उत्कृष्ट दस मास की होती है।

११. श्रमणभूतप्रतिमा—इस प्रतिमा का धारक श्रावक श्रमण तो नहीं किन्तु श्रमण सदृश होता है। साधु के समान वेश धारण करके और साधु के योग्य ही भाष्ठोपकरण रखकर विचरता

है। शक्ति हो तो केशलुड़चन करता है, अन्यथा उस्तरे से शिरोमुण्डन कराता है। इसका काल जघन्य एक अहोरात्र अर्थात् एक दिन-रात और उत्कृष्ट ग्यारह मास होता है।

उपासक का प्रचलित अर्थ श्रावक है और प्रतिमा का अर्थ—प्रतिज्ञा—अभिग्रह है। उपासक की प्रतिमा उपासकप्रतिमा कहलाती है।

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि श्रावक की प्रतिमाओं के काल-मान में कुछ मतभेद हैं। कुछ आचार्य इनका काल एक, दो, तीन यावत् ग्यारह मास का मानते हैं। जघन्य एक, दो, तीन दिवस आदि नहीं मानते।

बारह भिक्षुप्रतिमा—

बारह भिक्षुप्रतिमाओं का यथाशक्ति आचरण न करना, उन पर श्रद्धा न करना तथा उनकी अन्यथा प्ररूपणा करना अतिचार है।

१. प्रथम प्रतिमाधारी भिक्षु को एक दत्ति अन्न की और एक दत्ति पानी की लेना कल्पता है। साधु के पात्र में दाता द्वारा दिए जाने वाले अन्न और जल की धारा जब तक अखण्ड बनी रहे तब तक वह एक दत्ति है। धारा खण्डित होने पर दत्ति की समाप्ति हो जाती है। जहाँ एक व्यक्ति के लिए भोजन बना हो वही से लेना चाहिए, किन्तु जहाँ दो, तीन आदि से अधिक व्यक्तियों के लिये भोजन बना हो वहाँ से नहीं लेना चाहिये। यह पहली प्रतिमा एक मास की है।

२. से ७. दूसरी से सातवीं प्रतिमा तक का समय एक-एक मास का है। इनमें क्रमशः एक-एक दत्ति बढ़ती जाती है। दो दत्ति दूसरी प्रतिमा में आहार की, दो दत्ति पानी की लेना। इसी प्रकार तीसरी, चौथी यावत् सातवीं प्रतिमा में क्रमशः तीन, चार, पांच, छह और सात दत्ति अन्न की और उतनी ही पानी की ग्रहण की जाती हैं।

८. श्राठवीं प्रतिमा सप्त अहोरात्र की होती है। इसमें चौविहार एकान्तर उपवास करना होता है। गाँव के बाहर उत्तानासन (चित्त सोना), पाश्वासन (एक करवट लेना) तथा निषद्यासन (पंरों को बराबर करके बैठना) से ध्यान लगाना चाहिये। उपसर्ग आये तो शान्त चित्त से सहन करना चाहिये।

९. यह प्रतिमा भी सात अहोरात्र की है। इसमें चौविहार षष्ठभक्त तप (बेले-बेले पारणा) किया जाता है। गाँव के बाहर गोदोहासन, वीरासन अथवा आम्रकुञ्जासन से ध्यान किया जाता है।

१०. यह भी सप्त अहोरात्र की होती है। इसमें चौविहार तेले-तेले पारणा किया जाता है। गाँव के बाहर गोदोहासन, वीरासन अथवा आम्रकुञ्जासन से ध्यान किया जाता है।

११. यह प्रतिमा एक अहोरात्र की होती है। एक दिन और एक रात तक इसकी साधना की जाती है। चौविहार बेले के द्वारा इसकी आराधना होती है। गाँव के बाहर कायोत्सर्ग किया जाता है।

१२. यह प्रतिमा केवल एक रात्रि की है। इसका आराधन बेले को चढ़ाकर चौविहार तेला करके किया जाता है। गाँव के बाहर खड़े होकर, मस्तक को थोड़ा-सा झुकाकर किसी एक पुद्गल

पर दृष्टि रखकर निर्निमेष नेत्रों से निश्चलतापूर्वक कायोत्सर्ग किया जाता है। देव, अनुष्य एवं तिर्यच सम्बन्धी उपसर्ग आने पर उन्हें समभाव से सहन किया जाता है। उपसर्ग से चलायमान नहीं होना चाहिये। यदि उपसर्ग से चलायमान हो जाय तो पागल अर्थात् बावला बने या दीर्घ-कालिक रोग उत्पन्न हो जाय। यदि स्थिर रहे तो श्रवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान तथा केवलज्ञान तक प्राप्त करता है।

तेरह क्रियास्थान --

क्रिया का अर्थ यहाँ कार्य है। इसके तेरह प्रकार निम्नलिखित हैं--

१. अर्थक्रिया—अपने किसी प्रयोजन के लिये जीवों की हिंसा करना, कराना या अनुमोदना करना अर्थक्रिया है।

२. अनर्थक्रिया—बिना किसी प्रयोजन के किया जाने वाला पाप कर्म अनर्थक्रिया कहलाता है।

३. हिंसाक्रिया—अमुक व्यक्ति मुझे अथवा मेरे स्नेहियों को कष्ट देता है, देगा अथवा उसने दिया है, यह सौचकर किसी प्राणी की हिंसा करना।

४. अकस्मात्क्रिया—शीघ्रतावश बिना जाने हो जाने वाला पाप अकस्मात्क्रिया है।

५. दृष्टिविषयक्रिया—मतिभ्रम से होने वाला पाप, यथा—चोरादि के भ्रम में साधारण अनपराधी पुरुष को दण्ड दे देना।

६. मृषाक्रिया—भूठ बोलना।

७. अवत्तादानक्रिया—चोरी करना।

८. अध्यात्मक्रिया—बाह्य निमित्त के बिना मन में होने वाला शोक आदि।

९. मानक्रिया—अपनी प्रशंसा करना, घमण्ड करना।

१०. मित्रक्रिया—प्रियजनों को कठोर दण्ड देना।

११. मायाक्रिया—दम्भ करना।

१२. लोभक्रिया—लोभ करना।

१३. ईर्यापथिकोक्रिया—अप्रमत्त विवेकी संयमी को गमनागमन के निमित्त से लगने वाली क्रिया।

चौदह भूतग्राम—

सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंजी पञ्चेन्द्रिय और संजी पञ्चेन्द्रिय, इन सातों के पर्याप्त और अपर्याप्त यों कुल चौदह भेद होते हैं। इनकी विराधना करना, इन्हें किसी भी प्रकार की पीड़ा देना अतिचार है।

विवेचन—जैनागमों में सूक्ष्म रूप से श्रहिंसा का पालन करने के लिए एवं हिंसा से बचने के लिए अनेक आधारों से जीवों के भेद-प्रभेदों का उल्लेख किया गया है, क्योंकि जीव की भली-भांति पहिचान हुए बिना उसकी हिंसा से बचा नहीं जा सकता। प्रस्तुत में जीवों के चौदह ग्रामों-समूहों का उल्लेख किया गया है, जिनमें समस्त जाग्रत्तिक जीवों का समावेश हो जाता है।

सूक्ष्म जीव वे कहलाते हैं जो समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं किन्तु चर्म-चक्षुओं से दृष्टि-गोचर नहीं होते। वे इतने सूक्ष्म होते हैं कि मारने से मरते नहीं और काटने से कटते नहीं हैं। वे सूक्ष्मनामकर्म के उदय वाले प्राणी हैं और वे सब एकेन्द्रिय स्थावर ही होते हैं। ध्यान रहे कि कुंथुवा जैसे छोटे शरीर वाले जीवों की इन सूक्ष्म जीवों में गिनती नहीं है। कुंथुवा आदि जीव बादरनाम-कर्म के उदय वाले हैं, अतएव उनकी गणना बादर-त्रस जीवों में होती है।

पर्याप्ति का अभिप्राय है जीव की शक्ति की पूर्णता। जीव जब नवीन जन्म ग्रहण करता है तब उस नूतन शरीर, इन्द्रिय आदि के निर्माण के लिये उपयोगी पुद्गलों की आवश्यकता होती है। उन पुद्गलों को ग्रहण करके शरीर, इन्द्रिय, भाषा आदि के रूप में परिणत करने की शक्ति की परिपूर्णता ही पर्याप्ति कहलाती है। यह परिपूर्णता प्राप्त कर लेने वाले जीव पर्याप्ति कहलाते हैं और जब तक वह शक्ति पूरी नहीं होती तब तक वे अपर्याप्त कहलाते हैं। एकेन्द्रिय जीवों में चार, द्विन्द्रिय से लेकर असंज्ञी पञ्चन्द्रियों तक में पांच और संज्ञी-समनस्क प्राणियों में छह पर्याप्तियाँ होती हैं। जिस जीव में जितनी पर्याप्तियाँ संभव हैं, उनकी पूर्ति एक अन्तर्मुहूर्त काल में ही हो जाती है।

पंद्रह परमाधार्मिक—

१. अम्ब, २. अम्बरीष, ३. श्याम, ४. शबल, ५. रोद्र, ६. उपरोद्र, ७. काल, ८. महाकाल, ९. असिपत्र, १०. धनुः, ११. कुम्भ, १२. बालुक, १३. वैतरणि, १४. खरस्वर, १५. महाघोष।

ये परम अधार्मिक, पापाचारी, कूर एवं निर्दय असूर जाति के देव हैं। नारकीय जीवों को वर्ण ही केवल मनोविनोद के लिए यातना देते हैं। इनका विशेष परिचय इस प्रकार है—

१. अम्ब—नारक जीवों को आकाश में ले जाकर नीचे पटकने वाले, गर्दन पकड़कर गड्ढे में गिराने वाले, उल्टे मुँह आकाश में उछाल कर गिरते समय बर्छी आदि भौकने वाले।

२. अम्बरीष—नैरयिकों को मुद्गर आदि से कूट कर, करोत, कंची आदि से टुकड़े-टुकड़े कर अधमरे कर देने वाले।

३. श्याम—कोड़ा आदि से पीटने वाले, हाथ-पैर आदि अवयवों को बुरी तरह काटने वाले, शूल—मुर्द्द आदि से बीधने वाले आदि।

४. शबल—मुद्गर आदि द्वारा नारकियों के अग-अंग के जोड़ों को चूर-चूर करने वाले।

५. रोद्र नरकस्थ जीवों को खूब ऊचे उछाल कर गिरते समय तलवार, भाले आदि में पिरोने वाले।

६. उपरोद्र—नारकीय जीवों के हाथ-पैर तोड़ने वाले।

७. काल—कुंभी आदि में पकाने वाले।

८. महाकाल—पूर्वजन्म के मांसाहारी जीवों को उन्हीं की पीठ आदि का मांस काट-काट कर खिलाने वाले।

९. असिपत्र—तलवार जैसे तीखे पत्तों के वन की विकुर्वणा करके उस वन में छाया की

इच्छा से आये हुए नारकी जीवों को वैक्रिय वायु द्वारा तलवार की धार जैसे तीखे पत्ते गिराकर छिप्र-भिप्र करने वाले ।

१०. धनुष—धनुष से छेदने वाले ।

११. कुम्भ—ऊंटनी आदि के आकार वाली कुंभियों में पकाने वाले ।

१२. बालुक—बज्रमय तप्त बालुका में चनों के समान तड़पड़ाहट करते हुए नारकी जीवों को भूनने वाले ।

१३. वैतरणी—श्रत्यन्त दुर्गन्ध वाली राध—लोह से भरी हुई एवं तपे हुए जस्ता और कथीर की उकलती हुई, श्रत्यन्त क्षार से युक्त उष्ण पानी से भरी हुई वैतरणी नदी की विकुर्वणा करके उसमें नरक के जीवों को डालकर अनेक प्रकार से पीड़ित करने वाले ।

१४. खरस्वर—तीखे बज्रमय कटे वाले ऊंचे-ऊंचे शालमली वृक्षों पर चढ़ाकर चिल्लाते हुए नारकी जीवों को खींचने वाले, मस्तक पर करोत रखकर चीरने वाले ।

१५. महाघोष—श्रत्यन्त वेदना के डर से मृगों की तरह इधर-उधर भागते हुए नारक जीवों को बाढ़े में पशुओं की तरह घोर-गर्जना करके रोकने वाले । इनके द्वारा होने वाले पाप की अनुमोदना आदि से जो अतिचार लगा हो, तो मैं उससे निवृत्त होता हूँ ।

गाथा षोडशक—

सूत्रकृताङ्ग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के सोलह अध्ययन इस प्रकार हैं—

१. स्वसमय-परसमय, २. वैतालीय, ३. उपसर्ग-परिज्ञा, ४. स्त्री-परिज्ञा, ५. नरकविभक्ति, ६. वीरस्तुति, ७. कुशीलपरिभाषा, ८. वीर्य, ९. धर्म, १०. समाधि, ११. मोक्षमार्ग, १२. समवसरण, १३. यथातथ्य, १४. ग्रन्थ, १५. आदानीय, १६. गाथा ।

इनकी श्रद्धा या प्रसूपणा में लगे अतिचारों का प्रतिक्रमण करता हूँ ।

सत्तरह असंयम—

१—९. पृथिवीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, और वनस्पतिकाय तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों की हिसा करना, कराना, अनुमोदन करना ।

१०. अजीव-असंयम—अजीव होने पर भी जिन वस्तुओं के द्वारा असंयम होता है, उन बहुमूल्य वस्त्र, पात्र आदि का ग्रहण करना अजीव-असंयम है ।

११. प्रेक्षा-असंयम—जीव-सहित स्थान में उठना-बैठना आदि ।

१२. उत्त्रेक्षा-असंयम—गृहस्थों के पापकर्मों का अनुमोदन करना ।

१३. प्रमार्जन-असंयम—वस्त्र, पात्र आदि का प्रमार्जन न करना ।

१४. परिष्ठापनिका-असंयम—अविधि से परठना ।

१५. मन-असंयम—मन में दुर्भाव रखना ।

१६. वचन-असंयम—मिथ्या, कटु, कठोर, पीड़ाकारी वचन बोलना ।

१७. काय-असंयम—गमनागमनादि कायिक क्रियाओं में असावधान रहना ।

ये सत्तरह असंयम समवायीगसूत्र में कहे गये हैं। आचार्य हरिभद्र ने आवश्यक में 'असंजमे' के स्थान में 'संजमे' का उल्लेख किया है। संजमे का अर्थ संयम है। संयम के भी उपर्युक्त ही पृथकीकाय संयम आदि सत्तरह भेद हैं।

किसी भी असंयम का आचरण किया हो, संयम का आचरण न किया हो अथवा इनकी विपरीत श्रद्धा प्रस्तुपणा की हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कड़।

अठारह अवधृत्याचर्य—

देव सम्बन्धी भोगों का मन, वचन और काय से स्वयं सेवन करना, अन्य से सेवन कराना तथा सेवन करते हुए का अनुमोदन करना। इस प्रकार नी भेद वैकियशरीर सम्बन्धी तथा मनुष्य एवं तिर्यञ्च सम्बन्धी आदारिक भोगों के भी इसी तरह नी भेद समझ लेने चाहिये। कुल भेद मिलाकर अठारह होते हैं।

ज्ञाताधर्मकथा के १९ अध्ययन—

१. मेघकुमार (उत्क्षिप्त), २. धन्ना सार्थवाह (संघाट), ३. मधुराण्ड, ४. कूर्म, ५. शेलक, ६. तुम्बलेप, ७. रोहिणी, ८. मल्ली, ९. माकन्दी, १०. चन्द्र, ११. दावदबवृक्ष, १२. उदक, १३. मण्डूक, १४. तेतलिप्रधान, १५. नन्दीफल, १६. अवरकंका, १७. आकीर्णक, १८. सुंसुमा, १९. पुण्डरीक।

उक्त उन्नीस उदाहरणों के भावानुसार साधुधर्म की साधना न करना अतिथार है।

बीस असमाधिस्थान—

चित्त की एकाग्रतापूर्वक मोक्षमार्ग में स्थित होने को समाधि कहते हैं। इसके विपरीत असमाधि है। असमाधि के बीस स्थान निम्नलिखित हैं—

१. दवदव—जल्दी-जल्दी चलना।
२. बिना पूँजे चलना।
३. बिना उपयोग के प्रमार्जन करना।
४. अमर्यादित शव्या और आसन रखना।
५. गुरुजनों का अपमान करना।
६. स्थविरों की अवहेलना करना।
७. भूतोपघात—जीवों के धात का चिन्तन करना।
८. क्षण-क्षण में ऋोध करना।
९. परोक्ष में अवर्णवाद करना।
१०. शंकित विषय में बार-बार निश्चयपूर्वक बोलना।
११. नित्य नया कलह करना।
१२. शान्त हुए कलह को पुनः उत्तेजित करना।
१३. अकाल में स्वाध्याय करना।
१४. सचित रज-सहित हाथ आदि से भिक्षा लेना।
१५. प्रहर रात बीतने के बाद जोर से बोलना।

१६. गच्छ आदि में छेद-भेद, फैट-अनेकता करना ।
१७. गण को दुःख उत्पन्न हो, ऐसी भाषा बोलना ।
१८. हरएक के साथ विरोध करना ।
१९. दिन भर कुछ न कुछ खाते-पीते रहना ।
२०. अनेषणीय आहार आदि का सेवन करना ।

इसकीस शबलदोष—

शबल दोष साधु के लिये सर्वथा त्याज्य हैं । जिन कार्यों के करने से चारित्र कर्त्तुर (शबल) प्रथम् भलीन होकर नष्ट हो जाता है, उन्हें शबलदोष कहते हैं । वे इस प्रकार हैं—

१. हस्तकर्म करना ।
२. मैथुन—अतिक्रम, व्यतिक्रम एवं अतिचार रूप से मैथुन सेवन करना ।
३. रात्रिभोजन करना ।
४. आधारकर्म—साधु के निमित्त बनाया हुआ भोजन लेना ।
५. राजपिण्ड लेना ।
६. औद्देशिक—साधु के निमित्त अथवा खरीदा हुआ, स्थान पर सामने लाकर दिया हुआ, उधार लाया हुआ आदि भोजन बगैरह लेना ।
७. बार-बार प्रत्याख्यान भग करना ।
८. छह मास के अन्दर गण से गणान्तर में जाना ।
९. एक महीने में तीन बार उदक का लेप लगाना । (नदी आदि में उत्तरना)
१०. एक मास में तीन बार मातृस्थान (माया का) सेवन करना ।
११. शश्यातरपिण्ड का सेवन करना ।
१२. जान-बूझकर हिंसा करना ।
१३. जान-बूझकर झूठ बोलना ।
१४. जान-बूझकर चौरी करना ।
१५. जान-बूझकर सचित्त पृथ्वी पर बैठना, सचित्त शिला पर सोना आदि ।
१६. जीव सहित पीठ, फलक आदि का सेवन करना ।
१७. जान-बूझकर कन्द-मूल, छाल, प्रवाल, पुष्प, फूल, बीज आदि का भोजन करना ।
१८. वर्ष में दश उदक-लेप (सचित्त जल का लेप) लगाना ।
१९. वर्ष में दस बार माया-स्थानों का सेवन करना ।
२०. जान-बूझकर सचित्त जल वाले हाथ से तथा सचित्त जल-सहित कुड़छी आदि से दिया जाने वाला आहार ग्रहण करना ।
२१. जान-बूझकर जीवों वाले स्थान पर, बीज, हरित, कीड़ीनगरा, लीलन-फूलन, कीचड़ एवं मकड़ी के जालों वाले स्थान पर बैठना, सोना, कायोत्सर्ग करना ।

आईस परिणह—

कुधा आदि किसी भी कारण से कष्ट उपस्थित होने पर संयम में स्थिर रहने के लिए तथा

कर्मों की निर्जेरा के लिए जो शारीरिक तथा मानसिक कष्ट साधु को सहन करने चाहिये, वे परिषह हैं, क्योंकि साधु-जीवन सुखशीलता का जीवन नहीं है। वह आरामतलबी से विमुख होकर आत्मा की पूर्ण निर्मलता के लिए जूझने का जीवन है। श्री समवायांग एवं उत्तराध्ययन में २२ परिषहों का वर्णन है। इन पर विजय पाना—समभाव से सहना चाहिए। विवरण इस प्रकार है—

१. क्षुधा—भूख का कष्ट सहन करना।
२. पिपासा—निर्दोष पानी नहीं मिलने पर प्यास का कष्ट सहन करना।
३. शीत—अल्प वस्त्रों के कारण भयंकर ठंड का कष्ट सहना।
४. उष्ण—गर्मी का कष्ट सहना।
५. दंशमशक—दांस-मच्छर-खटमल आदि जंतुओं का कष्ट सहना।
६. अचेल—वस्त्रों के नहीं मिलने पर होने वाला कष्ट सहना।
७. अरति—कठिनाइयों से घबराकर संयम के प्रति होने वाली अहंचि का निवारण करना।
८. स्त्रीपरिषह—नारीजन्य प्रलोभन पर विजय पाना। यह अनुकूल परिषह है।
९. चर्यापरिषह—विहार-यात्रा में होने वाला गमनादि कष्ट सहना।
१०. निषद्या—स्वाध्याय-भूमि आदि में होने वाले उपद्रव को सहन करना।
११. शय्या—अनुकूल मकान नहीं मिलने पर होने वाले कष्ट को सहना।
१२. आक्रोश—कोई गाली दे, धमकाये या अपमानित करे तो समभाव रखना।
१३. वध—समभाव से लकड़ी आदि की मार सहना।
१४. याचना—मांगने पर कोई तिरस्कार कर दे तो भी क्षुब्ध न होना।
१५. अलाभ—याचना करने पर भी वस्तु नहीं मिले तो खेद न करना।
१६. रोग—रोग उत्पन्न होने पर धैर्यपूर्वक सहन करना।
१७. तृणस्पर्श—कांटा आदि चुभने पर या तृण पर सोने से होने वाले कष्ट को सहना।
१८. जल्ल—शारीरिक मल का परिषह सहन करना।
१९. सत्कार—पूजा-प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर अहंकार न करना, न प्राप्त होने पर खेद न करना।
२०. प्रज्ञा—बुद्धि का गर्व नहीं करना।
२१. अज्ञान—बुद्धिहीनता का दुःख समभाव से सहन करना।
२२. दर्शन—दर्शन अर्थात् सम्यक्त्व को भ्रष्ट करने वाले मिथ्या मतों के मोहक बातावरण से प्रभावित न होना।

सूत्रहृतांगसूत्र के २३ अध्ययन—

प्रथम श्रुतस्कन्ध के पूर्वोक्त सोलह अध्ययन एवं द्वितीय श्रुतस्कन्ध के सात अध्ययन—(१७) पुण्डरीक, (१८) क्रियास्थान, (१९) आहारपरिज्ञा, (२०) प्रत्यारूपानक्रिया, (२१) आचारश्रुत, (२२) आर्द्रकुमार, (२३) नालन्दीय, मिलकर तेर्वेस अध्ययन होते हैं।

उक्त तेर्वेस अध्ययनों के कथनानुसार संयमी जीवन न होना, अतिचार है।

चौबीस देव—

असुरकुमार आदि देश भवनपति; भूत, यक्ष आदि आठ व्यन्तर; सूर्य, चन्द्र आदि पांच ज्योतिष्ठ और वैमानिक देव, इस प्रकार कुल चौबीस जाति के देव हैं। संसार में भोग-जीवन के ये सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। इनकी प्रशंसा करना भोगभय जीवन की प्रशंसा करना है और निन्दा करना हृषभाव है। अतः मुमुक्षु को तटस्थ भाव ही रखना चाहिये। यदि कभी तटस्थता का भंग किया हो तो अतिचार है।

उत्तराध्ययनसूत्र के मुप्रसिद्ध टीकाकार आचार्य शान्तिसूरि यहाँ देव शब्द से चौबीस तीर्थकर देवों का भी ग्रहण करते हैं। इस अर्थ के मानने पर अतिचार होगा—उनके प्रति आदर या श्रद्धाभाव न रखना, उनकी आज्ञानुसार न चलना आदि।

पांच महाव्रतों की पञ्चवीस भावनाएँ—

महाव्रतों का शुद्ध पालन करने के लिए शास्त्रों में प्रत्येक महाव्रत की पांच-पांच भावनाएँ बतलाई गयी हैं। भावनाओं का स्वरूप बहुत ही हृदयग्राही एवं जीवनस्पर्शी है। श्रमणधर्म का शुद्ध पालन करने के लिए भावनाओं पर अवश्य ही लक्ष्य देना चाहिये।

अहिंसा-महाव्रत की पांच भावनाएँ—

१. इयर्समिति—उपयोगपूर्वक गमनागमन करना।
२. आलोकितपानभोजन—देख-भालकर प्रकाशयुक्त स्थान में आहार करना।
३. आदाननिक्षेपसमिति—विवेकपूर्वक पात्रादि उठाना तथा रखना।
४. मनोगुप्ति—मन का संयम।
५. वचनगुप्ति—बाणी का संयम।

सत्य-महाव्रत की पांच भावनाएँ—

१. विचार कर बोलना, २. क्रोध का त्याग, ३. लोभ का त्याग, ४. भय का त्याग, ५ हंसी-मजाक का त्याग।

अस्तेय-महाव्रत की पांच भावनाएँ—

१. अठारह प्रकार के शुद्ध स्थान की याचना करके सेवन करना।
२. प्रतिदिन तृण-काठादि का अवग्रह लेना।
३. पीठ-फलक आदि के लिए भी वृक्षादि को नहीं काटना।
४. साधारण पिण्ड का अधिक सेवन नहीं करना।
५. साधु की वैयावृत्य करना।

बहाचर्य-महाव्रत की पांच भावनाएँ—

१. स्त्री-पशु-नपुंसक के साम्रिद्ध्य से रहित स्थान में रहना।
२. स्त्री-कथा का वर्जन करना।
३. स्त्रियों के अंगोपांगों का अवलोकन नहीं करना।
४. पूर्वकृत कामभोग का स्मरण नहीं करना।
५. प्रतिदिन सरस भोजन न करना।

अपरिग्रह-महाव्रत की पांच भावनाएँ—

१.-५. पांचों इन्द्रियों के विषय—शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श के इन्द्रिय-गोचर होने पर मनोज्ञ पर रागभाव तथा अमनोज्ञ पर द्वेष-भाव न लाकर उदासीनभाव रखना ।

दशाभूत आदि सूत्रत्रयों के २६ उद्देशन काल—

दशाश्रुतस्कन्ध के दस, बृहस्तकल्प के छह और व्यवहारसूत्र के दस, इन छब्बीस अध्ययनों के पाठनकाल में व्यतिक्रम करने से एवं उनके अनुसार आचरण न करने से अतिचार होता है ।

सत्ताईस अनगार के गुण—

सत्ताईस अनगार के गणों का शास्त्रानुसार भलीभांति पालन न करना अतिचार है । उसकी शुद्धि के लिए मुनि-गुणों का प्रतिक्रमण है ।

१.-५. अर्हिसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह रूप पांच महाव्रतों का सम्यक् पालन करना, ६. रात्रिभोजन का त्याग करना, ७.-११. पांचों इन्द्रियों को वश में रखना, १२. भावसत्य—अन्तःकरण की शुद्धि, १३. करणसत्य—वस्त्र, पात्र आदि की भली-भांति प्रतिलेखना करना, १४. क्षमा, १५. वीतरागता—वैराग्य, १६. मन की शुभ प्रवृत्ति, १७. वचन की शुभ प्रवृत्ति, १८. काय की शुभ प्रवृत्ति, १९.-२४. छह काय के जीवों की रक्षा, २५. चारित्र से युक्तता, २६. शीत आदि वेदना का सहना और, २७. मारणान्तिक उपसर्ग को भी समझाव से सहना ।

उपर्युक्त सत्ताईस गुण, आचार्य हरिभद्र ने अपनी आवश्यकसूत्र की शिष्यहिता टीका में संग्रहणीकार की एक प्राचीन गाथा के अनुसार वर्णन किए हैं । परन्तु समवायांगसूत्र में मुनि के सत्ताईस गुण कुछ भिन्न रूप से अकित हैं—पांच महाव्रत, पांच इन्द्रियों का निरोध, चार कषायों का त्याग, भावसत्य, करणसत्य, योगसत्य, क्षमा, विरागता, मनःसमाहरणता, वचनसमाहरणता, कायसमाहरणता, ज्ञानसम्पन्नता, दर्शनसम्पन्नता, चारित्रसम्पन्नता, वेदनातिसहनता, मारणान्तिकातिसहनता ।

प्रट्ठाईस आचारप्रकल्प—

आचारप्रकल्प की व्याख्या के सम्बन्ध में विभिन्न मान्यताएँ हैं । आचार्य हरिभद्र के अनुसार आचार को ही आचार-प्रकल्प कहते हैं—‘आचार एव आचारप्रकल्पः ।’

आचार का अर्थ प्रथम अंगसूत्र है । उसका प्रकल्प अर्थात् अध्ययन-विशेष । निशीथसूत्र आचारप्रकल्प कहलाता है । अथवा ज्ञानादि साधु-आचार का प्रकल्प अर्थात् व्यवस्थापन आचार-प्रकल्प कहा जाता है ।

‘आचारः प्रथमाङ्गं तस्य प्रकल्पः अध्ययनविशेषो निशीथमित्यपरामिधानम् । आचारस्य वा साध्वाचारस्य ज्ञानादिविषयस्य प्रकल्पो व्यवस्थापनमिति आचारप्रकल्पः ।’

—अभयदेव-समवायांगसूत्र टीका

आचारांगसूत्र के शस्त्रपरिज्ञा आदि २५ अध्ययन हैं और निशीथसूत्र भी आचारांगसूत्र की चूलिका स्वरूप माना जाता है, अतः उसके तीन अध्ययन मिलकर आचारांगसूत्र के प्रट्ठाईस अध्ययन होते हैं—

१. शस्त्रपरिज्ञा, २. लोकविजय, ३. शीतोष्णीय, ४. सम्प्रकृत्व, ५. लोकसार, ६. धूताध्ययन,
७. महापरिज्ञा, ८. विमोक्ष, ९. उपधानश्रुत, १०. पिण्डेषणा, ११. शश्या, १२. ईर्याइययन,
१३. भाषा, १४. वस्त्रेषणा, १५. पात्रेषणा, १६. अवग्रहप्रतिभा, १७. सप्त स्थानादि-सप्तैकिकाध्ययन,
१८. नैषधिकीसप्तैकिकाध्ययन, १९. उच्चारप्रस्त्रवणसप्तैकिकाध्ययन, २०. शब्दसप्तैकिकाध्ययन,
२१. रूपसप्तैकिकाध्ययन, २२. परक्रियासप्तैकिकाध्ययन, २३. अन्योन्यक्रियासप्तैकिकाध्ययन,
२४. भावना, २५. विमुक्ति, २६. उद्घात, २७. अनुद्घात, २८. आरोपण ।

समवायांगसूत्र के अनुसार आचारप्रकल्प के अट्टाईस भेद इस प्रकार हैं—

१. एक मास का प्रायश्चित्त, २. एक मास पांच दिन का प्रायश्चित्त, ३. एक मास दस दिन का प्रायश्चित्त । इसी प्रकार पांच दिन बढ़ाते हुए पांच मास तक कहना चाहिये । (इस प्रकार २५ हुए) २६. उपद्घात-अनुपद्घात, २७. आरोपण, २८. कुस्त्नाकृत्स्न । इन अट्टाईस अध्ययनों की श्रद्धा, प्ररूपणा आदि में कोई अतिचार लगा हो तो तस्स मिछ्छा मि दुक्कड़ ।

पापश्रुत के २९ भेद—

जो आत्मा को दुर्गति में डालने का कारण हो, उसे 'पाप' कहते हैं और जो गुरुमुख से सुना जाय उसे 'श्रुत' कहते हैं । इस प्रकार पापरूप श्रुत को 'पापश्रुत' कहते हैं । वह मुख्यतः उनतीस प्रकार का है—

१. उत्पात—अपने आप होने वाली रुधिर आदि की वृष्टि का शुभाशुभ फल बताने वाला निमित्तशास्त्र ।
२. भौम—भूमिकम्प आदि का फल बताने वाला शास्त्र ।
३. स्वप्नशास्त्र—स्वप्न का शुभाशुभ फल बताने वाला शास्त्र ।
४. अन्तरिक्षशास्त्र—आकाश में होने वाले ग्रहयुद्ध आदि का वर्णन करने वाला शास्त्र ।
५. अंगशास्त्र—शरीर के विभिन्न अंगों के फड़कने का फल कहने वाला शास्त्र ।
६. स्वरशास्त्र—जीवों के चन्द्रस्वर, सूर्यस्वर आदि स्वर का फल प्रतिपादन करने वाला शास्त्र ।
७. व्यञ्जनशास्त्र—तिल, मषा आदि के फल का वर्णन करने वाला शास्त्र ।
८. लक्षणशास्त्र—स्त्री और पुरुषों के लक्षणों (मान, उन्मान, प्रमाण आदि) का शुभाशुभ फल कहने वाला शास्त्र ।

ये आठों ही सूत्र, वृत्ति और वार्तिक के भेद से चौबीस हो जाते हैं ।

२५. विद्यानुयोग—ग्रथ्य और काम के उपायों को बताने वाला शास्त्र । जैसे वार्त्यायनकृत कामसूत्र आदि ।
२६. विद्यानुयोग—रोहिणी आदि विद्याओं की सिद्धि के उपाय बताने वाला शास्त्र ।
२७. मन्त्रानुयोग—मन्त्र आदि के द्वारा कार्यसिद्धि बताने वाला शास्त्र ।
२८. योगानुयोग—वशीकरण आदि योग बताने वाला शास्त्र ।
२९. अन्यतीर्थिकानुयोग—अन्यतीर्थिकों द्वारा प्रवर्तित एवं प्रभिन्न हिंसा प्रधान आचार-शास्त्र आदि ।

—समवायांगसूत्र

इस प्रकार इन २९ प्रकार के पापश्रुतों की श्रद्धा, प्रस्तुपणा आदि करने से जो अतिचार किया हो तो उससे निवृत्त होता है ।

महामोहनीय कर्मबन्ध के ३० स्थान—

१. त्रस जीवों को पानी में डुबाकर मारना ।
२. त्रस जीवों को श्वास आदि रोककर मारना ।
३. त्रस जीवों को मकान आदि में बंद करके घुँए में घोटकर मारना ।
४. त्रस जीवों को मस्तक पर दण्ड आदि का धातक प्रहार करके मारना ।
५. त्रस जीवों को मस्तक पर गीला चमड़ा आदि लपेट कर मारना ।
६. पथिकों को धोखा देकर मारना अथवा लूटना ।
७. गुप्त रीति से अनाचार का सेवन करना ।
८. दूसरे पर मिथ्या कलंक लगाना ।
९. सभा में जान-बूझकर मिश्र भाषा बोलना ।
१०. राजा के राज्य का छवंस करना ।
११. बालब्रह्मचारी न होते हुए भी अपने को बालब्रह्मचारी कहलाना ।
१२. ब्रह्मचारी न होते हुए भी ब्रह्मचारी होने का ढोंग रचना ।
१३. आश्रयदाता का धन चुराना ।
१४. कृत-उपकार को न मानकर कृतधनता करना ।
१५. गृहपति अथवा संघपति आदि की हत्या करना ।
१६. राजा, नगरसेठ तथा राष्ट्रनेता आदि की हत्या करना ।
१७. समाज के आधारभूत विशिष्ट परोपकारी पुरुष की हत्या करना ।
१८. दीक्षित साधु को संयम से छोष्ट करना ।
१९. केवलज्ञानी की निन्दा करना ।
२०. मोक्षमार्ग का अपकार अथवा अवर्णवाद करना ।
२१. आचार्य तथा उपाध्याय की निन्दा करना ।
२२. आचार्य तथा उपाध्याय की सेवा न करना ।
२३. बहुश्रुत न होते हुए भी अपने आपको बहुश्रुत कहना, कहलाना ।
२४. तपस्वी न होते हुए भी अपने को तपस्वी कहना ।
२५. शक्ति होते हुए भी अपने आश्रित वृद्ध, रोगी आदि की सेवा न करना ।
२६. हिंसा तथा कामोत्पादक विकथाओं का बार-बार प्रयोग करना ।
२७. जादू-टोना आदि करना ।
२८. कामभोग में अत्यधिक लिप्त रहना, आसक्त रहना ।
२९. देवताओं की निंदा करना ।
३०. देवदर्शन न होते हुए भी प्रतिष्ठा के मोह से देवदर्शन की बात कहना । —दक्षाश्रुतस्कन्ध
विवेचन—संसार के प्राणिमात्र को मोह ने धेर रखा है । चारों ओर मोह का जाल बिछा हुआ है । क्या परिवार, क्या सम्प्रदाय, क्या जाति एवं क्या अन्य इकाई, सर्वत्र मोह का अधेरा व्याप्त

है। कहीं धन का मोह है तो कहीं पुत्र का, कहीं स्त्री का मोह है तो कहीं वस्त्राभूषणों का। मोह-भमत्व बाहर में दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है कि जिसे हाथ में लेकर बताया जा सके। ये तो एक प्रकार के भाव हैं। जब कर्मबन्ध होता है चाहे वह मोहनीय का हो, चाहे अन्य कर्मों का, तब भात्मा के साथ अनन्त-अनन्त कर्मवर्गणाश्वारों का होता है। उनकी अनेक पर्यायें हैं, न्यूनाधिक अवस्थाएँ हैं। मोह बहुरूपिया है। वह अनेक रूपों में आता है। इन्द्रजाल भी उसके सामने तुच्छ है। उसके सामने रावण की बहुरूपिणी या बहुसारिणी विद्या भी नगण्य है। मोह को पहचानना बड़ा कठिन है। महामोहनीय कर्म की स्थिति भी जघन्य अन्तमुहूर्त की और उत्कृष्ट ७० करोड़-करोड़ सागरोपम की है, जो सब कर्मों की स्थिति से अधिक है। यहाँ महामोहनीय कर्म के बंध के मुख्य तीस स्थान अर्थात् कारण प्ररूपित किए गए हैं।

इन तीस महामोहनीय के कारणों में से किसी भी कारण से जो कोई अतिचार किया गया हो तो मैं उससे निवृत्त होता हूँ।

सिद्धों के ३१ गुण

आदिकाल अर्थात् सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के प्रथम समय से ही सिद्धों में रहने वाले गुणों को सिद्धादिगुण कहते हैं। आठ कर्मों की इकतीस प्रकृतियाँ नष्ट होने से ये गुण प्रकट होते हैं। वे इकतीस गुण निम्नलिखित हैं—

१. ज्ञानावरणीय-कर्म की पांच प्रकृति नष्ट होने के कारण—

१. क्षीणमतिज्ञानावरण
२. क्षीणश्रुतज्ञानावरण
३. क्षीणअवधिज्ञानावरण
४. क्षीणमनःपर्यवज्ञानावरण
५. क्षीणकेवलज्ञानावरण

२. दर्शनावरणीय-कर्म की नौ प्रकृतियों के क्षय से—

१. क्षीणचक्षुदर्शनावरण
२. क्षीणश्रुतक्षुदर्शनावरण
३. क्षीणअवधिदर्शनावरण
४. क्षीणकेवलदर्शनावरण
५. क्षीणनिद्रा
६. क्षीणनिद्रानिद्रा
७. क्षीणप्रचला
८. क्षीणप्रचलाप्रचला
९. क्षीणस्त्यानगृद्धि

३. वेदनीय-कर्म की दो प्रकृतियों के क्षय से—

१. क्षीणसातावेदनीय
२. क्षीणअसातावेदनीय

४. मोहनीय-कर्म की दो प्रकृतियों के काय से—

१. क्षीणदर्शनमोहनीय
२. क्षोणचारित्रमोहनीय

५. आयुकर्म की व्यार प्रकृतियों के समूल काय से—

१. क्षीण नैरयिकायु, २. तिर्यञ्चायु, ३. मनुष्यायु, ४. देवायु

६. नाम-कर्म की दो प्रकृतियों के काय से—

१. क्षीणशुभनाम, २. क्षीणअशुभनाम

७. गोत्र-कर्म की दो प्रकृतियों के काय से—

१. क्षीणउच्चगोत्र
२. क्षीणनीचगोत्र

८. अन्तराय-कर्म की पांच प्रकृतियों के काय से—

१. क्षीणदानान्तराय
२. क्षीणलाभान्तराय
३. क्षीणभोगान्तराय
४. क्षीणउपभोगान्तराय

५. क्षीणवीर्यान्तराय ।

इनके विषय में जो अतिचार किया गया हो तो मैं उससे निवृत्त होता हूँ ।

— समवायांगसूत्र

वत्तीस योग-संग्रह—

१. गुरुजनों के समक्ष दोषों की आलोचना करना ।
२. किसी के दोषों की आलोचना सुनकर किसी अन्य से न कहना ।
३. आपत्ति आने पर भी धर्म में दृढ़ रहना ।
४. आसक्तिरहित तप करना ।
५. सूत्रार्थ ग्रहण रूप ग्रहणशिक्षा एवं प्रतिलेखना आदि रूप आसेवना- आचार शिक्षा का अध्यास करना ।
६. शोभा शृंगार नहीं करना ।
७. पूजा एवं प्रतिष्ठा का मोह छोड़कर गुप्ततप करना ।
८. लोभ का त्याग करना ।
९. तितिक्षा—परिषह-उपसर्ग आदि को सहन करना ।
१०. शुचि—संयम एवं सत्य की पवित्रता रखना ।
११. आर्जव—सरलता ।
१२. सम्यक्त्वशुद्धि ।
१३. समाधि—प्रसन्नचित्तता ।
१४. आचार-पालन में माया नहीं करना ।

१५. विनय—अरिहन्तादि सम्बन्धी दश प्रकार का विनय करना ।
१६. धैर्य—अनुकूल प्रतिकूल परिषह आने पर धैर्य रखना ।
१७. संवेग—सांसारिक भोगों से भय अथवा मोक्षाभिलाषा होना ।
१८. मायाचार न करना ।
१९. सदनुष्ठान में निरत रहना ।
२०. संवर—पापाश्रव को रोकना ।
२१. दोषों की शुद्धि करना ।
२२. काम-भोगों से विरक्ति ।
२३. मूलगुणों का शुद्ध पालन ।
२४. उत्तरगुणों का शुद्ध पालन ।
२५. व्युत्सर्ग—शारीरिक ममता न करना ।
२६. प्रमाद न करना ।
२७. प्रतिक्षण संयम-यात्रा में सावधान रहना ।
२८. शुभध्यान—धर्म-शुक्लध्यान-परायण होना ।
२९. मारणान्तिक वेदना होने पर भी अधीर न होना ।
३०. संग का परित्याग करना ।
३१. कृत दोषों का प्रायशिच्छत करना ।
३२. मरणपर्यन्त ज्ञानादि की आराधना करना ।

विवेचन—इन बत्तीस योगसंग्रहों का सम्यक् आराधन नहीं होने से जो कोई अतिचार किया गया हो तो मैं उससे निवृत्त होता हूँ ।

मन, वचन एवं काय के व्यापार को योग कहते हैं । योग के दो भेद हैं—शुभ योग एवं अशुभ योग । शुभ योग में प्रवृत्ति और अशुभ योग से निवृत्ति ही संयम है । प्रस्तुत सूत्र में शुभ प्रवृत्ति रूप योग ही ग्राह्य है । उसी का संग्रह संयमी जीवन की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रख सकता है ।

“युज्यन्ते इति योगः मनोवाक्कायव्यापाराः, ते चेह प्रशस्ता एव विवक्षिताः ।”

—आचार्य अभ्यदेव समवायांग टीका

तेतीस आशातना—

जैनाचार्यों ने आशातना शब्द की निरुक्ति बड़ी सुन्दर की है । सम्यग्दर्शन आदि आध्यात्मिक गुणों की प्राप्ति को ‘आय’ कहते हैं और शातना का अर्थ है खण्डन । देव, गुरु, शास्त्र आदि का अपमान करने से सम्यग्दर्शन आदि सद्गुणों की शातना—खण्डना होती है ।

‘आयः—सम्यग्दर्शनाद्यवाप्तिलक्षणस्तस्य शातना-खण्डनं निरुक्तादाशातना ।’

—आचार्य अभ्यदेव समवायांग टीका

‘आशातणाणामं नाणादिग्रायस्तस सातणा । यकारलोपं कृत्वा आशातना भवति ।’

—आचार्य जिनदास, आवश्यकचूणि

गुरुदेव सम्बन्धी ३३ आशातनामों का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। यहाँ अरिहन्तादि की तेतीस आशातनामों का निरूपण भूल पाठ में ही किया गया है। उनका अर्थ इस प्रकार है—

अरिहन्ताण आसायणाए—सूत्रोक्त तेतीस आशातनामों में पहली आशातना अरिहन्तों की है। अनन्तकाल से अन्धकार में भटकते हुए जीवों को सत्य का प्रकाश भूलतः अरिहन्त भगवान् ही दिखलाते हैं। वे ही धर्म का उपदेश करते हैं तथा सन्मार्ग का निरूपण करते हैं। अतः परमोपकारी अरिहन्तों की आशातना नहीं करनी चाहिये।

यदि कोई कहे कि भारतवर्ष में तो अरिहन्त हैं ही नहीं, फिर उनकी आशातना कैसे हो सकती है? समाधान है कि—‘अरिहन्त की कोई सत्ता नहीं है। उन्होंने तो कठोर धर्म का उपदेश दिया है। वे बीतराग होते हुए भी स्वर्ण, सिंहासन आदि का उपयोग क्यों करते हैं?’ इत्यादि दुश्चिन्तन करना अरिहन्तों की आशातना है।

सिद्धों की आशातना—‘सिद्ध कोई होता ही नहीं है। जब शरीर ही नहीं रहा तो फिर अनन्तसुख कैसे मिल सकता है’ आदि अवज्ञा करना सिद्धों की आशातना है।

आचार्य-उपाध्याय की आशातना—वह इस प्रकार है—‘ये बालक हैं, अकुलीन हैं, अल्पबुद्धि हैं, औरों को तो उपदेश देते पर स्वयं कुछ नहीं करते’ इत्यादि। इसी प्रकार उपाध्याय की आशातना समझनी चाहिये।

साधुओं की आशातना—‘कायर जन परिवार का पालन-पोषण न कर सकने के कारण गृह त्याग कर भीख मांगने का धंधा अखित्यार कर लेते हैं। गृहस्थों की कमाई पर गुलचर्चे उड़ाते हैं’ इत्यादि कह कर साधुओं की निंदा करना उनकी आशातना है।

साध्वियों की आशातना—स्त्री होने के कारण साध्वियों को नीचा बतलाना। उनको कलह और संघर्ष की जड़ कहना, इत्यादि रूप से अवहेलना करना साध्वियों की आशातना है।

श्रावक-श्राविकाओं की आशातना—जैनधर्म श्रतीव उदार और विराट् धर्म है। यहाँ केवल अरिहन्त आदि महान् आत्माओं का ही गौरव नहीं है, अपितु साधारण गृहस्थ होते हुए भी जो स्त्री-पुरुष देशविरति धर्म का पालन करते हैं उन श्रावकों एवं श्राविकाओं की अवज्ञा करना भी पाप है। प्रत्येक आचार्य, उपाध्याय और साधु को भी प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल प्रतिक्रमण के समय श्रावक एवं श्राविकाओं के प्रति ज्ञात या अज्ञात रूप से की जाने वाली अवज्ञा के लिए पश्चात्ताप करना होता है। ‘मिच्छा मि दुक्कड़’ देना होता है। जैनागमों में श्रावक-श्राविकाओं को ‘मम्मा-पियरो’ से उपमित किया गया है। जैनधर्म में गुणों को महत्व दिया है। वहाँ गुणों की पूजा होती है, न कि वेषभेद या लिंग आदि के भेद से किसी को ऊंचा का नीचा समझा जाता है।

देवों-देवियों की आशातना—वह इस प्रकार है—देवता तो विषय-वासना में आसक्त, अप्रत्याख्यानी, अविरत हैं और शक्तिमान् होते हुए भी शासन की उन्नति नहीं करते हैं, इत्यादि। इसी प्रकार देवियों की आशातना समझना चाहिये।

इहलोक और परलोक की आशातना—इहलोक और परलोक का अभिप्राय इस प्रकार है—मनुष्य के लिए मनुष्य इहलोक है और नरक, तिर्यञ्च एवं देव परलोक है। इहलोक और परलोक

की असत्य प्ररूपणा करना, पुनर्जन्म आदि न मानना, नरकादि चार गतियों के सिद्धान्त पर विश्वास न रखना इत्यादि इहलोक और परलोक की आशातना है ।

प्राण-भूत आदि की आशातना—प्राण-भूत आदि शब्दों को एकार्थक माना गया है । सबका अर्थ जीव है । आचार्य जिनदास कहते हैं—‘एगटिता व एते ।’ परन्तु आचार्य जिनदास महत्तर और आचार्य हरिभद्र आदि ने उक्त शब्दों के कुछ विशेष अर्थ भी स्वीकार किए हैं । द्विन्द्रिय आदि जीवों को प्राण और पृथ्वीकाय आदि एकेन्द्रिय जीवों को भूत कहा जाता है । समस्त संसारी प्राणियों के लिए जीव और संसारी तथा मुक्त सब अनन्तानन्त जीवों के लिए सत्त्व शब्द का व्यवहार होता है—

“प्राणिनः द्विन्द्रियादयः । भूतानि पृथ्व्यादयः……।

जीवन्ति जीवा-आयुःकर्मानुभवयुक्ताः सर्व एव ॥

सत्त्वाः—सांसारिक-संसारातीतमेवाः ।”

—आवश्यक-शिष्यहिता टीका

विश्व के समस्त अनन्तानन्त जीवों की आशातना का यह सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है । जैनधर्म की करुणा का अनन्त प्रवाह केवल परिचित और स्नेही जीवों तक ही सीमित नहीं है । अपितु समस्त जीव-राशि से क्षमा मांगने का महान् आदर्श है । प्राणी निकट हो या दूर, स्थूल हो या सूक्ष्म, ज्ञात हो या अज्ञात, शत्रु हो या मित्र, किसी भी रूप में हो, उसकी आशातना एवं अवहेलना करना साधक के लिए सर्वथा निषिद्ध है ।

केवलिप्ररूपित धर्म की आशातना—साधक केवली होने से पूर्व ही पूर्ण वीतराग हो जाते हैं । अतएव वीतराग एवं सर्वज्ञ होने के कारण उनके द्वारा प्ररूपित धर्म सर्वहत्कारी एवं सत्य ही होता है । फिर भी उनके द्वारा प्ररूपित धर्म का अवर्णवाद करना केवलिप्ररूपितधर्म का अवर्णवाद है । इसी प्रकार देवों, मनुष्यों और असुरों सहित लोक की असत्य प्ररूपणा रूप आशातना से निवृत्त होता है ।

काल की आशातना—‘वर्तनालक्षण काल नहीं है’ इस प्रकार की अथवा ‘काल ही सब कुछ करता है, जीवों को पचाता है, उनका संहार करता है और संसार के सोये रहने पर भी जागता है, अतः काल दुर्निवार है,’ इस प्रकार काल को एकान्त कर्ता मानने रूप आशातना से निवृत्त होता है ।

भगवान् महावीर के मुख-चन्द्र से निस्सृत, गणधर के कणों में पहुँचे हुए, सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ के बोधक और भव्य जीवों को अजर-अमर करने वाले वचनाभृत स्वरूप श्रुत की असत्य प्ररूपणा आदि आशातना से निवृत्त होता है ।

श्रुत-देवता की आशातना—श्रुतदेवता का अर्थ है—श्रुत-निर्माता तीर्थकर तथा गणधर । वे श्रुत के मूल अधिष्ठाता हैं, रचयिता हैं, अतः श्रुतदेवता हैं । उनकी तथा वाचनाचार्य (उपाध्याय के आदेशानुसार शिष्यों को पाठ रूप में श्रुत का उद्देश्यादि करते हैं, उन) की आशातना से निवृत्त होता है ।

१. कालः पचति भूतानि, कालः संहरते प्रजाः ।

कालः सुप्तेषु जागति, कालो हि दुरतिकमः ॥

व्यत्याग्रेडित—वच्चाभेलियं का संस्कृत रूप 'व्यत्याग्रेडित' होता है। इसका अर्थ है—शून्य चित्त से दो तीन बार बोलना। कुछ आचार्यों ने व्यत्याग्रेडित का अर्थ भिन्न रूप से भी किया है। यथा भिन्न-भिन्न सूत्रों में तथा स्थानों पर आए हुए एक जैसे समानार्थक पदों को एक साथ मिलाकर बोलना व्यत्याग्रेडित है।

इन शब्दों का अर्थ पूर्व में ज्ञात सम्बन्धी अतिचारों में दिया जा चुका है।

'पडिकमामि एवविहे असंजमे' से लेकर 'तेतीसाए आसायणाहिं' तक के सूत्र में एकविध असंयम का ही विराट् रूप बतलाया गया है। यह सब अतिचार-समूह मूलतः असंयम का ही विवरण है। 'पडिकमामि एगविहे असंजमे' यह असंयम का संक्षिप्त-प्रतिक्रमण है और यही प्रतिक्रमण आगे 'दोहि बंधणेहिं' आदि से लेकर 'तेतीसाए आसायणाहिं' तक क्रमशः विराट् होता गया है।

यह लोकालोक प्रमाण अनन्त विराट् संसार है। इसमें अनन्त ही असंयम रूप हिंसा, असत्य आदि हेयस्थान हैं, अनन्त संयम रूप अहिंसा आदि उपादेयस्थान हैं तथा अनन्त पुद्गल आदि ज्ञेय-स्थान हैं। साधक को इन सबका प्रतिक्रमण करना होता है। इस प्रकार अनन्त संयम-स्थानों का आचरण न किया हो और असंयम-स्थानों का आचरण किया हो तो उसका प्रतिक्रमण है। इस प्रकार एक से लेकर तेतीस तक के बोल के समान ही अन्य अनन्त बोल भी अर्थतः संकल्प में रखने चाहिये, भले ही वे ज्ञात हों या अज्ञात हों। साधक को केवल ज्ञात का ही प्रतिक्रमण नहीं करना, अपितु अज्ञात का भी प्रतिक्रमण करना है। तभी तो आगे के अन्तिम पाठ में कहा है "जं संभरामि, जं च न संभरामि"। अर्थात् जो दोष स्मृति में आ रहे हैं उनका प्रतिक्रमण करता हूँ और जो दोष इस समय स्मृति में नहीं आ रहे हैं, परन्तु हुए हैं, उन सबका भी प्रतिक्रमण करता हूँ।

प्रतिशो-सूत्र

निर्गन्ध-प्रवचन का पाठ—

नमो चउद्योसाए तित्थयराणं उसमाइमहावीरपञ्जवसाणाणं ।

इणमेव निगंयं पादयणं सच्चं, अणुत्तरं, केवलियं, पदिपुणं, नेयाउयं, संसुद्धं, सल्लगत्तणं, सिद्धिमग्नं, मुत्तिमग्नं, निज्जाणमग्नं, निल्वाणमग्नं, अवितहमविसंघि, सव्यदुक्खपृथीणमग्नं ।

इस्थं ठिग्रा जीवा सिङ्खंति, बुड्खंति, मुच्चंति, परिनिल्वायंति सव्यदुक्खाणमंतं करेति ।

तं धम्मं सद्हामि पत्तियामि, रोएमि, फासेमि, पालेमि, अणुपालेमि ।

तं धम्मं सद्हंतो, पत्तिअंतो, रोअंतो, फासंतो, पालंतो, अणुपालंतो ।

तस्स धम्मस्त केवलिपञ्चतस्त ग्रहभुट्टिग्रोमि आराहणाए विरग्रोमि विराहणाए,

असंजमं परियाणामि, संजमं उवसंपञ्जामि ।

अबंभं परियाणामि, बंभं उवसंपञ्जामि ।

अकप्यं परियाणामि, कप्यं उवसंपञ्जामि ।

अग्नाणं परियाणामि, नाणं उवसंपञ्जामि ।

अकिरियं परियाणामि, किरियं उवसंपञ्जामि ।

मिछ्छतं परियाणामि, सम्बसं उवसंपञ्जामि ।

प्रदोहि परियाणामि, बोहि उवसंपञ्जामि ।

प्रभगं परियाणामि, मगं उवसंपञ्जामि ।

जं संभरामि, जं च न संभरामि ।

जं पडिकमामि, जं च न पडिकमामि ।

तस्स सववस्स देवसियस्स अइयारस्स पडिकमामि । समणोऽहं संजय-विरय-पडिहय-पञ्चकखाय-पावकम्ने, अनियाणो दिट्ठिसंपश्चो माया-मोस-विविजित्रो ।

अड्डाइजेसु दीव-समुद्रेसु पञ्चरससु कम्मभूमीसु, जावंति केह साहू रयहरण-गुच्छ-पडिगह-धारा, पञ्चमहवय-धारा अट्टारस्स-सहस्स-सीलंगधारा, अक्खयाकारचरित्ता, ते सद्वे सिरसा मणसा मत्थएूण बंदामि ॥

भावार्थ—भगवान् ऋषभदेव से लेकर भगवान् महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थंकर देवों को मैं नमस्कार करता हूँ ।

यह तीर्थकरोपदिष्ट निर्गन्ध-प्रवचन ही सत्य है, अनुत्तर—सर्वोत्तम है, केवलिक-केवलज्ञानियों द्वारा प्ररूपित है, (मोक्षप्रापक गुणों से) परिपूर्ण है, न्याय, युक्ति, तर्क से अबाधित है, पूर्ण रूप से शुद्ध अर्थात् सर्वथा निष्कलंक है, माया आदि शल्यों को नष्ट करने वाला है, सिद्धिमार्ग—सिद्धि की प्राप्ति का उपाय है, कर्म-बन्धन से मुक्ति का साधन है, संसार से छुड़ाकर मोक्ष का मार्ग है, पूर्ण शान्ति रूप निर्वाण का मार्ग है, मिथ्यात्व रहित है, विच्छेदरहित अर्थात् सनातन-नित्य है तथा पूर्वापरविरोध से रहित है, सब दुःखों का पूर्णतया क्षय करने का मार्ग है ।

इस निर्गन्ध प्रवचन में स्थित रहने वाले अर्थात् तदनुसार आचरण करने वाले भव्य जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध—सर्वज्ञ होते हैं, मुक्त होते हैं, पूर्ण आत्मशान्ति को प्राप्त करते हैं, समस्त दुःखों का सदाकाल के लिए अन्त करते हैं ।

मैं इस निर्गन्ध प्रवचन रूप धर्म पर श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, रुचि करता हूँ, स्पर्शना करता हूँ, पालना अर्थात् रक्षा करता हूँ । विशेष रूप से निरन्तर पालन करता हूँ ।

मैं प्रस्तुत जिन-धर्म की श्रद्धा करता हुआ, प्रतीति करता हुआ, रुचि करता हुआ, स्पर्शना-आचरण करता हुआ, पालन करता हुआ, विशेष रूप से निरन्तर पालन करता हुआ—

उस केवलिप्ररूपित धर्म की आराधना के लिए उद्यत होता हूँ और विराधना से विरत-निवृत्त होता हूँ ।

असंयम को ज्ञपरिज्ञा से जानता और प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्यागता हूँ तथा संयम को स्वीकार करता हूँ ।

अब्रह्मचर्य को जानता और त्यागता हूँ और ब्रह्मचर्य को स्वीकार करता हूँ ।

अकल्प्य (अकृत्य) को जानता और त्यागता हूँ, कृत्य को स्वीकार करता हूँ ।

अज्ञान को जानता और त्यागता हूँ, ज्ञान को स्वीकार करता हूँ ।

अक्रिया-नास्तिकवाद को जानता तथा त्यागता हूँ, क्रिया-सम्यग्वाद को स्वीकार करता हूँ।

मिथ्यात्व को जानता और त्यागता हूँ, सम्यक्त्व-सदाश्रह को स्वीकार करता हूँ।

अबोधि-मिथ्यात्व को जानता एवं त्यागता हूँ, बोधि को स्वीकार करता हूँ।

हिंसा आदि अमार्ग को (ज्ञपरिज्ञा से) जानता और (प्रत्याख्यानपरिज्ञा से) त्यागता हूँ। अहिंसा आदि मार्ग को स्वीकार करता हूँ।

जिन दोषों को स्मरण कर रहा हूँ, जो याद हैं और जो स्मृतिगत नहीं हैं, जिनका प्रतिक्रमण कर चुका हूँ और जिनका प्रतिक्रमण नहीं कर पाया हूँ, उन दिवस सम्बन्धी अतिचारों का प्रतिक्रमण करता हूँ।

मैं श्रमण हूँ, संयमी हूँ, विरत-सावद्य व्यापारों से एवं संसार से निवृत्त हूँ, पापकर्मों को प्रतिहत करने वाला हूँ, निदानशल्य से रहित अर्थात् आसक्ति से रहित हूँ, दृष्टिसम्पन्न—सम्यग्दर्शन से युक्त हूँ, माया सहित मृषावाद—असत्य का परिहार करने वाला हूँ।

ढाई द्वीप और दो समुद्र परिमित मानव-क्षेत्र में अर्थात् पंद्रह कर्मभूमियों में जो भी रजोहरण, गुच्छक एवं पात्र को धारण करने वाले तथा पांच महाव्रतों, अठारह हजार शीलांगों-सदाचार के अंगों को धारण करने वाले एवं निरतिचार आचार के पालन त्यागी साधु मुनिराज हैं, उन सबको शिर नमाकर, मन से, मस्तक से बन्दना करता हूँ।

विवेचन—जैनधर्म मूलतः पापों से बचने का आदर्श प्रस्तुत करता है। अतः वह कृत कर्मों के लिए पश्चात्ताप कर लेना ही पर्याप्त नहीं समझना, प्रत्युत भविष्य में पुनः पाप न होने पाएँ, इस बात की भी सावधानी रखने का निर्देश करता है।

प्रतिज्ञा करने से पहले संयम-पथ के महान् यात्री आदिनाथ श्री ऋषभ से लेकर महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थकर देवों को नमस्कार किया है। युद्धवीर युद्धवीरों का तो ग्रथवीर ग्रथवीरों का स्मरण करते हैं। यह धर्मयुद्ध है, अतः यहाँ धर्मवीरों का ही स्मरण किया गया है। यह अटल नियम रहा है कि जैसी साधना करनी हो उसी साधना के उपासकों एवं उसमें सिद्धि प्राप्त करने वालों का स्मरण किया जाता है। अतः जैनधर्म के चौबीस तीर्थकरों की स्मृति हमारी आत्म-शुद्धि को स्थिर करने वाली है। तीर्थकर हमारे लिए अन्धकार में प्रकाशस्तंभ हैं।

भगवान् ऋषभदेव—वर्तमान कालचक्र में जो चौबीस तीर्थकर हुए हैं, उनमें भगवान् ऋषभदेव सर्वप्रथम हैं। आपके द्वारा ही मानव-सभ्यता का आविर्भाव हुआ है। आपसे पहले मानव जंगलों में रहता, वन फल खाता एवं सामाजिक जीवन से शून्य घूमा करता था। न उसे धर्म का पता था और न कर्म का ही। आत्मा का स्वरूपदर्शन सर्वप्रथम भगवान् ऋषभदेव ने ही कराया।

भगवान् ऋषभदेव इस अवसर्पणीकाल में जैनधर्म के आदि प्रवर्तक हैं। जो लोग जैन-धर्म को सर्वथा आधुनिक माने बैठे हैं, उन्हें इस और लक्ष्य देना चाहिये। भगवान् ऋषभदेव के गुणगान वेदों और पुराणों तक में गाए गए हैं। वे मानव-संस्कृति के आदि उद्भारक थे, अतः वे मानव-मात्र के पूज्य रहे हैं। प्राचीन वैदिक ऋषि उनके महान् उपकारों को नहीं भूले थे, उन्होंने खुले हृदय से भगवान् ऋषभदेव का स्तुति-गान किया है—

अनवाणिं वृषभं मन्त्रजिह्वः
वृहस्पतिं वर्धया नव्यमके । —ऋग् म. १ सू. १९० म. १

अर्थात् भिष्टभाषी, ज्ञानी, स्तुतियोग्य ऋषभ को पूजा-साधक मन्त्रों द्वारा वर्धित करो ।

भगवान् महावीर—इस युग के प्रारम्भ में भगवान् ऋषभदेव के द्वारा संस्थापित जैनधर्म की गरिमा को मध्यवर्ती वाईस तीर्थकरों ने तथा चरम तीर्थकर भगवान् महावीर ने संवर्द्धना प्रदान की । किन्तु उस समय उन्हें धार्मिक एव सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में अनेकानेक विकट समस्याओं से जूझना पड़ा था । आज से छब्बीस सौ वर्ष से कुछ अधिक वर्ष पूर्व यद्यपि धर्म का दीप प्रज्वलित था, पर देश की दशा अत्यन्त शोचनीय थी । चारों ओर हिंसा का ताण्डवनृत्य हो रहा था तथा शोषण एवं अनाचार की अति से मानवता कराह रही थी । धर्म के नाम पर पशुओं के रक्त की नदियां बहती थीं, शूद्रों पर तथा नारी जाति पर भी भयानक अत्याचार होते थे । उस विकट वेला में जगदुद्धारक वीर प्रभु ने जन्म लिया और अपनी आत्मशक्ति से अहिंसा धर्म की दुन्दुभि बजाई थी । भगवान् महावीर का ऋण भारतवर्ष पर अनन्त है, असीम है, हम किसी भी प्रकार से उनका ऋण अदा नहीं कर सकते । वे पूर्ण निष्काम थे, बदले में चाहते भी कुछ नहीं थे । लेकिन उनके अनुयायी अथवा सेवक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बताए हुए सन्मार्ग पर चलें और श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उनके श्रीचरणों में बन्दन करें ।

निर्गम्थ पावयण—‘पावयण’ विशेष्य है और ‘निर्गम्थ’ विशेषण है । जैन साहित्य से ‘निर्गम्थ’ शब्द प्रसिद्ध है । निर्गम्थ का संस्कृत रूप ‘निर्ग्रन्थ’ होता है । निर्ग्रन्थ का अर्थ है—धन-धान्य आदि बाह्य ग्रंथ और मिथ्यात्व, अविरति तथा क्रोध, मान, माया आदि आभ्यन्तर ग्रंथ अर्थात् परिश्रह से रहित, पूर्ण त्यागी एवं संयमी साधु ।

निर्ग्रन्थों अरिहन्तों का प्रवचन, नैर्ग्रन्थप्रावचन है ।¹

मूल में जो निर्गम्थ शब्द है, वह निर्ग्रन्थ का वाचक न होकर ‘नैर्ग्रन्थ’ का वाचक है । ‘पावयण’ शब्द के दो संस्कृत रूपान्तर हैं—प्रवचन और प्रावचन । आचार्य जिनदास प्रवचन कहते हैं और हरिभद्र प्रावचन । शब्दभेद होते हुए भी अर्थ दोनों आचार्य एक ही कहते हैं । जिसमें जीवादि पदार्थों का तथा ज्ञानादि रत्नत्रय की साधना का यथार्थ रूप से निरूपण किया गया है, वह सामायिक से लेकर बिन्दुसार पूर्व तक का आगम-साहित्य निर्ग्रन्थ प्रवचन या नैर्ग्रन्थ प्रावचन में गर्भित हो जाता है ।²

‘प्रकर्षेण अभिविधिना उच्यन्ते जीवादयो यस्मिन् तत्प्रावचनम् ।’ —आचार्य हरिभद्र ।

श्री ऋषभदेव स्वामी से लेकर श्री महावीर स्वामी पर्यन्त चौबीसों तीर्थकर भगवन्तों को मेरा नमस्कार हो । इस प्रकार नमस्कार करके तीर्थकर प्रणीत प्रवचन की स्तुति करते हैं—यही निर्ग्रन्थ अर्थात् रजत आदि द्रव्यरूप और मिथ्यात्व आदि भावरूप ग्रंथ से रहित—मुनि सम्बन्धी

१. ‘निर्ग्रन्थानामिदं नैर्ग्रन्थ्य प्रावचनमिति ।’

—आचार्य हरिभद्र

२. ‘पावयण मामाइयादि बिन्दुसारपञ्जवसाणं जत्थ नाण-दंसण-चरित्साहणवावारा अणेगधा वण्णज्जंति ।’

—आचार्य जिनभद्र, आवश्यकचूणि

सामायिक आदि प्रत्याख्यान पर्यन्त द्वादशाङ्ग गणिपिटक स्वरूप तीर्थकरों द्वारा उपदिष्ट प्रवचन सत्य है।

सच्चं— सत्य आत्मा का स्वभाव, अनुभूति का विषय और आचरण का आदर्श है। जैसे मिश्री की मधुरता का अनुभव, आस्वादन उसे मुँह में रखने से ही हो सकता है, उसी प्रकार सत्य का महत्व उसे आचरण में उतारने से ही मालूम होता है। सत्य का उपासक जीवन के हर क्षेत्र में हर समय सत्य को साथ रखता है। सत्य एक सार्वभौम सिद्धान्त है। सत्य को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है।

सत्य से नीति सुशोभित होती है। जीवन और व्यवहार में सत्य की भलक आने पर मनुष्य का जीवन अपने आप धर्ममय हो जाता है। धर्म और नीति ग्रन्थों में सर्वत्र सत्य की महिमा का मुक्तकंठ से बखान किया गया है। सत्य सर्वोत्तम है, सर्वोक्तुष्ट है। सत्य के बिना धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती है।

‘नाऽसौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति’ अर्थात् वह धर्म, धर्म नहीं है जो सत्य से दूर है। सत्य साधना का सार, मनुष्य की तत्त्व-चिन्तना का तार और मोक्ष मंजिल का द्वार है। संसार का सम्पूर्ण सार तत्त्व इसमें निहित है। प्रश्नव्याकरणसूत्र में सत्य को भगवान् का रूप कहा गया है।

जीवन का आधार है, सत्य सुखों की खान।

प्रश्नव्याकरण देखिये, सत्य स्वयं भगवान् ॥

केवलियं— मूल में ‘केवलियं’ शब्द है, इसके संस्कृत रूपान्तर दो किए जा सकते हैं—केवल और केवलिक। केवल का अर्थ अद्वितीय है। सम्यग्दर्शनादि तत्त्व अद्वितीय हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं।

केवलिक का अर्थ है—केवलज्ञानियों द्वारा प्ररूपित अर्थात् प्रतिपादित।

पदिष्पूर्णं— सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ही जैनधर्म है। वह अपने आप में सब और से प्रतिपूर्ण है।

नेयाउयं—‘नेयाउयं’ का संस्कृत रूप नैयायिक होता है। आचार्य हरिभद्र नैयायिक का अर्थ करते हैं—जो नयनशील है, ले जाने वाला है, वह नैयायिक है। सम्यग्दर्शन आदि मोक्ष में ले जाने वाले हैं, अतः वे नैयायिक कहलाते हैं। ‘नयनशीलं नैयायिकं मोक्ष-गमकमित्यर्थः।’

श्री भावविजयजी न्याय का अर्थ ‘मोक्ष’ करते हैं। क्योंकि निश्चित आय—लाभ ही न्याय है और ऐसा न्याय एक मात्र मोक्ष ही है तथा साधक के लिए मोक्ष से बढ़कर अन्य कोई लाभ नहीं है—

“निश्चित आयो लाभो न्यायो मुक्तिरित्यर्थः, स प्रयोजनमस्येति नैयायिकः।”

—उत्तराध्ययनवृत्ति, अध्य. ४, गा. ५

इसका एक अर्थ युक्ति-तर्क से युक्त-अबाधित भी हो सकता है।

१. ‘केवलियं’ केवल अद्वितीय एतदेवैकं हितं नान्यद् द्वितीयं प्रवचनमस्ति। केवलिणा वा पण्णत्तं केवलियं।”

—आचार्य जिनदास कृत आवश्यकसूची

सत्त्वकत्तण—आगम की भाषा में शल्य का अर्थ है—‘माया, निदान और मिथ्यात्म’। बाहर के शल्य कुछ काल के लिए ही पीड़ा देते हैं, परन्तु ये अनंदर के शल्य तो बड़े ही भयंकर होते हैं। अनादि काल से अनन्त आत्माएँ इन शल्यों के कारण पीड़ित हो रही हैं। स्वर्ग में पहुँच कर भी इनसे मुक्ति नहीं मिलती। आचार्य उमास्वाति ने तत्त्वार्थसूत्र में लिखा है—‘निःशल्यो व्रती’। व्रती के लिए सर्वप्रथम निःशल्य अर्थात् शल्य-रहित होना परम आवश्यक है।

निजाणमग्ग—आचार्य हरिभद्र ने निर्याण का अर्थ मोक्षपद किया है। जहाँ जाया जाता है वह यान होता है। निरूपम यान निर्याण कहलाता है। मोक्ष ही ऐसा पद है जो सर्वश्रेष्ठ यान-स्थान है। अतः वह जैन आगम साहित्य में निर्याण पदवाच्य भी है।

अविसन्धि—अविसन्धि अर्थात् सन्धि से रहित। सन्धि बीच के अन्तर को कहते हैं। भाव यह है कि जिनशासन अनादि काल से निरन्तर अव्यवच्छिक चला आ रहा है। भरतादि क्षेत्र में किसी कालविशेष में नहीं भी होता है, परन्तु महाविदेह क्षेत्र में तो सदा काल अव्यवच्छिक बना रहता है। काल की सीमाएँ जैनधर्म की प्रगति में बाधक नहीं बन सकती। जिनधर्म निज-धर्म अर्थात् आत्मा का धर्म है। अतः वह तीन काल और तीन लोक में कहीं न कहीं सदा सर्वदा मिलेगा ही।

सब्द-दुःखप्रहीणमग्ग—धर्म का अन्तिम विशेषण सर्वदुःखप्रहीणमार्ग है। संसार का प्रत्येक प्राणी दुःख से व्याकुल है, क्लेश से संतप्त है। वह अपने लिए सुख चाहता है, आनन्द चाहता है, परन्तु संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है, जो दुःख से असंभिन्न हो। क्योंकि व्यक्ति अज्ञान और मोह के वशीभूत होकर बाह्य पदार्थों में सुख ढूँढ़ता है। लेकिन जो पदार्थ आज सुखद और प्रीतिकर प्रतीत होते हैं, कालान्तर में वे ही कष्टप्रद, क्लेशजनक एवं शोक-संताप-वृद्धि के कारण बन जाते हैं। जिस धन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति छल, कपट और माया का सेवन करता है, जिसे प्राप्त करने के लिए दिन-रात एक करता है, वही धन प्राणों के नाश का कारण भी बन जाता है। कर, टेक्स आदि की ओरी के कारण कारागृह का मेहमान भी बनाता है। जो पुत्र बचपन में माता-पिता की आँखों का तारा, दिल का टुकड़ा, हृदय का दुलारा होता है, वही बड़ा होने वर दुराचारी बन जाने के कारण हृदय का शूल, आँखों का कांटा, कुल का कलंक बन जाता है। उसका नाम सुनने में भी कष्ट होता है। लज्जा से मस्तक झुक जाता है। अगर पदार्थ में सुख होता तो एक पदार्थ एक समय सुख का और दूसरे समयः दुःख का कारण कैसे बन जाता? सच्चे अर्थ में वह सच्चा सुख नहीं, सुखाभास है। ‘संयोगमूला जीवेन प्राप्ता दुःखपरम्परा’ सच तो यह कि आत्मभिन्न बाह्य पदार्थों के संयोग के कारण ही जीव अनादि काल से दुःखों को भुगत रहा है। सच्चा सुख तो सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय रूप धर्म की साधना से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए आचार्य हरिभद्र लिखते हैं—
सर्वदुःख-प्रहीणमार्ग—सर्वदुःख-प्रहीणो मोक्षस्तकारणमित्यर्थः।

सिजभंति—जैनधर्म में आत्मा के अनन्त गुणों का पूर्ण विकास हो जाना ही सिद्धत्व मात्रा गया है।

जब तक ज्ञान अनन्त न हो, दर्शन अनन्त न हो, चारित्र अनन्त न हो, वीर्य अनन्त न हो, पर्याति प्रत्येक गुण अनन्त न हो, तब तक जैनधर्म मोक्ष होना स्वीकार नहीं करता है। ‘सिजभंति’ का अर्थ है—भगवन् के बताये हुए मार्ग में स्थित जीव सिद्ध होते हैं।

बुजभंति—बुद्ध होते हैं। बुद्ध अर्थात् पूर्ण ज्ञानी। यहाँ शंका हो सकती है कि—बुद्धत्व तो सिद्ध होने से पहले ही प्राप्त हो जाता है। आध्यात्मिक विकास के क्रमस्वरूप चौदह गुणस्थानों में, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन आदि गुण तेरहवें गुणस्थान में ही प्राप्त हो जाते हैं और मोक्ष, चौदहवें गुणस्थान के बाद होता है। अतः 'सिजभंति' के बाद बुजभंति कहने का क्या अभिप्राय है? समाधान—केवलज्ञान तेरहवें गुणस्थान में प्राप्त हो जाता है। अतः विकासक्रम के अनुसार बुद्धत्व का स्थान पहला है और सिद्धत्व का दूसरा, परन्तु यहाँ सिद्धत्व के बाद जो बुद्धत्व कहा है उसका अभिप्राय यह है कि सिद्ध हो जाने के बाद भी बुद्धत्व बना रहता है, नष्ट नहीं होता है। कुछ दार्शनिक मुक्तात्माओं में ज्ञान का अभाव हो जाना कहते हैं, उनकी मान्यता का निषेध इस विशेषण से हो जाता है।

मुच्चर्चंति—‘मुच्चर्चंति’ पद का अर्थ है—कर्मों से मुक्त होना। जब तक एक भी कर्म-परमाणु आत्मा से सम्बन्धित रहता है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। आचार्य उपास्वाति ने तत्त्वार्थसूत्र के दसवें अध्ययन के प्रथम सूत्र में लिखा है—“कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः” अर्थात् समस्त कर्मों के नष्ट होने पर मोक्ष होता है।

मोक्षप्राप्ति के लिए जिज्ञासु साधकों को ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय एवं अंतराय इन धार्तिक कर्मों को सर्वप्रथम नष्ट करने के लिए ज्ञानपूर्वक शुभ क्रिया करनी चाहिये, क्योंकि आत्मा शुभ से ही शुद्ध की ओर अग्रसर होती है और एक समय ऐसा भी आता है कि कप्टसाध्य साधना के द्वारा आत्मा में बोध की किरण प्रस्फुटित हो जाती है। जो अधार्तिक कर्म वेदनीय, नाम, गोत्र एवं आयुकर्म जली हुई रस्सी के समान शेष रहते हैं, उनको पांच लघु अक्षर उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने स्वल्प समय में नष्ट करके ही आत्मा सिद्धि को प्राप्त हो जाती है।

आशय यह है कि आत्मा के साथ अनादि काल से जो कर्मों का सम्बन्ध है, उनका भेदन करके ही आत्मा स्वदशा में स्थिर हो सकती है।

महाश्रमण महावीर का कर्मवाद एवं आत्मवाद सिद्धान्त अत्यन्त गहन है। प्रत्येक साधक को साधना-पथ पर गतिशील होने से पूर्व सभी तत्त्वों के सम्बन्ध में सम्यक् प्रकारेण जानकारी कर लेनी चाहिये, जिससे साधक निर्भ्रान्ति होकर सहज ही साधना-रत हो सके तथा सिद्धि, बुद्ध हो सके। अर्थात् कर्ममुक्त होकर शाश्वत एवं अक्षय मोक्ष-मुख को प्राप्त कर सके।

मोक्ष एक है—आत्मा का कर्म रूप पाश से अलग होना मोक्ष है। यह मोक्ष यद्यपि ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों से तत्-तत् कर्मों के छूटने से आठ प्रकार का है, फिर भी मोक्षन-सामान्य की अपेक्षा यह एक है। इसमें भेद नहीं है। जीव की मुक्ति एक ही बार होती है। जो जीव एक बार मोक्ष प्राप्त कर लेता है वह फिर से संसार में जन्म के कारणों का अभाव होने से जन्म धारण नहीं करता, अतः जो स्थिति प्राप्त हो गई है वह सादि होकर भी अपर्यवसित है। उसकी पुनः प्राप्ति का अभाव है, अतः मोक्ष एक ही है।

परिनिव्यायति—आत्मा स्वभाव से ऊर्ध्वंगामी है। सम्यग्ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र के द्वारा आत्मा शुद्ध, बुद्ध, विशुद्ध, अमल, विमल, उज्ज्वल एवं उप्लब्ध बनती है। ज्ञान-दर्शन स्वरूप आत्मा ही शाश्वत तत्त्व है। इससे भिन्न जितने भी राग-द्वेष, कर्म-शरीर आदि भाव हैं, वे सब संयोगजन्य बाह्य भाव हैं।

‘अन्नो जीवो अन्नं सरीरं’ अर्थात् आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है।

—सूत्रकृतांग सूत्र (२-१-९)

शब्द, रूप, कामभोगादि जड़ पदार्थों से रहित आत्मा ही मोक्षगामी हो सकती है। जैनधर्म की यह दृढ़ मान्यता है कि हर एक आत्मा में महान् ज्योति जाज्वल्यमान है। आनन्द और अमर शान्ति का महासागर उसमें हिलोरें मार रहा है। प्रत्येक प्रसुप्त आत्मा का जब चैतन्य जाग उठता है तो वह आत्मा परमात्मा बीतराग एवं क्षुद्र से विराट् और लघु से महान् बन जाती है। अन्त में परिनिवाणि को प्राप्त हो जाती है।

निर्वाण की प्रशस्ति नहीं हो सकती। वह ऐसे अनिवृच्छनीय, अनुपम, असाधारण परमानन्द का स्थान है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

सम्बद्धुक्खाणसंतं करेति— श्रीमद् आचाराङ्गसूत्र में बतलाया है—हे गौतम ! मोक्ष के सुख का स्वरूप बतलाने के लिए कोई शब्द नहीं है। जैसे गूँगा आदमी गुड़ के स्वाद को जानता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता; इसी प्रकार जो मुक्तात्मा जीव, जिन्हें निरंजन पद प्राप्त हुआ है, वे मोक्षसुख का अनुभव तो करते हैं, मगर उसे प्रकट करने के लिए उनके पास भी कोई शब्द नहीं है। निरंजन पद की प्राप्ति के बाद सभी दुःखों का अन्त हो जाता है।

बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजा जिसकी सेवा में खड़े रहते हैं और हाथ जोड़े आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उस छह खण्ड के अधिपति चक्रवर्ती का सुख उत्तम है या मोक्ष का सुख उत्तम है ? अगर चक्रवर्ती का सुख उत्तम होता तो स्वयं चक्रवर्ती भी अखण्ड षट्खण्ड के महान् साम्राज्य को ठोकर मार कर क्यों भिक्षुजीवन स्वीकार करते ? चक्रवर्ती स्वयं अपने सुख को मोक्ष-सुख की तुलना में तुच्छ, अति तुच्छ समझता है अर्थात् धर्माराधक साधक मोक्ष प्राप्त कर शारीरिक एवं मानसिक सब प्रकार के दुःखों का अन्त कर देता है। आचार्य जिनदास कहते हैं—“सब्वेसि सारीर-माणसाणं दुक्खाणं अन्तकरा भवन्ति, वोच्चिष्णसब्वदुक्खा भवन्ति।” अर्थात् सिद्ध भगवान् समस्त शारीरिक और मानसिक दुःखों का अन्त करने वाले हैं, समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं।

सद्गुणमि— मैं श्रद्धा करता हूँ। श्रद्धा जीवननिर्माण का मूल है। श्रद्धा के बिना कोई भी मनुष्य इस संसार-सागर से पार हो जाए, यह संभव नहीं। व्यक्ति कितना भी विद्वान् हो, ज्ञानवान् हो, पण्डित हो, दार्शनिक हो किन्तु अगर उसमें सम्यक्त्व नहीं है, उसकी आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है तो विविध भाषाओं का ज्ञान तथा अनेक प्रकार की कलाओं का अभ्यास भी उसे संसार-सागर से पार नहीं कर सकता। अतः श्रद्धा ही जीवन के लिए अपूर्त है। किसी भी साध्य को प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, किन्तु श्रद्धा अथवा विश्वास दुर्लभ है—

“सद्गुण परम दुर्लभा ।”

—उत्तरा. सू. अ. ३

श्रद्धा के बिना मनुष्य अपने आपको भी नहीं पहचान सकता। श्रद्धा के बिना ज्ञान भी पंगु के सदृश हो जाता है। मेधावी तथा महान् वही होता है जिसकी रग-रग में श्रद्धा बसी हुई हो। ध्येय के प्रति एकनिष्ठ रहकर साधना करने से सफलता मिलती है। ध्येयसिद्धि में एकनिष्ठता

ही वह भूमिका है कि जिस पर सफलता का अंकुर उत्पन्न होता है, पनपता है, बढ़ता है और फलप्रद होकर कृतकृत्य बना देता है। जिस व्यक्ति की अपने ध्येय में एकनिष्ठा नहीं, दृढ़ आस्था नहीं, अटूट विश्वास नहीं, उस दुलमुल साधक का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। चाहे विद्याभ्यास हो, कलासाधना हो, व्यापार हो, उद्योग हो धर्थवा धार्मिक किया हो, सभी में एकनिष्ठ बनकर श्रद्धा एवं विश्वासपूर्वक पुरुषार्थ करने से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। श्रद्धा के दो रूप होते हैं—प्रथम सम्यक् श्रद्धा एवं दूसरी अंध श्रद्धा। सम्यक् श्रद्धा विवेकपूर्ण होती है तथा अन्ध श्रद्धा अविवेकमय होती है। दोनों का उद्गमस्थान मानव का हृदय है। जैसे गी के स्तनों से विवेकी मानव दूध प्राप्त कर लेता है और जोकि नामक जीव रक्त प्राप्त करता है। स्थान तो एक ही है। एक ही खान से हीरा और कोयला, एक ही पीधे से फूल और शूल प्राप्त होते हैं। किसे क्या ग्रहण करना है, यह सब अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है।

सम्यक् श्रद्धा दो प्रकार की है—सुगुरु, सुदेव एवं सुधर्म पर श्रद्धा होना व्यवहार-समक्षित (श्रद्धा) है तथा जो साधक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्-चारित्र—इन आत्मिक गुणों में निष्ठावान् होता है, जिसे आत्मा का असली स्वरूप अवगत हो गया है और आत्मा के अनन्त सामर्थ्य पर विश्वास है, वह साधक निश्चय सम्यक्त्व का अधिकारी कहलाता है। श्रद्धा मुक्ति-महल में प्रवेश करने का प्रथम सोपान है।

वास्तव में साधना का धारातल सम्यग्दर्शन ही है। इसके अभाव में किसी भी किया के साथ धर्म शब्द नहीं जुड़ सकता। साधक प्रस्तुत पाठ में प्रतिज्ञा करता है कि वीतराग के बताए धर्म पर मैं श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ अर्थात् धर्म में विश्वास करता हूँ, प्रीति करता हूँ एवं रुचि करता हूँ आदि।

फासेमि-पालेमि-अणुपालेमि—जैनदर्शन केवल श्रद्धा एवं प्रतीति को ही साध्य की सिद्धि में हेतुभूत नहीं मानता है। प्रथम सोपान पर चढ़कर वहीं जमे रहने से मुक्ति-महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता। आगमकारों ने साधक को संकेत दिया है कि आत्म-सिद्धि के लिए सम्यक्-श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना होगा, ऊपर चढ़ना होगा और यह प्रतिज्ञा भी करनी होगी कि मैं धर्म का स्पर्श करता हूँ, जीवन पर्यन्त प्रत्येक स्थिति में उसका पालन करता हूँ अर्थात् अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्वीकृत धर्माचार की रक्षा करता हूँ। पूर्व प्राप्त पुस्तों द्वारा आचरित धर्म का दृढ़तापूर्वक प्रतिपल पालन करता हूँ।

इस प्रतिज्ञा की मुमुक्षु साधक बार-बार पुनरावृत्ति करता रहता है। तभी वह अपने ध्येय में सफल हो सकता है। जैसे दर्जी खण्ड पट को अखण्ड रूप देने के लिए सुई के साथ धागा भी लेता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व (श्रद्धा) के साथ आचरण की भी अनिवार्यता है।

अभद्रिप्रोमि—प्रस्तुत पाठ में साधक यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं धर्म की श्रद्धा, प्रीति, प्रतीति, स्पर्शना, पालना तथा अनुपालना करता हुआ धर्म की आराधना में सम्यक् प्रकारेण अभ्युत्थित होता हूँ अर्थात् तैयार होता हूँ, धर्माराधना के क्षेत्र में दृढ़ता के साथ खड़ा होता है।

ज-परिज्ञा एवं प्रत्याख्यान-परिज्ञा—आचाराङ्ग आदि आगम साहित्य में दो प्रकार की परिज्ञाओं का उल्लेख आता है—एक ज-परिज्ञा, दूसरी प्रत्याख्यान-परिज्ञा। ज-परिज्ञा का अर्थ है

हेय-उपादेय-ज्ञेय पदार्थ को स्वरूपतः जानना। प्रत्याख्यान-परिज्ञा का अर्थ है हेय का प्रत्याख्यान करना, छोड़ना। प्रत्याख्यान के भी दो प्रकार हैं—१. सुप्रत्याख्यान एवं २. दुष्प्रत्याख्यान।

प्रत्याख्यान का स्वरूप तथा जिसका प्रत्याख्यान किया जाता है उन पदार्थों का स्वरूप जानकर प्रत्याख्यान करना सुप्रत्याख्यान है। इसके विपरीत प्रत्याख्यान अर्थात् स्वरूप जानेसमझे बिना किया जाने वाला प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है।

असंयम, प्राणातिपात आदि, अब्रह्मचर्य-मंथुनवृत्ति, अकल्प-अकृत्य, अज्ञान-मिथ्याज्ञान, अक्रिया-असत्क्रिया, मिथ्यात्व आदि आत्मविरोधी प्रतिकूल आचरण को त्याग कर संयम, ब्रह्मचर्य, कृत्य, सम्यग्ज्ञान आदि को स्वीकार करते हुए यह आवश्यक है कि पहले असंयम आदि का स्वरूप ज्ञात कर लिया जाय। जब तक यह पता नहीं चलेगा कि असंयम आदि क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनके होने से क्या हानि है तथा उन्हें त्यागने से साधक को क्या लाभ है, तब तक उन्हें त्यागा कैसे जाएगा? अतः प्रत्याख्यान-परिज्ञा से पहले ज्ञ-परिज्ञा अत्यन्त आवश्यक है। अज्ञानी साधक की कठोर से कठोर क्रियाएँ एवं उग्र से उग्र बाह्य साधना भी संसार-परिभ्रमण का ही कारण होती है।

प्रस्तुत पाठ में 'असंजमं परियाणामि, संजमं उवसंपञ्जामि' इत्यादि पाठ में जो 'परियाणामि' किया है उसका अर्थ न केवल जानना है और न केवल छोड़ना, अपितु सम्मिलित अर्थ है 'जानकर छोड़ना।'

आचार्य जिनदास भी कहते हैं—

"परियाणामिति ज्ञ-परिण्णया जाणामि, पञ्चकञ्चाण-परिण्णया पञ्चकञ्चामि।"

अकल्प-कल्प—कल्प का अर्थ है आचार। अतः चरण-करण रूप आचार-व्यवहार को आगम की भाषा में कल्प कहा जाता है। इसके विपरीत अकल्प होता है। साधक प्रतिज्ञा करता है कि मैं अकल्प-अकृत्य को जानता तथा त्यागता हूँ और कल्प-कृत्य को स्वीकार करता हूँ।^१

आचार्य जिनदास ने सामान्यतः कहे हुए एकविध असंयम के ही विशेष विवक्षा भेद से दो भेद किये हैं—'मूलगुण-असंयम और उत्तरगुण-असंयम।' और फिर अब्रह्म शब्द से मूलगुण-असंयम का तथा अकल्प शब्द से उत्तरगुण-असंयम का ग्रहण किया है।^२ आचार्यश्री के कथनानुसार प्रतिज्ञा का रूप इस प्रकार होता है—“मैं मूलगुण-असंयम का विवेकपूर्वक परित्याग करता हूँ और मूलगुण संयम को स्वीकार करता हूँ।”

अज्ञान-नाण—अज्ञान का अर्थ यहाँ ज्ञानावरणकर्म के उदय से होने वाला ज्ञान का अभाव नहीं अपितु मिथ्याज्ञान समझना चाहिये। ज्ञान का अभाव अर्थ लिया जाए तो उसके त्यागने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। जो है ही नहीं, उसका त्याग कैसा!

१. “अकल्पोऽकृत्यभाष्यायते कल्पस्तु कृत्यमिति।” —आचार्य हरिभद्र

२. “सो य असंजमो विसेततो दुविहो—मूलगुण-असंजमो उत्तरगुण-असंजमो य। अतो सामण्णेण भणित्वा संवेगाद्यर्थं विसेसतो चेव भणति अबंभग्गहणेण मूलगुण भण्णति त्ति एवं... अकल्पगहणेण उत्तरगुणति।” —आवश्यकचूणि

ज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम से ज्ञान प्राप्त होता है और मिथ्यात्व का उदय उसे मिथ्या बना देता है। यही मिथ्याज्ञान यहाँ अज्ञान कहा गया है। सम्यग्दर्शन-सहचर ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाता है। उसे यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है।

अकिरिया-किरिया—अक्रिया अर्थात् नास्तिकवाद को जानता तथा त्यागता हूँ। आचार्य हरिभद्र अक्रिया को अज्ञान का ही विशेष भेद मानते हैं और क्रिया को ज्ञान का भेद कहते हैं—“अक्रिया नास्तिकवादः क्रिया सम्यग्वादः।” लोक-परलोक, धर्म-धर्म आदि पर विश्वास न रखना नास्तिकवाद है। इसके विपरीत लोक-परलोक, धर्म-धर्म आदि पर विश्वास रखना आस्तिकवाद है।

आचार्य जिनदास के अनुसार—“अप्पसत्था किरिया अकिरिया, इतरा किरिया इति।” अर्थात् अयोग्य क्रिया को अक्रिया एवं प्रशस्त—योग्य क्रिया को क्रिया कहते हैं।

मिच्छत्स-सम्मत—पाप के अठारह प्रकार हैं। उनमें अन्तिम अठारहवां पाप मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व ही एक ऐसा पाप है जो समस्त पापों का पोषक, रक्षक एवं वर्धक है। इसी का फल है कि जीव को अनादि काल से जन्म-मरणादि समस्त दुःखों को सहन करना पड़ा है। जब तक मिथ्यात्व है, तब तक सभी पाप सुरक्षित हैं।

मिथ्यात्व, संसार-चक्र में फंसाये रखने वाला है और सम्यक्त्व, मोक्ष का परम सुख प्रदान कर आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है। मिथ्यात्व मारक है और सम्यक्त्व तारक है, रक्षक है। इस प्रकार साधक मिथ्यात्व एवं सम्यक्त्व का स्वरूप समझकर मिथ्यात्व का त्याग करता है और सम्यक्त्व को स्वीकार करता है।

अबोहि-बोहि—“अबोधिः—मिथ्यात्वकार्यं, बोधिस्तु सम्यक्त्वस्येति।”

—आचार्य हरिभद्र।

अबोधि मिथ्यात्व का कार्य है और बोधि सम्यक्त्व का कार्य।

असत्य का दुराग्रह रखना, संसार के कामभोगों में आसक्ति रखना, धर्म की निंदा करना, वीतराग अरिहंत भगवान् का अवर्णवाद बोलना इत्यादि मिथ्यात्व के कार्य हैं। सत्य का आग्रह रखना, संसार के कामभोगों से उदासीन रहना, धर्म के प्रति दृढ़ आस्था रखना, प्राणिमात्र पर प्रेम एवं कृणा का भाव रखना इत्यादि सम्यक्त्व के कार्य हैं। अबोधि को जानकर अर्थात् समझकर त्यागना एवं बोधि को स्वीकार करना।

अमर्ग-मर्ग—अमार्ग—हिंसा आदि अमार्ग—कुमार्ग को जानता तथा त्यागता हूँ और अहिंसा आदि मार्ग—सन्मार्ग-मोक्षमार्ग को स्वीकार करता हूँ। अथवा जिनमत से विरुद्ध पाश्वर्वस्थ निहित तथा कुतीर्थिक-सेवित अमार्ग को छोड़कर ज्ञानादि रत्नश्रय रूप मार्ग को स्वीकार करता हूँ।

जं संभरामि, जं च न संभरामि

जं पद्मिकमामि, जं च न पद्मिकमामि—मानव के मन की अनादिकालीन कामना यही रही है कि वह अपने कदम प्रगति की ओर बढ़ाये। चाहे विद्यार्थी हो अथवा व्यवसायी, चाहे कलाकार हो अथवा कोई अन्य साधक, वह चाहता यही है कि उसका निरन्तर विकास होता रहे और कदम आगे से आगे बढ़ते रहें। किन्तु एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखने की है कि मनुष्य

की वास्तविक प्रगति धन बढ़ा लेने में, प्रसिद्धि प्राप्त करने में, भौतिक ज्ञान प्राप्त करके विद्वान् कहलाने में अथवा नेता बन जाने में नहीं है, अपितु आत्मिक गुणों की वृद्धि करने में है। आत्मिक गुणों की वृद्धि के लिए अपनी भूलों का अथवा दोषों का अवलोकन करते रहना आवश्यक है। साधक जब तक छथस्थ है, धातिकर्मोदय से युक्त है, तब तक जीवन में दोषों का होना स्वाभाविक है। वह भूल या दोष जानकारी में हो सकता है अथवा अनजान में भी, अर्थात् असंयम अथवा दोष की स्मृति रहती है और कभी नहीं भी रहती है। साधक उन सबका प्रतिक्रमण करता है। इस प्रकार ज्ञानपूर्वक प्रतिक्रमण करने से साधक की प्रगति होती है।

‘जं संभरामि’ आदि से लेकर ‘जं च न पडिक्कमामि’ तक के सूत्रांश का सम्बन्ध ‘तस्स सब्वस्स देवसियस्स अइयारस्स पडिक्कमामि’ से है। प्रस्तुत सूत्र का भाव यह है कि जिनका स्मरण करता हूँ अथवा जिनका स्मरण नहीं करता हूँ, जिनका प्रतिक्रमण करता हूँ, जिनका प्रतिक्रमण नहीं करता हूँ, उन सब देवसिक अतिचारों का प्रतिक्रमण करता हूँ।

शंका—जिनका प्रतिक्रमण करता हूँ फिर भी उनका प्रतिक्रमण करता हूँ—इसका अर्थ क्या है ? प्रतिक्रमण का भी प्रतिक्रमण करना कुछ संगत प्रतीत नहीं होता ?

आचार्य जिनदास ने उपर्युक्त शंका का सुन्दर समाधान किया है। वे—‘पडिक्कमामि’ का अर्थ ‘परिहरामि’ करते हैं—

‘संघयणादि-दौर्बल्यादिना जं पडिक्कमामि-परिहरामि करणिञ्जं, जं च न पडिक्कमामि अकरणिञ्जं ।’
—आवश्यकचूणि

अर्थात् शारीरिक दुर्बलता आदि किसी विशेष परिस्थितिवश यदि मैंने करने योग्य सत्कार्य छोड़ दिया हो—अर्थात् न किया हो, और न करने योग्य कार्य किया हो तो उस सब अतिचार का प्रतिक्रमण करता हूँ।

समणोऽहं संजय-विरय पडिहय०……इस सूत्रांश का अर्थ है—“मैं श्रमण हूँ, संयम-विरत-प्रतिहत—प्रत्याख्यात पापकर्मा हूँ, अनिदान हूँ, दृष्टिसम्पन्न हूँ और मायामृषाविवर्जित हूँ।”

‘श्रमण’ शब्द ‘श्रम्’ धातु से बना है। इसका अर्थ है श्रम करना। आचार्य हरिभद्र दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की तीसरी गाथा का मर्मोद्घाटन करते हुए श्रमण का अर्थ तपस्वी करते हैं। जो अपने ही श्रम से तपः-साधना से भुक्ति-लाभ करते हैं, वे श्रमण कहलाते हैं।

संयत का अर्थ है—‘संयम में सम्यक् यतन करने वाला।’ अर्हिसा, सत्य आदि कर्तव्यों में साधक को सदैव सम्यक् प्रयत्न करते रहना चाहिये। ‘संजतो—सम्मं जतो, करणीयेषु जोगेषु सम्यक् प्रयत्नपर इत्यर्थः’।
—आवश्यकचूणि

विरत का अर्थ है—सब प्रकार के सावद्य योगों से विरति—निवृत्ति करने वाला, अर्थात् पहले किये हुए पापों की निन्दा और भविष्य काल के लिए संवर करके सकल पापों से रहित होना।

प्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा अर्थात् भूतकाल में किए गए पापकर्मों की निन्दा एवं गर्हा के द्वारा प्रतिहत (विनष्ट) करने वाला और वर्तमान तथा भविष्य में होने वाले पापकर्मों को नहीं करने

का प्रतिज्ञा रूप प्रत्याख्यान के द्वारा परित्याग करने वाला। यह विशेष साधक की ईकालिक जीवन-शुद्धि का प्रतीक है। साधना का अर्थ है—पाप कर्मों पर त्रिकाल विजयी होना। कहा भी है—‘पड़िहतं—अतीतणिदणं—गरहणादीर्हि, पञ्चकञ्चातं सेसं अकरणतया पावकम्मं पावाचारं येण सत्या।’ —आचार्य जिनदास।

अनिदान—निदान का अर्थ है—निश्चय रूप से यथेष्ट प्राप्ति की आकांक्षा। अनिदान का अर्थ है अनासक्त भाव से किया जाने वाला तप आदि अनुष्ठान। जैसे किसी व्यापारी ने लाख रुपये का सामान खरीदना चाहा, यदि उसके पास में लाख रुपये से अधिक या लाख रुपये हैं तब तो वह मनचाहा लाख रुपये का माल खरीद सकेगा। किन्तु उसके पास लाख से कम हैं तो वह लाख रुपये का माल नहीं खरीद सकेगा। इसी प्रकार यदि साधक के पास पुण्य कर्म का आधिक्य है तो निदान करने पर उसे यथेष्ट ऋद्धि प्राप्त हो सकती है अन्यथा नहीं। लेकिन वह ऋद्धि निदान करने से उसी जन्म में परिसमाप्त हो जाती है। निदान के परिणामस्वरूप आगे अधोगति में उस आत्मा को उत्पन्न होना पड़ता है। आगमकारों के कथानुसार वासुदेवों और प्रतिवासुदेवों को निदान से ही त्रिखण्ड के साम्राज्य आदि की ऋद्धि उपलब्ध होती है। तत्पश्चात् उनका अधोगमन ही होता है। इसीलिए लोकोत्तर आप्त पुरुषों का साधकों के लिए निर्देश है कि वह निदान रहित तप करे और यह प्रतिज्ञा करे कि मुझे संसार के लुभावने भोगों में कोई आसक्ति नहीं है, मेरी साधना केवल आत्मशुद्धि के लिए है, मेरा ध्येय बंधन नहीं, मुक्ति है। ऐसे दृढ़ संकल्प को लेकर साधक अपनी साधना के द्वारा साध्य की उपलब्धि कर सकता है।

दृष्टिसम्पन्न—दृष्टिसंपन्न का अर्थ है—सम्यगदर्शन रूप विशुद्ध दृष्टि से सम्पन्न। मोक्षाभिलाषी साधक के लिए शुद्ध दृष्टि का होना अनिवार्य है। क्योंकि सम्यगदर्शन के अभाव में साधक को हिताहित का सञ्चाचा विवेक नहीं हो सकता तथा धर्माधर्म, आत्मा-अनात्मा का भेद-विज्ञान भी नहीं हो सकता। सम्यग्दृष्टि साधक ही दस प्रकार के मिथ्यावादों से बच सकता है। सत्य और तथ्य का अन्वेषण शुद्ध दृष्टिसम्पन्न साधक ही कर सकता है। सम्यगदर्शन वस्तुतः सब गुणों का मूल है ‘दिद्विसम्पन्नो’—अर्थात् ‘सब्बगुण—मूलभूतगुणयुक्तत्वम्।’ —आचार्य जिनदास।

सम्यग्दृष्टि आत्मा संसार में रहकर भी सब कुछ यथावत् देख सकता है, मिथ्यादृष्टि नहीं। जैसे निर्मल कांच की पेटी में बन्द होते हुए भी अकिं बाहर के दृश्यमान पदार्थों को देख सकता है, किन्तु लोहे की पेटी में बन्द व्यक्ति नहीं देख सकता। कोई तेराक, तेरने की कला जिसको याद हो, गहरे पानी में तल तक पहुंच कर टनों पानी उसके सिर पर होने पर भी डूब नहीं सकता, किन्तु जो तेरने की कला से अनभिज्ञ है, थोड़े-से पानी में डूब सकता है। जैनदर्शन में साधना अविरतसम्यग्दृष्टि नामक चौथे गुणस्थान से ही प्रारंभ होती है।

माया-मृषाविवर्जित—माया-मृषा से रहित। माया-मृषा अठारह महापापों में सत्तरहवाँ महापाप है। तीन शल्य में प्रथम शल्य है। जैसे पैर में शूल गहरा उत्तर जाता है और दिखाई तो नहीं देता, किन्तु पथिक के कदम शूल की चुभन के कारण पथ पर बढ़ नहीं सकते, इसी प्रकार मायावी अर्थात् अपने दोषों को छिपाने वाले साधक का एक कदम भी अपनी साध्य की सिद्धि के लिए साधना पथ पर नहीं बढ़ सकता है। अंधेरे में जैसे सांप और रस्सी को नहीं पहचाना जा

सकता है, इसी प्रकार माया से भूढ़ बना व्यक्ति अधर्म और धर्म की पहचान भी नहीं कर सकता। अतः साधक को चाहिये कि वह अपने पूर्वकृत पापों की वर्तमान में आलोचना और प्रायशिच्छा के द्वारा शुद्धि कर ले। स्वस्थ शरीर में यदि फोड़ा हो जाय तो नश्तर के द्वारा डाक्टर आपरेशन करके उसका मवाद निकाल सकता है। बिना आपरेशन के यदि मलहम पट्टी कर दी जाएगी तो मवाद पूरे शरीर में भी फैल सकता है।

अङ्गाहुज्जेसु दीवसमुद्देसु………—प्रस्तुत पाठ के अन्त में अङ्गाई द्वीप, पन्द्रह कर्मभूमियों में विद्यमान समस्त साधुओं को मस्तक नमस्कार किया गया है। अभिप्राय यह है—

जम्बूद्वीप, धातकीखण्डद्वीप और अर्धं पुष्करद्वीप तथा अपहरण की अपेक्षा से लबण एवं कालोदधि समुद्र और उनमें भी पन्द्रह क्षेत्र—कर्मभूमियां ही श्रमणधर्म की साधना का क्षेत्र हैं। आगे के क्षेत्रों में न मानव हैं और न श्रमणधर्म की साधना है। अतः अङ्गाई द्वीप के मानवक्षेत्र में जो भी साधु, साध्वी रजोहरण, पूँजनी और प्रतिग्रह अर्थात् पात्र को धारण करने वाले, पांच महावतों के पालक और अठारह हजार शीलाङ्गरथ के धारक तथा अक्षत आचारवान्—आधाकर्म आदि ४२ दोषों को टालकर आहार लेने वाले, ४७ दोष टालकर आहार भोगने वाले, अखण्ड आचार को पालने वाले ऐसे स्थविरकल्पी, जिनकल्पी मुनिराजों को शिर से, मन से और मस्तक से बन्दना करता हूँ।

शिरसा, मनसा, मस्तकेन—प्रस्तुत सूत्र में ‘सिरसा, मणसा मत्थएण वन्दामि’ पाठ आता है। इसका अर्थ है—शिर से, मन से और मस्तक से बन्दना करता हूँ। प्रश्न हो सकता है कि शिर और मस्तक तो एक ही है, फिर इनका पृथक् उल्लेख क्यों किया गया? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है—शिर, समस्त शरीर में मुख्य है। अतः शिर से बन्दना करना अर्थात् शरीर से बन्दन करना। मन अन्तःकरण है, अतः यह मानसिक बन्दना का द्योतक है।

‘मत्थएण वन्दामि’ का अर्थ है—मस्तक भुकाकर बन्दना करता हूँ। यह वाचिक बन्दना का रूप है, अतएव मानसिक, वाचिक और कायिक त्रिविधि बन्दना का स्वरूप-निर्देश होने से पुनरुक्ति दोष नहीं है।

जैनधर्म के अनुसार अहंकार नीचगोत्र-कर्म के बन्ध का कारण है तथा नम्रता से उच्चगोत्र का बंध होता है। अतः जो साधक नम्र हैं, वृद्धों का आदर करते हैं, सद्गुणी के प्रति पूज्य भाव रखते हैं, वे ही उच्च हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। जैनधर्म गुणों का पुजारी है। जैनधर्म में विनय एवं नम्रता को तप कहा है। कहा है—

‘विणामो जिणसासणमूलं,’ ‘विणयमूलो धर्मो।’

विनय जिनशासन का मूल है, विनय धर्म का मूल है।

दशवेकालिक सूत्र में भी विनय का गुणान किया गया है। विनयाध्ययन में वृक्ष का रूपक देते हुए कहा है—

मूलामो खंधप्पमवो दुमस्त, खंधामो पञ्चा समुर्वेति साहा।

साह-प्पसाहा विरहंति पत्ता, तमो से पुण्यं च फलं रसो य ॥

एवं धर्मस्स विणद्यो, मूलं परमो से भोक्षो ।

जेण किती सुयं सिर्घं, निस्सेसं धारिगच्छाइ ॥ —दश. १२।१-२

अर्थात्—जिस प्रकार वृक्ष के मूल से स्कन्ध, स्कन्ध से शाखाएँ, शाखाओं से प्रशाखाएँ और फिर ऋम से पत्र, पुष्प, फल एवं रस उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार धर्मवृक्ष का मूल विनय है और उसका अन्तिम फल एवं रस मोक्ष है ।

विणद्यो सासणे मूलं, विणीद्यो संजद्यो भवे ।

विणयाड विष्पमुक्ककस्स, कद्यो धर्मो कद्यो तद्यो ॥ —आवश्यकचूर्णि

जिनशासन का मूल विनय है । विनीत साधक ही सच्चा संयमी हो सकता है । जो विनय से हीन है, उसका कैसा धर्म और कैसा तप !

शिष्य का अहंकार व उद्दण्डता एवं अनुशासनहीनता गुरु के मन को खिल कर देती है । उत्तराध्ययन सूत्र में बताया है—

रमए पंडिए सासं, हयं भद्रं व बाहए ।

बालं सम्बहु सासंतो, गलियस्सं व बाहए ॥

अर्थात्—जैसे उत्तम धोड़े का शिक्षक प्रसन्न होता है, वैसे ही विनीत शिष्यों को ज्ञान देने में गुरु प्रसन्न होते हैं । किन्तु दुष्ट धोड़े का शिक्षक और अविनीत शिष्य के गुरु खेदखिल होते हैं ।

नम्रता मानव-जीवन का सुन्दर आभूषण है । इससे मनुष्य के गुण सौरभपूर्ण हो जाते हैं । विनम्रता जीवन का महान् गुण है । प्रस्तुत सूत्र में अखण्ड आचार—चारित्र को पालने वाले मुनिराजों को साधक शिर से, मन से और मस्तक से बन्दन करता है, अथवा ‘बन्दन करता हूँ’ ऐसी प्रतिज्ञा करता है ।

अठारह हजार शीलांग—शास्त्रकारों ने अठारह हजार शील-अंगों की व्याख्या इस प्रकार की है—

जोगे करणे सणा, इंदिय भोम्भाइ सभणधस्मेय ।

झणोण्णेहि अवभस्था, अटारह सीलसहस्राइ ॥

अर्थात्—तीन योग, तीन करण, चार संज्ञाएँ, पांच इन्द्रियां, दस प्रकार के पृथ्वीकाय आदि जीव और दस श्रमणधर्म—इन सबका परस्पर गुणाकार करने से शील के १८ हजार भेद होते हैं ।

‘शील’ का अर्थ है ‘आचार’ । भेदानुभेद की दृष्टि से आचार के अठारह हजार प्रकार होते हैं । दसविधि श्रमणधर्म—क्षमा, निर्लोभता, सरलता, मृदुता, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग एवं ब्रह्मचर्य । दशविधि श्रमणधर्म के धारक मुनि, पृथ्वीकाय आदि पांच स्थावरों एवं द्वीन्द्रिय आदि चार त्रसों और एक अजीव—इस प्रकार दश का आरम्भ नहीं करते हैं ।

अठारह हजार शीलाङ्ग रथ इस प्रकार हैं—१. पृथ्वीकाय आरंभ, २. अप्काय आरम्भ, ३. तेजस्काय आरंभ, ४. वायुकाय आरंभ, ५. वनस्पतिकाय आरंभ, ६. द्वीन्द्रिय आरंभ, ७. श्रीन्द्रिय आरंभ, ८. चतुरिन्द्रिय आरंभ, ९. पञ्चेन्द्रिय आरंभ, १०. अजीव आरंभ । ये दस भेद क्षान्ति के हुए, इसी प्रकार मुक्ति, आर्जव, यावत् ब्रह्मचर्य के ये सब श्रोत्रेन्द्रिय के साथ १०० भेद हुए, इसी प्रकार

चक्षुरिन्द्रिय के १००, ध्राणेन्द्रिय के १००, रसनेन्द्रिय के १००, स्पर्शेन्द्रिय के १००, ये सब आहार-संज्ञा के ५०० भेद हुए, इसी प्रकार भयसंज्ञा के ५००, मैथुनसंज्ञा के ५००, परिग्रहसंज्ञा के ५००, ये सब २००० भेद हुए, इन्हें न करने, न कराने और न अनुभोदन करने के द्वारा तिगुणा करने पर ६००० भेद हुए, फिर इन्हें मन वचन और काया से तिगुणा करने पर १८००० भेद शीलाङ्गरथ के होते हैं।

बड़ी संलेखना का पाठ

अह भंते ! प्रपञ्चमारणंतिय संलेहणा भूसणा आराहणा पौष्टिकाला, पूंजे, पूंज के उच्चार-पासदण्डभूमिका पठिलेहे, पठिलेह के, गमगागमजे, पठिलकमे, पठिलकम के, दर्भादिक संथारा संथारे, संथार के दर्भादिक संथारा दुरुहे, दुरुह के पूर्व तथा उत्तर दिशा सम्मुख पल्यांकादिक आसन से बैठे, बैठ के 'करयत्संपरिग्राहियं सिरसावतं मत्येऽ अंजालि कट्टु' एवं वयसी 'नमोत्थुं परिहृताणं भगवत्ताणं जाव संपत्ताणं' ऐसे अनन्त सिद्ध भगवान् को नमस्कार करके, 'नमोत्थुं परिहृताणं भगवत्ताणं जाव संपादित्तकामाणं' जयवन्ते वर्तमान काले महाविदेह ध्रुव में विचरते हुए तीर्थकर भगवान् को नमस्कार करके अपने धर्माचार्यंजी भगवान् को नमस्कार करता हूँ। साधु साध्यो प्रभुक चारों तीर्थ को खामाकर, सर्वं जीवराशि को खामाकर, पहुँले जो वत आवरे हैं उनमें जो अतिचार दोष लगे हों, वे सर्वं आलोच्य के, पठिलकम के, निम्ब के निःशल्य होकर के, सर्वं पाणाइवायं पञ्चवक्खामि, सर्वं मुसादायं पञ्चवक्खामि, सर्वं आदिष्णादायं पञ्चवक्खामि, सर्वं भेदुणं पञ्चवक्खामि, सर्वं परिग्रहं पञ्चवक्खामि, सर्वं कोहं माणं जाव मिछ्छावंसणसल्लं पञ्चवक्खामि, सर्वं अकरणिङ्गं जोगं पञ्चवक्खामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं न करेमि, न कारवेमि, करंतंपि अन्नं न समजुआणामि मणसा, वयसा, कायसा ऐसे अठारह पापस्थानक पञ्चवक्ष कर, सर्वं असणं पाणं, छाइमं, साइमं, छउच्छिहंपि आहारं पञ्चवक्खामि जावज्जीवाए ऐसे चारों आहार पञ्चवक्ष कर जं पि य इमं शरीरं इदृं, कंतं, पिं, मणुष्णं, मणामं, धिज्जं, विसासियं सम्मयं, अणुमयं, बहुमयं भण्डकरण्डसमाणं रयणकरण्डभूयं, मा णं सीयं, मा णं उण्हं, मा णं बुहा, मा णं विवासा, मा णं बाला, मा णं चोरा, मा णं बंसमसगा, मा णं बाइयं पित्तियं, कण्पियं, संभीयं, सण्णिवाइयं विविहा रोगायंका परिसहा उवसगा फासा फुसन्तु, एवं पि य णं चरमेहं उस्सासणिस्सासेहं बोसिरामि ति कट्टु ऐसे शरीर को बोसिरा कर कालं शणवकंडमणे विहरामि, ऐसी मेरी सद्दहणा, प्रखणणा तो है, फरसना करूँ तब शुद्ध होऊँ, ऐसे प्रपञ्चम मारणंतिय संलेहणा, भूसणा, आराहणा ए पंच अहियारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा ते आलोऊँ इहूलोगा-संसप्पद्गोगे, परलोगासंसप्पद्गोगे, जीवियासंसप्पद्गोगे, मरणासंसप्पद्गोगे, कामभोगासंसप्पद्गोगे, तस्स मिच्छा मि दुष्कर्दं ।

भावार्थ—मृत्यु का समय निकट आने पर संलेखना तप का प्रीति पूर्वक सेवन करने के लिए सर्वप्रथम पौष्टिकाला का प्रभार्जन करे। मल-मूत्र त्यागने की भूमि का प्रतिलेखन करे। चलने-फिरने की क्रिया का प्रतिक्रमण कर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पल्यंक (पालथी) आदि आसन लगाकर दर्भादिक के आसन पर बैठे और हाथ जोड़ कर शिर से आवर्तन करता हुआ

मस्तक पर हाथ जोड़कर “नमोत्थुणं अरिहंताणं भगवंताणं जाव संपत्ताणं” इस प्रकार बोलकर सिद्ध भगवान् को नमस्कार करे। तत्पश्चात् “नमोत्थुणं अरिहंताणं भगवंताणं जाव संपावित्कामाणं” ऐसा बोलकर वर्तमान काल में महाविदेह क्षेत्र में जो तीर्थकर विचर रहे हैं, उनको नमस्कार करे। फिर अपने धर्मचार्य जी महाराज को नमस्कार करे। साषु-साध्वी, श्रावक-श्राविका इस प्रकार चतुर्विधि संघ से क्षमायाचना करे, पुनः समस्त जीवों से क्षमा मांगे। पहले धारण किये हुए व्रतों में जो अतिथार लगे हों उनकी आलोचना और निन्दा करे। सम्पूर्ण हिंसा, भूठ, चोरी, अबहृचर्य (मैथुन) और परिग्रह - इन पांच पापों का तथा कोध, मान, माया, लोभ यावत् मिथ्यादर्शन शत्य आदि अठारह पापस्थानों का तथा सम्पूर्ण पापजन्य योग का तीन करण और तीन योग से त्याग करे। जीवनपर्यन्त चारों प्रकार के आहार का त्याग करे। इसके पश्चात् जो अपना शरीर मनोज्ञ है, उस पर से ममत्व हटावे और संलेखना संबंधी पापों अतिचारों को दूर करके शुद्ध अनशन करे। इस प्रकार श्रद्धा और प्ररूपणा की शुद्धि के लिये नित्य पाठ करे और अन्तिम समय में स्पर्शना द्वारा शुद्ध हो।

विशिष्ट शब्दों का अर्थ इस प्रकार है—इट्ठं—इष्ट, इच्छानुकूल। कंतं—कमनीय। पियं—प्रिय, प्यारा। मणुणं—मनोज्ञ, मनोहर। मणामं—अत्यन्त मनोहर। धिङं—धारण करने योग्य, धैर्यशाली। विसासियं—विश्वास करने योग्य। संमयं—सन्मान को प्राप्त। अणुमयं—विशेष सम्मान को प्राप्त, बहुमयं—बहुत सन्मान को प्राप्त। भण्डकरण्डगसमाणं—आभूषणों के करण्डक (डिबे) के समान। रणकरण्डगभयं—रत्नों के करण्डक के समान। मा णं सीयं—शीत (सर्दी) न हो। मा णं उण्हं—उष्णता (गर्मी) न हो। मा णं खुहा—भूख न लगे। मा णं पिवासा—प्यास न लगे। मा णं बाला—सर्प न काटे। मा णं चोरा—चोरों का भय न हो। मा णं बंसमसणा—डांस और मच्छर न सतावें। मा णं वाहियं—व्याघ्रियां न हों। पितियं—पित्त। कफ्यं—कफ। संभीमं—भयंकर। सम्भिवाइयं—सम्भिपात। विविहा—अनेक प्रकार के। रोगायंका—रोग और आतंक। परिसहा—क्षुधा आदि का कष्ट। उवसग्ना—उपसर्ग (देव, तिर्यच आदि द्वारा दिया गया कष्ट।) कासा फुसन्तु—सम्बन्ध करें। चरमेहिं—अन्त के। उत्सासनिस्त्सासेहिं—उच्छ्वासनि:श्वासों (श्वासोच्छ्वासों) से। बौसिरामि—त्याग करता हूँ। ति कट्टु—ऐसा करके। कालं अणवकंखमाणे—काल की आकांक्षा (वांछा) नहीं करता हुआ। विहरामि—विहार करता हूँ, विचरण करता हूँ। इहलोगासंसप्तप्योगे—इस लोक के चक्रवर्ती आदि के सुखों की इच्छा करना। परलोगासंसप्तप्योगे—परलोक सम्बन्धी इन्द्र के सुखों की इच्छा करना। जीवियासंसप्तप्योगे—जीवित रहने की इच्छा करना। भरणासंसप्तप्योगे—महिमा, पूजा न देखकर अथवा विशेष दुःख होने से मरने की इच्छा करना। कामभोगासंसप्तप्योगे—कामभोगों की इच्छा करना। मा—मत। मञ्भ—मेरे। हुज्ज—हो। मरणते वि—मृत्यु हो जाने पर भी। सद्गुप्तवर्णन्मि—श्रद्धा प्ररूपण में। अभाहामादो—विपरीत भाव।

पांचों पदों की वर्णना

पहले पद श्री अरिहन्त भगवान् जघन्य बीस तीर्थकरजी, उत्कृष्ट एक सौ साठ तथा एक सौ सत्तर देवाधिदेवजी, उनमें वर्तमान काल में बीस विहरमान जी महाविदेह क्षेत्र में विचरते हैं। एक हजार आठ लक्षण के धरणहार, चौतीस अतिशय, पेंतीस बाणी गुणों करके विराजमान, चौसठ इन्द्रों के

बन्दनीय, अठारह दोष रहित, बारह गुण सहित, अनन्त ज्ञान, अनन्तं चारित्र, अनन्त बलवीर्य, अनन्त सुख, दिव्यध्वनि, भाषण्डल, स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, कुमुमवृष्टि, देवदुन्दुभि, छत्र धरावे, चंवर विजावे, पुरुषाकार पराक्रम के धरणहार, अहाई द्वीप पन्द्रह क्षेत्र में विचरे, जघन्य दो करोड़ केवली और उत्कृष्ट नव करोड़ केवली, केवलज्ञान केवलदर्शन के धरणहार, सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के जाननहार—

ऐसे श्री अरिहंत भगवन्त महाराज आपकी दिवस एवं रात्रि संबंधी अविनय आशातना की हो तो है अरिहंत भगवन् ! मेरा अपराध बारंबार क्षमा करिये । हाथ जोड़, मान मोड़, शीश नमाकर तिक्खुतो के पाठ से १००८ बार नमस्कार करता हूँ ।

(यहां तिक्खुतों का पाठ बोलना)

आप मंगलिक हो, उत्तम हो, हे स्वामिन् ! हे नाथ ! आपका इस भव, परभव एवं भव-भव में सदाकाल शरण हो ।

दूसरे पद श्री सिद्ध भगवान् पन्द्रह भेदे अनन्त सिद्ध हुए हैं—तीर्थसिद्धा, अतीर्थसिद्धा, तीर्थकरसिद्धा, अतीर्थकरसिद्धा, स्वयंबुद्धसिद्धा, प्रत्येकबुद्धसिद्धा, बुद्धबोधितसिद्धा, स्त्रीलिंगसिद्धा, पुरुषलिंगसिद्धा, नपुंसकलिंगसिद्धा, स्वलिंगसिद्धा, अन्यलिंगसिद्धा, गृहस्थलिंगसिद्धा, एकसिद्धा, अनेकसिद्धा । जहां जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुःख नहीं, दारिद्र्य नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, चाकर नहीं, ठाकर नहीं, भूख नहीं, तृष्णा नहीं, ज्योत में ज्योत विराजमान, सकल कार्य सिद्ध करके चवदे प्रकारे पन्द्रह भेदे अनन्तसिद्ध भगवान् हुए हैं । अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, अनन्तसुख, अटल अवगाहना, अमूर्तिक, अगुरुलघु, अनन्तवीर्य, ये आठ गुण करके सहित हैं ।

ऐसे श्री सिद्ध भगवन्त जी महाराज आपकी दिवस सम्बन्धी अविनय आशातना की हो तो बारम्बार हे सिद्ध भगवान् ! मेरा अपराध क्षमा करिये । हाथ जोड़, मान मोड़, शीश नमा कर, तिक्खुतो के पाठ से १००८ बार नमस्कार करता हूँ । यावत् भव-भव सदा काल शरण हो ।

तीसरे पद श्री आचार्य महाराज छत्तीस गुण करके विराजमान हैं, पांच महाव्रत पाले, पांच आचार पाले, पांच इन्द्रिय जीते, चार कषाय टाले, नववाड़ सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य पाले, पांच समिति, तीन गुप्ति शुद्ध आराध्ये, ये छत्तीस गुण और आठ सम्पदा (१. आचारसम्पदा, २. श्रुत—सम्पदा, ३. शरीरसम्पदा, ४. वचनसम्पदा, ५. वाचनासम्पदा, ६. मतिसम्पदा, ७. प्रयोगमति-सम्पदा, ८. परिज्ञासम्पदा) सहित हैं ।

ऐसे आचार्य महाराज न्यायपक्षी, भद्रिक परिणामी, त्यागी, वैरागी, महागुणी, गुणानुरागी हैं । ऐसे श्री आचार्य जी महाराज आपकी दिवस एवं रात्रि संबंधी अविनय आशातना की हो तो बारम्बार मेरा अपराध क्षमा करिये । हाथ जोड़, मान मोड़, शीश नमाकर तिक्खुतो के पाठ से १००८ बार नमस्कार करता हूँ यावत् भव-भव सदा काल शरण हो ।

चौथे पद श्री उपाध्याय जी महाराज पच्चीस गुण करके सहित (ग्यारह अङ्ग, बारह उपांग चरणसत्तरी, करणसत्तरी इन से युक्त) हैं तथा अङ्ग-उपांग सूत्रों को मूल अर्थ सहित जानें ।

ग्यारह अंग—आचारांग, सूयगडांग, ठाणांग, समवायांग, विवाहपञ्चति (भगवती), णायाधम्मकहा (ज्ञाताधर्मकथा), उपासकदसा, अंतगडदसा, अणुत्तरोवदाई, पण्हावागरणा (प्रश्नव्याकरण), विवाग-सुयं (विपाकश्रुत) ।

बारह उपांग—उवदाई, रायप्पसेणी, जीवाजीवाभिगम, पञ्चवणा, जम्बुदीवपञ्चति, चन्दपञ्चति, सूरपञ्चति, निरयावलिया, कप्पवडंसिया, पुफ्क्या, पुफ्क्वूलिया, वल्लिदशा ।

चार मूलसूत्र—उत्तरज्ञभयणं (उत्तराध्ययन), दसवेयालियसुतं (दशवेकालिकसूत्र) यंदी सुतं (नन्दीसूत्र) अणुओगद्वार (अनुयोगद्वार) ।

चार छेदसूत्र—दसासुयकखंधो (दशाश्रुतस्कंध), विहक्कप्पो (बृहत्कल्प), ववहारसुतं (व्यवहारसूत्र), णिसीहसुतं (निशीथसूत्र) और बत्तीसवां आवस्सगं (आवश्यक) तथा सात नय, चार निषेक्ष, स्वमत और परमत के जानकार, जिन नहीं पर जिन सरीखे, केवली नहीं पर केवली सरीखे ।

ऐसे श्री उपाध्याय जी महाराज मिथ्यात्व रूप अंधकार के भेटनहार, समकित रूप उद्योत के करनहार, धर्म से डिगते हुए प्राणी को स्थिर करे, सारए, वारए, धारए, इत्यादि अनेक गुण करके सहित हैं ऐसे श्री उपाध्याय जी महाराज आपकी दिवस एवं रात्रि सम्बन्धी अविनय आशातना की हो तो बारम्बार है उपाध्यायजी महाराज ! भेरा अपराध क्षमा करिये, हाथ जोड़, मान मोड़, शीश नमाकर, तिक्खुतो के पाठ से १००८ बार नमस्कार करता हूँ (करती हूँ) । यावत् भव-भव सदा काल शरण हो ।

पांचवें पद 'णमो लोए सब्बसाहूण' अद्वाई द्वीप पन्द्रह क्षेत्र रूप लोक में सर्व साधुजी महाराज जघन्य दो हजार करोड़, उत्कृष्ट नव हजार करोड़ जयवन्त विचरें, पांच महावत, पांच इन्द्रिय जीतें, चार कषाय टालें, भावसच्चे, करणसच्चे, जोगसच्चे, क्षमावन्ता वैराग्यवन्ता, मन-समाधारणिया, वयसमाधारणिया, कायसमाधारणिया, नाणसंपत्ता, दंसणसंपत्ता, चारित्रसंपत्ता, वेदनीयसमाध्रहियासनीया, मरणान्तियसमाध्रहियासनीया, ऐसे सत्ताईस गुण करके सहित हैं । पांच आचार वाले, छः काय की रक्षा करें, आठ मद छोड़ें, दश प्रकार यति धर्म धारें, बारह भेदे तप करें, सत्रह भेदे संयम पालें, बाबीस परिषह जीतें, बयालीस दोष टालकर आहार पानी लेवें, सेतालीस दोष टालकर भोगवें, बावन अनाचार टालें, तेहिया आवे नहीं, नेतिया जीमे नहीं, सचित के त्यागी, अचित्त के भोगी इत्यादि मोह ममता रहित हैं ।

ऐसे मुनिराज महाराज आपकी दिवस सम्बन्धी अविनय आशातना की हो तो बारम्बार है मुनिराज ! भेरा अपराध क्षमा करिये । हाथ जोड़, मान मोड़, शीश नमाकर, तिक्खुतो के पाठ से १००८ बार नमस्कार करता हूँ (करती हूँ), यावत् भव-भव में सदा काल शरण हो ।

दर्शनसम्यकस्त्र का पाठ

शरिहम्मो भह देवो, जावल्जीवं सुसाहुणो गुरुणो ।
जिगप्पतं तत्तं, इय सम्मतं यए वहियं ॥
परमस्पतंयवो वा सुद्धिपरमस्पतेवणा वावि ।
वावण-कुवंसण-वर्जणा वा सम्मतसहृणा ॥

इग्र सम्भत्तस्त पंच आह्यारा पेयाला जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा ते आलोडँ—संका, कंखा, चितिगिर्छाला, पर-पासंडपसंसा, परपासंडसंथवो ।

इस प्रकार श्री समकित रत्न पदार्थ के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोडँ—

१. श्री जिनवचन में शंका की हो,
२. परदशन की आकांक्षा की हो,
३. परपाखंडी की प्रशंसा की हो,
४. परपाखंडी का परिचय किया हो,
५. धर्मफल के प्रति संदेह किया हो,

ऐसे मेरे सम्यक्त्व-रत्न पर मिथ्यात्व रूपी रज-मैल लगा हो तो तस्स मिळ्ढा मि दुक्कडँ ।

भावार्थ—राग-द्वेष आदि आध्यात्मिक शास्त्रों को जीतने वाले वीतराग अरिहंत भगवान् मेरे देव है, जीवन पर्यन्त संयम की साधना करने वाले निर्गन्ध गुरु हैं तथा वीतरागकथित अर्थात् श्री जिनेश्वर देव द्वारा उपदिष्ट अर्हिसा, सत्य आदि ही मेरा धर्म है। यह देव, गुरु, धर्म पर श्रद्धा-स्वरूप सम्यक्त्व व्रत मैंने यावज्जीवन के लिए ग्रहण किया है एवं मुझको जीवादि पदार्थों का परिचय हो, भली प्रकार जीवादि तत्त्वों को तथा सिद्धान्त के रहस्य को जानने वाले साधुओं की सेवा प्राप्त हो, सम्यक्त्व से भ्रष्ट तथा मिथ्यात्वी जीवों की संगति कदापि न हो, ऐसी सम्यक्त्व के विषय में मेरी श्रद्धा बनी रहे।

मैंने वीतराग के वचन में शंका की हो, जो धर्म वीतरागद्वारा कथित नहीं है, उसकी आकांक्षा की हो, धर्म के फल में संदेह किया हो, या साधु-साध्वी आदि महात्माओं के वस्त्र, पात्र, शरीर आदि को मलिन देखकर घृणा की हो, परपाखण्डी का चमत्कार देखकर उसकी प्रशंसा की हो तथा परपाखण्डी से परिचय किया हो तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ। मेरा वह सब पाप निष्फल हो।

गुरु-गुण-स्मरणसूत्र

पंचिदिय-संवरणो, तह नवविह-बंधवेर-गुत्तिधरो ।

चउविह-कसाय-मुक्तो, इग्र अट्ठारस-गुणेहि संजुत्तो ॥

पंच महाव्यय-जुत्तो, पंचविहायार-पालण-समत्थो ।

पंच-समिग्नो-तिगुत्तो, छत्सीसगुणो गुरु मज्जम् ॥

भावार्थ—पांच इन्द्रियों के वैषयिक चांचल्य को रोकने वाले, ब्रह्मचर्य की नवविधि गुप्तियों को—नी वाड़ों को धारण करने वाले, क्रोध आदि चार प्रकार के कषायों से मुक्त इस प्रकार अठारह गुणों से संयुक्त, अर्हिसा आदि पांच महाव्रतों से युक्त, पांच आचारों को पालने में समर्थ, पांच समिति और तीन गुप्ति को धारण करने वाले, इस प्रकार उक्त छत्तीस गुणों वाले श्रेष्ठ साधु मेरे गुरु हैं।

दोहा

अनन्त चौबीसी जिन नमूँ, सिद्ध अनन्ते कोड़ ।

केवलज्ञानी गणधरा, बन्दूँ बे कर जोड़ ॥ १ ॥

दोय कोडि केवलधरा, विहरमान जिन बीस ।
 सहस्र युगल कोडि नमूं, साषु नमूं, निशदीश ॥ २ ॥
 धन साषु, धन साष्ठी, धन-धन है जिनधर्म ।
 ये समर्था पातक भरे, टूटे आठों कर्म ॥ ३ ॥
 अरिहन्त सिद्ध समरूँ सदा, आचारज उपाध्याय ।
 साषु सकल के चरण को, बन्दूँ शीश नवाय ॥ ४ ॥
 शासननायक सुमरिये, भगवन्त वीर जिणं ।
 अलिय विघ्न दूरे हरे, आपे परमानन्द ॥ ५ ॥
 अगुष्ठे अमृत बसे, लघि तणा भण्डार ।
 श्री गुरु गौतम सुमरिये, वंछित फल दातार ॥ ६ ॥
 गुरु गोविन्द दोनों खडे, किसके लागूँ पाय ।
 बलिहारी गुरुदेव की, गोविन्द दियो बताय ॥ ७ ॥
 लोभी गुरु तारे नहीं, तिरे सो तारणहार ।
 जो तूँ तिरियो चाह तो, निर्लोभी गुरु धार ॥ ८ ॥
 साषु सती ने शूरमा, जानी ने गजदन्त ।
 इतना पीछा ना हटे, जो जुग जाय पडन्त ॥ ९ ॥
 गुरु दीपक गुरु चांदणी, गुरु बिन घोर अन्धार ।
 पलक न विसरूँ तुम भणी, गुरु मुझ प्राण आधार ॥ १० ॥

सामग्रासूत्र-

आयरिय-उबड़भाए, सीसे साहम्निए कुल-गणे य ।
 जे मे कई कसाया, सध्ये तिविहेण खामेमि ॥ १ ॥
 सब्बस्त्र समणसंघस्त्र, भगवद्ग्रो अंजलि करिग्र सीसे ।
 सब्बं खमावइत्ता, खमामि सब्बस्त्र अहयंपि ॥ २ ॥
 सब्बस्त्र जीवरासिस्त्र, भावद्ग्रो धन्मन्तिहियनियचित्तो ।
 सब्बं खमावइत्ता, खमामि सब्बस्त्र अहयंपि ॥ ३ ॥
 (मरणसमाधि-प्रकोर्कं और संस्तारक-प्रकोर्कं)

रागेण व होसेण व, अहवा अक्यण्णुणा पडिनिवेसेण ।
 जं मे कि चि वि अणिअं, तमहं तिविहेण खामेमि ॥ ४ ॥

भावार्थ—आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, साध्मिक, कुल और गण, इनके ऊपर मैंने जो कुछ कथाय किये हों, उन सबसे मैं मन, वचन और काया से क्षमा चाहता हूँ ॥ १ ॥

अञ्जलिबद्द दोनों हाथ जोड़कर समस्त पूज्य मुनिगण से मैं अपने अपराध की क्षमा चाहता हूँ और मैं भी उन्हें क्षमा करता हूँ ॥ २ ॥

धर्म में चित्त को स्थिर करके सम्पूर्ण जीवों से मैं अपने अपराध की क्षमा चाहता हूँ और स्वयं भी उनके अपराध को क्षमा करता हूँ ॥ ३ ॥

राग-द्वेष, अकृतज्ञता अथवा आश्रह वश मैंने जो कुछ भी कहा हो, उसके लिए मैं मन, वचन काया से सभी से क्षमा चाहता हूँ ॥ ४ ॥

खामेनि सब्बे जीवा, सब्बे जीवा खमंतु मे ।

मिती मे सब्बभूएसु', वेरं मज्जं न केणइ ॥

एवमहं आलोहय, निविय गरिहिय दुर्गंछियं सम्मं ।

तिविहेण पदिक्कंतो, खंदामि जिणे खड्डीसं ॥

भावार्थ—मैंने किसी जीव का अपराध किया हो तो मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। सभी प्राणी मुझे क्षमा करें। संसार के प्राणिमात्र से मेरी मित्रता है, मेरा किसी से वेर-विरोध नहीं है।

मैं अपने पापों की आलोचना, निन्दा, गर्हा, और जुगृप्सा के द्वारा तीन प्रकार से अर्थात् मन, वचन और काय से प्रतिक्रमण कर, पापों से निवृत्त होकर चौबीस तीर्थकर देवों को बन्दना करता हूँ।

विवेचन—मन भावनाओं का भण्डार है। इसमें असंख्य शुभाशुभ भावनाएँ विद्यमान रहती हैं और इन शुभाशुभ भावनाओं के फलस्वरूप हर क्षण अनन्तानन्त कर्म-परमाणुओं का आत्मा के साथ बन्ध होता रहता है। शुभ भावनाओं से शुभ कर्मों का और अशुभ भावनाओं से अशुभ कर्मों का। इन बन्धनों के कारण ही आत्मा अनादि काल से चौदह राजू परिमित लोक में, चौरासी लाख जीवयोनियों में परिभ्रमण करता हुआ पौदगलिक अस्थायी सुख-दुःखों का भोग भी करता आ रहा है। सुख की अपेक्षा आत्मा ने दुःख एवं पीड़ाएँ बहुत सहन की हैं। कोटानुकोटि जन्मों के बाद आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, मानव जन्म, आदि दस बोलों की जीव को प्राप्ति हुई है और साथ ही वीतराग वाणी श्रवण करने का तथा संत-समागम का सुअवसर भी प्राप्त हुआ है। अब आवश्यकता है अटल आस्था के साथ कर्म और आत्मा अर्थात् जड़-चेतन के स्वरूप को समझकर आत्म-उत्थान के हेतुओं को जीवन में उतारने की।

आत्मकल्याण के कारणों में प्रथम हेतु क्षमा-धर्म ही है। शास्त्र का वचन है—

दसविहे समणधम्मे पण्णते, तंजहा—१. खंती, २. मुत्ती, ३. ग्रज्जवे, ४. मह्वे, ५. लाघ्वे,
६. सञ्चे, ७. संयमे, ८. तवे, ९. चियाए, १०, बंभच्चेरवासे ।

— समवायांगसूत्र

क्षमाश्रमण भगवान् महावीर ने दस प्रकार के यतिधर्मों में सर्वप्रथम क्षमा को ही बताया है। साधक जीवन में क्षमाधर्म की अनिवार्य आवश्यकता है। क्षमा के अभाव में व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सुख-शान्तिमय जीवन नहीं जी सकता है। वास्तव में 'क्षमा' मनुष्य का नैसर्गिक गुण है, इसे किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को छोड़ना नहीं चाहिये। क्षमा तथा प्रेम के प्रभाव से कूर हृदय भी बदले जा सकते हैं। कहा भी है—

"क्षमा वशीकृतिलोके क्षमया कि न साध्यते ?"

—सुभाषितसंचय

अर्थात् क्षमा संसार में वशीकरण मंत्र है, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता ? सबसे बड़ा तप क्षमा ही है। 'क्षान्तितुल्यं तपो नास्ति'—क्षमा के बराबर दूसरा तप नहीं है।

अपनी आत्मा के अभ्युदय का दृढ़ संकल्प रखने वाले साधक निश्चय ही मन को संयत बनाने में अर्थात् क्षमा करने में समर्थ होते हैं। भोगों के प्रलोभन उन्हें आकृषित नहीं कर सकते, लालसाएँ उन्हें भावित नहीं कर पातीं तथा भीषण विपत्तियां और संकट उन्हें व्याकुल नहीं कर सकते। संयत व्यक्ति के हृदय पर लोभ के आक्रमण-प्रहार वेगसर हो जाते हैं तथा क्रोध की अग्नि उसके क्षमासागर में आकर समाप्त हो जाती है। ऐसा पुरुष शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक सिद्धान्तों का समन्वय करके जिन-प्ररूपित नियमों के अनुसार साधना-रत रहता है। साधना-निरत व्यक्ति से कभी छिपस्थ अवस्था के कारण जाने-अनजाने यदि भूल हो जाए तो वह तत्काल अपने अपराधों की सरल हृदय से क्षमायाचना कर लेता है।

प्रतिक्रमण की परिसमाप्ति पर प्रस्तुत क्षमापना सूत्र का उच्चारण करते समय मनोयोग, वचनयोग और काययोग—इन तीनों का समन्वय होना आवश्यक है। जीवन को निष्कलुष और निर्मल बनाने के लिए विगत भूलों पर पश्चात्ताप करना आवश्यक है, किन्तु पश्चात्ताप यदि कोरा पश्चात्ताप ही रहे तो उससे कुछ भी लाभ नहीं होता। पश्चात्ताप होने पर भूल को सुधारने का मन में ध्रुव संकल्प भी होना चाहिये और जो भूलें पहले हो चुकी हैं, उन्हें फिर न दोहराने का प्रयत्न करना चाहिये, तभी साधक का सच्चा क्षमापनासूत्र जीवन-उत्थान में उपयोगी बन सकता है। इस क्षमायाचना से जीवन के अपराधी सस्कार समाप्त हो जाते हैं और जीवन में शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है तथा हृदय में नवीन प्रकाश की किरणें स्फुटित हो जाती हैं। जैसे करोड़ों वर्षों से अन्धकाराच्छादित तामस गुफा में चक्रवर्ती का मणिरत्न (छह खण्ड की विजय करते समय) क्षण भर में आलोक फैला देता है, इसी प्रकार क्षमा गुण से संयुक्त संयत के जीवन में आत्मज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित हो जाता है।

चौरासी लाख जीवयोनि का पाठ

सात लाख पृथ्वीकाय, सात लाख अप्काय, सात लाख तेजस्काय, सात लाख वायुकाय, दश लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, चौदह लाख साधारण वनस्पतिकाय, दो लाख द्वीन्द्रिय, दो लाख त्रीन्द्रिय, दो लाख चतुरन्द्रिय, चार लाख नारकी, चार लाख देवता, चार लाख तिर्यङ्गच पंचेन्द्रिय, चौदह लाख मनुष्य, ऐसे चार गति में चौरासी लाख जीवयोनि के सूक्ष्म-बादर, पर्याप्त-प्रपर्याप्त किसी जीव का हालते-चालते, उठते-बैठते, जानते-अजानते हनन किया हो, कराया हो, हनता प्रति अनुमोदन किया हो छेदा-भेदा हो, किलामणा उपजाई हो, मन, वचन, काया करके ग्राठारह लाख चौबीस हजार एक सौ बीस (१८,२४,१२०)^१ प्रकारे तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ं।

विवेचन—चार गति में जितने भी संसारी जीव हैं, उनकी चौरासी लाख योनियां हैं। योनि का अर्थ है—जीवों के उत्पन्न होने का स्थान। समस्त जीवों के ८४ लाख प्रकार के उत्पत्ति-स्थान हैं।

१. जीव तत्त्व के ५६३ भेदों को अभिह्यादि देणों के साथ गुणाकार करने से ५६३० भेद होते हैं। फिर इनको राग और द्रेष के साथ द्विगुण करने से ११२६० भेद बनते हैं। फिर इन्हीं को मन, वचन, काया के साथ त्रिगुणा करने से ३३७८० भेद हो जाते हैं। फिर तीन करणों के साथ गुणाकार करने से १०१३४० भेद बन जाते हैं, इनको पुनः तीन काल के साथ गुणाकार करने से ३०४०२० भेद होते हैं। फिर अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, गुरु और आत्मा, इस प्रकार छह से गुणा करने पर १८,२४,१२० भेद बनते हैं। इस प्रकार से मैं मिच्छा मि दुक्कड़ देता हूँ और फिर पापकर्म न करने की प्रतिज्ञा करता हूँ।

यद्यपि स्थान तो इससे भी अधिक हैं, परन्तु वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान के रूप में जितने भी स्थान परस्पर समान होते हैं, उन सबका मिलकर एक ही स्थान माना जाता है।

पृथ्वीकायिक जीवों के मूल भेद ३५० हैं। पांच वर्ण से उक्त भेदों को गुणा करने से १७५० भेद होते हैं। पुनः दो गन्ध से गुणा करने पर ३५००, पुनः पांच रस से गुणा करने पर १७५००, पुनः आठ स्पर्श से गुणा करने पर १,४०,०००, पुनः पांच संस्थान से गुणा करने पर कुल सात लाख भेद होते हैं।

पृथ्वीकाय के समान ही जलकाय, तेजस्काय, वायुकाय के भी प्रत्येक के मूल भेद ३५० हैं। उनको पांच वर्ण आदि से गुणा करने पर प्रत्येक की सात लाख योनियां हो जाती हैं। प्रत्येक वनस्पति के मूल भेद ५०० हैं। उनको पांच वर्ण आदि से गुणा करने से कुल दस लाख योनियां हो जाती है। कन्दमूल की जाति के मूल भेद ७०० है, अतः उनको पांच वर्ण आदि से गुणा करने पर कुल १४,००,००० योनियां होती हैं।

इसी प्रकार द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरन्द्रिय रूप विकलन्त्रय के प्रत्येक के मूल भेद १००-१०० है। उनको पांच वर्ण आदि से गुणा करने पर प्रत्येक की कुल चार-चार लाख योनियां होती हैं। मनुष्य जाति के मूल भेद ७०० हैं, अतः पांच वर्ण आदि से गुणा करने से मनुष्य की कुल १४,००,००० योनियां हो जाती है।

कुल कोडी छमाने का पाठ—

पृथ्वीकाय के बारह लाख कुलकोडी, अप्काय के सात लाख कुलकोडी, तेजस्काय के तीन लाख कुलकोडी, वायुकाय के सात लाख कुलकोडी, वनस्पतिकाय के अट्टाईस लाख कुलकोडी, द्विन्द्रिय के मात लाख कुलकोडी, त्रीन्द्रिय के आठ लाख कुलकोडी, चतुरन्द्रिय के नव लाख कुलकोडी, जलचर के साढ़े बारह लाख कुलकोडी, स्थलचर के दस लाख कुलकोडी, खेचर के बारह लाख कुलकोडी, उरपरिसर्प के दस लाख कुलकोडी, भुजपरिसर्प के नव लाख कुलकोडी, नरक के पच्चीस लाख कुलकोडी, देवता के छब्बीस लाख कुलकोडी, मनुष्य के बारह लाख कुलकोडी, यों एक करोड़ साढ़े सत्तानवै लाख कुलकोडी की विराधना की हो तो देवसी सम्बन्धी तस्स मिच्छा मि दुक्कड़।

प्रणिपात-सूत्र-

नमोत्थुणं

अरिहंताणं, अगवंताणं ॥१॥

आहगराणं, तिथयराणं, सयंसंबुद्धाणं ॥२॥

पुरिसुत्तमाणं, पुरिस-सोहाणं,

पुरिसवरपुंडरीयाणं, पुरिसवरगंधहत्यीणं ॥३॥

लोगुत्तमाणं, लोगनाहाणं, लोगहियाणं,

लोगपहियाणं, लोगपञ्जोयगराणं ॥४॥

अभयवयाणं, चकखुदयाणं, भगदयाणं,

सरणवयाणं, जीवदयाणं, बोहिवयाणं ॥५॥

धर्मदयाणं, धर्मदेसयाणं, धर्मनायगाणं,
 धर्मसारहीणं, धर्मवर-चाउरंत-चक्रवटीणं ॥६॥
 हीबो ताणं-सरण-गई-पहुङ्गाणं,
 अप्पिडिहय-वरनाण-वंसणधराणं, विष्टुछउमाणं ॥७॥
 जिणाणं, जावयाणं, तिणाणं, तारयाणं,
 बुद्धाणं बोहयाणं, मुत्ताणं, मोयगाणं ॥८॥
 सव्वन्तूणं, सव्वदरिसीणं,
 सिव-मयलभरूप-मणंत-मक्खय-मध्याबाह-मपुणरावृत्ति-सिद्धिगद्वनामधेयं ठाणं संपत्ताणं,
 नमो जिणाणं, जियभयाणं ॥

भावार्थ—श्री अरिहन्त भगवन्तों को नमस्कार हो । (अरिहंत भगवान् कैसे है ?) धर्म की आदि करने वाले हैं । धर्मतीर्थ की स्थापना करने वाले हैं, (परोपदेश बिना) स्वयं ही प्रबुद्ध हुए हैं ।

पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, पुरुषों में सिंह (के समान पराक्रमी) हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ पुण्डरीक—श्वेत कमल के समान हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ गन्ध-हस्ती हैं । लोक में उत्तम हैं लोक के नाथ हैं, लोक के हितकर्ता हैं, लोक में दीपक हैं, लोक में उद्योत करने वाले हैं ।

अभय देने वाले हैं, ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले हैं, धर्ममार्ग को देने वाले हैं, शरण देने वाले हैं, संयम रूप जीवन के दाता हैं, धर्म के उपदेशक हैं, धर्म के नेता हैं, धर्म के सारथी—संचालक हैं ।

चार गति का अन्त करने वाले श्रेष्ठ धर्म के चक्रवर्ती हैं, अप्रतिहत एवं श्रेष्ठ ज्ञान-दर्शन को धारण करने वाले हैं, ज्ञानावरण आदि धातिकर्मी से अथवा प्रमाद से रहित हैं ।

स्वयं राग-द्वेष को जीतने वाले हैं, दूसरों को जिताने वाले हैं, स्वयं संसार-सागर से तर गए हैं, दूसरों को तारने वाले हैं, स्वयं बोध पा चुके हैं, दूसरों को बोध देने वाले हैं, स्वयं कर्म से मुक्त हैं, दूसरों को मुक्त कराने वाले हैं ।

सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं तथा शिव—कल्याणरूप, अचल—स्थिर, ग्रहज—रोग रहित, अनन्त—अनन्त रहित, अक्षय—क्षय रहित, अव्यावाध—बाधा-पीड़ा रहित, अपुनरावृत्ति—पुनरागमन से रहित अर्थात् जन्म-मरण से रहित, सिद्धगति नामक स्थान को प्राप्त कर चुके हैं, भय को जीतने वाले हैं, राग-द्वेष को जीतने वाले हैं—ऐसे जिन भगवन्तों को मेरा नमस्कार हो ।

विवेचन—प्रस्तुत पाठ में अरिहन्त और सिद्ध भगवान् को नमस्कार किया गया है । अनादि काल से श्रब तक अनन्त अरिहन्त और सिद्ध हो चुके हैं, इस कारण तथा उनकी महत्ता—उत्कृष्टता प्रकट करने के लिए मूल पाठ में बहुवचन का प्रयोग किया गया है । रागादि आन्तरिक रिपुओं को विनष्ट करने वाले अरिहन्त कहलाते हैं और आत्मा के साथ बंधे आठ कर्मों को समूल भस्म कर देने वाले लोकोत्तर महापुरुष सिद्ध कहे जाते हैं । उन जैसा पद प्राप्त करने एवं जिस प्रशस्त पद पर प्रयाण करके उन्होंने परमोत्तम पद प्राप्त किया है, उसी पथ पर चलकर उस पद को प्राप्त करने के लिए अपने अन्तःकरण में संकल्प एवं सामर्थ्य जागृत करने के लिए उन्हें नमस्कार किया जाता है ।

मूल पाठ में कतिपय विशेषण ऐसे भी हैं जिनका रहस्य हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिये। भगवान् को 'अभयदयाण' आदि कहा गया है, अर्थात् भगवान् अभयदाता हैं, चक्षुदाता हैं, मार्ग के दाता हैं, बोधि के दाता हैं, इत्यादि। किन्तु जैनदर्शन के अनुसार, भगवान् के स्वयं के कथनानुसार कोई किसी को शुभ या अशुभ फल प्रदान नहीं कर सकता। आगम में कहा है—'अत्ता कर्ता विकर्ता य।' अर्थात् पुरुष स्वयं अपने कर्मों का कर्ता-हर्ता और सुखःदुःख का जनक है। आचार्य अमितगति ने इसी तथ्य को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है—

स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, फलं तदीयं सभते शुभाशुभम् ।

परेण दत्तं यवि सभते स्फुटं, स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥

अर्थात् अतीत काल में आत्मा ने स्वयं जो शुभ या अशुभ कर्म किए हैं, उन्हीं का शुभ या अशुभ फल वह प्राप्त करता है। यदि दूसरे के द्वारा दिया फल मिलता हो तो स्पष्ट है कि अपने किए कर्म निष्फल हो जायें।

आगे वही कहते हैं—

निजाजितं कर्म विहाय वेहिनो, न कोऽपि कस्यापि ददाति किञ्चन ।

विचारयन्नेवमनन्यमन्तसो परो ददातीति विमुञ्च शेमुषीम् ॥

अर्थात् अपने उपाजित कर्मों के सिवाय कोई किसी को कुछ भी नहीं देता। ऐसा विचार करके अनन्यमनस्क बनो—अपनी ओर दृष्टि लगाओ। दूसरा कोई कुछ देता है, इस बुद्धि का परित्याग कर दो।

जैनदर्शन का यह सच्चा आत्मवाद है और यह आत्मा के अनन्त, असीम पुरुषार्थ को जगाने वाला है। यह किसी के समक्ष दैन्य दिखला कर भिखारी न बनने का महामूल्य मंत्र है। यही पारमार्थिक दृष्टि है, तो फिर भगवान् को अभय आदि का दाता क्यों कहा गया है?

इस प्रश्न का समाधान यह है कि प्रत्येक कार्य के कारण दो प्रकार के होते हैं—उपादान और निमित्त। कार्य की निष्पत्ति दोनों प्रकार के कारणों से होती है, एक से नहीं। घट बनाने के लिए जैसे उपादान मृत्तिका आवश्यक है, उसी प्रकार कुम्भकार, चाक आदि निमित्तकारण भी अनिवार्य रूप से अपेक्षित हैं। इस नियम के अनुसार अपने उत्कर्ष का—मोक्ष का उपादान कारण स्वयं आत्मा है और निमित्तकारण अरिहन्त भगवान् एवं तत्प्ररूपित धर्म संघ आदि हैं। व्यवहारनय से निमित्त-कारण को भी कर्ता कहा जाता है, जैसे कुंभार को घट का कर्ता कहा जाता है। अतः प्रस्तुत पाठ में भी व्यवहारनय की दृष्टि की प्रधानता से अरिहन्त भगवान् को 'दाता' कहा है, क्योंकि अरिहन्त भगवान् उस पथ के उपदेष्टा हैं, जिसका अनुसरण करने से जीव सदा काल के लिए अभय—भयमुक्त बनता है। 'अभय' शब्द का अर्थ 'संयम' भी है। भगवान् संयमोपदेष्टा होने से भी अभयदाता है। इसी प्रकार चक्षुदाता आदि विशेषणों के विषय में भी समझ लेना चाहिये।

विशिष्ट शब्दों का अर्थ—भगवताण—भगवन्तों को। 'भग' शब्द के छह अर्थ हैं—१. ऐश्वर्य—

वैभव, २. रूप, ३. यशःकीर्ति, ४. श्री—शोभा. ५. धर्म और ६. प्रयत्न-पुरुषार्थ ।^१ ये छह विशेषताएँ जिनमें समग्र सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान हों, वे भगवान् कहलाते हैं ।

आइगरा आदिकर—आदि करनेवाले । धर्म यद्यपि वस्तु का स्वभाव होने के कारण अनादिअनन्त है, तथापि अहिंसा, तप, संयम आदि रूप व्यवहार धर्म की मर्यादाओं में विभिन्न युगों में जो विकृति आ जाती है, उसे दूर करके धर्म के वास्तविक स्वरूप को, उसकी मर्यादाओं को काल के अनुरूप प्रस्थापित करने के कारण भगवान् आदिकर कहलाते हैं ।

पुरिसर्सीह—पुरुषसिंह—वन्य पशुओं में सिंह सबसे अधिक पराक्रमशाली गिना जाता है श्री निर्भय होकर विचरता है । इसी प्रकार भगवान् अनन्त पराक्रमी और निर्भय होने के कारण पुरुषसिंह—पुरुषों में सिंह के समान है ।

पुरिसर्वरग्नधहस्ती—पुरुषवरग्नधहस्ती—गन्धहस्ती—वह कहलाता है जिसके गण्डस्थल से सुगन्धित मद भरता रहता है । उस मद की सुगन्ध की अतिशय उग्रता के कारण अन्य हस्ती घबरा जाते हैं—दूर भाग जाते हैं । गंधहस्ती मांगलिक भी माना जाता है । भगवान् के सन्मुख जाते ही अन्य वादी निर्मद हो जाते हैं—टिक नहीं सकते हैं और भगवान् परम मांगलिक भी है, अतएव पुरुषों में श्रेष्ठ गन्धहस्ती के समान हैं ।

लोगनाह—लोकनाथ—योग अर्थात् अप्राप्त पदार्थ को प्राप्त करने वाला तथा क्षेम अर्थात् प्राप्त पदार्थ की रक्षा करने वाला 'नाथ' कहलाता है—'योगक्षेमकरो नाथः ।' भगवान् अप्राप्त मंगलमय धर्म की प्राप्ति करने वाले और प्राप्त धर्म की विविध विधियों के उपदेश द्वारा रक्षा करने वाले हैं । भगवान् विश्व के समस्त प्राणियों को समभाव से धर्म का उपदेश करते हैं, अतएव समग्र लोक के नाथ हैं ।

लोगपईव—लोकप्रदीप—लोक में अथवा लोक के लिए उत्कृष्ट दीपक । लौकिक दीपक परिमित क्षेत्र में बाह्य अन्धकार को विनष्ट करके प्रकाश करता है, परन्तु भगवान् प्र-दीप-प्रकृष्ट दीप हैं, जो अनादिकाल से आत्मा में रहे हुए मिथ्यात्वजन्य अज्ञानान्धकार को सदा के लिए दूर करते हैं । दीप-प्रकाश में अत्यल्प और स्थूल दृष्टिगोचर हो सकने वाले पदार्थ ही भासित होते हैं, किन्तु भगवान् के केवलज्ञान रूपी लोकोत्तर प्रदीप में त्रिकाल संबंधी, सूक्ष्म-स्थूल, इन्द्रियगम्य, अतीन्द्रिय, सभी पदार्थ प्रतिभासित होते हैं । द्रव्य-दीप में स्थूल पदार्थ भी अपने सम्पूर्ण रूप में दिखाई नहीं देते, केवल उनका रूप और आकार ही दृष्टिगोचर होता है, भगवान् के ज्ञानप्रदीप में प्रत्येक पदार्थ अपने अनन्त-अनन्त गुण-पर्यायों समेत प्रतिबिम्बित होता है । द्रव्य-दीप तैलक्षय, पवन के वेग आदि कारणों से बुझ जाता है, परन्तु भगवान् का ज्ञानप्रदीप एक बार प्रज्ज्वलित होकर सदैव प्रज्ज्वलित ही रहता है । अतएव वह दीप नहीं प्रदीप—लोकोत्तर दीपक है । भगवान् का ज्ञान भगवान् से अभिन्न है और वह समग्र लोकों के लिए प्रकाश-प्रदाता है, अतएव भगवान् लोकप्रदीप हैं ।

अपुणराविति अपुनरावृत्ति—सिद्धिगति-स्थान के लिए अनेक विशेषणों का यहाँ प्रयोग किया गया है । वे विशेषण सुगम हैं । मोक्ष शिव अर्थात् सब प्रकार के उपद्रवों से रहित है, अचल—

१. ऐश्वर्यस्य समग्रम्य रूपस्य यशसः श्रियः ।

स्थिर है, अरुज—सभी प्रकार के बाह्याभ्यन्तर रोगों से रहित है, अनन्त है—उसका कदापि अन्त नहीं होता, अक्षत है, अर्थात् उसमें कभी कोई क्षति—न्यूनता नहीं आती, अव्याबाध है—समस्त बाधाओं से विवर्जित है और अपुनरावृत्ति है, अर्थात् एक बार सिद्धि प्राप्त हो जाने पर फिर कभी वहाँ से वापिस नहीं लौटना पड़ता।

यहाँ विचारणीय है कि अनन्त और अक्षत (अक्षय) विशेषणों का प्रयोग करने के पश्चात् ‘अपुनरावृत्ति’ विशेषण के प्रयोग की क्यों आवश्यकता हुई? समाधान यह है कि कतिपय दार्शनिकों की ऐसी मान्यता है कि मुक्तात्मा जब अपने तीर्थ की अवहेलना होते देखते हैं तो उसके रक्षण के लिए मोक्ष को छोड़कर पुनः संसार में आ जाते हैं। इस मान्यता को भ्रान्त बतलाने के लिए इस विशेषण का प्रयोग किया गया है। जैसे बीज के दण्ड हो जाने पर उससे अंकुर उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार कर्मबीज के भस्म हो जाने पर भव-अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि पूर्ववर्ती कर्म ही नवीन कर्म को उत्पन्न करता है, एक बार कर्म का समूल नाश हो जाने पर नवीन कर्मों का उद्भव संभव नहीं है और कर्म के अभाव में पुनः संसार में जन्म होना संभव नहीं। वस्तुतः मोक्ष-पद सादि और अनन्त है। इस आशय को व्यक्त करने के लिए ‘अपुनरावृत्ति’ पद का प्रयोग किया गया है।

‘नमोत्थुण’ पाठ दो बार पढ़ा जाता है—अरिहन्त भगवन्तों को लक्ष्य करके और सिद्ध भगवन्तों को लक्ष्य करके। जब अरिहन्तों को लक्ष्य करके पढ़ा जाता है तो ‘ठाणं संपादितकामाणं’ ऐसा बोला जाता है और जब सिद्ध भगवन्तों की स्तुति की जाती है तो ‘ठाणं संपत्ताणं’ ऐसा पाठ बोला जाता है। दोनों पाठों के अर्थ में अन्तर इस प्रकार है—‘ठाणं संपादितकामाण’ अर्थात् मुक्ति पद को प्राप्त करने का लक्ष्य रखने वाले—ध्येय वाले। ‘ठाणं संपत्ताणं’ का अर्थ है—मुक्ति पद को जो प्राप्त कर चुके हैं।



व्रतों की उपयोगिता

१. जीवन को सुधङ्ग बनाने वाली और आलोक की ओर ले जाने वाली मर्यादाएँ नियम कहलाती हैं अथवा जो मर्यादाएँ सार्वभौम हैं, प्राणिमात्र के लिए हितावह हैं और जिनसे स्व-पर का हितसाधन होता है, उन्हें नियम या व्रत कहा जा सकता है।

२. अपने जीवन के अनुभव में आने वाले दोषों को त्यागने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न होता है, तभी व्रत की उत्पत्ति होती है।

३. सरिता के सतत गतिशील प्रवाह को नियंत्रित रखने के लिए दो किनारे आवश्यक होते हैं, इसी प्रकार जीवन को नियंत्रित, मर्यादित और गतिशील बनाये रखने के लिए व्रतों की आवश्यकता है। जैसे किनारों के अभाव में प्रवाह छिन्न-भिन्न हो जाता है, इसी प्रकार व्रतविहीन मनुष्य की जीवनशक्ति भी छिन्न-भिन्न हो जाती है। अतएव जीवनशक्ति को केन्द्रित और योग्य दिशा में उसका उपयोग करने के लिए व्रतों की अत्यन्त आवश्यकता है।

४. आकाश में ऊंचा उड़ने वाला पतंग सोचता है मुझे डोर के बन्धन की क्या आवश्यकता है। यह डोर न हो तो मैं स्वच्छन्द भाव से गगन-विहार कर सकता हूँ। किन्तु हम जानते हैं कि डोर टूट जाने पर पतंग की क्या दशा होती है। डोर टूटते ही पतंग के उन्मुक्त व्योमविहार का स्वप्न भंग हो जाता है और उसे धूल में मिलना पड़ता है। इसी प्रकार जीवन रूपी पतंग को उन्नत रखने के लिए व्रतों की डोर साथ बंधे रहने की आवश्यकता है।

चार प्रकार से व्रतों में दोष लगता है—

१. अतिक्रम—स्वीकृत व्रत को भंग करने की इच्छा होना।

२. व्यतिक्रम—स्वीकृत व्रत को भंग करने हेतु तत्पर होना।

३. अतिचार—स्वीकृत व्रत को एकदेश भंग करना।

४. अनाचार—स्वीकृत व्रत को सर्वथा भंग करना।

इन दोषों से व्रतों की रक्षा करना आवश्यक है और प्रमादवश कदाचित् दोष लग जाए तो उसका प्रतिक्रमण करके शुद्धि कर लेना चाहिए। इसी दृष्टि से यहाँ अतिचारों का पाठ दिया गया है। स्मरण रहे कि यह प्रतिक्रमण-पाठ श्रावक-श्राविकाओं के व्रतों से संबंधित है।



बारह व्रतों के अतिचारों का प्रतिक्रमण

१. अहिंसाणुव्रत के अतिचार

पहला अणुव्रत—थूलाश्रो पाणाइवायामो वेरमणं, त्रस जीव बेहंदिय, तेहंदिय, चर्जर्दिय, पंचिदिय, जान के पहचान के संकल्प करके उसमें स्व सम्बन्धी शरीर के भीतर में पीड़ाकारी, सापराधी को छोड़कर निरपराधी को आकुटी (हनने) की बुद्धि से हनने का पञ्चवक्षाण जावज्जीवाए दुष्विहं तिविहेण—न करेमि, न कारवेमि मणसा, वयसा, कायसा । ऐसे पहले स्थूल प्राणातिपातवेरमण व्रत के पंच अइयारा पेदास्ता जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा—ते आलोउ—बंधे, बहे, छविष्ठेए, अश्वारे, भत्तपाणविच्छेह, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

भावार्थ—श्रावक के व्रत बारह हैं, उनमें पांच अणुव्रत मूल और सात उत्तर गुण कहलाते हैं । गृहीत व्रतों का देशतः उल्लंघन अतिचार कहलाता है । प्रत्येक व्रत के पांच-पांच अतिचार हैं । उनमें यहाँ अहिंसाणुव्रत के पांच अतिचारों की शुद्धि का विधान किया गया है । मैं स्व, सम्बन्धी (अपने और अपने सम्बन्धी जनों) के शरीर में पीड़ाकारी अपराधी जीवों को छोड़कर द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय त्रस जीवों की हिंसा संकल्प करके मन, वचन और काया से न करूंगा और न कराऊंगा । मैंने किसी जीव को यदि बन्धन से बांधा हो, चाबुक, लाठी आदि से मारा हो, पोटा हो, किसी जीव के चर्म का छेदन किया हो, अधिक भार लादा हो तथा अन्ध-पानी का विच्छेद किया हो तो वे सब पाप निष्फल हों ।

तात्पर्य यह है कि गृहस्थ श्रावक अहिंसाणुव्रत में निरपराध त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा का ही त्याग करता है । वह स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं होता । किन्तु उनकी भी निरर्थक हिंसा का त्याग करता है । त्रस जीवों में भी अपराधी की हिंसा का नहीं, केवल निरपराध जीवों की हिंसा त्यागता है और निरपराधों की भी संकल्पी हिंसा का—‘मैं इसे मार डालू’ इस प्रकार की बुद्धि से घात करने का त्याग करता है । कृषि, गृह-निर्माण, व्यवसाय आदि में निरपराध त्रस जीवों का भी हनन होता है, तथापि वह आरंभी हिंसा है, संकल्पी नहीं । अतएव गृहस्थ श्रावक उसका त्यागी नहीं । इस कारण उसका पहला व्रत स्थूल प्राणातिपातवेरमण कहलाता है । यह दो करण और तीन योग से स्वीकार किया जाता है ।

२. मूषावादविरमणव्रत के अतिचार

द्वृजा अणुव्रत—थूलाश्रो मुषावायामो वेरमणं, कलालीए, गोवालीए, भोमालीए, णासावहारो (थापणमोसो), कूडसविखजे (कूड़ी साख) इत्यादिक मोटा भूठ बोसने का पञ्चवक्षाण, जावज्जीवाए दुष्विहं तिविहेण—न करेमि, न कारवेमि मणसा, वयसा, कायसा एवं द्वृजा स्थूल मूषावादवेरमण व्रत के पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा ते आलोउ—सहस्रभक्षणे, रहस्यभक्षणे सदारमन्तभेष, मोसोवएसे, कूडलेहकरणे, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

भावार्थ—मैं जीवनपर्यन्त मन, वचन, काया से स्थूल भूठ नहीं बोलूँगा और न बोलाऊंगा। कन्या-वर के सम्बन्ध में, गाय, भेंस आदि पशुओं के विषय में तथा भूमि के विषय में कभी असत्य नहीं करूँगा। किसी की रखी हुई धरोहर (सौंपी हुई रकम आदि) के विषय में असत्यभाषण नहीं करूँगा और न धरोहर को हीनाधिक बताऊंगा तथा भूठी साक्षी नहीं दूँगा। यदि मैंने किसी पर भूठा कलंक लगाया हो, एकान्त में मंत्रणा करते हुए व्यक्तियों पर भूठा आरोप लगाया हो, अपनी स्त्री के गुप्त विचार प्रकाशित किए हों, मिथ्या उपदेश दिया हो, भूठा लेख (स्टाम्प बही-खाता आदि) लिखा हो तो मेरे वे सब पाप निष्फल हों।

३. अदत्तादानविरमणाणुव्रत के अतिचार

तीजा अणुव्रत—थूलाओं अदिणिदाणिओ वेरमणं खात खनकर, गांठ खोलकर, ताले पर कूँची लगाकर, मार्ग में चलते को लूटकर, पड़ी हुई धणियाती मोटी वस्तु जानकर लेना, इत्यादि मोटा अदत्तादान का पच्चक्खाण, सगे सम्बन्धी व्यापार सम्बन्धी तथा पड़ी निर्भ्रमी वस्तु के उपरान्त अदत्तादान का पच्चक्खाण जावज्जीवाए दुष्विहं तिविहेण—न करेमि, न कारबेमि मणसा, वयसा, कायसा एवं तीजा स्थूल अदत्तादानवेरमण व्रत के पंच अद्यारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा ते आलोउ—तेनाहडे, तक्करप्पग्गो, विरुद्धरज्जाइकमे, कूडतुलसकूडमाणे, तप्पडिरुधगववहारे तस्स मिच्छा मि दुष्कडं।

भावार्थ—मैं किसी के मकान में खात लगाकर अर्थात् भीत (खोदकर) फोड़कर, गांठ खोलकर, ताले पर कूँची लगाकर अथवा ताला तोड़कर किसी की वस्तु को नहीं लूँगा, मार्ग में चलते हुए को नहीं लूटूँगा, किसी की मार्ग में पड़ी हुई मोटी वस्तु को नहीं लूँगा, इत्यादि रूप से सगे सम्बन्धी, व्यापार सम्बन्धी तथा पड़ी हुई शंका रहित वस्तु के उपरान्त स्थूल चोरी को मन-वचन-काय से न करूँगा और न कराऊंगा। यदि मैंने चोरी की वस्तु ली हो, चोर को सहायता दी हो, या चोरी करने का उपाय बतलाया हो, लड़ाई के समय विरुद्ध राज्य में आया-गया होऊँ, भूठा तोल व माप रखा हो, अथवा उत्तम वस्तु दिखाकर खराब वस्तु दी हो (वस्तु में मिलावट की हो), मैं इन कुकृत्यों (बुरे कामों) की आलोचना करता हूँ। वे मेरे सब पाप निष्फल हों।

४. बहुचर्याणुव्रत के अतिचार

चौथा अणुव्रत—थूलाओं मेहुणाओं वेरमणं सदारसंतोसिए' अवसेस महुणविहं पच्चक्खामि जावज्जीवाए वेब देवी सम्बन्धी दुष्विहं तिविहेण न करेमि, न कारबेमि मणसा, वयसा, कायसा तथा मनुष्य तिर्यङ्गच सम्बन्धी एगविहं एगविहेण न करेमि कायसा एवं चौथा स्थूल स्वदारसंतोष, परदारविवर्जन रूप मंथुनवेरमणव्रत के पंच अद्यारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा ते आलोउ इत्तरिय परिग्नहियागमणे, अपरिग्नहियागमणे, अनंगकीडा, परविवाहकरणे कामभोग-तिव्याभिलासे, तस्स मिच्छा मि दुष्कडं।

१. 'सदारसंतोष' ऐसा पुरुष को बोलना चाहिए और स्त्री को 'स्वपतिसंतोष' ऐसा बोलना चाहिये।

भावार्थ—चौथे ग्रनुव्रत में स्थूल मैथुन से विरमण किया जाता है। मैं जीवनपर्यन्त अपनी विवाहिता स्त्री में ही संतोष रखकर शेष सब प्रकार के मैथुन-सेवन का त्याग करता हूँ अर्थात् देव-देवी सम्बन्धी मैथुन का सेवन मन, वचन, काया से न करूँगा और न कराऊँगा। मनुष्य और तिर्यञ्च सम्बन्धी मैथुनसेवन काया से न करूँगा। यदि मैंने इत्वरिका परिगृहीता अथवा अपरिगृहीता से गमन करने के लिए आलाप-संलापादि किया हो, प्रकृति के विश्व अंगों से कामकीड़ा करने की चेष्टा की हो, दूसरे के विवाह करने का उद्यम किया हो, कामभोग की तीव्र अभिलाषा की हो तो मैं इन दुष्कृत्यों की आलोचना करता हूँ। वे मेरे सब पाप निष्फल हों।

५. परिग्रहपरिमाणवत के अतिचार

पांचवां ग्रनुव्रत—थूलाग्रो परिग्रहाग्रो वेरमण, खेतवस्थु का यथापरिमाण, हिरण्ण-सुवर्ण का यथापरिमाण, धन-धान्य का यथापरिमाण, दुष्य-चउप्पय का यथापरिमाण, कुविय धातु का यथापरिमाण, जो परिमाण किया है उसके उपरान्त अपना करके परिग्रह रखने का पञ्चवक्षण, जावज्जीवाए एगविहं तिविहेण न करेमि मणसा, वयसा कायसा एवं पांचवां स्थूल परिग्रहपरिमाण वत के पञ्च ग्रह्यारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा ते आलोऊँ—खेतवस्थुप्पमाणाइककमे, हिरण्णसुवर्णप्पमाणाइककमे, धणधण्णप्पमाणाइककमे, दुष्यचउप्पयप्पमाणाइककमे, कुवियप्पमाणा-इककमे तस्स मिच्छा मि दुष्कड़ं।

भावार्थ—खेत—खुली जगह, वास्तु—महल-मकान आदि, सोना-चांदी, दास-दासी, गाय, हाथी, घोड़ा, चौपाये आदि, धन-धान्य तथा सोना-चांदी के सिवाय कांसा, पीतल, तांबा, लोहा आदि धातु तथा इनसे बने हुए बर्तन आदि और शेय्या, आसन, वस्त्र आदि घर सम्बन्धी वस्तुओं का मैंने जो परिमाण किया है, इसके उपरान्त सम्पूर्ण परिग्रह का मन, वचन, काया से जीवन पर्यन्त त्याग करता हूँ। यदि मैंने खेत, वास्तु—महल—मकान के परिमाण का उल्लंघन किया हो, सोना, चांदी के परिमाण का उल्लंघन किया हो, धन, धान्य के परिमाण का उल्लंघन किया हो, दास, दासी आदि द्विपद और हाथी, घोड़ा आदि चतुष्पद की संख्या के परिमाण का उल्लंघन किया हो, (इनके अतिरिक्त) दूसरे द्रव्यों की मर्यादा का उल्लंघन किया हो तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरे वे सब पाप निष्फल हों।

६. दिववत के अतिचार

छठा विशिव्रत—उड्ढविसि का यथापरिमाण, अहोदिसि का यथापरिमाण, तिरियदिसि का यथापरिमाण किया हो, उसके उपरान्त स्वेच्छा से काया से आगे जाकर पांच ग्राथव सेवन का पञ्चवक्षण जावज्जीवाए छठे एगविहं तिविहेण— न करेमि मणसा, वयसा, कायसा एवं छठे विशिव्रत के पञ्च ग्रह्यारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा ते आलोऊँ—उड्ढविसिप्पमाणाइककमे, अहोदिसिप्पमाणाइककमे, तिरियदिसिप्पमाणाइककमे, खितवुड्डी, सइअन्तरद्वा, तस्स मिच्छा मि दुष्कड़ं।

भावार्थ—जो मैंने ऋष्वदिशा, अधोदिशा और तिर्यक्दिशा का परिमाण किया है, उसके आगे गमनागमन आदि कियाग्रों को मन, वचन, काया से न करूँगा। यदि मैंने ऋष्वदिशा,

अधोदिशा और तिर्यक्‌दिशा का जो परिमाण किया है उसका उल्लंघन किया हो, क्षेत्र को बढ़ाया हो, क्षेत्रपरिमाण को सीमा में संदेह होने पर आगे चला होऊँ तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ। मेरे वे सब पाप मिथ्या हों।

ऊँची, नीची, तिरछी दिशाओं के उल्लंघन को यहाँ अतिचार कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि मर्यादा की हुई भूमि से बाहर जाने की इच्छा कर रहा है लेकिन बाहर गया नहीं है तब तक अतिचार है, बाहर चले जाने पर अनाचार है।

७. उपभोग-परिभोगपरिमाणव्रत के अतिचार

सातवां व्रत—उबभोग-परिभोगविहि॑ पञ्चकखायमाणे—१. उल्लणियाविहि॑, २. दंतणविहि॑, ३. फलविहि॑, ४. ग्रन्थंगणविहि॑, ५. उबटृणविहि॑, ६. मज्जणविहि॑, ७. वस्थविहि॑, ८. विलेवणविहि॑, ९. पुष्फविहि॑, १०. आभरणविहि॑, ११. धूवविहि॑, १२. पेञ्जविहि॑, १३. भवखणविहि॑, १४. ग्रोदणविहि॑, १५. सूपविहि॑, १६. विगयविहि॑, १७. सागविहि॑, १८. महुरविहि॑, १९. जीमणविहि॑, २०. पाणोग्रविहि॑, २१. मुखदासविहि॑, २२. वाहणविहि॑, २३. उवाहणविहि॑, २४. सयणविहि॑, २५. सचित्तविहि॑, २६. दब्बविहि॑, इत्यादि का यथापरिमाण किया है, इसके उपरान्त उबभोग-परिभोग वस्तु को भोगनिमित्त से भोगने का पञ्चकखाण, जावज्जीवाए, एगविहं तिविहेण न करेमि मनसा, वयसा, कायसा एवं सातवां उबभोग-परिभोग दुविहे पञ्चते, तं जहा—भोयणाम्नो य, कम्मग्नो य। भोयणाम्नो समणोवासएणं पञ्च ग्रह्यारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा ते आलोउ—सचित्ताहारे, सचित्तपडिबद्धाहारे, अप्पउलिङ्गोसहिभक्खणया, दुप्पउलिङ्गोसहिभक्खणया, तुच्छोसहिभक्खणया। कम्मग्नो य णं समणोवासएण पञ्चरस कम्मादाणाइं जाणियव्वाइं न समायरियव्वाइं, तं जहा ते आलोउ—इंगालकम्मे, वणकम्मे, साडीकम्मे, भाडीकम्मे, फोडीकम्मे, दंतवाणिज्जे, लक्ष्मावाणिज्जे, रसवाणिज्जे, केसवाणिज्जे, विसवाणिज्जे, जंतपीलणकम्मे, निल्लंछण-कम्मे, दवगिगदावणया, सरदहतलायसोसणया, असईज्जणपोसणया, तस्स मिच्छा मि दुष्कडं।

भावार्थ—मैंने शरीर पोंछने के अंगोंद्वे आदि वस्त्र का, दातौन करने का, आँवला आदि फल से बाल धोने का, तेल आदि की मालिश करने का, उबटन करने का, स्नान करने के जल का, वस्त्र पहनने का, चन्दनादि का लेपन करने का, पुष्प सूचने का, आभूषण पहनने का, धूप जलाने का, धूध आदि पीने का, चावल-गेहूँ आदि का, मूँग आदि की दाल का, विगय (दूध, दही, घी, गुड़ आदि) का, शाक-भाजी का, मधुर रस का, जीमने का, पीने के पानी का, इलायची-लौंग इत्यादि मुख को सुगन्धित करने वाली वस्तुओं का, घोड़ा, हाथी, रथ आदि सवारी का, जूते आदि पहनने का, शय्या-पलंग आदि का, सचित वस्तु के सेवन का तथा इनसे बचे हुए बाकी के सभी पदार्थों का जो परिमाण किया है, उसके सिवाय उपभोग तथा परिभोग में आने वाली वस्तुओं का त्याग करता हूँ।

उपभोग-परिभोग दो प्रकार का है—भोजन (भोग्य पदार्थ) सम्बन्धी और कर्म (जिन व्यापारों से भोग्य पदार्थ की प्राप्ति होती है उन वाणिज्य) सम्बन्धी। भोजन सम्बन्धी उपभोग-परिभोग के पांच और कर्म सम्बन्धी उपभोग-परिभोग के पन्द्रह, इस तरह इस व्रत के कुल बीस अतिचार

होते हैं। वे निम्न प्रकार हैं, उनकी आलोचना करता हूँ। यदि मैंने १. मर्यादा से अधिक सचित वस्तु का आहार किया हो, २. सचित वृक्षादि के साथ लगे हुए गोंद आदि पदार्थों का आहार किया हो, ३. ग्रनिं से बिना पकी हुई वस्तु का भोजन किया हो, ४. अधपकी वस्तु का भोजन किया हो, ५. तुच्छ ओषधि का भक्षण किया हो तथा पन्द्रह कर्मादान का सेवन किया हो तो मैं उनकी आलोचना करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरा सब पाप निष्फल हो।

एक बार उपयोग में आने वाली वस्तु आहारादि की गणना उपभोग में और बार-बार काम में आने वाली वस्तु आदि वस्तु परिभोग में गिनी जाती है। जिनसे तीव्रतर कर्मों का आदान—ग्रहण बन्धन होता है, वे व्यवसाय या धन्धे कर्मादान हैं। उनकी संख्या पन्द्रह है और इर्थ इस प्रकार है—

१. इंगालकर्म—लकड़ियों के कोयले बनाने का, भड़मूंजे का, कुंभार का, लोहार का, सुनार का, ठठेरे-कसेरे का और ईंट पकाने का धन्धा करना 'अंगारकर्म' कहलाता है।

२. वनकर्म—वनस्पतियों के छिन्न या अच्छन्न पत्तों, फूलों या फलों को बेचना तथा ग्रनाज को दलने या पीसने का धन्धा करना 'वनजीविका' है।

३. शकटकर्म—छकड़ा, गाड़ी आदि या उनके पहिया आदि अंगों को बनाने, बनवाने, चलाने तथा बेचने का धन्धा करना 'शकटजीविका' है।

४. भाटककर्म—गाड़ी, बैल, भैसा, ऊंट, गधा, खच्चर आदि पर भार लादने की अर्थात् इनसे भाड़ा-किराया कमाकर आजीविका चलाना 'भाटकजीविका' है।

५. स्फोटकर्म—तालाब, कूप, बावड़ी आदि खुदवाने और पत्थर फोड़ने-गढ़ने आदि पृथ्वी-काय को प्रचुर हिस्सा रूप कर्मों से आजीविका चलाना^१ 'स्फोटजीविका' है।

६. दन्तवाणिज्य—हाथी के दांत, चमरी गाय आदि के बाल, उलूक आदि के नाखून, शंख आदि की अस्थि, शेर-चीता आदि के चर्म और हंस आदि के रोम और अन्य त्रस-जीवों के अंगों को उनके उत्पत्ति स्थान में जाकर लेना या पेशगी द्रव्य देकर खरीदना 'दन्तवाणिज्य' कहलाता है।

७. लाक्षावाणिज्य—लाख, मेनसिल, नील, धातकी के फूल, छाल आदि, टंकण-खार आदि पाप के कारण है, श्रतः उनका व्यापार भी पाप का कारण है। यह 'लाक्षा-वाणिज्य' कर्मादान कहलाता है।

८-९. रस-केश-वाणिज्य—मक्खन, चर्बी, मधु और मद्य आदि बेचना 'रसवाणिज्य' कहलाता है और द्विपद एवं चतुष्पद अर्थात् पशु-पक्षी आदि का विक्रय करने का धन्धा करना 'केशवाणिज्य' कहलाता है।

१०. विषवाणिज्य—विष, शस्त्र, हल, यन्त्र, लोहा और हरताल आदि प्राणघातक वस्तुओं का व्यापार करना 'विषवाणिज्य' कहलाता है।

१. वन से घास, लकड़ी काट कर लाना और बेचना।

२. जमीन फोड़कर खनिज पदार्थ निकालना, बेचना।

११. यंत्रपीडनकर्म—तिल, ईख, सरसों और एरंड आदि को पीलने का तथा रहट आदि चलाने का धंधा करना, तिलादि देकर तेल लेने का धंधा करना और इस प्रकार के यंत्रों को बनाकर आजीविका चलाना 'यंत्रपीडनकर्म' कहलाता है।

१२. निसाईठनकर्म—जानवरों की नाक बींधना—नत्थी करना, आंकना—डाम लगाना, बघिया-खस्सी करना, ऊंट आदि की पीठ गालना और कान तथा गल-कंबल का छेदन करना 'निलाईछनकर्म' कहा गया है।

१३. असतीपोषणकर्म—मैना, तोता, विल्ली, कुत्ता, मुर्गा एवं मयूर को पालना, दासी का पोषण करना—किसी को दास-दासी बनाकर रखना और पेंसा कमाने के लिए दुश्शील स्त्रियों को रखना 'असती पोषणकर्म' कहलाता है।

१४-१५. दवदाव तथा सरशोषणकर्म—आदत के वश होकर या पुण्य समझ कर दव-जंगल में आग लगाना 'दव-दाव' कहलाता है और तालाब, नदी, द्रह आदि को सुखा देना 'सरशोषकर्म' है।

टिप्पणि—उक्त पन्द्रह कर्मदान दिग्दर्शन के लिए हैं। इनके समान विशेष हिंसाकारी अन्य व्यापार-धंधे भी हैं, जो श्रावक के लिए त्याज्य हैं। यही बात अन्यान्य व्रतों के अतिचारों के संबंध में भी समझनी चाहिए। एक-एक व्रत के पांच-पांच अतिचारों के समान अन्य अतिचार भी व्रत रक्षा के लिए त्याज्य हैं।

—योगशास्त्र, तृतीय प्र. १०१-११३

८. अनर्थदण्डविरमणव्रत के अतिचार

आठवां ग्रन्थादण्डविरमणव्रत—चउच्छिवहे अणद्वावंडे पण्णते तं जहा—अबजभाणायरिए पमायायरिए हिंसप्पयाणे पावकम्मोवएसे (जिसमें आठ आगार—आए वा, राए वा, नाए वा, परिवारे वा, देवे वा, नागे वा, जक्खे वा, भूए वा, एत्तिएर्हि आगारेहि अण्णत्य) जावज्जीवाए दुविहं तिविहेण न करेमि, न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा एवं आठवां अणद्वावंडविरमणव्रत के पांच अहयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तं जहा ते आलोङ—कंबप्ये कुकुइए भोहरिए संजुत्ताहिगरणे उव-भोगपरिभोगाहरिते तस्स मिच्छा मि दुष्कर्णं।

भावार्थ विना प्रयोजन दोषजनक-हिंसाकारी कार्य करना अनर्थदण्ड है। इसके चार भेद हैं—अपद्यान, प्रमादचर्या, हिंसादान और पापोपदेश। इष्ट संयोग एवं अनिष्ट वियोग की चिता करना, दूसरों को हानि पहुँचाने आदि का विचार करना अर्थात् मन में किसी भी प्रकार का दुर्घटन करना अपद्यान है। असाधारणी से काम करना, धार्मिक कार्यों को त्याग कर दूसरे कार्यों में लगे रहना प्रमादचर्या है। दूसरों को हल, ऊखल-मूसल, तलवार-बन्दूक आदि विना प्रयोजन हिंसा के उपकरण देना हिंसादान है। पाप कार्यों का दूसरों को उपदेश देना पापोपदेश है।

मैं इन चारों प्रकार के अनर्थदण्ड का त्याग करता हूँ। (यदि आत्मरक्षा के लिए, राजा की आज्ञा से, जाति के तथा परिवार के, कुटुम्ब के मनुष्यों के लिए, यक्ष, भूत आदि देवों के वशीभूत होकर अनर्थदण्ड का सेवन करना पड़े तो इनका आगार (अपवाद—छूट) रखता हूँ। इन आगारों के सिवाय) मैं जन्मपर्यन्त अनर्थदण्ड का मन, वचन, काया से स्वयं सेवन नहीं करूँगा और न कराऊंगा।

यदि मैंने काम जागृत करने वाली कथाएँ की हों, भांडों की तरह दूसरों को हँसाने के लिए हंसी-दिल्लगी की हो या दूसरों की नकल की हो, निरर्थक बकवाद किया हो, तलवार, लखल, मूसल आदि हिंसाकारी हथियारों या औजारों का निष्प्रयोजन संग्रह किया हो, मकान बनाने आदि आरंभ-हिंसा का उपदेश दिया हो, अपनी तथा कुटुम्बियों की आवश्यकताओं के सिवाय अन्य, वस्त्र आदि का संग्रह किया हो तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सब पाप निष्फल हों ।

६. सामायिकद्वत के अतिचार

नववां सामायिकद्वत - सावज्जं जोगं पञ्चक्खामि जावनियमं पञ्जुवासामि, दुष्विहं तिविहेण न करेमि, न कारवेमि मणसा, वयसा, कायसा, ऐसी सद्दहुणा प्ररूपणा तो है, सामायिक का अवसर आए सामायिक करूँ तब फरसना करके शुद्ध होऊँ एवं नवमे सामायिकद्वत के पंच अहयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा ते आलोउँ—मणदुप्पणिहाणे, वयदुप्पणिहाणे, कायदुप्पणिहाणे, सामाइयस्स सह अकरण्या, सामाइयस्स अणवद्वियस्स करण्या तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ।

भावार्थ—मैं मन-वचन-काया की दुष्ट प्रवृत्ति को त्याग कर जितने काल का नियम किया है, उसके अनुसार सामायिकद्वत का पालन करूँगा । मन में बुरे विचार उत्पन्न नहीं होने से, कठोर या पापजनक वचन नहीं बोलने से, काया की हलन-चलन आदि क्रिया को रोकने से आत्मा में जो शांति-समाधि उत्पन्न होती है, उसको सामायिक कहते हैं । इसलिए मैं नियमपर्यन्त मन, वचन, काया से पापजनक क्रिया न करूँगा और न दूसरों से कराऊँगा । यदि मैंने सामायिक के समय में बुरे विचार किए हों, कठोर वचन या पापजनक वचन बोले हों, अयतनापूर्वक शरीर से चलना-फिरना, हाथ पांव को फैलाना-संकोचना आदि क्रियाएँ की हों, सामायिक करने का काल याद न रखा हो तथा अल्प-काल तक या अनवस्थित रूप से जैसे-तैसे ही सामायिक की हो तो (तस्स मिच्छा मि दुक्कड़) मैं आलोचना करता हूँ । मेरा वह सब पाप निष्फल हो ।

१०. देशावकाशिकद्वत के अतिचार

दसवां देशावगासिकद्वत दिन प्रति प्रभात से प्रतरंभ करके पूर्वादिक छहों दिशा में जितनी भूमिका की मर्यादा रखी हो, उसके उपरांत आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का पञ्चक्खाण जाव अहोरत्तं दुष्विहं तिविहेण न करेमि, न कारवेमि मणसा, वयसा, कायसा । जितनी भूमिका की मर्यादा रखी है, उसमें जो द्रव्यादिक की मर्यादा की है, उसके उपरान्त उपभोग-परिभोग निमित्स से भोगने का पञ्चक्खाण जाव अहोरत्तं एगविहं, तिविहेण न करेमि मणसा, वयसा, कायसा, एवं दसदें देशावगासिक द्वत के पंच अहयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा ते आलोउँ—ग्राणदण्डपश्चोगे, पेसदण्डपश्चोगे, सदाणुवाए, रुदाणुवाए, बहिया पुगलपक्खेवे, तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ।

भावार्थ—छठे दिग्द्वत में सदा के लिए जो दिशाओं का परिमाण किया है, देशावकाशिक द्वत में उसका प्रतिदिन संकोच किया जाता है । मैं उस संकोच किये गये दिशाओं के परिमाण से बाहर के क्षेत्र में जाने का तथा दूसरों को भेजने का त्याग करता हूँ । एक दिन और एक रात तक

परिमाण की गई दिशाओं से आगे मन, वचन, काया से न स्वयं जाऊंगा और न दूसरों को भेजूंगा। मर्यादित क्षेत्र में द्रव्यादि का जितना परिमाण किया है, उस परिमाण के सिवाय उपभोग-परिभोग निमित्त से भोगने का त्याग करता हूँ। मन, वचन, काया से मैं उनका सेवन नहीं करूंगा। देशादकाशिक व्रत की आराधना में यदि मैंने मर्यादा से बाहर की कोई वस्तु मंगाई हो, मर्यादा से बाहर के क्षेत्र में किसी वस्तु को मंगाने के लिए या लेन-देन करने के लिए किसी को भेजा हो, मर्यादा से बाहर के क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य को शब्द करके अपना ज्ञान कराया हो, मर्यादा से बाहर के मनुष्यों को बुलाने के लिए अपना या पदार्थ का रूप दिखाया हो या कंकर आदि फेंककर अपना ज्ञान कराया हो तो मैं आलोचना करता हूँ। मेरा वह सब पाप निष्फल हो।

११. पौषधव्रत के अतिचार

ग्यारहवां पडिपुण्यपौषधव्रत—असणं पाणं खाइमं साइमं का पञ्चकखाण, अबंभसेवन का पञ्चकखाण, अमुक मणि-सुवर्ण का पञ्चकखाण, माला-बन्नग-विलेवण का पञ्चकखाण, सत्थ मुसलादिक सावज्ज जोग सेवन का पञ्चकखाण जाव अहोरसं पञ्जुवासामि दुविहं तिविहेण न करेमि, न कारवेमि मणसा, वयसा, कायसा, ऐसी मेरी सद्दहणा प्ररूपणा तो है, पौषध का अवसरे पौषध करूँ तब फर-सना करके शुद्ध होऊँ एवं ग्यारहवां प्रतिपूर्णपौषधव्रत का पंच अहमारा जाणियब्दा न समायरि-यब्दा, तं जहा ते आलोउँ—अप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय सेज्जासंथारए, अप्पमज्जिय-दुप्पमज्जिय सेज्जा-संथारए, अप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय उच्चारपासवणभूमि, अप्पमज्जिय-दुप्पमज्जिय उच्चार-पासवणभूमि, पोसहस्त सम्मं अणणुपालण्या, तस्स मिछ्ठा मि दुक्कड़।

भावार्थ—मैं प्रतिपूर्ण पौषधव्रत के विषय में एक दिन एवं रात के लिए अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य इन चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। अग्रहाचर्य सेवन का, अमुक मणि-सुवर्ण आदि के आशूषण पहिनने का, फलमाला पहिनने का, चूर्ण और चन्दनादि के लेप करने का, तलवार आदि शस्त्र और हल, मूसल आदि औजारों के प्रयोग सबंधी जितने सावद्य व्यापार हैं, उन सबका त्याग करता हूँ। यावत् एक दिन-रात पौषधव्रत का पालन करता हुआ मैं उक्त पाप-क्रियाओं को मन, वचन, काया से नहीं करूंगा और न अन्य से करवाऊंगा, ऐसी मेरी श्रद्धा-प्ररूपणा तो है किन्तु पौषध का समय आने पर जब उसका पालन करूंगा तब शुद्ध होऊंगा। पौषधव्रत के समय शय्या के लिए जो कुश, कम्बल आदि आसन हैं उनका मैंने प्रतिलेखन और प्रमार्जन नहीं किया हो अथवा यतनापूर्वक अच्छी तरह प्रतिलेखन और प्रमार्जन न किया हो, मल-मूत्र त्याग करने की भूमि का प्रतिलेखन और प्रमार्जन न किया हो अथवा अच्छी तरह से न किया हो तथा सम्यक् प्रकार आगमोक्त मर्यादा के अनुसार पौषध का पालन न किया हो तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरा सब पाप निष्फल हो।

१२. अतिथिसंविभागव्रत के अतिचार

दारहवां अतिथिसंविभागव्रत—समणे निष्ठांये फासुयएसजिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइम-वथ्य-पडिग्ह-कंबल-पायपुँछणेणं पडिहारिय-पीढ़-फलक-सेज्जा-संथारएणं ओसह-मेसज्जेणं पडिलाभेपणे विहरामि, ऐसी मेरी सद्दहणा प्ररूपणा है, साधु-साध्वी का व्रोग मिलने पर निर्वोष दान हूँ।

तब शुद्ध होऊँ एवं बारहवें अतिथिसंविभागब्रत के पंच आइयारा आणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा
ते आलोऊँ—सचित्तनिक्षेपण्या, सचित्तपिहण्या, कालाइकमे, परववएसे, मच्छरिम्माए । जो मे
वेवासिप्पो आइयारो कम्मो तस्स मिळा मि दुष्कर्ण ।

भावार्थ—मैं अतिथिसंविभागब्रत का पालन करने के लिए नियन्त्र साधुओं को अचित्त, दोष
रहित अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य आहार का, वस्त्र पात्र कम्बल पाद-पोञ्चन, चौकी, पट्टा, संस्तारक
ओषधि आदि का साधु-साध्वी का योग मिलने पर दान दूँ तब शुद्ध होऊँ, ऐसी मेरी श्रद्धा प्ररूपणा
है । यदि मैंने साधु के योग्य अचित्त वस्तु को सचित्त वस्तु पर रखा हो, अचित्त वस्तु को सचित्त
वस्तु से ढका हो, भोजन के समय से पहले या पीछे साधु को भिक्षा के लिए प्रार्थना की हो, दान
देने योग्य वस्तु को दूसरे की बता कर साधु को दान नहीं दिया हो, दूसरे को दान देते इर्ष्या की हो,
मत्सरभाव से दान दिया हो, तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरा वह सब पाप
निष्फल हो ।



[५]

पञ्चमाध्ययन : कायोत्सर्ग

पांचवां आवश्यक कायोत्सर्ग है। निग्रन्थ-परम्परा का यह एक पारिभाषिक शब्द है। यो 'काय' और 'उत्सर्ग' शब्दों के मिलने से यह शब्द निष्पन्न हुआ है, किन्तु इसका अर्थ काय—शरीर का उत्सर्ग—त्याग करना नहीं, वरन् शरीर के ममत्व का त्याग करना है। समस्त जागतिक वस्तुओं पर जो ममत्वभाव उत्पन्न होता है, उसका मूल शरीर ही है। जिस साधक के मन में शरीर के प्रति ममता न रह जाए, अन्य प्रत्यक्षतः भिन्न दिखने वाले पदार्थों पर उसमें ममता रह ही नहीं सकती। मुक्तिपथ का पथिक साधक प्रभु के समक्ष इसीलिए यह प्रार्थना—कामना करता है—

शरीरतः कर्तुं मनस्तशक्तिः,
विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम् ।
जिनेन्द्र ! कोषादिव खड्गर्णिष्ठ,
तथ प्रसादेन ममास्तु शक्तिः ॥ —आचार्य अमितगति

अर्थात् हे जिनेन्द्र ! आपके प्रसाद से मुझमें ऐसी शक्ति आविर्भूत हो जाए कि मैं अपने आपको—अपने आत्मा को उसी प्रकार शरीर से पृथक् कर सकूँ, जिस प्रकार म्यान से तलवार को पृथक् कर लिया जाता है।

इस प्रकार की कामना करते-करते साधक एक दिन उस उच्च स्थिति पर पहुँच जाता है, जिसके लिए आगम निर्देश करता है—

‘अवि अप्यणो वि देहंमि नायरंति ममाइयं ।’ —दशवैकालिक

अर्थात् अपने देह पर भी साधक का ममभाव नहीं रहता।

इस प्रकार देह में रहते हुए भी देहातीत दशा प्राप्त हो जाना महत्वपूर्ण साधना है। इसी को प्राप्त करने के स्पृहणीय उद्देश्य से कायोत्सर्ग किया जाता है और इसे आवश्यकों में परिगणित किया है। यह एक प्रकार का प्रायश्चित्त भी है, जिसके द्वारा पूर्वकृत पापों का विनाश होता है और साधना में निर्मलता आती है—

तस्स उत्तरीकरणेण, पायचित्तकरणेण, विसोहीकरणेण, विसल्लोकरणेण पादाणं कम्माणं णिग्धायणद्वाए ठामि काउस्तगां ।

अर्थात् संयम को अधिक उच्च बनाने के लिए, प्रायश्चित्त करने के लिए, विशुद्धि करने के लिए, आत्मा को शत्यरहित करने के लिए और पाप-कर्मों का समूल नाश करने के लिए मैं कायोत्सर्ग करता हूँ।

कायोत्सर्ग दो प्रकार का है—द्रव्यकायोत्सर्ग और भावकायोत्सर्ग। शारीरिक चेष्टाओं—व्यापारों का त्याग करके, जिन-मुद्रा से एक स्थान पर निश्चल खड़े रहना द्रव्यकायोत्सर्ग है। आर्ति

और रीढ़ ध्यानों का त्याग कर धर्मध्यान एवं शुक्लध्यान में निरत होना, मन में शुभ भावनाओं का प्रवाह बहाना, आत्मा को अपने शुद्ध मूलस्वरूप में प्रतिष्ठित करना—

‘सो पुण काउत्सर्गो वच्चतो भावतो य भवति, वच्चतो कायचेद्वानिरोहो, भावतो काउत्सर्गो भाणं ।’
—आचार्य जिनदास

उत्तराध्ययनसूत्र में कायोत्सर्ग को समस्त दुःखों से सर्वथा मुक्त करने वाला कहा गया है ।

कायोत्सर्ग हो अथवा अन्य कोई किया, भावपूर्वक करने पर ही वास्तविक फलप्रद होती है । ऊपर कायोत्सर्ग का जो महत्त्व प्रदर्शित किया गया है, वह वस्तुतः भावपूर्वक किये जाने वाले कायोत्सर्ग का ही महत्त्व है । भावविहीन मात्र द्रव्यकायोत्सर्ग आत्माविशुद्धि का कारण नहीं होता । इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए एक आचार्य ने कायोत्सर्ग के चार रूपों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं—

१. उत्थित-उत्थित—कायोत्सर्ग करने वाला साधक जब द्रव्य के साथ भाव से भी खड़ा होता है अर्थात् दुष्ट्यान से हट कर जब धर्म-शुक्लध्यान में रमण करता है, तब वह उत्थित-उत्थित कायोत्सर्ग करता है । यह रूप सर्वथा उपादेय है ।

२. उत्थित-निविष्ट—द्रव्य से खड़ा होना, भाव से खड़ा न होना अर्थात् दुष्ट्यान करना । यह रूप हेय है ।

३. उपविष्ट-उत्थित—कोई अशक्त या अतिवृद्ध साधक खड़ा नहीं हो सकता, किन्तु भाव से खड़ा होता है—शुभध्यान में लीन होता है, तब वह कायोत्सर्ग उपविष्ट-उत्थित कहलाता है । यह रूप भी उपादेय है ।

४. उपविष्ट-निविष्ट—कोई प्रमादशील साधक जब शरीर से भी खड़ा नहीं होता और भाव से भी खड़ा नहीं होता तब कायोत्सर्ग का यह रूप होता है । यह वास्तव में कायोत्सर्ग नहीं, किन्तु कायोत्सर्ग का दम्भमात्र है ।

पंचम आवश्यकरूप कायोत्सर्ग करते समय यद्यपि अन्यान्य पाठों का भी उच्चारण किया जाता है, परन्तु ‘लोगस्स’ का ध्यान ही इसका प्रमुख अंग है । अन्यत्र उत्तिष्ठित विधि से यह सब स्पष्ट हो जाएगा ।



षट्ठाध्ययन : प्रत्याख्यान

दसविहे पञ्चकस्ताणे पण्णते, तं जहा—

‘ग्रणागयमहकंतं, कोटीसहितं नियंटियं चेव ।

सागारमणागारं, परिमाणकडं निरवसेसं ।

संकेयं चेव ग्रद्वाए, पञ्चकस्ताणं भवे दसहा ॥’

पिछले अध्ययनों में प्रतिक्रमण एवं कायोत्सर्ग द्वारा पूर्वसञ्चित कर्मों का क्षय कहा गया है। इस छठे अध्ययन में नवीन बंधने वाले कर्मों का निरोध कहा जाता है। अथवा पांचवें अध्ययन में कायोत्सर्ग द्वारा अतिचार रूप व्रत की चिकित्सा का निरूपण किया गया है। चिकित्सा के अनन्तर गुण की प्राप्ति होती है, अतः ‘गुणधारण’ नामक इस प्रत्याख्यान अध्ययन में मूलोत्तर गुण की धारणा कहते हैं।

भविष्य में लगने वाले पापों से निवृत्त होने के लिए गुरुसाक्षी या आत्मसाक्षी से हेय वस्तु के त्याग करने को प्रत्याख्यान कहते हैं। प्रत्याख्यान भविष्यत्कालिक पापों का निरोधक है। वह दस प्रकार का है—

(१) अनागत—वैयावृत्य आदि किसी अनिवार्य कारण से, नियत समय से पहले ही तप कर लेना।

(२) अतिक्रान्त—कारणवश नियत समय के बाद तप करना।

(३) कोटिसहित—जिस कोटि (चतुर्थभक्त आदि के क्रम) से तप प्रारम्भ किया, उसी से समाप्त करना।

(४) नियन्त्रित—वैयावृत्य आदि प्रबल कारणों के हो जाने पर भी संकलिप्त तप का परित्याग न करना। (यह प्रत्याख्यान वज्रऋषभनाराचसंहननधारी अनगार ही कर सकते हैं।)

(५) साकार—जिसमें उत्सर्ग (अवश्य रखने योग्य ग्रणत्यणाभोग और सहसागाररूप) तथा अपवाद रूप आगार रखे जाते हैं, उसे साकार या सागार कहते हैं।

(६) अनाकार—जिस तप में अपवादरूप आगार न रखे जाएं, उसे अनाकार कहते हैं।

(७) परिमाणकृत—जिसमें दत्ति आदि का परिमाण किया जाय।

(८) निरवशेष—जिसमें अशनादि का सर्वथा त्याग हो।

(९) संकेत—जिसमें मुट्ठी खोलने आदि का संकेत हो, जैसे—“मैं जब तक मुट्ठी नहीं खोलूँगा तब तक मेरे प्रत्याख्यान है” इत्यादि।

(१०) अद्वाप्रत्याख्यान—मुहूर्त, पौरुषी आदि काल की अवधि के साथ किया जाने वाला प्रत्याख्यान ।

१. नमस्कारसहितसूत्र

उग्गाए सूरे नमोक्कारसहितं पञ्चवक्षामि चउच्चिह्नं पि आहारं—असणं, पाणं, खाइमं, साइमं । अप्रत्ययाभोगेण, सहसागारेण, बोसिरामि ।

भावार्थ—सूर्य उदय होने पर नमस्कारसहित—दो घड़ी दिन चढ़े तक का (नोकारसी का) प्रत्याख्यान ग्रहण करता हूँ और अशन, पान, खादिम तथा स्वादिम—इन चारों ही प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ ।

प्रस्तुत प्रत्याख्यान में दो आगार अर्थात् अपवाद हैं—अनाभोग—अत्यन्त विस्मृति और सहसाकार—शीघ्रता (अचानक) । इन दो आगारों के सिवा चारों आहार बोसिराता हूँ—त्याग करता हूँ ।

विवेचन—नमस्कारसहित अर्थात् सूर्योदय से लेकर दो घड़ी दिन चढ़े तक यानी मुहूर्त भर के लिये नमस्कार पढ़े बिना आहार ग्रहण नहीं करना । साधारण बोलचाल की भाषा में इसे 'नवकारसी' (नोकारसी) कहते हैं ।

चार प्रकार का आहार

(१) अशन—इसमें रोटी, चावल आदि सभी प्रकार का भोजन आ जाता है ।

(२) पान—दूध, पानी आदि सभी पीने योग्य चीजें पान में समाविष्ट हैं । किन्तु परम्परा के अनुसार यहाँ पान से केवल जल ही ग्रहण किया जाता है ।

(३) खादिम—मेवा, फल आदि । कुछ आचार्य मिष्टान्न को अशन में ग्रहण करते हैं और कुछ खादिम में ।

(४) स्वादिम—लौंग, इलायची, सुपारी आदि मुखवास को स्वादिम माना है । इस आहार में उदरपूर्ति की दृष्टि न होकर मुख्यतया मुख के स्वाद की दृष्टि होती है ।

संस्कृत भाषा का 'आकार' ही प्राकृत भाषा में 'आगार' कहलाता है । आकार का अर्थ—अपवाद माना जाता है । अपवाद का अर्थ है—यदि किसी विशेष स्थिति में त्याग की हुई वस्तु सेवन कर ली जाए या करनी पड़ जाए तो प्रत्याख्यान भंग नहीं होता है । अतएव व्रत अगीकार करते समय आवश्यक आगार रखना चाहिये । ऐसा न करने पर व्रत भंग की संभावना रहती है—

'आक्रियते विधीयते प्रत्याख्यानभंगपरिहारार्थमित्याकारः'—'प्रत्याख्यानं च अपवादरूपाकार-सहित कर्तव्यम्, अन्यथा तु भंगः स्यात् ।' —आचार्य हेमचन्द्र (योगशास्त्र)

अनाभोग और सहसाकार दोनों ही आगारों के सम्बन्ध में यह बात है कि जब तक पता न चले, तब तक तो व्रत भंग नहीं होता । परन्तु पता चल जाने के बाद भी मुख में ग्रास ले लिया हो और उसे थूके नहीं एवं आगे खाना बन्द नहीं करे तो व्रत भंग हो जाता है । अतः साधक का कर्तव्य है कि जैसे ही पता चले, भोजन बन्द कर दे और जो कुछ मुख में हो, वह सब यतना के साथ थूक दे । ऐसा न करे तो व्रत भंग हो जाता है ।

२. पौरुषीसूत्र

उगाए सूरे पोरिसि पञ्चक्षामि; चउम्बिहं पि आहारं—प्रसाणं, पाणं, खाइमं, साइमं ।

अन्नस्त्यङ्गभोगेण, सहसागारेण, पञ्चलक्षकालेण, दिशामोहेण, साहुवयणेण, सर्वसमाहित्यस्तियागारेण, बोसिरामि ।

भावार्थ—पौरुषी का प्रत्याख्यान करता हूँ । सूर्योदय से लेकर अशन, पान, खादिम और स्वादिम चारों ही प्रकार के आहार का एक प्रहर दिन चढ़े तक त्याग करता हूँ ।

इस व्रत के आगार छह हैं—(१) अनाभोग, (२) सहसाकार, (३) प्रच्छन्नकाल, (४) दिशामोह, (५) साधुवचन, (६) सर्वसमाधिप्रत्ययाकार । इन छह आकारों के सिवाय पूर्णतया चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ ।

विवेचन—सूर्योदय से लेकर एक प्रहर दिन चढ़े तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, पौरुषी-प्रत्याख्यान है ।

पौरुषी का शाब्दिक अर्थ है—‘पुरुष-प्रमाण छाया’ । एक प्रहर दिन चढ़ने पर मनुष्य की छाया घटते-घटते अपने शरीर प्रमाण लम्बी रह जाती है । इसी भाव को लेकर ‘पौरुषी’ शब्द प्रहर-परिमित कालविशेष के अर्थ में लक्षणा वृत्ति के द्वारा रूढ़ हो गया है ।

पौरुषी के छह आगार इस प्रकार हैं—

(१) अनाभोग—प्रत्याख्यान की विस्मृति—उपयोगशून्यता हो जाने से भोजन कर लेना ।

(२) सहसाकार—अकस्मात् जल आदि का मुख में चले जाना ।

(३) प्रच्छन्नकाल—बादल अथवा आंधी आदि के कारण सूर्य के ढक जाने से पौरुषी पूर्ण हो जाने की भ्रान्ति से आहार कर लेना ।

(४) दिशामोह—पूर्व को पश्चिम समझ कर पौरुषी न आने पर भी सूर्य के ऊंचा चढ़ आने की भ्रान्ति से अशनादि सेवन कर लेना ।

(५) साधुवचन—‘पौरुषी आ गई’ इस प्रकार किसी आप्त पुरुष के कहने पर बिना पौरुषी आए ही पौरुषी का पारण कर लेना ।

(६) सर्वसमाधिप्रत्ययाकार—किसी आकस्मिक शूल आदि तीव्र रोग की उपशांति के लिए औषधि आदि ग्रहण करना ।

प्रच्छन्नकाल, दिशामोह और साधुवचन, उक्त तीनों आगारों का अभिप्राय यह है कि भ्रान्ति के कारण पौरुषी पूर्ण न होने पर भी पूर्ण समझकर भोजन कर ले तो व्रत भंग नहीं होता है । यदि भोजन करते समय यह भालूम हो जाए कि अभी पौरुषी पूर्ण नहीं हुई है तो उसी समय भोजन करना छोड़ देना चाहिए ।

पौरुषी के समान ही सार्धपौरुषी-प्रत्याख्यान, भी होता है । इसमें डेढ़ प्रहर दिन चढ़े तक आहार का त्याग करना होता है । अतः जब उक्त सार्धपौरुषी का प्रत्याख्यान करना हो तब ‘पोरिसि’ के स्थान पर ‘सङ्घपोरिसि’ पाठ बोलना चाहिए ।

३. पूर्वार्धसूत्र

उग्रे सूरे, पुरिमढ़ं पच्चश्छामि; चउव्विहं पि आहारं—अशनं, पाणं, खाइमं, साइमं ।

अन्तर्गत्यजाभोगेण, सहसागारेण, पञ्चलकालेण, दिसामोहेण, साधुवयणेण, महत्तरागारेण, सर्वसमाहित्यतियागारेण दोसिरामि ।

आवार्य- सूर्योदय से लेकर दिन के पूर्वार्ध तक अर्थात् दो प्रहर तक चारों प्रकार के आहार—अशन, पान, खादिम, स्वादिम का प्रत्याख्यान करता हूँ ।

अनाभोग, सहसाकार, प्रच्छन्तकाल, दिशामोह, साधुवचन, महत्तराकार और सर्वसमाधि-प्रत्ययाकार, इन सात आगारों के सिवाय पूर्णतया आहार का त्याग करता हूँ ।

विवेचन—यह पूर्वार्ध-प्रत्याख्यान का सूत्र है । इसमें सूर्योदय से लेकर दिन के पूर्व भाग तक अर्थात् दो प्रहर दिन चढ़े तक चारों तरह के आहार का त्याग किया जाता है ।

प्रस्तुत प्रत्याख्यान में सात आगार माने गए हैं । छह तो पूर्वोक्त पौरषी के ही आगार हैं, सातवां आगार महत्तराकार है । ‘महत्तराकार’ में ‘महत्तर’ शब्द का अर्थ दो प्रकार से किया गया है— महत्तर अर्थात् अपेक्षाकृत महान् पुरुष आचार्य, उपाध्याय आदि गच्छ या संघ के प्रमुख तथा अपेक्षाकृत महान् निर्जरा वाला कोई प्रयोजन या कार्य, तदनुसार अर्थ है कि महान्- अपेक्षाकृत अधिक निर्जरा को ध्यान में रखकर रोगी आदि की सेवा के लिए या श्रमणसंघ के किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए निश्चित समय से पहले ही प्रत्याख्यान पार लेना । यहाँ महत्तर का अर्थ है—महान् निर्जरा-साधक प्रयोजन । यथा आचार्य सिद्धसेन ने लिखा है—

‘महत्तरं—प्रत्याख्यानपालनवशालभ्यनिर्जरापेक्षया बृहत्तरनिर्जरातामहेतुभूतं, पुरुषान्तरेण साधयितुमशक्यं ग्लानचेत्यसंघादि-प्रयोजनं, तदेव आकारः—प्रत्याख्यानापवादो महत्तराकारः ।’

अर्थात्—प्रत्याख्यान के पालन से जितनी निर्जरा होती है, उससे भी महान् निर्जरा का कारण एवं किसी अन्य पुरुष से जो न हो सकता हो, ऐसा कोई हण्डमुनि की सेवा या संघ संबंधी कोई प्रयोजन उपस्थित हो जाना महत्तराकार है । ऐसी स्थिति में यदि समय से पूर्व आहार ग्रहण कर लिया जाए तो व्रतभंग नहीं होता । इस अर्थ के अनुसार आचार्यादि के आदेश के विना भी व्रतधारी अपने विवेक से ही इस आगार का सेवन कर सकता है ।

किन्तु आचार्य नमि प्रतिक्रमण-सूत्र वृत्ति में लिखते हैं—

“अतिशयेन महान् महत्तर आचार्यादिस्तस्य वचनेन मर्यादिया करणं महत्तराकारो, यथा केनादि साधुना भक्तं प्रत्याख्यातं, ततश्च कुल-गण-संघादि-प्रयोजनमनन्यसाध्यमुत्पन्नं, तत्र चासौ महत्तरेराचार्याद्वैनियुक्तः, ततश्च यदि शक्नोति तथेव करुं तदा करोति; अथ न, तदा महत्तर-कावेशन भुज्जानस्य न भंग इति ।”

तात्पर्य यह है—जो बहुत महान् हों, वे आचार्यादि महत्तर कहलाते हैं । उनके आदेश से मर्यादापूर्वक जो किया जाए वह महत्तरागार कहलाता है । यथा—किसी साधु ने आहार का त्याग किया । उसके पश्चात् कुल, गण या संघ आदि का कोई कार्य आ पड़ा और वह कार्य भी ऐसा कि

दूसरे के द्वारा हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में यदि प्रत्याख्यान का पालन करता हुआ उस कार्य को कर सके तो करे। यदि प्रत्याख्यान के साथ वह कार्य सम्पन्न न कर सके तो आहार कर ले। इस अवस्था में प्रत्याख्यान भंग नहीं होता। इस अर्थ के अनुसार आचार्यादि महान् पुरुष 'महत्तर' हैं। उनके आदेश से ही यह आगार सेवन किया जा सकता है।

पूर्वार्ध-प्रत्याख्यान के समान ही अपार्ध-प्रत्याख्यान भी होता है। अपार्ध-प्रत्याख्यान का अर्थ है—तीन प्रहर दिन चढ़े तक आहार ग्रहण न करना। अपार्ध-प्रत्याख्यान ग्रहण करते समय 'पुरिमड्डं' के स्थान में 'अवड्डं' पाठ बोलना चाहिये। शेष पाठ दोनों प्रत्याख्यानों का समान है।

४. एकासनसूत्र

एगासणं पञ्चकस्त्रामि तिविहं पि आहारं प्रसणं, खाइमं, साइमं।

अश्वस्थउणाभोगेण, सहसागारेण, सागारियागारेण, आउटण-पसारणेण, गुरु-अब्द्धुट्ठाणेण, पारिट्ठावणियागारेण, महत्तरागारेण, सध्वसमाहित्वत्तियागारेण वोसिरामि।

आवार्थ—मैं एकाशन तप स्वीकार करता हूँ। फलतः अशन, खादिम और स्वादिम—इन तीनों प्रकार के आहारों का प्रत्याख्यान करता हूँ। इस व्रत के आगार आठ हैं, यथा—

(१) अनाभोग, (२) सहसागार, (३) सागारिकाकार, (४) आकुञ्चन-प्रसारण, (५) गुर्वभ्युत्थान, (६) पारिष्ठापनिकाकार, (७) महत्तराकार, (८) सर्वसमाधिप्रत्ययाकार। उक्त आठ आगारों के सिवा आहार का त्याग करना हूँ।

विवेचन—दिन में एक बार भोजन करना, एकाशन तप कहलाता है। एकाशन का अर्थ है—एक+अशन, 'अर्थात् एक बार भोजन करना।

प्रत्याख्यान, गृहस्थ तथा साधु दोनों के लिए समान ही है। फिर भी गृहस्थ को ध्यान रहे कि वह एकाशन में अचित्त अर्थात् प्रासुक आहार-पानी ही ग्रहण करे। साधु को तो यावज्जीवन के लिए अप्रासुक आहार का त्याग ही है। श्रावक को मूल पाठ बोलते समय 'पारिट्ठावणियागरेण' पाठ नहीं बोलना चाहिए।

एकाशन और द्विकाशन में भोजन करते समय तो यथेच्छ चारों आहार लिए जा सकते हैं, परन्तु भोजन के बाद शेषकाल में भोजन का त्याग होता है। यदि एकाशन तिविहार करना हो तो शेषकाल में पानी पिया जा सकता है। यदि चउविहार करना हो तो पानी भी नहीं पिया जा सकता। यदि दुविहार करना हो तो भोजन के बाद पानी तथा स्वादिम—मुख्वास लिया जा सकता है। आज-

१. 'एगासण' प्राकृत-शब्द है, जिसके संस्कृत रूपान्तर दो होते हैं—'एकाशन' और 'एकासन'।

(१) 'एकाशन' का अर्थ है—एक बार भोजन करना।

(२) 'एकासन' का अर्थ है—एक आसन से भोजन करना।'

'एगासण' में दोनों ही अर्थ ग्राह्य हैं। 'एकं सहृद् अशनं—भोजनं एकं वा आसनं—पुताचलनतो यत्र प्रत्याख्याने तदेकाशनमेकाशनं वा, प्राहुते द्वयोरपि एगासणमिति रूपम्।'

—प्रवचनसारोद्धारवृत्ति

आचार्य हरिभद्र एकाशन की व्याख्या करते हैं कि एक बार बैठकर फिर न उठते हुए भोजन करना।

'एकाशनं नाम सहृदुपविष्ट पताचालनेन भोजनम्।'

—आवश्यकवृत्ति

कल तिविहार एकाशन की प्रथा ही प्रचलित है, अतः मूलपाठ में 'तिविहं' पाठ दिया है। यदि चउविहार करना हो तो 'चउविहं पि आहारं असणं, पाणं, खाइमं, साइमं' ऐसा पाठ बोलना चाहिए।

दुविहार-एकाशन की परम्परा प्राचीनकाल में थी। आज के युग में इसका प्रचलन बहुत कम है, यद्यपि सर्वथा का अभाव नहीं है।

एकाशन में आठ आगार होते हैं। चार पहले आ चुके हैं, शेष चार इस प्रकार हैं—

१. सागारिकाकार—आगम की भाषा में सागारिक गृहस्थ को कहते हैं। गृहस्थ के आ जाने पर उसके सम्मुख भोजन करना निषिद्ध है। अतः सागारिक के आने पर साधु का भोजन करना छोड़कर यदि बीच में ही उठकर, एकान्त में जाकर पुनः दूसरी बार भोजन करना पड़े तो व्रत भंग नहीं होता है।

२. आकुञ्चनप्रसारण—भोजन करते समय सुन्न पड़ जाने पर हाथ, पैर आदि अंगों का सिकोड़ना या फैलाना।

३. गुर्वभ्युत्थान—गुरुजन एवं किसी अतिथिविशेष के आने पर उनका विनय-सत्कार करने के लिए उठना, खड़े होना।

प्रस्तुत आगार का आशय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गुरुजन एवं अतिथिजन के आने पर ग्रवश्य ही उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। उस समय यह भ्रांति नहीं रखनी चाहिए कि 'एकासन में उठकर खड़े होने का विधान नहीं है। अतः उठने या खड़े होने से व्रत भंग के कारण मुझे दोष लगेगा।' गुरुजनों के लिए उठने में कोई दोष नहीं है, इससे व्रत भंग नहीं होता, प्रत्युत विनय तप की आराधना होती है। आचार्य सिद्धसेन लिखते हैं—

‘गुरुणामभ्युत्थानाहृत्वादवश्यं भुज्जानेनाऽप्युत्थानं कर्त्तव्यमिति, न तत्र प्रस्थाख्यानभङ्गः ।’

—प्रवचनसारोद्घारवृत्ति

४. पारिष्ठापनिकाकार—जैन मुनि के लिए विधान है कि वह अपनी आवश्यक क्षुधापूर्ति के लिए परिमित मात्रा में ही आहार लाए, अधिक नहीं। तथापि कभी भ्रांतिवश यदि किसी मुनि के पास आहार अधिक आ जाय और वह परठना—डालना पड़े तो आहार को गुरुदेव की आज्ञा से तपस्वी मुनि को ग्रहण कर लेना चाहिए।

आचार्य सिद्धसेन ने कहा है आहार को परठ देने में बहुत दोषों की सम्भावना रहती है और उसे ग्रहण—भक्षण कर लेने में आगमिक न्याय के अनुसार गुण-लाभ है, अतएव गुरु की आज्ञा से पुनः उसका उपभोग कर लेने से व्रत-भंग नहीं होता।'

५. एगट्राणपञ्चकखाण

एकासणं एगट्राणं पञ्चकखामि, तिविहं^२ पि आहारं असणं, खाइमं, साइमं ।

प्रान्तस्थिरणाभोगेण, सहसागारेण, सागारियागारेण, गुरुभ्रम्भट्टाणेण, पारिद्वावणियागारेण, महसरागारेण, सञ्चसमाहित्यागारेण बोसिरामि ।

१. प्रवचनसारोद्घारवृत्ति ।

२. चारों प्रकार के आहार का त्याग करना हो तो 'चउविहं पि' ऐसा पाठ बोलना चाहिए।

भावार्थ—एकाशन रूप एकस्थान व्रत को ग्रहण करता हूँ। अशन, खादिम और स्वादिम तीनों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान करता हूँ।

(१) अनाभोग, (२) सहसाकार, (३) सागारिकाकार, (४) गुर्वभ्युत्थान, (५) पारिष्ठापनिकाकार, (६) महत्तराकार और (७) सर्वसमाधि-प्रत्ययाकार—उक्त सात आगारों के सिवा पूर्णतया आहार का त्याग करता हूँ।

विवेचन—यह एकस्थान का सूत्र है। एकस्थानान्तर्गत 'स्थान' शब्द 'स्थिति' का वाचक है। अतः एक स्थान का फलितार्थ है—'दाहिने हाथ एवं मुख के अतिरिक्त शेष सब अंगों को हिलाए बिना, दिन में एक ही आसन से और एक ही बार भोजन करना। अर्थात् भोजन प्रारम्भ करते समय जो स्थिति, जो अंगविन्यास हो, जो आसन हो, उसी स्थिति, अंगविन्यास एवं आसन से भोजन की समाप्ति तक बैठे रहना चाहिए।'

आचार्य जिनदास ने आवश्यकचूर्ण में एक स्थान की यही परिभाषा की है—'एकटुणे जं जथा अंगुवंगं ठवियं तहेव समुद्दिसितव्वं, आगारे से आउंटणपसारणं नत्थि, सेसा सत्त तहेव।'

एक स्थान की अन्य विधि सब 'एकाशन' के समान है। केवल हाथ, पैर आदि के आकुञ्चन-प्रसारण का आगार नहीं रहता। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में 'आउंटणपसारणेण' का उच्चारण नहीं किया जाता है।

६. आचाम्ल-आयंविलप्रत्याख्यानसूत्र

आयंविलं पच्छक्षामि, अन्नस्थडणाभोगेण, सहसागारेण, लेपालेपेण, उक्षित्तविवेगेण, गिहि-संसद्वेण, पारिट्टुवाणियागारेण, महत्तरागारेण, सब्दसमाहिवत्तियागारेण बोसिरामि ।

भावार्थ—आयंविल अर्थात् आचाम्ल तप ग्रहण करता हूँ। अनाभोग, सहसाकार, लेपालेप, उक्षित्तविवेक, गृहस्थसंसृष्ट, पारिष्ठापनिकाकार, महत्तराकार, सर्वसमाधिप्रत्ययाकार—उक्त आठ आकार अर्थात् अपवादों के अतिरिक्त अनाचाम्ल आहार का त्याग करता हूँ।

विवेचन—आचाम्ल व्रत में दिन में एक बार रुक्ष, नीरस एवं विकृति-रहित आहार ही ग्रहण किया जाता है, दूध, दही, घी, तेल, गुड़, शक्कर, पक्वान्न आदि किसी भी प्रकार का स्वादु भोजन, आचाम्ल-व्रत में ग्रहण नहीं किया जा सकता। प्राचीन आचारग्रन्थों में चावल, उड़द अथवा सत्तू आदि में से किसी एक के द्वारा ही आचाम्ल करने का विधान है।

एकाशन और एकस्थान की अपेक्षा आयंविल का महत्त्व अधिक है। एकाशन और एकस्थान में तो एक बार के भोजन में यथेच्छ सरस आहार भी ग्रहण किया जा सकता है, परन्तु आयंविल के एक बार के भोजन में तो केवल उबले हुए उड़द के बाकले आदि लवण रहित, नीरस आहार ही ग्रहण किया जाता है। भावार्थ यह है कि आचाम्ल तप में रसलोलुप्ता पर विजय प्राप्त करने का महान् आदर्श है। जिह्वेन्द्रिय का संयम, एक बहुत बड़ा संयम है।

आयंविल भी साधक की इच्छानुसार चतुर्विधाहार एवं त्रिविधाहार किया जाता है। चतुर्विधाहार करना हो तो, 'चउविवहं पि आहारं असणं, खाइमं, साइमं' बोलना चाहिए और त्रिविधि में पाणं नहीं बोलना चाहिये।

आर्यंबिल में आठ आगार माने गए हैं। आठ में से पांच आगार तो पूर्व प्रत्याख्यानों के समान ही हैं, नवीन तीन आगार इस प्रकार हैं—

१. लेपालेप—आचाम्लव्रत में ग्रहण न करने योग्य शाक तथा घृत आदि विकृति से यदि पात्र अथवा हाथ आदि लिप्त हो और दाता गृहस्थ यदि उसे पोंछकर उनके द्वारा आचाम्ल-योग्य भोजन बहराए तो ग्रहण कर लेने पर व्रत भंग नहीं होता है।

'लेपालेप' शब्द 'लेप' और 'अलेप' मिलकर बना है। लेप का अर्थ घृतादि से पहले लिप्त होना है। अलेप का अर्थ है बाद में उसको पोंछकर अलिप्त कर देना। पोंछ देने पर भी विकृति का कुछ अंश लिप्त रहता ही है। अतः आचाम्ल में लेपालेप का आगार रखा जाता है।

‘लेपद्वच ग्रलेपद्वच लेपालेपं तस्मादन्यत्र, भाजने विकृत्याद्यव्यवस्थावेऽपि न-भङ्गः इत्यर्थः ।’
—प्रवचनसारोद्धारवृत्ति

२. उत्क्षिप्त-विवेक—शुष्क ओदन एवं रोटी आदि पर गुड़ तथा शक्कर आदि अद्वा—सूखी विकृति पहले से रखी हो, आचाम्लव्रतधारी मुनि को यदि कोई वह विकृति उठाकर रोटी आदि देना चाहे तो ग्रहण की जा सकती है। उत्क्षिप्त का अर्थ उठाना है और विवेक का अर्थ है—हटाना—उठाने के बाद उसका न लगा रहना।

३. गृहस्थसंसृष्ट—घृत अथवा तेल आदि विकृति से छोंके हुए कुल्माष आदि लेना गृहस्थ-संसृष्ट आगार है। उक्त आगार में यह ध्यान रखने की बात है कि यदि विकृति का अंश स्वल्प हो, तब तो व्रत भंग नहीं होता, परन्तु विकृति यदि अधिक मात्रा में हो तो वह ग्रहण कर लेने से व्रत भंग का निमित्त बनती है।

कुछ आचार्यों की मान्यता है कि लेपालेप, उत्क्षिप्त-विवेक, गृहस्थसंसृष्ट और पारिष्ठापनि-कागार -ये चार आगार साधु के लिए ही हैं, गृहस्थ के लिए नहीं।

७. अभक्तार्थ—उपवाससूत्र

उग्रए सूरे, अभत्तटं पञ्चकखामि, चउच्चिह्नं पि आहारं—प्रसणं, पाणं, खाइमं, साइमं ।

अप्रत्यक्षाभोगेण, सहस्रागारेणं पारिद्वावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सञ्चसमाहित्यागारेण दोसिरामि ।

भावार्थ—सूर्योदय से लेकर अभक्तार्थ—उपवास ग्रहण करता हूँ, फलतः अशन, पान, खादिम, स्वादिम, चारों ही प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ।

अनाभोग, सहस्राकार, पारिष्ठापनिकाकार, महत्तराकार, सर्वसमाधिप्रत्ययाकार—उक्त पांच आगारों के सिवाय सब प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ।

विवेचन—अभक्तार्थ—भक्त का अर्थ भोजन है। 'अर्थ' का अर्थ 'प्रयोजन' है। 'अ' का अर्थ 'नहीं' है। तीनों मिलाकर अर्थ होता है—भक्त का प्रयोजन नहीं है जिस व्रत में वह, अर्थात् उपवास । 'न विद्यते भक्तार्थो यस्मिन् प्रत्याख्याने सोऽभक्तार्थः स उपवासः ।' —श्राद्धप्रतिक्रमणवृत्ति, देवेन्द्रकृत

चउचिवहाहार और तिविहाहार के रूप में उपवास दो प्रकार का होता है। सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना 'चउचिवहाहार अभत्तटु' कहलाता है।

तिविहाहार अर्थात् त्रिविधाहार उपवास में पानी लिया जाता है। अतः जल सम्बन्धी छह आगार मूल पाठ में 'सब्वसमाहिवत्तियागारेण' के आगे इस प्रकार बढ़ाकर बोलना चाहिये—

'पाणस्स लेवाडेण वा, अलेवाडेण वा, अच्छेण वा, बहलेण वा, ससित्थेण वा, असित्थेण वा ओसिरामि।'

उक्त छह आगारों का उल्लेख जिनदासमहत्तर, हरिभद्र और सिद्धसेन आदि प्रायः सभी प्राचीन आचार्यों ने किया है। केवल उपवास में ही नहीं अन्य प्रत्याख्यानों में भी जहाँ त्रिविधाहार करना हो, सर्वत्र उपर्युक्त पाठ बोलने का विधान है। यद्यपि आचार्य जिनदास आदि ने इस का उल्लेख अभक्तार्थ के प्रसंग पर ही किया है।

उक्त जल सम्बन्धी आगारों का भावार्थ इस प्रकार है—

१. लेपकृत—दाल आदि का माँड तथा इमली, खजूर, द्राक्षा आदि का पानी। वह सब पानी जो पात्र में उपलेपकारक हो, लेपकृत कहलाता है। त्रिविधाहार में इस प्रकार का पानी ग्रहण किया जा सकता है।

२. अलेपकृत—छाछ आदि का निथरा हुआ और काँजी आदि का पानी अलेपकृत कहलाता है। अलेपकृत पानी से वह धोवन लेना चाहिए, जिसका पात्र में लेप न लगता हो।

३. अच्छ—अच्छ का अर्थ स्वच्छ है। गर्म किया हुआ स्वच्छ पानी ही अच्छ शब्द से ग्राह्य है। हाँ, प्रवचनसारोद्धार की वृत्ति के रचयिता आचार्य सिद्धसेन उष्णोदकादि का कथन करते हैं। 'अपिच्छलात् उष्णोदकादेः।' परन्तु आचार्यश्री ने स्पष्टीकरण नहीं किया कि 'आदि' शब्द से उष्ण जल के अतिरिक्त और कौन सा जल ग्राह्य है? संभव है फल आदि का स्वच्छ धोवन ग्राह्य हो। एक गुजराती अर्थकार ने ऐसा लिखा भी है।

४. बहल—तिल, चावल और जौ आदि का चिकना माँड बहल कहलाता है। बहल के स्थान पर कुछ आचार्य बहुलेप शब्द का भी प्रयोग करते हैं।

५. ससिकथ—आटा आदि से लिप्त हाथ तथा पात्र आदि का वह धोवन जिसमें सिक्थ अर्थात् आटे आदि के कण भी हों। इस प्रकार का जल त्रिविधाहार उपवास में लेने से व्रत भंग नहीं होता।

६. असिकथ—आटा आदि से लिप्त हाथ तथा पात्र आदि का वह धोवन, जो छना हुआ हो, फलतः जिसमें आटे आदि के कण न हों।

पण्डित सुखलालजी का कहना है—प्रारम्भ से ही चउचिवहाहार उपवास करना हो तो 'पारिद्वावणियागारेण' बोलना चाहिए। यदि प्रारम्भ में त्रिविधाहार किया हो, परन्तु पानी न लेने के कारण सायंकाल के समय तिविहाहार से चउचिवहाहार उपवास करना हो तो 'पारिद्वावणियागारेण' नहीं बोलना चाहिए।

८. दिवसचरिमसूत्र

दिवसचरिम (भवचरिम वा) पक्षवक्षामि चउचिवहं पि आहारं—असं, पाणं, खाइमं, साइमं। अष्टस्थणामोगेण, सहस्रागारेण, महस्रागारेण सब्वसमाहिवत्तियागारेण ओसिरामि।

भावार्थ—दिवसचरम का (अथवा भवचरम का) व्रत ग्रहण करता हूँ, फलतः अशन, पान, खादिम और स्वादिम चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। अनाभोग, सहसागार, महत्तराकार और सर्वसमाधिप्रत्ययाकार, उक्त चार आगारों के सिवाय आहार का त्याग करता हूँ।

विवेचन—यह चरमप्रत्याख्यानसूत्र है। 'चरम' का अर्थ 'अन्तिम' है। वह दो प्रकार का है— दिवस का अन्तिम भाग और भव अर्थात् आयु का अन्तिम भाग। सूर्य अस्त होने से पहले ही दूसरे दिन सूर्योदय तक के लिए चारों अथवा तीनों आहारों का त्याग करना, दिवसचरम-प्रत्याख्यान है।

भवचरमप्रत्याख्यान का अर्थ है— जब साधक को यह निश्चय हो जाए कि आयु थोड़ी ही शेष है तो यावज्जीवन के लिए चारों या तीनों प्रकार के आहार का त्याग कर दे और संथारा ग्रहण करके संयम की आराधना करे। भवचरम का प्रत्याख्यान जीवन भर की संयमसाधना सम्बन्धी सफलता का उज्ज्वल प्रतीक है।

'भवचरम' का प्रत्याख्यान करना हो तो 'दिवसचरिम' के स्थान पर 'भवचरिम' बोलना चाहिए। शेष पाठ दिवसचरिम के समान ही है।

मुनि के लिए जीवनपर्यन्त त्रिविधं त्रिविधेन रात्रिभोजन का त्याग होता है। अतः उनको दिवसचरम के द्वारा शेष दिन के भोजन का त्याग होता है और रात्रिभोजनत्याग का अनुवादकत्वेन स्मरण हो जाता है। रात्रिभोजनत्यागी गृहस्थों के लिए भी यही बात है। जिनको रात्रि-भोजन का त्याग नहीं है, उनको दिवसचरम के द्वारा शेष दिन और रात्रि के लिए भोजन का त्याग हो जाता है।

९. अभिग्रहसूत्र

अभिग्रहं पञ्चक्खामि चउद्धिवहं पि आहारं असरं, पाणं, खाइमं, साइमं ।

अन्तर्थडणाभोगेण, सहसागारेण महत्तरागारेण, सञ्चसमाहिवत्तियागारेण ओसिरामि ।

भावार्थ—मैं अभिग्रह का व्रत ग्रहण करता हूँ, अतएव अशन, पान, खादिम, स्वादिम चारों ही प्रकार के आहार का (संकलिप्त समय तक) त्याग करता हूँ।

अनाभोग, सहसाकार, महत्तराकार और सर्वसमाधिप्रत्ययाकार इन चार आगारों के सिवाय अभिग्रहपूर्ति तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ।

विवेचन—उपवास आदि के बाद अथवा विना उपवास आदि के भी अपने मन में निश्चित प्रतिज्ञा कर लेना कि अमुक बातों के मिलने पर ही पारणा अर्थात् आहार ग्रहण करूँगा, अन्यथा व्रत, बेला, आदि संकलिप्त दिनों की अवधि तक आहार ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा को 'अभिग्रह' कहते हैं।

अभिग्रह में जो बातें धारण करनी हों, उन्हें मन में निश्चय कर लेने के बाद ही उपर्युक्त पाठ के द्वारा प्रत्याख्यान करना चाहिये। अभिग्रह की प्रतिज्ञा कठिन होती है। धीर एवं वीर साधक ही अभिग्रह का पालन कर सकते हैं। जैन इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि एक साधु ने सिंह-के-स-रिया मोदकों का अभिग्रह कर लिया था और वह अभिग्रह जब पूरा न हुआ तो पागल होकर रात-

दिन का विचार न रखकर पात्र लिए धूमने लगा। कल्पसूत्र की टीकाओं में उक्त उदाहरण आत है, अतः प्रभिग्रह करते समय अपनी शक्ति का विचार अवश्य कर लेना चाहिये।

१०. निर्विकृतिकसूत्र

निर्विकृतिकसूत्रम्, अष्टत्थणाभोगेण, सहसागारेण, लेवालेवेण, गिहत्थसंसिद्धेण उक्षित्सविवेगेण, पदुच्चमकिखएण, महत्तरागारेण सर्वसमाहित्यागारेण, बोसिरामि ।

भावार्थ—मैं विकृतियों का प्रत्याख्यान करता हूँ। अनाभोग, सहसाकार, लेपालेप, गृहस्थ संसृष्ट, उत्क्षित्सविवेक, प्रतीत्यम्रक्षित, पारिष्ठापनिक, महत्तराकार और सर्वसमाधिप्रत्ययाकार इन तीन आगारों के सिवाय विकृति का परित्याग करता हूँ।

विवेचन—मन में विकार उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थों को विकृति कहते हैं—

‘मनसो विकृतिहेतुत्वाद् विकृतयः’—आचार्य हेमचन्द्र-कृत योगशास्त्रवृत्ति (तृतीय प्रकाश)

विकृति में दूध, दही, मक्खन, धी, तेल, गुड़, मधु आदि भोज्य पदार्थ सम्मिलित हैं।

भोजन का वास्तविक उद्देश्य है शरीर और साथ ही मन को सबल बनाना। मन की सबलत से तात्पर्य है उसे शुद्ध अर्थात् दोष रहित रखना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। कि इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि मन के स्वस्थ न रहने पर भी काफी सीमा तक, जिसे हम केवल शारीरिक स्वस्थता कहते हैं, वह बनी रहती है। पर उससे आत्मा को कोई लाभ नहीं होता बल हानि ही होती है। अतः आवश्यक है कि शरीर को ऐसी शुद्ध खुराक दी जाए जिससे शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी तथा इन दोनों की शुद्धता से आत्मा उन्नत हो सके। इसलिए शास्त्रकार ने बतलाया है कि भोजन में सात्विकता रखनी चाहिये। विकारजनक भोजन संयम को दूषित कि बिना नहीं रह सकता।

निर्विकृति के नी आगार हैं। आठ आगारों का वर्णन तो पहले के पाठों में यथास्थान अनुकूल है। ‘प्रतीत्यम्रक्षित’ नामक आगार नया है। भोजन बनाते समय जिन रोटी आदि पर सिर उगली से धी आदि चुपड़ा गया हो ऐसी वस्तुओं को ग्रहण करना, प्रतीत्यम्रक्षित आगार कहलात है। इस आगार का यह भाव है कि धृत आदि विकृति का त्याग करने वाला साधक धारा के रूप धृत आदि नहीं खा सकता है। धी से अत्यत्प रूप में चुपड़ी हुई रोटियां खा सकता है।

‘प्रतीत्य सर्वथा रूक्षमण्डकादि, ईषत्सौकुमार्यं प्रतिपादनाय यदंगुल्या ईषद् धृतं गृहीत्वा ऋक्षितं तदा कल्पते, न तु धारया।’

—देवेन्द्र प्रतिक्रमणवृत्ति, तिलकाचा

११. प्रत्याख्यानपारणासूत्र

उगाए सूरे नमुक्कारसहियं... पञ्चकखाणं कयं । तं पञ्चकखाणं सम्मं काएणं फासि पालियं, तीरियं, किट्टियं, सोहियं, आराहियं । जं च न आराहियं, तस्य मिछ्छा मि दुष्करं ।

भावार्थ—सूर्योदय होने पर जो नमस्कार सहित या...प्रत्याख्यान किया था, वह प्रत्याख्या (मन, वचन) शरीर के द्वारा सम्यक् रूप से स्पृष्ट, पालित, शोधित, तीर्ण, कीर्तित एवं आराधि किया और जो सम्यक् रूप से आराधित न किया हो, उसका दुष्कृत मेरे लिए मिथ्या हो।

विवेचन—यह प्रत्याख्यानपूर्ति का सूत्र है। कोई भी प्रत्याख्यान किया हो, उसकी समाप्ति प्रस्तुत सूत्र के द्वारा करनी चाहिये। ऊपर मूल पाठ में ‘नमुक्कारसहियं’ नमस्कारिका का सूचक सामान्य शब्द है। इसके स्थान में जो प्रत्याख्यान ग्रहण कर रखा हो, उसका नाम लेना चाहिये। जैसे कि पीरषी ली हो तो ‘पीरसीपच्चक्षाणं कयं’ ऐसा कहना चाहिये।

प्रत्याख्यान पालने के छह अंग हैं—

- (१) **फासियं (स्पृष्ट अथवा स्पर्शित)**—गुरुदेव से या स्वयं विशिष्टपूर्वक प्रत्याख्यान लेना।
- (२) **पालियं (पालित)**—प्रत्याख्यान को बार-बार उपयोग में लाकर सावधानी के साथ उसकी सतत रक्षा करना।

(३) **सोहियं (शोधित)**—कोई दूषण लग जाए तो सहसा उसकी शुद्धि करना। अथवा ‘सोहियं’ का संस्कृत रूप शोभित भी होता है। इस दशा में अर्थ होगा—

गुरुजनों को, साथियों को अथवा अतिथि जनों को भोजन देकर स्वयं भोजन करना।

(४) **तीरियं (तीरित)**—लिए हुए प्रत्याख्यान का समय पूरा हो जाने पर भी कुछ समय ठहरकर भोजन करना।

(५) **किट्रियं (कीर्तित)**—भोजन प्रारंभ करने से पहले लिए हुए प्रत्याख्यान को विचार कर उत्कीर्तन-पूर्वक कहना कि मैंने अमुक प्रत्याख्यान अमुक रूप से ग्रहण किया था, वह भली-भांति पूर्ण हो गया है।

(६) **आराहियं (आराधित)**^१—सब दोषों से सर्वथा दूर रहते हुए ऊपर कही हुई विधि के अनुसार प्रत्याख्यान की आराधना करना।



१. आचार्य जिनदास ने ‘आराधित’ के स्थान पर ‘अनुपालित’ कहा है। अनुपालित का अर्थ किया है— तीर्थकर देव के वचनों का बार-बार स्मरण करते हुए प्रत्याख्यान का पालन करना—‘अनुपालियं नाम अनुस्मृत्य अनुस्मृत्य तीर्थकरवचनं प्रत्याख्यानं पालियत्वं । —आवश्यकचूर्णि

आत्मयत्तु कठी विदि

जीव-जन्मुरहित निरबद्ध स्थान का प्रतिलेखन-प्रमार्जन करके आसन बिद्धावे । फिर उस पर खड़े होकर शासनपति भगवान् महावीर स्वामी को एवं अपने वर्तमान गुरु महाराज को 'तिक्खुत्तो' के पाठ से तीन बार वंदना करके चौबीसस्तव की आज्ञा लेकर चौबीसस्तव करे । चौबीसस्तव में 'इच्छाकारेण' और 'तस्स उत्तरी' के पाठ कहकर काउस्सग करे । काउस्सग में दो 'लोगस्स' का ध्यान करे । 'नमो अरिहंताण' कह कर 'काउस्सग' पारे । 'काउस्सग' में मन, वचन, काया चलित हुए हों तो, आर्त्तध्यान, रीढ़ध्यान ध्याया हो तो 'तस्स मिच्छा मि दुक्कड़' बोलकर एक 'लोगस्स' प्रकट रूप में बोले । फिर नीचे बैठकर बायाँ घुटना खड़ा रखकर 'नमोत्थुण' का पाठ दो बार बोले । फिर प्रतिक्रमण करने की आज्ञा ले । 'इच्छामि ण भंते' एक नवकार कहकर पहले आवश्यक की आज्ञा ले ।

पहले आवश्यक में करेमि भंते, इच्छामि ठामि तथा तस्स उत्तरी की पाटी बोलकर काउस्सग करे । काउस्सग में आगमे तिविहे, दंसण-समकित, अतिचार की पाटियां (पांच समिति, तीन गुप्ति, छः काय, पांच महाव्रत, छठा रात्रिभोजनत्याग व्रत) छोटी सलेखणा, अठारह पापस्थान, इच्छामि ठामि और एक नवकार मंत्र का मन में चित्तन करे । सब पाटियों में 'मिच्छामि दुक्कड़' के बदले 'तस्स आलोऊँ' कहे, 'नमो अरिहंताण' कहकर काउस्सग पारे । चार ध्यान का पाठ बोल कर पहला आवश्यक समाप्त करे । फिर दूसरे आवश्यक की आज्ञा ले ।

दूसरे आवश्यक में एक लोगस्स प्रकट कहे । फिर तीसरे आवश्यक की आज्ञा ले ।

तीसरे आवश्यक में 'इच्छामि खमासमणो' का पाठ दो बार बोले । जहाँ 'निसोहियाए' शब्द आवे वहाँ दोनों घुटनों को खड़े कर के दोनों हाथ जोड़ कर बैठे और जब 'तित्तीसन्नयराए' शब्द आवे तब खड़े होकर पाठ समाप्त करे । इसी तरह दूसरी बार 'इच्छामि खमासमणो' का पाठ बोले । फिर चौथे आवश्यक की आज्ञा लेवे ।

चौथे आवश्यक में खड़े होकर आगमे तिविहे, दंसण समकित, अतिचार की पाटियां, छोटी सलेखना, अठारह पापस्थान, इच्छामि ठामि—जिनका काउस्सग में चित्तन किया था, उन्हें यहाँ प्रकट कहे । सभी पाटियों में 'मिच्छा मि दुक्कड़' कहे । फिर 'तस्स सब्बस्स' का पाठ कहे । फिर 'श्रमणसूत्र' की आज्ञा लेकर दाहिना घुटना खड़ा करके बैठे, तदनन्तर एक नवकार, करेमि भंते, चत्तारि मगल, इच्छामि ठामि, इच्छाकारेण, आगमे तिविहे, दंसण समकित, कहे । बाद में निद्रादोष-निवृत्ति (पगामसिज्जाए) का, भिक्षादोषनिवृत्ति (गोयरगचरियाए) का, स्वाध्याय तथा प्रतिलेखन (चउकालसिज्जाए) का और तेतीस बोल का पाठ कहे । पश्चात् दोनों घुटने खड़े कर, दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर निर्गंथप्रवचन (नमो चउवीसाए) का पाठ कहे । जहाँ 'अब्भुट्टिमोमि' शब्द हो वहाँ खड़ा होकर सर्व पाठ कहना चाहिए । फिर पालथी लगाकर बैठे और बड़ी सलेखना,

अठारह पापस्थान कहे, फिर खड़े होकर 'तस्स धम्मस्स' का पाठ कह कर पूर्ववत् दो बार 'इच्छामि खमासमणो' का पाठ कहे। फिर दोनों घुटने नमा कर, घुटनों के ऊपर दोनों हाथ जोड़ कर मस्तक को नीचा नमा कर, एक नवकार मन्त्र कहकर, पांच पदों की वंदना कहे। फिर नीचे बैठकर अनन्त चौबीस, आयरिउ वजभाए ढाई द्वीप, चौरासी लाख जीवयोनि, कुल कोडी का पाठ, खामेमि सब्बे जीवा, अठारह पापस्थानक कहे। फिर पांचवें आवश्यक की आज्ञा ले।

पांचवें आवश्यक में प्रायशिच्चत का पाठ, एक नवकार, करेमि भते, इच्छामि ठामि, तस्स उत्तरी की पाटी बोलकर काउस्सग में लोगस्स का ध्यान करे (देवसिय-राइसिय प्रतिक्रमण में चार, पक्खी प्रतिक्रमण में श्राठ, चौमासी प्रतिक्रमण में बारह और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में बीस लोगस्स का काउस्सग करना चाहिये)। 'नमो श्रिहंताण' कह कर काउस्सग पारे। फिर एक लोगस्स प्रकट कह कर दो बार 'इच्छामि खमासमणो' बोले। फिर छठे आवश्यक की आज्ञा ले।

छठे आवश्यक में खड़े होकर साधुजी महाराज से अपनी शक्ति अनुसार पच्चक्खाण ग्रहण करे। यदि साधुजी महाराज न हों, तो ज्येष्ठ श्रावक से पच्चक्खाण ग्रहण करे। यदि वे भी नहीं हों, तो स्वयमेव दश प्रत्याख्यानों में से यथाशक्ति स्वीकार करे। फिर दो नमोत्थुण का पाठ पढ़ कर उत्तर तथा पूर्व दिशा में मुख कर सीमन्धर स्वामी, महावीर स्वामी तथा मुनिराजों को वन्दना करे। बाद में सभी को अन्तःकरण से खमावे तथा चौबीसी आदि स्तवन बोले।



अनध्यायकाल

[स्व० आचार्यप्रबर श्री आत्मारामजी म० ह्वारा सम्यावित नन्दीसूत्र से उद्धृत]

स्वाध्याय के लिए आगमों में जो समय बताया गया है, उसी समय शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। अनध्यायकाल में स्वाध्याय वर्जित है।

मनुस्मृति आदि स्मृतियों में भी अनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। वैदिक लोग भी वेद के अनध्यायों का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार अन्य आर्ष ग्रन्थों का भी अनध्याय माना जाता है। जैनागम भी सर्वज्ञोत्तम, देवाधिष्ठित तथा स्वरविद्या संयुक्त होने के कारण, इनका भी आगमों में अनध्यायकाल वर्णित किया गया है, जैसे कि—

दसविदे अंतलिक्षिते असज्जकाए पण्णते, तं जहा—उषकावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, विज्जुते, निघाते, जुवते, जक्खालित्ते, धूमिता, महिता, रयउग्धाते ।

दसविदे ओरालिते असज्जकातिते, तं जहा—अटठी, मंसं, सोणिते, असुतिसामते, सुसाणसामते, चंदोवराते, सूरोवराते, पडने, रायवुग्हे, उवस्सयस्स अंतो ओरालिए सरीरगे ।

—स्थानाङ्गः सूत्र, स्थान १०

नो कप्पति निगंधाण वा, निगंधीण वा चउहिं महापाडिवएहि सज्जकायं करित्तए, तं जहा—आसाढपाडिवए, इंदमहापाडिवए, कत्तप्राडिवए सुगिम्हपाडिवए। नो कप्पइ निगंधाण वा निगंधीण वा, चउहिं संभाहिं सज्जकायं करेत्तए, तं जहा—पडिमाते, पच्छिमाते मज्जभण्हे, अड्डरत्ते। कप्पइ निगंधाणं वा निगंधीण वा, चाउककालं सज्जकाय करेत्तए, तं जहा—पुव्वण्हे अवरण्हे, पश्चोसे, पच्चूसे ।

—स्थानाङ्गः सूत्र, स्थान ४, उद्देशक २

उपर्युक्त सूत्रपाठ के अनुसार, दस आकाश से सम्बन्धित, दस औदारिक शरीर से सम्बन्धित, चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूर्णिमा और चार सन्ध्या, इस प्रकार बत्तीस अनध्याय माने गए हैं, जिनका संक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णन है, जैसे—

आकाश सम्बन्धी वस अनध्याय

१. उत्कापात-तारापतन—यदि महत् तारापतन हुआ है तो एक प्रहर पर्यन्त शास्त्र-स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

२. विद्युत—जब तक दिशा रक्तवर्ण की हो अर्थात् ऐसा मालूम पड़े कि दिशा में आग सी लगी है तब भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

३. गर्जित—बादलों के गर्जन पर दो प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे।

४. विद्युत—विजली चमकने पर एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे।

किन्तु गर्जन और विद्युत का अस्वाध्याय चातुर्मासि में नहीं मानना चाहिए। क्योंकि वह

गर्जन और विद्युत् प्रायः ऋतु-स्वभाव से ही होता है। अतः आद्रा से स्वाति नक्षत्र पर्यन्त अनध्याय नहीं माना जाता।

५. निर्धात—बिना बादल के आकाश में व्यन्तरादिकृत घोर गर्जना होने पर, या बादलों सहित आकाश में कड़कने पर दो प्रहर तक अस्वाध्याय काल है।

६. यूपक—शुक्लपक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा और चन्द्रप्रभा के मिलने को यूपक कहा जाता है। इन दिनों प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

७. यक्षादीप्त—कभी किसी दिशा में बिजली चमकने जैसा, थोड़े-थोड़े समय पीछे जो प्रकाश होता है वह यक्षादीप्त कहलाता है। अतः आकाश में जब तक यक्षाकार दीखता रहे तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

८. धूमिका-कृष्ण—कार्तिक से लेकर माघ तक का समय में वर्षों का गभमास होता है। इसमें धूम्र वर्ण की सूक्ष्म जलरूप धुंध पड़ती है। वह धूमिका-कृष्ण कहलाती है। जब तक यह धुंध पड़ती रहे, तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

९. मिहिकाश्वेत—शीतकाल में श्वेत वर्ण की सूक्ष्म जलरूप धुंध मिहिका कहलाती है। जब तक यह गिरती रहे, तब तक अस्वाध्याय काल है।

१०. रज-उद्धात—वायु के कारण आकाश में चारों ओर धूलि छा जाती है। जब तक यह धूलि फैलती रहती है, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

उपरोक्त दस कारण आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय के हैं।

औदारिकशरीर सम्बन्धी दस अनध्याय

११-१२-१३. हड्डी, मांस और रुधिर—पचेन्द्रिय तियंच की हड्डी, मांस और रुधिर यदि सामने दिखाई दे, तो जब तक वहाँ से यह वस्तुएँ उठाई न जाएँ तब तक अस्वाध्याय है। वृत्तिकार आस-पास के ६० हाथ तक इन वस्तुओं के होने पर अस्वाध्याय मानते हैं।

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि, मांस और रुधिर का भी अनध्याय माना जाता है। विशेषता इतनी है कि इनका अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन-रात का होता है। स्त्री के मासिक धर्म का अस्वाध्याय तीन दिन तक। बालक एवं बालिका के जन्म का अस्वाध्याय क्रमशः सात एवं आठ दिन पर्यन्त का माना जाता है।

१४. अशुचि—मल-पूत्र सामने दिखाई देने तक अस्वाध्याय है।

१५. इमशान—इमशानभूमि के चारों ओर सौ-सौ हाथ पर्यन्त अस्वाध्याय माना जाता है।

१६. चन्द्रप्रहण—चन्द्रप्रहण होने पर जघन्य आठ, मध्यम बारह और उत्कृष्ट सोलह प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

१७. सूर्यप्रहण—सूर्यग्रहण होने पर भी क्रमशः आठ, बारह और सोलह प्रहर पर्यन्त अस्वाध्यायकाल माना गया है।

१८. पतन—किसी बड़े मान्य राजा अथवा राष्ट्रपुरुष का निधन होने पर जब तक उसका दाहसंस्कार न हो, तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अथवा जब तक दूसरा अधिकारी सत्तारूढ़ न हो, तब तक शनैः शनैः स्वाध्याय करना चाहिए।

१९. राजव्युद्घह—समीपस्थ राजाओं में परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो जाए, तब तक और उसके पश्चात् भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नहीं करें।

२०. औदारिक शरीर—उपाश्रय के भीतर पंचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक कलेवर पड़ा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पड़ा हो तो स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

अस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण औदारिकशरीर सम्बन्धी कहे गये हैं।

२१-२८. चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदा—ग्राषाढ़-पूर्णिमा, आश्विन-पूर्णिमा, कार्तिक-पूर्णिमा और चैत्र-पूर्णिमा ये चार महोत्सव हैं। इन पूर्णिमाओं के पश्चात् आने वाली प्रतिपदा को महाप्रतिपदा कहते हैं। इनमें स्वाध्याय करने का निषेध है।

२९-३२. प्रातः, सायं, मध्याह्न और अर्धरात्रि—प्रातः: सूर्य उगने से एक घड़ी पहिले तथा एक घड़ी पीछे। सूर्यस्त होने से एक घड़ी पहले तथा एक घड़ी पीछे। मध्याह्न अर्थात् दोपहर में एक घड़ी आगे और एक घड़ी पीछे एवं अर्धरात्रि में भी एक घड़ी आगे तथा एक घड़ी पीछे स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।



श्री आगम प्रकाशन-समिति, व्यावर

अर्थसहयोगी सदस्यों की शुभ नामावली

महासत्तम्भ

१. श्री सेठ मोहनमलजी चोरड़िया, मद्रास
२. श्री गुलाबचन्दजी मांगीलालजी सुराणा, सिकन्दराबाद
३. श्री पुखराजजी शिशोदिया, व्यावर
४. श्री सायरमलजी जेठमलजी चोरड़िया, बैगलोर
५. श्री प्रेमराजजी भंवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुर्ग
६. श्री एस. किशनचन्दजी चोरड़िया, मद्रास
७. श्री कंवरलालजी बेताला, गोहाटी
८. श्री सेठ खीवराजजी चोरड़िया मद्रास
९. श्री गुमानमलजी चोरड़िया, मद्रास
१०. श्री एस बादलचन्दजी चोरड़िया, मद्रास
११. श्री जे. दुलीचन्दजी चोरड़िया, मद्रास
१२. श्री एस. रतनचन्दजी चोरड़िया, मद्रास
१३. श्री जे. अन्नराजजी चोरड़िया, मद्रास
१४. श्री एस. सायरचन्दजी चोरड़िया, मद्रास
१५. श्री आर. शान्तिलालजी उत्तमचन्दजी चोरड़िया, मद्रास
१६. श्री सिरेमलजी हीराचन्दजी चोरड़िया, मद्रास
१७. श्री जे. हुक्मीचन्दजी चोरड़िया, मद्रास

स्तम्भ सदस्य

१. श्री अगरचन्दजी फतेचन्दजी पारख, जोधपुर
२. श्री जगराजजी गणेशमलजी संचेती, जोधपुर
३. श्री तिलोकचन्दजी, सागरमलजी संचेती, मद्रास
४. श्री पूसालालजी किस्तूरचन्दजी सुराणा, कटंगी
५. श्री आर. प्रसन्नचन्दजी बोकड़िया, मद्रास
६. श्री दीपचन्दजी बोकड़िया, मद्रास
७. श्री मूलचन्दजी चोरड़िया, कटंगी
८. श्री वद्धमान इण्डस्ट्रीज, कानपुर
९. श्री मांगोलालजी मिश्रोलालजी चेसती, दुर्ग

संरक्षक

१. श्री बिरदीचंदजी प्रकाशचंदजी तलेसरा, पाली
२. श्री ज्ञानराजजी केवलचन्दजी मूथा, पाली
३. श्री प्रेमराजजी जतनराजजी मेहता, मेहता सिटी
४. श्री शा० जड़ावमलजी माणकचन्दजी बेताला, बागलकोट
५. श्री हीरालालजी पन्नालालजी चौपड़ा, व्यावर
६. श्री मोहनलालजी नेमीचन्दजी ललवाणी, चांगाटोला
७. श्री दीपचन्दजी चन्दनमलजी चोरड़िया, मद्रास
८. श्री पन्नालालजी भागचन्दजी बोधरा, चांगाटोला
९. श्रीमती सिरेकूंवर बाई धर्मपत्नी स्व. श्री सुगन चन्दजी भामड़, मदुरान्तकम्
१०. श्री बस्तीमलजी मोहनलालजी बोहरा (K. G. F.) जाड़न
११. श्री धानचन्दजी मेहता, जोधपुर
१२. श्री भैरुदानजी लाभचन्दजी सुराणा, नागौर
१३. श्री खूबचन्दजी गादिया, व्यावर
१४. श्री मिश्रोलालजी धनराजजी विनायकिया व्यावर
१५. श्री इन्द्रचन्दजी बैद, राजनांदगांव
१६. श्री रावतमलजी भीकमचन्दजी पगारिया, बालाघाट
१७. श्री गणेशमलजी धर्मीचन्दजी कांकरिया, टंगला
१८. श्री सुगनचन्दजी बोकड़िया, इन्दौर
१९. श्री हरकचन्दजी सागरमलजी बेताला, इन्दौर
२०. श्री रघुनाथमलजी लिखमीचन्दजी लोढ़ा, चांगाटोला
२१. श्री सिद्धकरणजी शिखरचन्दजी बैद, चांगाटोला

२२. श्री सागरमलजी नोरतमलजी पीचा, मद्रास
२३. श्री मोहनराजजी मुकनचन्दजी बालिया,
अहमदाबाद
२४. श्री केशरीमलजी जंवरीलालजी तलेसरा, पाली
२५. श्री रतनचन्दजी उत्तमचन्दजी मोदी, व्यावर
२६. श्री धर्मीचन्दजी भागचन्दजी बोहरा, झूँठा
२७. श्री छोगमलजी हेमराजजी लोढ़ा, डॉडीलोहारा
२८. श्री गुणचन्दजी दलीचन्दजी कटारिया, बेल्लारी
२९. श्री मूलचन्दजी सुजानमलजी संचेती, जोधपुर
३०. श्री सी० अमरचन्दजी बोथरा, मद्रास
३१. श्री भंवरलालजी मूलचन्दजी सुराणा, मद्रास
३२. श्री बादलचन्दजी जुगराजजी मेहता, इन्दौर
३३. श्री लालचन्दजी मोहनलालजी कोठारी, गोठन
३४. श्री हीरलालजी पन्नालालजी चौपड़ा, अजमेर
३५. श्री मोहनलालजी पारसमलजी पगारिया,
बंगलोर
३६. श्री भंवरीमलजी चोरड़िया, मद्रास
३७. श्री भंवरलालजी गोठी, मद्रास
३८. श्री जालमचन्दजी रिखबचन्दजी बाफना, आगरा
३९. श्री घेररचन्दजी पुखराजजी भुरट, गोहाटी
४०. श्री जबरचन्दजी गेलड़ा, मद्रास
४१. श्री जड़ावमलजी सुगनचन्दजी, मद्रास
४२. श्री पुखराजजी विजयराजजी, मद्रास
४३. श्री चेनमलजी सुराणा ट्रस्ट, मद्रास
४४. श्री लूणकरणजी रिखबचन्दजी लोढ़ा, मद्रास
४५. श्री सूरजमलजी सज्जनराजजी मेहता, कोप्पल

सहयोगी सदस्य

१. श्री देवकरणजी श्रीचन्दजी ढोसी, मेडतासिटी
२. श्रीमती छगनीबाई विनायकिया, व्यावर
३. श्री पूनमचन्दजी नाहटा, जोधपुर
४. श्री भंवरलालजी विजयराजजी कांकरिया,
विल्लीपुरम्
५. श्री भंवरलालजी चौपड़ा, व्यावर
६. श्री विजयराजजी रतनलालजी चतर, व्यावर
७. श्री बी. गजराजजी बोकड़िया, सेलम

८. श्री फूलचन्दजी गौतमचन्दजी कांठेड, पाली
९. श्री के. पुखराजजी बाफना, मद्रास
१०. श्री रूपराजजी जोधराजजी मूथा, दिल्ली
११. श्री मोहनलालजी मंगलचन्दजी पगारिया, रायपुर
१२. श्री नथमलजी मोहनलालजी लिणिया, चण्डावल
१३. श्री भंवरलालजी गौतमचन्दजी पगारिया,
कुशालपुरा
१४. श्री उत्तमचन्दजी मांगीलालजी, जोधपुर
१५. श्री मूलचन्दजी पारख, जोधपुर
१६. श्री सुमेरमलजी मेडतिया, जोधपुर
१७. श्री गणेशमलजी नेमीचन्दजी टांटिया, जोधपुर
१८. श्री उदयराजजी पुखराजजी संचेती, जोधपुर
१९. श्री बादरमलजी पुखराजजी बंट, कानपुर
२०. श्रीमती सुन्दरबाई गोठी W/o श्री ताराचन्दजी
गोठी, जोधपुर
२१. श्री रायचन्दजी मोहनलालजी, जोधपुर
२२. श्री घेररचन्दजी रूपराजजी, जोधपुर
२३. श्री भंवरलालजी माणकचन्दजी सुराणा, मद्रास
२४. श्री जंवरीलालजी अमरचन्दजी कोठारी, व्यावर
२५. श्री माणकचन्दजी किशनलालजी, मेडतासिटी
२६. श्री मोहनलालजी गुलाबचन्दजी चतर, व्यावर
२७. श्री जसराजजी जंवरीलालजी धारीवाल, जोधपुर
२८. श्री मोहनलालजी चम्पालालजी गोठी, जोधपुर
२९. श्री नेमीचन्दजी डाकलिया मेहता, जोधपुर
३०. श्री ताराचन्दजी केवलचन्दजी कणविट, जोधपुर
३१. श्री आसूमल एण्ड क०, जोधपुर
३२. श्री पुखराजजी लोढ़ा, जोधपुर
३३. श्रीमती सुगनीबाई W/o श्री मिश्रीलालजी
सांड, जोधपुर
३४. श्री बच्छराजजी सुराणा, जोधपुर
३५. श्री हरकचन्दजी मेहता, जोधपुर
३६. श्री देवराजजी लाभचन्दजी मेडतिया, जोधपुर
३७. श्री कनकराजजी मदनराजजी गोलिया,
जोधपुर
३८. श्री घेररचन्दजी पारसमलजी टांटिया, जोधपुर
३९. श्री मांगीलालजी चोरड़िया, कुचेरा

- ४०. श्री सरदारमलजी सुराणा, भिलाई
- ४१. श्री श्रोकचंदजी हेमराजजी सोनी, दुर्ग
- ४२. श्री सूरजकरणजी सुराणा, मद्रास
- ४३. श्री धोसूलालजी लालचंदजी पारख, दुर्ग
- ४४. श्री पुखराजजी बोहरा, (जैन ट्रान्सपोर्ट कं.)
जोधपुर
- ४५. श्री चम्पालालजी सकलेचा, जालना
- ४६. श्री प्रेमराजजी मीठालालजी कामदार,
बैंगलोर
- ४७. श्री भंवरलालजी मूथा एण्ड सन्स, जयपुर
- ४८. श्री लालचंदजी मांतीलालजी गांदिया, बैंगलोर
- ४९. श्री भवरलालजी नवरत्नमलजी सांखला,
मेट्रोपलियम
- ५०. श्री पुखराजजी छल्लाणी, करणगुल्ली
- ५१. श्री आसकरणजी जसराजजी पारख, दुर्ग
- ५२. श्री गणेशमलजी हेमराजजी सोनी, भिलाई
- ५३. श्री अमृतराजजी जसवन्तराजजी मेहना,
मेडतासिटी
- ५४. श्री धेवरचंदजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर
- ५५. श्री मांगीलालजी रेखचंदजी पारख, जोधपुर
- ५६. श्री मुश्रीलालजी मूलचंदजी गुलेच्छा, जोधपुर
- ५७. श्री रतनलालजी लखपतराजजी, जोधपुर
- ५८. श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेडता
सिटी
- ५९. श्री भंवरलालजी रिखचंदजी नाहटा, नागोर
- ६०. श्री मांगीलालजी प्रकाशचन्दजी रुणवाल, मैसूर
- ६१. श्री पुखराजजी बोहरा, पीपलिया कलां
- ६२. श्रो हरकचंदजी जुगराजजी बाफना, बैंगलोर
- ६३. श्री चन्दनमलजी प्रेमचंदजी मोदी, भिलाई
- ६४. श्री भीवराजजी बाधमार, कुचेरा
- ६५. श्री तिलोकचंदजी प्रेमप्रकाशजी, अजमेर
- ६६. श्री विजयलालजी प्रेमचंदजी गुलेच्छा,
राजनांदगांव
- ६७. श्री रावतमलजी छाजेड़, भिलाई
- ६८. श्री भंवरलालजी डूंगरमलजी कांकरिया,
भिलाई

- ६९. श्री हीरालालजी हस्तीमलजी देशलहरा, भिलाई
- ७०. श्री वर्ढमान स्थानकवासी जैन श्रावकसंघ,
दलली-राजहरा
- ७१. श्री चम्पालालजी बुद्धराजजी बाफणा, व्यावर
- ७२. श्री गंगारामजी इन्द्रचंदजी बोहरा, कुचेरा
- ७३. श्री फतेहराजजी नेमीचंदजी कण्विट, कलकत्ता
- ७४. श्री बालचंदजी थानचन्दजी भुट्ट,
कलकत्ता
- ७५. श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर
- ७६. श्री जवरीलालजी शांतिलालजी सुराणा,
बोलारम
- ७७. श्री कानमलजी कोठारी, दादिया
- ७८. श्री पन्नालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली
- ७९. श्री माणकचंदजी रतनलालजी मुणोत, टंगला
- ८०. श्री चिम्मनमिहजी मोहनसिहजी लोढा, व्यावर
- ८१. श्री रिद्धकरणजी रावतमलजी भुट्ट, गोहाटी
- ८२. श्री पारसमलजी महावीरचंदजी बाफना, गोठन
- ८३. श्री फकीरचंदजी कमलचंदजी श्रीश्रीभाल,
कुचेरा
- ८४. श्री मांगीलालजी मदनलालजी चोरहिया, भैरूंदा
- ८५. श्री सोहनलालजी लूणकरणजी सुराणा, कुचेरा
- ८६. श्री धोसूलालजी, पारसमलजी, जंवरीलालजी
कोठारी, गोठन
- ८७. श्री सरदारमलजी एण्ड कम्पनी, जोधपुर
- ८८. श्री चम्पालालजी हीरालालजी बागरेचा,
जोधपुर
- ८९. श्री पुखराजजी कटारिया, जोधपुर
- ९०. श्री इन्द्रचन्दजी मुकन्दचन्दजी, इन्दौर
- ९१. श्री भंवरलालजी बाफणा, इन्दौर
- ९२. श्री जेठमलजी मोदी, इन्दौर
- ९३. श्री बालचन्दजी अमरचन्दजी मोदी, व्यावर
- ९४. श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी भंडारी, बैंगलोर
- ९५. श्री मती कमलाकंवर ललवाणी धर्मपत्नी श्री
स्व. पारसमलजी ललवाणी, गोठन
- ९६. श्री अखेचंदजी लूणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता
- ९७. श्री सुगनचन्दजी संचेती. राजनांदगांव

९८. श्री प्रकाशचंदजी जैन, भरतपुर
९९. श्री कुशालचंदजी रिखबचन्दजी सुराणा,
बोलारम
१००. श्री लक्ष्मीचंदजी अशोककुमारजी श्रीश्रीमाल,
कुचेरा
१०१. श्री गूढ़मलजी चम्पालालजी, गोठन
१०२. श्री तेजराजजी कोठारी, मांगलियावास
१०३. सम्पत्तराजजी चोरड़िया, मद्रास
१०४. श्री अमरचंदजी छाजेड़, पाठु बड़ी
१०५. श्री जुगराजजी धनराजजी बरमेचा, मद्रास
१०६. श्री पुखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास
१०७. श्रीभती कंचनदेवी व निर्मलादेवी, मद्रास
१०८. श्री दुलेराजजी भंवरलालजी कोठारी,
कुशालपुरा
१०९. श्री भंवरलालजी मांगीलालजी बेताला, डेहू
११०. श्री जीवराजजी भंवरलालजी चोरड़िया,
भैरूंदा
१११. श्री मांगीलालजी शांतिलालजी झणवाल,
हरसोलाव
११२. श्री चांदमलजी धनराजजी मोदी, अजमेर
११३. श्री रामप्रसाद ज्ञानप्रसार केन्द्र, चन्द्रपुर
११४. श्री भूरमलजी दुलीचंदजी बोकड़िया,
मेहतासिटी
११५. श्री मोहनलालजी धारीवाल, पाली

११६. श्रीमती रामकंवरबाई धर्मपत्नी श्री चांदमलजी
लोठा, बम्बई
११७. श्री माँगीलालजी उत्तमचंदजी बाफणा, बैंगलोर
११८. श्री सांचालालजी बाफणा, श्रीरंगाबाद
११९. श्री भीकमचन्दजी माणकचन्दजी खाबिया,
(कुडालोर), मद्रास
१२०. श्रीमती अनोपकुंवर धर्मपत्नी श्री चम्पालालजी
संघवी, कुचेरा
१२१. श्री सोहनलालजी सोजतिया, थांवला
१२२. श्री चम्पालालजी भण्डारी, कलकत्ता
१२३. श्री भीकमचन्दजी गणेशमलजी चीधरी,
धूलिया
१२४. श्री पुखराजजी किशनलालजी तातेड़,
सिकन्दराबाद
१२५. श्री मिश्रीलालजी सउजनलालजी कटारिया
सिकन्दराबाद
१२६. श्री बद्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ,
बगड़ीनगर
१२७. श्री पुखराजजी पारसमलजी ललवाणी,
बिलाडा
१२८. श्री टी. पारसमलजी चोरड़िया, मद्रास
१२९. श्री मोतीलालजी आसूलालजी बोहरा
एण्ड क., बैंगलोर
१३०. श्री सम्पत्तराजजी सुराणा, मनमाड़ □□

